रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221818
CG-DL-E-19092020-221818

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2839] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
No. 2839] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3187(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार डेका, न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाले अधिकरण, जिनको यह न्यायनिर्णय करने के लिए कि असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत संदर्भ भेजा गया था, के आदेश को आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:

[फा. सं. 11011/03/2019-एनई. V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

एएआई बिल्डिंग, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, हदायतपुर, गुवाहाटी

यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट (उल्फा) के मामले में

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार डेका, पीठासीन अधिकारी के समक्ष

असम राज्य के लिए	:	श्री डी. शैकिया, वरिष्ठ वकील
		श्री पी. नायक, वकील
		श्री ए. चलीहा, वकील
भारत संघ के लिए	:	श्री एस.सी. केयाल,
		भारत के सहायक सोलिसिटर जनरल

सुनवाई की तारीख	:	20.06.2020
न्यायनिर्णय की तारीख	:	03.08.2020

आदेश

1. श्री सत्येंद्र गर्ग संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2019 को अधिसूचना का.आ. 4273(अ) को इस बारे में जारी किया गया था कि केंद्रीय सरकार की यह राय थी कि यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (जिसे यहां इसके पश्चात उल्फा कहा गया है) की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और यह यह कि यह एक विधिविरुद्ध संगम है।

2. केंद्रीय सरकार की यह भी राय थी कि यदि उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तुरंत रोका नहीं गया और नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अवसर का लाभ उठाकर अपनी पृथकतावादी , विघटनकारी तथा हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए अपने काडरों को एकजुट कर सकता है; भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के शत्रुवत बलों के साथ मिलकर खुले रूप से समाज-विरोधी गतिविधियों का प्रसार कर सकता है; आम नागरिकों की हत्या करने तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने के कार्य में लिप्त हो सकता है; सीमापार से और अधिक अवैध हथियार और गोला-बारूद ला सकता है तथा अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से धनराशि और अवैध कर की जबरन वसूली कर सकता है और उसका संग्रहण कर सकता है; और इसलिए मौजूदा परिस्थितियों से यह आवश्यक हो गया है कि उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए। तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे यहां इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया।

3. केंद्रीय सरकार की यह भी राय थी कि उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने निदेश दिया कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए किसी आदेश के अध्यधीन अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

4. अधिनियम की धारा 3(1) के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सरकार की यह राय थी कि उल्फा: (i) असम को आजाद कराने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत की संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता में विघ्न डालने, या जिनसे विघ्न डल सकता है, के आशय से अवैध और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है; (ii) असम को भारत से अलग करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ गठजोड़ करता रहा है; (iii) अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विधिविरुद्ध संगम के रूप में उनकी घोषणा की अवधि के दौरान विधिविरुद्ध और हिंसक गतिवविधियों में शामिल रहा है।

5. केंद्रीय सरकार की आगे यह भी राय है कि उल्फा की विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियों में अग्रलिखित शामिल हैं - (i) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान, अपने स्तर से या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ मिलकर हिंसा की लगभग सत्तर घटनाओं को अंजाम देना, (ii) दिनांक 01 जनवरी दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान, पच्चीस आम नागरिकों तथा सात सुरक्षा बल कार्मिकों सहित बत्तीस व्यक्तियों की हत्या, (iii) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान, छह लोगों का अपहरण, (iv) आपने काडरों से अनधिकृत हथियार और गोला-बारूदों की बरामदगी के सैंतालीस मामले, (v) फिरौती के लिए अपहरण के कृत्यों के अतिरिक्त जबरन धन वसूली तथा पृथकतावादी गतिविधियों और निर्दोष नागरिकों की जिंदगी को खतरे में डालने के कार्यों में शामिल होना, (vi) अपने काडरों को यह अनुदेश देना कि वे सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों और उनके कार्मिकों, राजनेताओं, रेलवे और तेल संस्थापनाओं को निशाना बनाकर अपने कृत्यों को निष्पादित करना तथा (vii) अपनी हिंसक विद्रोही गतिविधियों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती के लिए एक सुव्यवस्थित अभियान चलाकर जमीनी स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क की पुनर्संरचना करना।

6. इन परिस्थितियों में तथा अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसंबर, 2019 को अधिसूचना का.आ. 4613(अ) द्वारा "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित किया गया। इस अधिकरण के गठन का प्रयोजन यह न्यायनिर्णय करना था कि क्या उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे। अधिनियम की धारा 4(3) के

आधार पर अधिकरण से यह अपेक्षित था कि वह जांच करके यह न्यायनिर्णय करे कि क्या उल्फा को अधिनियम की धारा 2(पी) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है।

7. अपने मामले के समर्थन में, केंद्रीय सरकार ने अधिकरण को एक संदर्भ भेजा तथा उल्फा के लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा हिंसक गतिविधियों के बारे में एक ब्यौरा प्रस्तुत किया।

8. अधिकरण के रजिस्ट्रार को दिनांक 20.12.2019 को यह संदर्भ प्राप्त हुआ। इस संदर्भ को माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के शीतकालीन अवकाश के बाद दिनांक 02.1.2020 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसे प्राप्त करने के बाद दिनांक 02.1.2020 के आदेश के तहत इस अधिकरण ने यह उचित समझा कि कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अधिकरण के लिए अवसंरचना के साथ-साथ स्थान प्रदान किए जाने हेतु असम सरकार को सूचित करने के लिए पत्र जारी करने का निदेश दिया जाए। तदनुसार, असम सरकार ने अधिकरण के लिए दिनांक 02.3.2020 को स्थान आबंटित किया। उसके बाद, अधिकरण ने दिनांक 14.3.2020 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए संदर्भ को सूचीबद्ध किया। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन तथा गृह मंत्रालय, भारत संघ, गृह और राजनैतिक विभाग, असम सरकार और असम पुलिस के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद संतुष्टि दर्ज करने के पश्चात अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत नोटिस को उल्फा को तामील किए जाने का आदेश दिया। इसके अंतर्गत उल्फा को नोटिस की तामीली की तारीख से तीस दिनों के भीतर यह कारण बनाने के लिए कहा गया कि क्यों न उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया जाए और क्यों न अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत घोषणा की पुष्टि करते हुए आदेश जारी किया जाए। नोटिस को अधिनियम में निर्धारित तरीके से तामील किए जाने का निदेश दिया गया और तदनुसार उल्फा को प्रतिबंधित करते हुए निम्नलिखित तरीके से अधिसूचना तामील की गई:-

(क) उल्फा को उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ तथा उनके प्रमुख पदधारियों के अंतिम ज्ञात पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा।

(ख) उल्फा के पदाधिकारियों को असम में उनके पतों पर, यदि कोई हो या यदि हिरासत में हो तो, संबंधित अधीक्षक (कारागार) के माध्यम से, नोटिस की तामील।

(ग) आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर दिनांक 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ दो दैनिक समाचार-पत्रों में इसका प्रकाशन, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में (अंग्रेजी में) और दूसरा प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में (क्षेत्रीय भाषा) जो असमी भाषा में हो और जिसका उन क्षेत्रों में व्यापक परिचालन हो जहां आमतौर पर उल्फा सक्रिय हो।

(घ) उल्फा के साथ उसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों तथा उनके प्रमुख पदधारियों के अंतिम ज्ञात पतों पर 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति के साथ इस नोटिस को चिपकाना।

(ङ) उन क्षेत्रों में जहां सामान्यत: उल्फा अपने कार्यकलाप चलाता है, ड्रम बजाकर और लाउडस्पीकर द्वारा इस नोटिस तथा 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की सामग्री की घोषणा की जाए।

(च) उल्फा की सक्रियता वाले क्षेत्रों के राज्य (राज्यों) के उन सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के साथ इस नोटिस को प्रदर्शित किया जाए।

(छ) असम सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को नोटिस की तामीली।

(ज) इस नोटिस तथा 23 नवम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना की घोषणा आकाशवाणी/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्राइम टाइम पर की जाए और इसे उन राज्यों में प्रमुख स्थानों पर भी दर्शाया जाए जहां उल्फा के कार्यकलाप हुए थे या होते हैं।

(झ) उल्फा के कार्यालयों, यदि कोई हो, के कुछ प्रमुख हिस्सों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाई जाएं।

(ञ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार की बेवसाइटों पर इसे प्रकाशित किया जाए।

(ट) ई-मेल सहित किसी अन्य संभावित मोड से।

9. सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 02 मई, 2020 को पूर्वाह्न 10:30 बजे नियत की गई जो एएआई बिल्डिंग, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, हदायतपुर गुवाहाटी में अधिकरण के कार्यालय में की जानी थी।

10. दिनांक 14 मार्च, 2020 के आदेश के अनुसरण में, श्री सीमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह और राजनीति विभाग ने समाचार-पत्र में प्रकाशन सहित विभिन्न माध्यमों से उल्फा को नोटिस तामील करने के बारे में असम राज्य की ओर से अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को एक शपथ-पत्र दाखिल किया जिसे दिनांक 02 मई, 2020 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11. इसी प्रकार, श्री आर.के. पांडे, उप सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, एनई प्रभाग ने अधिकरण द्वारा निदेशित निर्धारित माध्यमों से उल्फा को नोटिस की तामीली के संबंध में केंद्रीय सरकार की ओर से दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को एक शपथ-पत्र दाखिल किया था। अधिकरण के समक्ष दिनांक 02 मई, 2020 की कार्यवाही में, केंद्रीय सरकार और असम सरकार के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को ध्यान में लेते हुए तथा उल्फा को नोटिस तामील किए जाने के तरीके को दर्शाते हुए रिकॉर्डों के साथ-साथ शपथ-पत्रों के अवलोकन के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित कारण बताओ नोटिस को सम्यक रूप से उल्फा को तामील किया गया था।

12. सम्यक तामीली के बावजूद, इस बारे में कि इस संगम को विधिविरुद्ध क्यों नहीं घोषित किया जाए, कारण बताने के लिए अधिकरण के समक्ष उल्फा की ओर से दिनांक 02.5.2020 को कोई हाजिर नहीं हुआ। तथापि, कोई श्री माधब ज्योति कलिता, पुत्र श्री स्वर्गीय धीरेन कलिता को विशेष कारागार, नौगांव से हाजिर किया गया था जिसको विशेष कारागार नौगांव के अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक नौगांव द्वारा, अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को तामील किया गया था। पूछे जाने पर उसने उल्फा का सदस्य होने से इंकार किया। उल्फा से अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उनकी सहमति के बारे में कोई याचिका/संदेश/उत्तर/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उल्फा के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से कार्यवाही होगी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा साक्ष्य के लिए दिनांक 09.05.2020 की तारीख निर्धारित की गई। .

13. इस अधिकरण की राय को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अधिसूचना दिनांक 27.11.2019 को जारी की गई थी तथा छह माह की अवधि दिनांक 26.5.2020 को समाप्त हो गई। इसी बीच केंद्रीय सरकार ने कोविड-19 वैश्विक माहमारी के कारण राष्ट्र-व्यापी लॉकडाउन लगा दिया। शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के तहत "सीमा विस्तार के लिए संज्ञान" के संदर्भ में स्वप्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में सीमा अवधि को दिनांक 15.3.2020 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत पारित उक्त आदेश इस अधिकरण पर बाध्यकारी है। तदनुसार, दिनांक 23.3.2020 के आदेश के अनुसार, शीर्ष न्यायालय द्वारा छह माह की निर्धारित अवधि अगले आदेश तक बढ़ गई।

14. अधिकरण ने साक्ष्य के लिए दिनांक 09.05.2020, 16.05.2020, 23.5.2020, 28.05.2020, 20.5.2020, 01.06.2020, 02.6.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020 और 09.06.2020 निर्धारित किया था। यद्यपि भारत सरकार और असम राज्य सरकार के गवाहों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं तथापि, साक्ष्य देने या सरकार के गवाहों से जिरह करने के लिए उल्फा की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। साक्ष्य की समाप्ति के बाद, बहस के लिए दिनांक 20.6.2020 निर्धारित किया गया। दिनांक 20.6.2020 को केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के विद्वान सहायक सोलिसिटर जनरल श्री सुभाष चन्द्र कयाल और असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवाजीत शैकिया के तर्कों को इस कार्यवाही में दिनांक 20.6.2020 को सुना गया। उल्फा की ओर से तर्क प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 20.6.2020 को कोई हाजिर नहीं हुआ। अधिकरण ने उल्फा के मामले में अंतिम आदेश देने हेतु दिनांक 07.07.2020 निर्धारित किया। किंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण असम के कामरूप (मेट्रो) जिले में "पूर्ण लॉकडाउन" लगाए जाने के कारण दिनांक 07.07.2020 को आदेश पारित नहीं किया जा सका और आदेश देने की तारीख को बढ़ाकर 18.7.2020 कर दिया गया। लॉकडाउन को आगे और बढ़ाए जाने के कारण आदेश तैयार नहीं किया जा सका। सभी कार्यवाहियां अधिकरण के कार्यालय में हुईं। जांच में किसी भी नागरिक ने भाग नहीं लिया। उल्फा कार्यवाही के अंतिम निपटान तक अनुपस्थित रहा।

15. अधिकरण के समक्ष संदर्भ के तहत अधिसूचना में उल्फा को अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया। यह संदर्भ इस बात का न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संदर्भ किया गया है। अधिकरण द्वारा विचारित जांच की प्रकृति जानी जा सकती है जैसा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा ***(1995) I एससीसी 428*** में सूचित ***जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ*** में अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें यह अपेक्षित है कि उन सामग्री के गुण-अवगुण को देखा जाए जिनके आधार पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाती है। संगम को जारी नोटिस के उत्तर में, उसके द्वारा बताए गए कारण और ऐसी और सूचना जिसे यह संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने हेतु पर्याप्त कारण के मौजूद रहने के बारे में निर्णय करने हेतु मांग सकता है, संपूर्ण प्रक्रिया में दोनों पक्षकारों द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किए गए निरपेक्ष अवधारणा के बारे में विचार किया गया है और यह जांच दो पक्षकारों के बीच मामले के न्यायनिर्णय की प्रकृति के रूप में है। जिसका आउटकम उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के महत्व पर निर्भर करता है। अवधारणा में अधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घोषणा का समर्थन करने वाली सामग्री का महत्व घोषणा के विरुद्ध वाली सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है और घोषणा के समर्थन के लिए अतिरिक्त महत्व इसको बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अत्यधिक संभावना की जांच परिप्रेक्ष्य में लागू व्यवहारिक जांच प्रतीत होती है।

16. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उल्फा के लक्ष्य और उद्देश्य पर चर्चा करना अपेक्षित नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इस संगठन को उसकी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 915(अ), दिनांक 27.11.1990 के तहत अधिनियम के दायरे में विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया। उक्त घोषणा को कई बार जारी रखा गया और इस घोषणा की अवधि को पिछली बार गृह मंत्रालय के दिनांक 27.11.2014 की अधिसूचना संख्या एसडी 2984(अ) के तहत दिनांक 27.11.2014 से बढ़ाया गया था और इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय की दिनांक 30.06.2015 की अधिसूचना का.आ. 1751(अ) के अनुसार माननीय विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। दिनांक 27.11.2014 की उक्त अधिसूचना की अवधि पांच वर्ष की थी जो दिनांक 26.11.2019 को समाप्त हो गई जिसके कारण दिनांक 27.11.2019 की अधिसूचना को जारी किया जाना अपेक्षित था।

17. श्री आर.के. पांडे, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने शपथ-पत्र के तहत अपने साक्ष्य में यह कहा कि श्री अरबिंद राजखोवा, उल्फा का स्वयंभू अध्यक्ष, की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने कारागार में बंद नेताओं के साथ शांति वार्ता शुरु की। इसके परिणामस्वरूप उल्फा का दो समूहों में वर्टिकल विभाजन हो गया, एक समूह राजखोवा के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है और दूसरा समूह उल्फा के स्वयंभू कमांडर इन चीफ श्री परेश बरुआ के नेतृत्व में वार्ता का विरोध करता है जिसको बाद में उल्फा (स्वतंत्र) [उल्फा (I)] का नाम दिया गया।

18. श्री परेश बरुआ के नेतृत्व में उल्फा (I) इस समय रुइली, यून्नान प्रांत, चीन में स्थित है जो जबरन धन वसूली सहित हिंसक गतिविधियों, काडरों की भर्ती तथा हथियारों की खरीद के कार्य को जारी रखे हुए है। उल्फा(आई) के सदस्य तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जैसे असम के ऊपरी जिलों, गोलपाड़ा, धुबरी और गुवाहाटी शहर जैसे असम के निचले जिलों, असम के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे उदलगुरी, दरांग, सोनितपुर, लखीमपुर जिलों और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, नामसई जिलों जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों, नागालैंड के मॉन जिले में तथा असम-मेघायल-बांग्लोदश सीमा पर सक्रिय हैं।

19. श्री पांडे ने आगे यह भी कहा कि उल्फा (I) स्वयं और अन्य भारतीय विद्रोही समूहों जैसे कि एनएससीएन(के) के साथ मिलकर असम तथा पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसक गतिविधियां चलाता रहा है। उल्फा (I) ने एनएससीएन(के) के साथ मिलकर दिनांक 19 नवंबर, 2016 और दिनांक 22 जनवरी, 2017 को असम के तिनसुकिया जिले में सेना के दस्तों पर घात लगाकर हमला किया जिससे सुरक्षा बल हताहत हुए। इसने एनएससीएन(के) के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भी सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। वर्ष 2016 में, उल्फा (I) ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले तिनसुकिया और चराइदेव जिले में आठ आईईडी विस्फोट कराए। वर्ष 2017 में, इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले घाल लगाकर हमला करने और विस्फोट कराने जैसी हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जिनसे सुरक्षा बल हताहत हुए। दिनांक 15 मई, 2019 को इस संगठन ने गुवाहाटी में ग्रेनेड से हमला करवाया। यह संगठन वर्ष 2018-19 के दौरान चाय बागान के मालिकों/ठेकेदारों/व्यवसायियों का अपहरण करके जबरन धन वसूली के कार्य में लिप्त रहा। इस संगठन ने आम चुनाव को त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताकर इसका बहिष्कार करके जनमत को प्रभावित

करने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त रहना जारी रखा और वह भारत के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक साझे मंच के अंतर्गत सभी विद्रोही समूहोंको लाने का प्रयास करता रहा है। इसके अतिरिक्त, उल्फा (I) नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के विरुद्ध असम में आंदोलन के समय जातीय हिंसा उकसाया करता था। उपर्युक्त विधिविरुद्ध गतिविधियों को ध्यान में लेने के बाद केंद्रीय सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना जारी की।

20. श्री सिमांत कुमार दास, संयुक्त सचिव, गृह और राजनीति विभाग, असम सरकार ने शपथ-पत्र पर अपने विस्तृत साक्ष्य में उल्फा संगठन में कालक्रमानुसार परिवर्तनों/घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उल्फा (I) काडरों के उच्च कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए विवरण/विवरणों के आधार पर, जिनके रिकॉर्ड पुलिस अधीक्षक (एस.ओ.यू), एसबी, असम की अभिरक्षा में हैं और जिसे पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, के आधार पर श्री सिमांत कुमार दास, अभिसाक्षी ने निम्नानुसार बयान दिया :-

"<u>प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रमुख संगठनात्मक गतिविधियां</u>:-

- उल्फा (I) की प्रचार इकाई द्वारा प्रचार-प्रसार की गई पृथकतावादी विचारधारा के अनुसरण में यह संगठन राष्ट्र के विरुद्ध आम लोगों को उकसाने तथा संप्रभु असम की स्थापना के लिए संगठन के समर्थन आधार का प्रसार करने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से घृणास्पद बयान जारी करता रहा है।
- अपने प्रेस बयान में परेस बरुआ, उल्फा (I) सरगना सहित संगठन का प्रचार विंग वंचित और शोषण किए जाने की भावना को कथित रूप से भरने के लिए कानून के अनुसार स्थापित सरकार के विरुद्ध आम जनता को लक्ष्य में रखकर मानसिक युद्ध छेड़ने के लिए घृणाष्पद मौखिक बयान जारी करता रहा है
- अप्रैल, 2015 में, टाका में काउंसिल मोबाइल हेडक्वार्टर (उल्फा (I) का सीएमएचक्यू) में कार्यकारी बैठक आयोजित की गई जिसमें एसएस चेयरमेन, एसएस कमांडर इन चीफ तथा कार्यकारी समिति के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में संगठनात्मक मोर्चे पर और प्रचालनात्मक विंग को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सामूहिक निर्णय लिए गए।

  जबरन धन वसूली/फिरौती के माध्यम से धन एकत्र करने के लिए एक पृथक समिति गठित की गई और इस प्रकार से धन एकत्र किया जाना अभी जारी है।

  इस बैठक में म्यांमार के सगाइंग डिविजन के कन्याक क्षेत्र में नागा स्वतंत्र जोन में स्थित उल्फा (I) शिविरों की गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए जीबन मोरान के नेतृत्व में एक नागा बेस एरिया एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया।

<u>भर्ती</u> :-

इस अवधि के दौरान विशेषकर वर्ष 2016-2018 से फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती में अचानक तेजी आई है। उल्फा का प्रचार विंग विघटनकारी राष्ट्र-विरोधी भावनाएं उकसाकर सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन की पृथकतावादी विचारधारा की ओर समाज के अतिसंवेदनशील युवा वर्गों को आकर्षित करने के लिए उनको अभिप्रेरित करने का प्रयास करता रहा है। वर्ष 2017 और 2018 में कुल 37 युवकों के इस संगठन में शामिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। उनमें से कुछ कतिपय तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं जिनका उपयोग इस संगठन ने डार्क नेट में साइबर संबंधी तकनीकी कार्य में करने का विचार किया है जो कि एलईए के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।

<u>यूएनएलएफडब्लयूएसईए (यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया):-</u>

टाका में एनएससीएन(के) के सीएमएचक्यू में आयोजित दिनांक 16 अप्रैल, 2015 से तीन दिवसीय बैठक में, जिसमें भारतीय विद्रोही समूहों यथा एसएससीएन(के), उल्फा (I), एनडीएफबी(एस) तथा केएलओ के प्रमुखों ने भाग लिया था, कई दौर की चर्चा के बाद, यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएलएफडब्लयूएसईए) के नाम और शैली से एक साझे मंच का गठन अपने साझे कथित दुश्मन भारत से एक साथ लड़ने के लिए किया गया। वर्ष 2017 में, पीडीसीके (पीपुल्स डैमोक्रेटिक

काउंसिल ऑफ कर्बिलिम) तथा एनएलएफटी (नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा), यूएनएलएफडब्ल्यू का आधार का बढ़ाने के लिए नए सदस्य के रूप में यूएनएलएफडब्ल्यू में शामिल हुआ। संप्रभुता का समर्थन करने वाला संगठन यूएनएलएफडब्लयूएसईए का सदस्य बनने के लिए पात्र है।

उल्फा का कोरकोम (को-ओर्डिनेशन कमेटी) जो कि मणिपुर के घाटी आधारित मैतई आतंकवादी समूहों का संगठन है, के साथ प्रचालनात्मक संबंध:-

उल्फा (I) वर्ष 2011 से कोरकोम के सदस्यों (यूएनएलएफ, केवाईकेएल, केसीपी, पीएलए, पीआरईपीएके, पीआरईपीएके-पी) के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। इस संबंध के परिणामस्वरूप वर्ष 2016 और 2017 में उल्फा और कोरकोम द्वारा भारतीय सेना के विरुद्ध तिनसुकिया जिले के जागुन और पेनग्री में 'ऑपरेशन बराक-I' तथा 'ऑपरेशन बराक-II' नाम और शैली से एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया जिसमें सुरक्षा बल के 03 कार्मिक मारे गए तथा 04 घायल हुए।

एनडीएफबी (एस) के साथ संबंध :-

नवंबर, 2015 में, उल्फा (I) के बम प्रशिक्षक अर्थात ए.जेड. हिमुआम (प्रशिक्षक) तथा ब्रिंदाबोन मोरान (डिमोंस्ट्रेटर) उर्फ बिपुल असोम ने टाका में स्थित एनडीएफबी (एस) के शिविर में 17 (सत्रह) एनडीएफबी(एस) काडरों को आईईडी बनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया।

सोशल मीडिया का उपयोग:-

उल्फा (I) ने उल्फा द्वारा समर्थित सशस्त्र संघर्ष, जिसे उसने कथित रूप से एकमात्र हल बताया है, की प्रशंसा करने, उसका महिमामंडन करने के लिए सोशल मीडिया में तथ्यों की गलत व्याख्या करके नागरिकता संशोधन विधेयक जैसे कतिपय राजनैतिक मुद्दों का लाभ उठाकर स्वयं को असमिया समुदाय का मसीहा बताकर समाज के अतिसंवेदनशील संगठनों और वर्गों से संबंधित युवकों की भावना को भड़काकर भर्ती की अपनी विघटनकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत की व्यापक और गहन रूप से प्रयोग किया है। प्रतिबंधित संगठन द्वारा संचार के लिए फेसबुक, वहाट्सअप, हैंगआउट आदि का उपयोग, गुप्त समूहों में विघटनकारी विचारधारा के प्रसार के लिए सेटेलाइट ऑन प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने कानून लागू करने वाले प्राधिकरण के समक्ष उनकी गतिविधियों का पता रखने की दिशा में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसके परिणामस्वरूप उल्फा ने 36 नए युवकों की भर्ती की है जो अब 82वें बेच में म्यांमार में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

"एएनएमएमएमटीए" नामक अग्रणी संगठन का गठन :-

उल्फा (I) के सरगने श्री परेश बरुआ ने यूएनएलएफडब्ल्यू के गठन के साथ-साथ प्रणमोय राजगुरू उर्फ अनुभाब चलिहा, जो एक भूमिगत कार्यकर्ता था और जिसने दिनांक 15-05-2019 को जू रोड, गुवाहाटी में ग्रेनेड धमाका कराने में सहयोग दिया था, को अनुदेश दिया है कि वह एक अग्रणी संगठन गठित करे जो आम जनता में यूएनएलएफडब्ल्यू के लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करेगा। तदनुसार एएनएमएमएमटीए नाम और शैली से एक नए संगठन का औपचारिक रूप से गोलाघाट में दिनांक 19/08/2018 को गठित किया गया। एएनएमएमएमटीए का पूरा नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघायल, त्रिपुरा और असम है। यह उग्रवादी गतिविधियों, धन एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से, विभिन्न लोकतांत्रिक आंदोलनों, एकजुट करने के प्रयासों को अपनाकर विधिवत्त स्थापित सरकार के विरुद्ध जनसमूह को एकजुट करने का प्रयास था। परेश बरुआ ने एएनएमएमएमटीए के माध्यम से राजनैतिक मोर्चे पर सभी घटनाक्रमों की मॉनिटरिंग की। इससे संबंधित सभी अनुदेश अरुणोदोई दोहोतिया द्वारा प्रचालित (उल्फा(आई)) के फेसबुक अकाउंट के माध्यम से आए।

भारतीय तिरंगे झंडे को जलाया जाना और सोशल मीडिया में वायरल करना:-

उल्फा हमेशा ही अन्य भारतीय विद्राही समूहों अर्थात एनएससीएन, केएलओ, एनडीएफबी, कोरकोम, एनएलएफटी, पीडीसीके, जो म्यांमार में स्थित हैं, के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए गणतंत्र दिवस और

स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करता रहा है। वे क्षेत्र के सभी नागरिकों को भारतीय पेशेवर बलों के विरुद्ध विरोध स्वरूप इन दो विशिष्ट दिवसों को मनाए जाने के कार्यक्रम में भाग लेने से दूर रहने की अपील करते हुए आम हड़ताल और संपूर्ण बंद हेतु संयुक्त आह्वान करते हैं। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस के पहले उल्फा ने अपने म्यांमार स्थित टाका शिविर से एक वीडियो परिचालित किया जिसमें उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध विरोध स्वरूप भारतीय तिरंगे झंडे को जलाया। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इस प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों का परिचालन अपनी खोई जमीन को वापस लेने और भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने और घृणा पैदा करने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के कट्टर इरादे से किया जाता है।

<u>म्यांमार में शिविर</u>:- उल्फा (I) ने निम्नलिखित स्थानों में एनएससीएन(के) के साथ मिलकर म्यांमार के सगेंग डिविजन में निम्नलिखित प्रचालनात्मक शिविर स्थापित किए हैं जहां से उन्होंने राज्य में विघटनकारी गतिविधियों को जारी रखा :

1) सीएमएचक्यू (काउंसिल मोबाइल हेडक्वार्टर): अवस्थान टाका

2) जीएमएचक्यू (जनरल मोबाइल हेडक्वार्टर): अवस्थान लुंगमैक

3) सीटीसी (सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर): अवस्थान लुंगमैक

4) ईसीएचक्यूआर (ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर): हयात बस्ती, नागलैंड के मॉन जिले से लगी भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा

5) अराकान शिविर, जिसे ब्रिगेड शिविर के रूप में भी जाना जाता है: पापुंग नागा बस्ती

6) ऑपरेशन कैंप: अवस्थान – पापुंग नागा बस्ती, अराकान शिविर के निकट स्थापित, जहां सक्रिय समूहों को असम में हमला करने के लिए रखा जाता है।

7) नीलगिरी शिविर: अवस्थान- नैमुंग बस्ती, इसे काउंसिल कैंप के रूप में भी जाना जाता है।

8) यूजी शिविर: अवस्थान- लुंगमैक एरिया, टाका नदी, म्यांमार के किनारे, जहां हथियार/गोलाबारूद/विस्फोटक छिपा कर रखे जाते हैं।

<u>उल्फा (I) का जबरन धन वसूली संबंधी अभियान :-</u>

प्रतिबंधित अवधि के दौरान उल्फा (I) भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए हथियारों, गोलाबारूदों, विस्फोटकों की खरीद करने के लिए अपना कोष भरने, काडरों की भर्ती करने और उनको प्रशिक्षण प्रदान करने, असम तथा विदेशी देश में विघटनकारी गतिविधियों के लिए काडरों हेतु संभार-तंत्र व्यय बनाए रखने के लिए फिरौती प्राप्त करने हेतु अपहरण तथा टेलीफोनिक साधनों,इनक्रिप्टेड उपकरणों जैसे कि व्हाट्सअप, मैसेंजर, हैंगआउट आदि के माध्यम से अपनी जबरन धन वसूली करने संबंधी गतिविधियों को जारी रखा हुआ है।

<u>हथियार और गोलाबारूद संग्रह करना तथा काडर की शक्ति बढ़ाना:-</u>

इस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करों से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद, विस्फोटक आदि की खरीद की है और सुरक्षा बल कार्मिकों से हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटकों को जबरन छीन भी रहा है। परेश बरुआ, कमांडर-इन-चीफ, उल्फा (I) मैतई उग्रवादी संगठनों तथा म्यांमार स्थित अन्य जातीय उग्रवादी समूहों की मदद से हथियारों/विस्फोटकों के खेप का प्रापण करने में सहायक रहा है। इन सामग्री को चिंदवीन के घाटी मार्ग के माध्यम से लाया जाता है, काडरों द्वारा इनको जीएमएचक्यू ले जाया जाता है और उसके बाद भूमिगत शिविर में रखा जाता है। उल्फा (I) के फायर पावर का आसानी से अनुमान विभिन्न शिविरों में रखे गए निम्नलिखित हथियारों/विस्फोटक उपकरणों के आधार पर लगाया जा सकता है जिनका प्रयोग धन वसूली, भर्ती आदि के लिए आम लोगों में भय पैदा करने के इरादे से राज्य में विघटनकारी गतिविधियां चलाने हेतु किया जाता है।

निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद भूमिगत शिविरों में उपलब्ध हैं:-

हथियार:

1)	एमक्यू 81	- 65
2)	एम 22 राइफल	- 20
3)	एके 56 राइफल	- 20
4)	एचके 33	- 15
5)	9 एमएम पिस्तौल	- 01
6)	.32 पिस्तौल	- 3
7)	चाइनीज हैंड ग्रेनेड	-30
8)	आईईडी	- 15
9)	आरपीजी-7	- 2
10)	हंटिंग गन	- 2

गोलाबारूद:

1)	एमक्यू 81	- 1 बक्सा (3000 राउंड)
2)	एचके 33	- 1 बक्सा (3000 राउंड)

जीएमएचक्यू :

1)	एमक्यू-81	- 50/60
2)	एके-56	- 25/30
3)	इंसास	- 6/7
4)	एचके-33	- 15
5)	पिस्टल	- 10/12

हथियारों/विस्फोटक उपकरणों का ऐसा स्टॉक शिविर की सुरक्षा ड्यूटी के लिए सीएमएचक्यू, अराकान शिविर, नीलगिरी शिविर, एवरेस्ट शिविर में रखे जाते हैं जो अलग-अलग समय पर भिन्न होते हैं।

वर्तमान में उल्फा (I) में काडरों की संख्या लगभग 250 है।

म्यांमार सैन्य अभियान के उपरांत परिदृश्य:-

म्यांमार की सेना ने दिनांक 28 जनवरी, 2019 से टका में आईआईजी शिविरों में अभियान शुरू किए जिसके परिणामस्वरूप लुंगमैक, टका, नीलगिरी शिविरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई काडरों, न केवल निचले स्तर के बल्कि ऊपरी स्तर के भी, ने संगठन छोड़ दिया। अब तक उल्फा (I) के 22 काडरों ने सुरक्षा बल/पुलिस से संपर्क किया और मुख्य धारा में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त 82 बैच का नए भर्ती हुए एक काडर भी सुरक्षा बल के संपर्क में है। इन सभी बाधाओं के बावजूद, उल्फा (I) के सरगने ने काडरों में भय पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उसने संगठन छोड़ कर भागने का प्रयास करने वाले 21 काडरों को मृत्यु दंड दिया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 15-05-2019 को गुवाहाटी सेंट्रल मॉल के निकट जू रोड में ग्रेनेड धमाके की हुई घटना इस बात का सूचक है कि यह संगठन कभी भी राज्य के भीतर हमला करने के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने तथा म्यांमार सेना के लगातार हमले और इसको छिन्न-भिन्न किए जाने की स्थिति के कारण जिन काडरों का मोह भंग होने की संभावना है, उनके गिरते मनोबल को बढ़ावा देने के लिए, प्रयासरत है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उल्फा (स्वतंत्र) या उल्फा (वार्ता समर्थक) जैसे शब्द केवल प्रचालनात्मक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं अन्यथा उल्फा शब्द का प्रयोग व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है जहां उल्फा (I) तथ उल्फा (वार्ता समर्थक) दोनों ही देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रति इस संगठन द्वारा पैदा किए गए खतरे की गंभीरता को देखते हुए एक ही संगठन में समाहित हैं। वार्ता समर्थक समूह से उल्फा(आई) में कुछ काडरों का चला जाना इस परिदृश्य का परिचायक है।

यह कि, उल्फा द्वारा की जाने वाली विघटनकारी आतंकवादी गतिविधियों से आम लोगों में भय और असुरक्षा का गहरा भाव पैदा हो गया है। इसकी निरंतर विध्वंसक गतिविधियां और विदेशी राष्ट्रों सहित गुप्त स्रोतों से हथियारों/गोलाबारूद का प्रापण, विदेशी धरती पर प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना तथा सेना/पुलिस/सुरक्षा बल पर हमले, भारत के दुश्मन राष्ट्र की विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ संबंध, स्वतंत्र संप्रभु असम के सृजन के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी पृथकतावादी गतिविधियों को जारी रखने के उसके बुरे इरादे के स्पष्ट सूचक हैं। उल्फा की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाता है।

संक्षेप में, उल्फा एक राष्ट्र-विरोधी संगठन है, इसका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है, और जिसका घोषित उद्देश्य एक संप्रभु देश का सृजन करना है और इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश की लोक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के हित में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगठन के रूप में उल्फा की घोषणा की अवधि को दिनांक 26-11-2019 से आगे और 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए।

यह कि, असम सरकार के गृह और राजनीति विभाग को विश्वसनीय सूचना मिली है कि उल्फा (I) के काडर, जिनमें से अधिकतर विदेशी धरती पर आश्रय लिए हुए हैं, विदेशी मार्गदर्शकों के मार्गादर्शन में विदेशी धरती से अभी भी प्रचालित करने वाले पूर्वोत्तर के समान मानसिकता के उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर भविष्य में भी पृथकतावादी और विघटनकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए अवसर की तलाश में हैं। इसके अतिरिक्त, उल्फा (I) अभी भी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएलएफडब्ल्यूएसईए), जो पूर्वोत्तर के प्रमुख उग्रवादी संगठनों का एक समूह है, का एक बड़ा घटक है।

यह कि, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस अभिसाक्षी का आदर पूर्वक निवेदन यह है कि असम सरकार यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा (I)) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषणा करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 नवंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करे।"

21. पुलिस अधीक्षक (एसओयू) एसबी, असम के अधीन जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए उल्फा के उच्चस्थ नेताओं के बयान को प्रस्तुत किया गया और मूल रूप में इसको प्रमाणित किया गया।

22. श्री पुष्पराज सिंह, आईपीएस, गोलाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत, ने शपथ पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

(i) दिनांक 07.11.2017 को किसी श्री सुरेश साहू पुत्र श्री प्रेम लाल साहू, बिहोरा बाजार, गोकाखत, पुलिस थाना – बोकाखत ने बोकाखत पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 30.10.2017 को लगभग 0900 बजे शिकायतकर्ता को मोबाइल नं. (7423974669) से फोन कॉल आया जिसमें उनसे दिनांक 07.11.2017 तक 5 लाख रुपए मांगे गए और उल्फा के नाम से धमकी दी गई।

शिकातयकर्ता श्री सुरेश साहू से प्राथमिकी प्राप्त होने पर बोकाखत पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 387 के अंतर्गत मामला संख्या 253/2017 के तहत एक मामला दर्ज किया गया तथा उसकी जांच की गई। प्रदर्श 2 बोकाखत पुलिस थाने में मामला संख्या 253/2017 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी की प्रामाणित प्रति है।

दिनांक 07.11.2017 को लगभग 1330 बजे पुलिस ने किसी रातुल गोगोई (40 वर्ष) पुत्र संधीराम गोगोई, हबिसुआ बोरपठार, खुमतई, पुलिस थाना- कमरगांव को एक अन्य व्यक्ति श्री दयाल कुर्मी (32 वर्ष) पुत्र कमल कुर्मी,

बोरफोलोंग टी.ई. खुमतई, पुलिस थाना- कमरगांव के अधीन आने वाले बोसापठार क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सूचना है कि रातुल गोगोई उल्फा काडर था। पूछताछ के दौरान राहुल गोगोई ने कहा कि उसने अपने घर में एक पिस्तौल और कुछ गोलाबारूद छिपा कर रखा था। तदुनसार पुलिस ने उसके घर से एक 7.65 पिस्तौल और 9 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए और जब्त कर लिए। उसके उपरांत, रातुल गोगोई और दयाल कुर्मी को उपर्युक्त मामले के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्श 4, 5 और 6 उपर्युक्त मामले से संबंधित जब्ती सूची है।

पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि रातुल गोगोई वर्ष 1998 में उल्फा में शामिल हुआ था और उसे म्यांमार में प्रशिक्षित किया गया था। उसके बाद, वर्ष 2003 में भूटान में "ऑपरेशन ऑल क्लियर" के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था और एक वर्ष वर्ष तक कारागार में रखा गया था। उसके पश्चात वर्ष 2009/2010 में उसे एक बार फिर कमरगांव पुलिस थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया था और लगभग 3 महीने तक गोलाघाट कारागार में रखा गया था। कारागार से रिहा होने के बाद, वह उल्फा (वार्ता समर्थक) में शामिल हो गया तथा अपनी मृत्यु तक भीमकांता बुरागोहेन के लिए पीएसओ के रूप में कार्य करता रहा। इस मामले में उसका इरादा उल्फा के नाम से अपने साथी दयाल कुर्मी के साथ मिलकर जबरन धन वसूली करना था।

इसके अतिरिक्त, जबरन धन वसूलने के लिए शिकायतकर्ता को कॉल करने हेतु प्रयोग किए गए मोबाइल सिम और हैंडसेट भी अभियुक्त रातुल गोगोई से बरामद किए गए। अभियुक्त के पास से जब्त किए गए हथियारों और गोलाबारूद को जांच के लिए भेजा गया तथा विशेषज्ञ की राय संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला मजिस्ट्रेट गोलाघाट से अभियोजन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के बाद मामले का आरोप-पत्र दिनांक 30.06.2019 को बोकाखत पुलिस थाने में सीएस नं. 108 के तहत प्रस्तुत किया गया तथा मामले का विचारण (ट्रायल) चल रहा है।

(ii) दिनांक 28.11.2019 को लगभग 0730 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एनएच-39 के डिवाइडर के पास गोलाघाट पुलिस थाने के अधीन पूराबंगला क्षेत्र में उपद्रवियों द्वारा उल्फा का झंडा लहराया गया। तुरंत ही एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और झंडे को जब्त कर लिया। घटना से संबंधित सूचना के अनुसार एक व्यक्ति, पापुल कोंवर (31 वर्ष) पुत्र श्री प्रदीप कोंवर, बोलियाल, पुलिस थाना बोगीजन, जिला गोलाघाट को संदेह पर हिरासत में लिया गया। साथ ही पूराबंगला स्थित उसकी दुकान की तलाशी ली गई और उसके कम्प्यूटर में झंडे और लेटर हेड आदि की तस्वीरों सहित उल्फा से संबंधित अपराध को प्रमाणित करने वाले कुछ दस्तावेज पाए गए।

नुमालीगढ़ चौकी के एएसआई दुलाल बोरा, शिकायतकर्ता से प्राथमिकी प्राप्त होने पर आईटी अधिनियम की धारा 66(च) के साथ पठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121(क)/109 के अंतर्गत गोलाघाट पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 1163/19 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 24 और 26 उक्त गोलाघाट पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 1163/19 की प्राथमिकी तथा जीडीई की प्रमाणित प्रतियां हैं।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने घटनास्थल से उल्फा के प्रतीक वाले दो झंडे, एक कम्प्यूटर सीपीयू, जिसमें अपराध को प्रमाणित करने वाले कई दस्तावेज पाए गए थे, उल्फा के प्रतीक वाले रक्त से सना एक गमछा, पापुल कोंवर की दुकान से जब्त किए। जांच अधिकारी ने पापुल कोंवर, पुत्र श्री प्रदीप कोंवर, बोकियाल, पुलिस थाना- बोगीजान, जिला गोलाघाट को गिरफ्तार किया और पूरी पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ के दौरान, अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह उल्फा(आई) का सदस्य है। उसने उल्फा के प्रतीक वाले गमुसा को कई दिनों से रखा था। दिनांक 28.11.2019 को उसने खुद पूराबंगला में रोड डिवाइडर पर उल्फा के झंडे को टांग दिया था और "उल्फा जिन्दाबाद" के दो कागज भी वहां फेंके हुए थे। उसके अतिरिक्त, यह भी स्वीकार किया कि वह उल्फा आतंकवादी संगठन में युवकों को आकर्षित करने और उल्फा(आई) के झंडे को फहराकर भोले-भाले युवकों को बहला-फुसलाकर उल्फा(आई) के लिए काडरों की भर्ती और इस प्रक्रिया में राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में सक्रिय रूप से शामिल था। मामले की जांच चल रही है तथा समय के साथ और तथ्य प्रकट होंगे।

23. श्री प्रतीक विजयकुमार थुबे, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, बक्सा जिला, असम के रूप में कार्यरत, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया:

दिनांक 16.09.2015 को, शिकायतकर्ता श्री दीपू शील, पुत्र लेफ्टिनेंट बोलोराम शील, ग्राम- द्वारकूच, पुलिस थाना- तामुलपुर, बक्सा (बीटीएडी), असम ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि उसी दिन अपराह्न लगभग 6.30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल (पल्सर) से उसके घर आए और उसके परिवार के

सदस्यों के लिए विवाह आमंत्रण पत्र दिया और उसके बाद चला गया। इस दौरान, शिकायतकर्ता अपने घर में नहीं था। पत्र खोलने के बाद, परिवार के सदस्यों ने देखा कि यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) सेंट्रल कमेटी के नाम से 03 लाख रुपए की मांग शिकायतकर्ता से की गई है।

इस संबंध में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहित की धारा 387/507 के अंतर्गत, तामुलपुर पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 212/15 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। मामले के जांच अधिकारी तुरंत शिकायतकर्ता के घर गए और उल्फा के मांग-पत्र को अपने कब्जे में लिया। जांच अधिकारी ने पीओ का स्केचमैप तैयार किया है और शिकायतकर्ता के बयान को भी दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, आईओ ने गवाह (1) श्री संजय शील (35 वर्ष) पुत्र श्री स्वर्गीय सुल्ला शील, ग्राम द्वारकूच, पुलिस थाना-तामुलपुर, बक्सा (2) श्री समर शील (34 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय भोलाराम शील, ग्राम- द्वारकूची, पुलिस थाना- तामुलपुर, बक्सा (3) श्रीमती दिपाली शील (40 वर्ष) पत्नी श्री दीपू शील, ग्राम- द्वारकूची, पुलिस थाना- तामुलपुर, बक्सा (4) श्री लाबा कुमार शील (21 वर्ष) पुत्र दीपू शील, ग्राम- द्वारकूची, पुलिस थाना- तामुलपुर, बक्सा (5) श्री फकरुद्दीन अहमद (33 वर्ष) पुत्र अब्दुल रशीद, ग्राम-सिलोनीबारी, पुलिस थाना- तामुलपुर, बक्सा के बयान को भी दर्ज किया है। प्रदर्श 46 तामुलपुर पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 212/15 से संबंधित प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

जांच के क्रम में सभी स्रोतों को सक्रिय किया गया तथा स्थानीय सेना के साथ चलाए गए तलाशी अभियान के अतिरिक्त वीडीपी को अलर्ट किया गया। दोषियों का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी ने हर संभव कदम उठाए किंतु प्रयास से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अंतत: मामले को दिनांक 31.07.2016 के एफआर संख्या 19/16 के तहत एफआर में वापस कर दिया गया।

24. श्री धनन्जय घनवत, दिनांक 14 दिसंबर, 2019 से धीमाजी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत आईपीएस, ने शपथ पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया:

दिनांक 08.08.2019 को शिकायतकर्ता एएसआई चंद्र बोराह, धीमाजी पुलिस थाना ने प्राथमिकी दर्ज कराई जो इस संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121(क) के अधीन मामला संख्या 316/19 के रूप में पुलिस थाना धीमाजी में दर्ज है कि दिनांक 08.08.2019 को लगभग पूर्वाह्न 11 बजे संदिग्ध उल्फा काडरों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट स्रोत से सूचना प्राप्त होने के आधार पर धीमाजी पुलिस द्वारा मोरीढाल से लाली पुलिया के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्परूप उल्फा काडरों के चार सदस्य अर्थात (1) श्री पार्थजीत कोंवर (2) श्री मृणाल फुकन (3) श्री जनक बरुआ और (4) श्री उदय दोवाराह धीमाजी पुलिस थाने के अंतर्गत लैपुलिया पुलिस एलपी स्कूल के निकट गिरफ्तार किए गए। तलाशी के दौरान, कपड़े से बने उल्फा के दो झंडे और एक खुखरी उनके थैले से बरामद किए गए तथा पूछताछ के दौरान उन्होंने उल्फा का सदस्य होना स्वीकार किया, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जलाया था तथा उल्फा के झंडे को प्रदर्शित किया था और एक वीडियो बनाया था जो अभियुक्त पार्थजीत कोंवर के मोबाइल फोन में पाया गया था। जैसा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त उदय दोवाराह द्वारा स्वीकार किया गया, अभियुक्त जनक बरुआ ने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आग लगाई थी जबकि अभियुक्त मृणाल फुकन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अभियुक्त उदय दोवाराह तथा पार्थजीत कोंवर अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक कर राष्ट्र-विरोधी संदेश वाले प्लेकार्ड हाथ में रखे हुए थे। अभियुक्त पार्थजीत कोंवर और मृणाल फुकन पुलिस टीम को पास के घटना स्थल पर ले गया जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जलाया था। राष्ट्र–विरोधी संदेश वाले कागज के दो क्षतिग्रस्त पोस्टर तथा कपड़े के कुछ टुकड़े मौके से जब्त किए गए जिनको वन क्षेत्र में कीचड़ के नीचे दबा कर छिपा दिया गया था। अपराध में शामिल सामग्री की बरामदगी तथा चार अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और धीमाजी पुलिस थाने लाया गया। प्रदर्श 62 धीमाजी पुलिस थाने में मामला संख्या 316/19 के तहत दर्ज प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है और प्रदर्श 71 से 78 जब्ती सूची हैं।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि वे विभिन्न उल्फा नेताओं/सदस्यों जैसे परेश बरुआ, दिगांता दायमारी उर्फ जुमन बोराह, अनिरबान गोगोई के प्रभाव में आ गए थे जिन्होंने उनको राष्ट्रीय झंडे को जलाने आदि जैसी भारत-विरोधी गतिविधियां करने के लिए उकसाया था। अभियुक्तों ने प्रतिबंधित उल्फा संगठन के साथ अपनी सक्रिय सहभागिता को भी स्वीकार किया।

25. श्री अंकुर जैन, आईपीएस, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन दिनांक 15.02.2018 से होजई जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया:

दिनांक 28.11.2019 को, काकी पुलिस थाने के एएसआई शांतनु दत्ता ने काकी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसी दिन लगभग पूर्वाह्न 06.30 बजे जब वह काकी पुलिस थाने में ड्यूटी पर था तो एक व्यक्ति ने फोन पर उनको सूचित किया कि प्रतिबंधित उल्फा(आई) संगठन के कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने काकी जूनियर कॉलेज के प्रवेश द्वारा 1 पर प्रतिबंधित उल्फा(आई) के झंडे को फहराया। सूचना मिलते ही वह पुलिस थाना स्टाफ के साथ घटनास्थल पर गए, मौके पर झंडे को उतारा और पुलिस थाना ले आए। उन्होंने अपराध में शामिल व्यक्ति का पता लगाने के लिए कई स्रोतों से बात की। बाद में, गुप्त सूचना के आधार पर श्री मानस ज्योति कलिता, पुत्र स्वर्गीय धीरेन कलिता, ग्राम सं. 1 काकी 2 गांव, पुलिस थाना काकी, जिला- होजई को लुमडिंग पुलिस थाना स्टाफ की मदद से लुमडिंग रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने उक्त संगठन के प्रति सहानुभूति होने के कारण प्रतिबंधित संगठन उल्फा(आई) के झंडे को फहराया था।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, एसआई (यूबी) तुनीराम नियोग, ओसी ने काकी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/122 के अधीन काकी पुलिस थाने में मामला संख्या 154/2019 दर्ज किया। प्रदर्श 98 उक्त काकी पुलिस थाने के मामला संख्या 154/2019 के तहत दर्ज प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान, घटनास्थल से निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई (1) उल्फा(आई) का एक झंडा जिसके बीच में सूर्य का चिन्ह था (2) एक गमछा। अभियुक्त के पास से सिम नंबर 8876772692 वाला एक ओपीपीओ मोबाइल हैंडसेट जब्त किया गया। एबीसी 821 ऋषि राज बोडो के पास से 9678200665 वाला एक मोबाइल हैंडसेट रेडमी Y1L को जब्त किया गया। साथ में मैसेज का स्क्रीनशॉट भी जब्त किया गया जो मनोब ज्योति कलिता द्वारा अपने मोबाइल नंबर 8876772692 से भेजा गया था। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की गई, उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रदर्श 103 से 108 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियां हैं।

26. श्री शिलादित्य चेतिया, आईपीएस, जो इस समय तिनसुकिया जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्निलिखित मामले प्रस्तुत किए:-

(i) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307 के अधीन पेंगारी पुलिस थाना में मामला संख्या 89/15.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 27.10.15 को अपराह्न 1:30 बजे, शिकायतकर्ता एसआई जॉयशंकर वारी, पेंगारी पुलिस थाना ने इस थाने में इस बारे में प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता को नंबर 1 नोलोनी गांव में लगभग 3/4 उल्फा काडरों के शरण लेने की खबर प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस/सेना/सीआरपीएफ/तथा एसएसबी द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, उल्फा काडरों ने पुलिस पार्टी को देख लिया और घटनास्थल से भाग गया। उल्फा काडरों के शरणस्थल की तलाशी के दौरान इस अभियान दल ने एक आईईडी, कारतूस का पाउच, 02 एके 56 मैग्जीन, जिनमें 60 राउंड जिंदा कारतूस भरे हुए थे, 03 जैकेट आदि बरामद किए। उल्फा काडर का सामना डिब्रूजान रोड पर 7 मद्रास रेजिमेंट से हुआ और दोनों के बीच भारी गोलाबारी हुई। तलाशी के दौरान घेराबंदी करने वाली पार्टी ने कई चीजें बरामद कीं जो उल्फा काडरों द्वारा ले जाई जा रही थीं। संपूर्ण क्षेत्र को पूरी रात घेर कर रखा गया और सुबह के समय में एक उल्फा काडर अर्थात श्री प्रफुल्ल मोरान पुत्र श्री फुलेश्वर मोरान दुमसी हाथीगढ़, बोरडुम्सा पुलिस थाना को चिकोराजन गांव से पकड़ा गया।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, पेंगारी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307 के अधीन मामला संख्या 89/15 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 129 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ में गए, शिकायतकर्ता और उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने अभियुक्त प्रफुल्ल मोरान पुत्र श्री फुलेश्वर मोरान, दुमसी हाथीगढ़, पुलिस थाना बोरडुम्सा को भी गिरफ्तार किया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों की मौजूदगी में पीओ से बरामद की गई वस्तुओं को जब्त किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने भारत

सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले उल्फा के साथ अपने संबंध को स्वीकार किया है प्रदर्श 131 से 134 पेंगारी पुलिस थाने में उक्त मामला संख्या 89/15 में जब्ती सूचियां हैं। रासायनिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, विधिविज्ञान निदेशालय, काहिलीपाड़ा का प्रदर्श 140 टीएनटी के विस्फोटक वाले ट्रेस हैं।

(ii) बोरडुम्सा पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/34 के अधीन मामला संख्या 11/2016.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 16.02.2016 को पूर्वाह्न 11 बजे, शिकायतकर्ता श्री रामा इरप्पा सुंजीमनी, पुत्र इरप्पा, निवासी शांति बोस्वात पोस्ट, बेलगांव, कर्नाटक में इस बारे में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई कि इसी दिन लगभग पुर्वाह्न 12.20 बजे पुलिस को बोरडुम्सा पुलिस थाने के अंतर्गत वाथोई गांव के सामान्य क्षेत्र में उल्फा(आई)/एसएससीएन(के) के 5/6 काडरों की आवाजाही के बारे में विश्वनीय स्रोत से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सातवें मद्रास रजिमेंट, 39वीं बटालियन एसएसबी, 68वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। दिनांक 16.02.2016 को मकान की तलाशी के दौरान सुबह लगभग 05.00 बजे सुरक्षा बल तथा उल्फा(आई)/एसएससीएन(के) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप सुबह 5.40 से 6 बजे के बीच गोलीबारी में 4(चार) अज्ञात उग्रवादी बुलेट से घायल हुए। घायलों को तुरंत कोथागुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उनको देख रहे डॉक्टर ने मृत लाया घोषित कर दिया। अभियान के दौरान पीओ से हथियारों और गोलाबारूदों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया जिसमें मैग्जीन युक्त एक एके 56 राइफल, दो 9एमएम पिस्तौल, वर्मा की करेंसी, मोबाइल फोन आदि शामिल थे।

तदनुसार बोरडुम्सा पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/34 के अधीन मामला संख्या 11/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के बाद, मामले को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/34 के अधीन दिनांक 10/09/2016 के एफआर संख्या 16/2016 के तहत एफआर में मामले को वापस कर दिया गया। यद्यपि मामला सही था किंतु सभी अभियुक्त मुठभेड़ में मारे गए थे। प्रदर्श 144 बोरडुम्सा पुलिस थाने में मामला संख्या 11/2016 के तहत दर्ज प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

(iii) बोरडुम्सा पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307 के अधीन मामला 37/2016.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 27.04.2016 को पूर्वाह्न 10 बजे, शिकायतकर्ता एनके. अनिल कुमार, पुत्र राधा कृष्णन नायर, लेखा भवन, डाक पुथानामपलम, पुलिस थाना सस्थामकोट्टाह, जिला कोल्लम (केरल), सातवां मद्रास, सी/ओ 99 एपीओ कैंप बोरडुम्सा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि उल्फा(आई) काडर रोंगमान गोगोई उर्फ मेकुरी की मौजूदगी के बारे में उनके स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26.04.16 को लगभग अपराह्न 05:00 बजे बोरडुम्सा पुलिस थाने के अधीन तालपाथर गांव के सामान्य क्षेत्रों में सातवें मद्रास रजिमेंट, 19वें जाट रजिमेंट द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। बाद में, उनके स्रोत ने यह पुष्टि की कि उल्फा काडर रोंगमान गोगोई ने किसी सत्यनाथ दत्ता के घर में शरण ले रखी है और तदनुसार घर की घेराबंदी की गई किंतु वहां से कोई रिस्पोंस नहीं मिला। उस घर में रह रहे परिवार को बाहर बुलाया गया और उन्होंने भी बाहर आने पर यह पुष्टि की कि रोंगमान गोगोई घर के अंदर है।

उल्फा(I) काडर ने चुपके से चाय बागान में जाने का प्रयास किया जिसे नाइट विजन गोगल्स के माध्यम से देख लिया गया और चुनौती दिए जाने पर काडर ने ओपीएस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी तथा एक ग्रेनेड भी फेंका। ग्रामीणों के जान-माल तथा स्वरक्षा के हित में टीम ने भी जवाबी गोलीबारी की। यह गोलीबारी दस मिनट तक चलती रही। जब गोलीबारी बंद हुई तो उल्फा(आई) काडर घायल जमीन पर पड़ा पाया गया और उसके पास एके 81 राइफल तथा

कारतूस भी थे। घायल काडर को तुरंत उपचार के लिए पेंगारी मिनी पीएचसी ले जाया गया किंतु डॉक्टर ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307 के अधीन बोरडुम्सा पुलिस थाने में मामला संख्या 37/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 146 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान, मामले को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307 के अधीन दिनांक 29.12.2017 के एफआर संख्या 17/2017 के तहत एफआर में वापस कर दिया गया क्योंकि अभियुक्त मुठभेड़ में मारा जा चुका था।

(iv) बोरडुम्सा पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई.एस. अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307/302/379 के अधीन दर्ज मामला संख्या 31/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 05.05.2018 को, शिकायतकर्ता हवलदार/लांसनायक गोपाल सिंघा, पुत्र स्वर्गीय एस.के. सिंघा ने इस बारे में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि दिनांक 04.05.2018 को इस गुप्त सूचना के आधार पर, कि 7 (सात) उल्फा काडरों का एक समूह किसी कुलेश्वर बोराह उर्फ कोलिया बोराह, 3 कुजुपाथर, पुलिस थाना बोरडुम्सा के घर में शरण लिए हुए हैं, एसडीपीओ, मारगेरेटा, ओ.सी. बोरडुम्सा पुलिस थाना, एपीआरजी पार्टी, ओ.सी. पेंग्री पुलिस थान कोबरा पार्टी, सीआरपीएफ पार्टी और उपलब्ध पुलिस थाना स्टाफ के अधीन 3 कुजुपाथर क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जब अभियान चल रहा था तो संदिग्ध उल्फा(आई) काडरों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्परूप सुरक्षा बलों और उल्फा(आई) काडरों के बीच घनघोर बंदूक की लड़ाई शुरू हो गई। उल्फा(आई) काडरों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान उपनिरीक्षक भास्कर कलिता, ओ/सी बोरडुम्सा पुलिस थाना को सीने और पेट में गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही एलजीबी सिविल अस्पताल ले जाया गया किंतु डॉक्टर ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। संदिग्ध उल्फा(आई) काडर मैग्जीन और गोलाबारूद के साथ उप निरीक्षक भास्कर किलता के एके 47 राइफल के साथ अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया। अभियान समाप्त होने के बाद तथा तलाशी के दौरान 04 किट बैग, 13 एके 47 राउंड, 01 उल्फा लेटरपैड, मोबाइल हैंडसेट आदि पीओ में पाए गए।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, बोरडुम्सा पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307/302/379 के अधीन मामला संख्या 31/2018, पेंगारी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307 के अधीन मामला संख्या 89/15 दर्ज किए गए और उनकी जांच की गई। बाद में, मामले को जांच के लिए एनआईए को अंतरित कर दिया गया। इस समय, मामले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है। प्रदर्श 163 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है और प्रदर्श 164 (दो पृष्ठों में) जांच को एनआईए को सौंपे जाने/उसके द्वारा जांच अपने जिम्मे लिए जाने की प्रमाणित प्रति है।

(v) लेखापानी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(क)/122/353/307 के अधीन मामला संख्या 113/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि शिकायतकर्ता श्री दाभी फते सिंह (सूबेदार), पुत्र श्री आभे सिंह, जागुन आर्मी कैम्प सी/ओ 99 एपीओ, जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश ने इस बारे में एक इजहार दर्ज कराया कि दिनांक 24.09.2018 को लगभग अपराह्न 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उल्फा(आई) के 10 काडरों का एक समूह कोखोरानी गांव के पास के जंगलों में छिपा हुआ है। अपराह्न 7.45 बजे जागून सीओबी के 9वीं राजपुताना राइफल्स की टुक़डियों का सामाना विद्रोहियों से हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। सैन्य कार्मिकों की जवाबी कार्रवाई के परिणामस्परूप विद्रोही अंधेरे में भाग

खड़े हुए तथा कोंबिंग ऑपरेशन शुरू किए जाने से घटनास्थल से विस्फोटक और युद्ध में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। आरंभिक रिपोर्ट से पता चला कि कुछ विद्रोही घायल हुए थे किंतु उस समय इसका पता नहीं लगाया जा सका था। इस संबंध में, सैन्य कार्मिकों ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह स्वीकार किया गया कि एक काडर मारा गया और दूसरा काडर घायल हुआ। प्रदर्श 166 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर लेखापानी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(क)/122/353/307 के अधीन मामला संख्या 113/2018 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक गोलप बेलूंग को पृष्ठांकित किया गया। दिनांक 27 सितंबर, 2018 को, पेंगरी पुलिस थाने के अधीन देहिंग नदी से एक उल्फा(आई) काडर का शव बरामद किया गया। इस शव की पहचान जन असोम उर्फ रूद्रेश्वर बरुआह, कुजुपाथर, बोरडुम्सा पुलिस थाना के रूप में की गई। शव की पहचान उसकी मां ने की। इसका संदर्भ पेंगरी पुलिस थाने में यूडी मामला संख्या 03/2018 के रूप में है और उक्त मामले का निपटान कर दिया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और शिकायतकर्ता श्री दाभी फतेह सिन्ह (सूबेदार) तथा गवाह श्री धर्मेन्द कुमार, श्री नीतू गोगोई, श्री तिलोक बरुआह, श्री नुमई मोरान, श्री शांतनु गोगोई, श्री रंजीत छुटिया चेतिया और श्री सत्यजीत बरुआह से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने विस्फोटक और युद्ध में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं को भी जब्त किया। प्रदर्श 167 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति है। चूंकि सक्रिया उल्फा(आई) काडर जन असोम उर्फ रूद्रेश्वर बरुआह के शव को दिनांक 27.09.2018 को देहिंग नदी से बरामद किया गया था इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित संगठन इस जिले में लोगों के मन में आतंक फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से गोलीबारी के पीछे था।

(vi) पेंगारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(क)/307/307/326 के अधीन दर्ज मामला संख्या 51/2015.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 15.07.2015 को, शिकायतकर्ता श्री जोय शंकर वारी, पुलिस उप निरीक्षक ने पेंगारी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 14.07.2015 को उनको बुजीलिबान नातुंग मेथोंग के गांव बुरा ने सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर, वह एस.डी.पी.ओ मार्गेरेटा के नेतृत्व में स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि 2 से 3 संदिग्ध उल्फा काडर हथियार से लैस होकर बुलिजानबॉन नातुग मेथोंग के श्री नन्दलाल शाह के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। नन्दलाल शाह की मृत्यु घायल होने के बाद घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि उनके परिवार के 5 सदस्यों अर्थात् (1) मांती देवी शाह (2) श्री मनोज शाह (3) श्री अक्षय लाल शाह (4) श्री अजय शाह और (5) श्रीमती काजोल शाह को गोली लगी। घायल काजोल शाह को सिविल अस्पताल तिनुसकिया में मृत लाया घोषित कर दिया गया।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर पेंगारी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/ 302/307/326 के अधीन मामला संख्या 51/2015 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 188 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है। जांच के दौरान जांच अधिकारी पीओ गए और शिकायतकर्ता तथा उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने अभियुक्त अर्थात (1) श्री मुहीधर मोरान उर्फ रावण उर्फ जॉन असोम और (2) श्री सुरजीत मोरान को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से कुछ हथियार और गोलाबारूद, विस्फोटक बरामद किए तथा उनसे पूरी तरह पूछताछ करने के उपरांत उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया । प्रदर्श 190 से 193 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रति हैं। प्रदर्श 197 से 200 जब्त किए गए हथियारों और गोलाबारूद की फोरेंसिक रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां है। दोनों अभियुक्तों ने मामले में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया। बरामद किए गए हथियारों और गोलाबारूद, विस्फोटक आदि की जांच विशेषज्ञ राय के लिए एफ.एस.एल गुवाहाटी, असम में की गई। अभियुक्तों के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित उल्फा(आई) राष्ट्र के विरुद्ध अपने कथित युद्ध के लिए जिले के निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है और धन वसूली संबंधी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को आतंकित कर रहा है।

(vii) काकोपाथर पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/392 के अधीन मामला संख्या 54/2015.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 01.10.2015 को, शिकायतकर्ता उप निरीक्षक बदन सिंगपो, ओ/सी काकोपाथर पुलिस थाना ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 30.09.2015 को अपराह्न लगभग 7.45 बजे, 4 (चार) संदिग्ध उल्फा(आई) काडर सेना की वर्दी में आकर स्थानीय लोगों में आतंक फैलाने के लिए हवा में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में शिकायतकर्ता ने भी एपीआरजी पार्टी के साथ मिलकर, दस राउंड गोलियां चलाई। बाद में, उग्रवादी समूह 02 समूहों में बंटकर घटनास्थल से भाग गए। भागते समय उग्रवादी समूह ने गेलगेली पट्टी के कमल डेका के होंडा एक्टिवा वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या AS-23-L-5120 था, को जबरदस्ती ले लिया जबकि, एक दूसरे काडर ने बंदूक की नोक पर हेमंगो गोहेन के टीवीएस स्कूटी, जिसका पंजीकरण संख्या AS-06-J-8143 था, ले गया। कुछ देर बाद, शिकायतकर्ता और उसकी पार्टी ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और 06 राउंड खाली कारतूस और एक संदिग्ध रॉकेट जैसे गोलाबारूद को जब्त किया। दिनांक 01.10.2015 को सुबह लगभग 6 बजे, पंजीकरण संख्या AS-23-L-5120 वाला होंडा एक्टिवा काथोरबस्ती तेजी रोड से बरामद किया गया।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, काकोपाथर पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/392 के अधीन मामला संख्या 54/2015 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक चंदन राउत को सौंपा गया। प्रदर्श 210 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, एक बिना विस्फोट हुए रॉकेट जैसी वस्तु और एके 47 सिरीज राइफल के 06 खाली खोखे जब्त किए। जांच अधिकारी ने पंजीकरण संख्या AS-23-L-5120 स्कूटी को भी बरामद किया। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और साथ ही कुछ अन्य गवाहों के बयान को दर्ज किया जिससे यह खुलासा हुआ कि उल्फा(आई) समूह के सदस्य अपने अस्तित्व को दिखाने और स्थानीय लोगों के मन में भय पैदा करने के इरादे से घटना में संलिप्त थे। प्रदर्श 212 और 213 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियां हैं। जांच के क्रम में जांच अधिकारी ने अभियुक्त अर्थात (1) श्री लख्यजीत मोरान उर्फ मोइना उर्फ तुषार असोम 27 वर्ष, पुत्र श्री अनेश्वर मोरान, 1 काचीजान, पुलिस थाना, तोंगाना, जिला- तिनसुकिया और (2) श्री भरत चुटिया उर्फ अभिजीत असोम उर्फ भीम, पुत्र स्वर्गीय लोकेश्वर चुटिया, लेसेंगा, पुलिस थाना बारेकुरी, जिला-तिनसुकिया, असम की गिरफ्तारी को भी दर्शाया था। अभियुक्तों के बयान से यह खुलासा होता है कि वे उल्फा(आई) के निर्देश पर जिले के लोगों के मन में आतंक फैलाकर सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन उल्फा(आई) के लिए सक्रिय रूप से दुष्प्रचार कर रहे थे।

(viii) फिलोबारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27(ख) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307 के अधीन मामला संख्या 23/2016.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 13.08.2016 को अपराह्न 6.30 बजे, शिकायतकर्ता श्री अरबिंद शाह, पुत्र श्री किशोरी शाह, 11 बामुन गांव, पुलिस थाना फिलोबारी ने इस बारे में फिलोबारी पुलिस थाने में एक इजहार दर्ज कराया कि दिनांक 12.08.2016 को अपराह्न लगभग 7.30 बजे उल्फा के अज्ञात काडरों का एक समूह शिकायतकर्ता के घर पर आया और अपने हथियारों से अंधाधुंध गोली चलाई, जिसके परिणामस्परूप उनके पिता किशोरी शाह, भाई राजेश शाह तथा उनके रिश्तेदार श्री जितेंद्र चौधान, श्री राबन गढ़, श्री रंजीत शाह और श्रीमती प्रतिभा देवी गोलियों से गंभीर रूप से घायह हुए। शिकायतकर्ता के पिता, घायल किशोर शाह की मृत्यु मौके पर ही हो गई और राजेश शाह की मृत्यु दुमदुमा सिविल अस्पताल में हुई। गोली से गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में भर्ती कराया गया। गोलीबारी के कारण 02 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई। अपराध करने के बाद संदिग्ध उल्फा काडर पीओ से भाग खड़े हुए। प्रदर्श 235 प्राथमिकी की प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर फिलोबारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27(ख) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/307 के अधीन मामला संख्या 23/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों की मौजूदगी में पीओ से आवश्यक जब्तियां की तथा शिकायतकर्ता और कुछ अन्य गवाहों से भी पूछताछ की। प्रदर्श 336 से 241 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियां हैं। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने ऐसे पर्याप्त साक्ष्य संग्रह किए जिससे जिससे अपराध किए जाने में उल्फा(आई) की सीधी भूमिका का पता चलता है। इस प्रकार,

उपर्युक्त विवरण से यह बहुत ही स्पष्ट है कि प्रतिबंधित संगठन अपने अनुचित फायदे के लिए निर्दोष लोगों को मार कर समाज में आतंक फैला रहा है।

(ix) पेंगारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/341/353/427/302/326/307/179 के अधीन मामला संख्या 63/16.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 20.11.16 को अपराह्न 3.00 बजे, शिकायतकर्ता स्वर्गीय नन्दूरी साईं प्रसून, 15 कुआऊं (इंदोर) आर्मी, सी/ओ 99 एपीओ कैम्प पेंगारी ने इस बारे में पेंगारी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई कि दिनांक 19.11.16 को जब एक पार्टी जिप्सी वाहन (BA No. 098-102865 A) और 2.5 टन वाहन (BA No. 14C-100892P) पेंगारी से डिगबोई की ओर जा रहे थे तो लगभग 0600 बजे एक आईईडी से आगे की जिप्सी पर धमाका कराया गया और बाद में 2 आरपीएफ, 3 यूबीजीएल पर धमाका कराया गया और विद्रोहियों के एक समूह द्वारा जिप्सी तथा 2.5 टन वाहन पर भारी गोलीबारी की गई। घटना में जानें गईं, हथियारों और गोलाबारूद का नुकसान हुआ तथा वाहन एवं उपकरण क्षतिग्रसत हुए। प्रदर्श 260 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, पेंगारी पुलिस थाने में, पेंगारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/341/353/427/302/326/307/179 के अधीन मामला संख्या 63/16 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए तथा शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने गवाहों की मौजूदगी में पीओ से आवश्यक जब्तियां की। प्रदर्श 262 और 263 जब्ती सूचियों की प्रताणित प्रतियां है। जांच अधिकारी ने संदिग्ध अभियुक्त अर्थात श्री लाकेश्वर बरुआह, आयु 23 वर्ष, उर्फ लबांग, पुत्र श्री पदेश्वर बरुआह, दिराक सुंजन गांव, पुलिस थाना बोरडुम्सा, जिला- तिनसुकिया, असम को भी गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता, गवाह और अभियुक्त के बयान से यह ज्ञात हुआ कि उल्फा(आई) काडर सैन्य टुक़डियों पर हमले के पीछे थे।

(x) बोरडुम्सा पुलिस थाने में पेंगारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27(2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/ 447/307/427/34 के अधीन मामला संख्या 48/2017.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 13.12.2017 को अपराह्न 01:40 बजे, शिकायतकर्ता श्री कुमार माउगलम पेटेल, वाणिज्यिक प्रबंधक, सतरूपा टी फैक्ट्री एमकेबी (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड ने इस पुलिस थाने में यह प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 08.12.2017 को लगभग 19:30 बजे, आतंकवादियों/उग्रवादियों के 06 से 08 सदस्यों का एक गैंग उक्त गार्डन के कार्यालय गेट के माध्यम से प्रवेश किया और गेट पर मौजूद सभी चौकीदारों, ड्राइवरों और अन्य व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर ले गया। उनको कब्जे में लेने के बाद उक्त आतंकवादियों ने गार्डन के कार्यालय में 20 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं, इस समय कार्यालय में शिकायतकर्ता 03 अन्य कार्यालय स्टाफ के साथ मौजूद थे। उसके उपरांत, सभी आतंकवादी मौके से फरार हो गए और भाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ, गेट के सामने पार्क की गई कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद, उक्त आतंकवादी कब्जे में लिए गए सभी व्यक्तियों को अपने साथ बंदूक की नोक पर ले गए और फैक्ट्री की तरफ बढ़े और दोबारा फैक्ट्री के परिसर में खड़े ट्रक तथा फैक्ट्री भवन पर 20 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं और इसके परिणामस्परूप वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उसके उपरांत, उक्त आतंकवादी प्रबंधक के बंगले की ओर बढ़े और उस पर गोली चलाई तथा बंगले के एक कमरे में हैंड ग्रेनेड फेंका। यह पूरी घटना आतंकवादियों द्वारा आधे घंटे अर्थात 19:30 बजे से लेकर 20:00 बजे तक चली और वे गेट नंबर 9 से होकर गार्डन से चलते हुए बाहर चले गए। प्रभारी रिजर्व पुलिस 21:15 बजे गार्डन के कार्यालय में पहुंचे। प्रदर्श 287 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, बोरडुम्सा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27(2) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/447/307/427/34 के अधीन मामला संख्या 48/2017 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। मामले की जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और पीओ का स्केच मैप बनाया तथा आवश्यक जब्तियां कीं। प्रदर्श 288, 289 और 290 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियां हैं। शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों से पूछताछ के बाद, जांच अधिकारी को पता चला कि अपराध में शामिल व्यक्ति उल्फा(आई) काडर थे। जांच अधिकारी को अन्य स्रोतों से बातचीत

के बाद यह भी पता चला कि रूपम असोम के कमांड के अधीन कुछ अन्य उल्फा(आई) अर्थात जान अक्सोम उर्फ रूद्र बरुआह, नातुन गांव, विवेक असोम, ग्यान असोम तथा मोनी असोम अत्याधुनिक हथियारों के साथ पीओ आए और फैक्ट्री के परिसर तथा भवन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सूचना प्राप्त होने के बाद, जांच अधिकारी अन्य सशस्त्र बलों के साथ तुरंत पीओ पहुंचे और उल्फा(आई) काडरों को पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली। उपर्युक्त से यह खुलासा होता है कि उपर्युक्त उल्फा काडर प्रतिबंधित संगठन के निर्देश पर आम जनता के मन में भय पैदा करने के लिए और आगे भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए धन एकत्र करने हेतु उनसे जबरन धन वसूलने के लिए स्वयं को इन विघटनकारी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं।

(xi) बोरडुम्सा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27(3) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/447/302/34 के अधीन मामला संख्या 47/2017.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 12.12.2017 को, शिकायतकर्ता श्री कमलेश्वर महंत, पुत्र स्वर्गीय ब्रितेन महंत, दिरक हुन्जान, सिमूलूगुरी, पुलिस थाना बोरडुम्सा, जिला तिनसुकिया ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 11.12.17 लगभग अपराह्न 6:40 बजे, जब उनके बड़े भाई श्री अंतेश्वर महंत और उनके पुत्र करुण महंत अपने घर में थे तो उस समय लगभग 3/ 4 उल्फा काडर उनके घर में आए। उल्फा काडरों ने बहुत निकट से उन पर गोली चलाई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया किंतु उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया गया। प्रदर्श 304 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, बोरडुम्सा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27(3) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/447/302/34 के अधीन मामला संख्या 47/2017 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। मामले की जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, पीओ का स्केच मैप बनाया और आवश्यक जब्तियां कीं। प्रदर्श 305 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति है। जांच अधिकारी को अन्य स्रोत से बातचीत के बाद यह पता चला कि रूपम असोम के कमांड के अधीन उल्फा(आई) बाबुल असोम, मोनीकांता असोम, ज्ञान असोम, जान असोम और दिगांता चेतिया अत्याधुनिक हथियारों के साथ पीओ आए और पीड़ितों पर अंधाधुंध रूप से गोली चलाईं। सूचना प्राप्त होने के उपरांत, जांच अधिकारी सशस्त्र बलों के साथ पीओ पर पहुंचे तथा उल्फा(आई) काडरों को पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली। घटना घटित होने के बाद, कई संदिग्ध गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया। गवाहों के बयान से यह खुलासा हुआ कि उल्फा(आई) के निर्देश पर उपर्युक्त काडर जिले के लोगों के मन में आतंक फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन के लिए सक्रिय रूप से दुष्प्रचार कर रहे थे।

(xii) लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/341/436/427/384/379/323 के अधीन मामला संख्या 11/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 17.01.2018 को, शिकायतकर्ता श्री चरित्र राम डेका, पुत्र स्वर्गीय रानु राम डेका, ओआईएल (ईए) ने एक इजहार दर्ज करवाया जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 16.01.2018 को, कच्चे तेल से भरे 10 तेल टेंकर खारसांग से डिग्बोई की ओर आ रहे थे। नामचिक गेट से लगभग 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद, 10 से 16 उग्रवादी सदस्यों का एक समूह हथियारों के साथ आया और टेंकरों का रास्ता रोक लिया तथा ड्राइवरों को उनके वाहनों से उतरने के लिए कहा। उसके बाद, उन्होंने ड्राइवरों से पर्स, वाहन के दस्तावेज तथा मोबाइल फोन आदि छीन लिए और उन पर शारीरिक रूप से से भी हमला किया। बाद में, उपद्रवियों ने तेल टेंकरों में आम लगा दी तथा कुल आठ तेल टेंकरों ने आग पकड़ ली और वे क्षतिग्रस्त हो गए। प्रदर्श 322 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने के उपरांत, लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/341/436/427/384/379/323 के अधीन मामला संख्या 11/2018 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक पुलक कुमार को सौंपा गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और शिकायतकर्ता तथा उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने उग्रवादियों द्वारा आग के हवाले किए गए 08 टेंकरों को अपने कब्जे में लिया। गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि उग्रवादी संगठन भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं।

(xiii) बोरडुम्सा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 447/364(क) के अधीन मामला संख्या 37/2017.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 02.09.2017 को, शिकायतकर्ता श्री सोमेन बोरडोलोई, प्रबंधन दिहिंग्या टीई, रितुबोन गांव, पुलिस थान- बोरडुम्सा ने इस पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि उसी दिन शाम लगभग 6:30 बजे, एक अज्ञात व्यक्ति हथियार के साथ मुख्य द्वारा से कूद कर दिहिंग्या टीई कार्यालय सह-आवास के परिसर में घुसा तथा इस मामले के शिकायतकर्ता गार्डन के प्रबंधक को मुख्य द्वार से बाहर आने के लिए कहा। अज्ञात व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से गार्डन के मालिक, श्री राजीव फुकन का मोबाइल नंबर भी पूछा। हथियार से लैस उस अज्ञात व्यक्ति ने मालिक से संपर्क किया और 20 लाख से रुपए की मांग की। उस समय, शिकायतकर्ता ने 06 बंदूकधारियों को देखा था जिन्होंने अपनी पहचान उल्फा(आई) के सदस्यों के रूप में बताई थी। उसी समय उन्होंने टीई के परिसर से श्री सैलिया दोहितिया, आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री जगत दोहोतिया, गांव- मिहोलिरितु, पुलिस थाना- बोरडुम्सा, जिला- तिनसुकिया का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। श्री सैलिया दोहोतिया उक्त टी एस्टेट के लिपिक थे। प्रदर्श 335 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, बोरडुम्सा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27(3) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/447/302/34 के अधीन मामला संख्या 47/2017 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। मामले की जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, पीओ का स्केच मैप बनाया, शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों से पूछताछ की तथा उनके बयान का दर्ज किया। पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि हथियार से लैस व्यक्ति उल्फा(आई) काडर थे और वे रूपम असोम के निर्देश पर वहां आए थे। यह भी पता चला कि अन्य काडर जन असोम उर्फ रूद्र बरुआह, नातुन गांव, हिरण्य मोरान उर्फ गोडा, हाथी गढ़, ज्ञान तथा मोनीकांत थे और उन सभी के पास टी एस्टेट में आने के समय अत्याधुनिक हथियार थे। सूचना प्राप्त होने के बाद, जांच अधिकारी सशस्त्र बल के साथ पीओ पहुंचे और पीड़ित का पता लगाने तथा उल्फा(आई) काडरों को पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली तथा उसके उपरांत यह अभियान सभी छिपने के संदिग्ध स्थानों में अगले कुछ दिनों तक चला। दिनांक 05.10.2017 को अपराह्न 8 बजे, पीड़ित व्यक्ति श्री सैलिया दोहोतिया को उल्फा(आई) के अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया जिनको उक्त टी एस्टेट कार्यालय के परिसर से वापस लाया गया। पूछताछ के बाद, पीड़ित सैलिया दोहोतिया ने उनके छिपने के स्थानों तथा उपर्युक्त उल्फा(आई) काडरों के नाम का खुलासा किया। 23 पंजाब रेजिमेंट, ए210 कोबरा और एपी बटालियन कार्मिकों की मदद से अपराधियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध स्थानों में तलाशी अभियान जारी रहा। जांच के क्रम में, जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज की एक सीडी जब्त की और उसके आधार पर एक अभियुक्त अर्थात श्री संतोष मोरान उर्फ श्री हिरण्य असोम उर्फ पोकुल, पुत्र श्री बुद्धेश्वर मोरान, ग्राम संख्या 4 काकोजान, पुलिस थाना- फिलाबारी, जिला- तिनसुकिया को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्श 336 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति है। अभियुक्त के बयान से यह पता चला कि वे उल्फा(आई) के निर्देश पर लोगों को जान व माल की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलने के लिए जिले के लोगों के मन में आतंक फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन के लिए सक्रिय रूप से दुष्प्रचार का कार्य कर रहे थे।

(xiv) लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/363(क) के अधीन मामला संख्या 54/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 09.06.2018 को, शिकायतकर्ता श्री प्रताप उपाध्याय, पुत्र श्री दीनानाथ उपाध्याय, संख्या 3 उदयपुर, लेखापानी पुलिस थाना ने इस बारे में एक इजहार दर्ज करवाया कि दिनांक 08.06.2018 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे, 6-7 उपद्रवियों का एक समूह हथियारों से लैस होकर फनेंग गांव स्थित श्री राधा चेतिया के चाय बागान में आया और शिकायतकर्ता के पिता श्री दीनानाथ उपाध्याय का अपहरण कर लिया। प्रदर्श 353 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/363(क) के अधीन मामला संख्या 54/2018 के अधीन लेखापानी पुलिस थाने में मामला संख्या 54/2018 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक पुलक कुमार को सौंपा गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और शिकायतकर्ता तथा उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने संदिग्ध अभियुक्त श्री हेम कांता बासुमतारी, पुत्र श्री चंद्र कांत बासुमतारी, फेनंग गांव, पुलिस थाना- लेखापानी को गिरफ्तार भी किया। दिनांक 25.06.2018 को, पीड़ित श्री दीनानाथ

उपाध्याय को अरुणाचल प्रदेश से लाया गया। पीड़ित के बयान के अनुसार, उनका अपहरण उल्फा काडर उदय असोम तथा इस संगठन के चार अन्य काडरों द्वारा किया गया था। पीड़ित और गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि उल्फा(आई) भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से जबरन धन वसूली करने के उद्देश्य से लोगों को आतंकित करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है।

(xv) लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/365 के अधीन मामला संख्या 140/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 20.11.2018 को शिकायतकर्ता श्री विजय बोराह पुत्र स्वर्गीय धनन्जय बोरा, 10 माइल जागून, पुलिस थाना- लेखापानी ने इस बारे में एक इजहार दर्ज करवाया कि दिनांक 19.11.2018 को लगभग अपराह्न 5.30 बजे, हथियार से लैस तीन उपद्रवियों के एक समूह ने शिकायतकर्ता के प्रबंधक श्री अपूर्वा काकोती को उनके 10 माइल जागून स्थित क्रसर मिल से अपहृत कर लिया। प्रदर्श 363 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने के उपरांत, लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/365 के अधीन दर्ज मामला संख्या 140/2018 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और शिकायतकर्ता तथा उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। जांच अधिकारी ने संदिग्ध अभियुक्त श्री हेमकांत बासुमतारी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में पीड़ित श्री अपूर्वा काकोती को वापस ले आया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयान का दर्ज किया गया। उनके अनुसार, दिनांक 19.11.2018 को हथियार से लैस तीन व्यक्तियों ने श्री बिजय बोराह के क्रसर मिल से उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने अपना परिचय उल्फा काडरों के रूप में दिया तथा उनके अनुदेशों को नहीं माने जाने पर हत्या करने की धमकी दी। बाद में, सक्रिय उल्फा काडर श्री टूटू बोराह उर्फ हंडुक ने एक अन्य खुले रूप से सक्रिय कार्यकर्ता श्री जुमोन बोराह को इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। अपने बयान में श्री टूटू बोराह ने स्वीकार किया कि वह उदय एक्सोम, जान एक्सोम और धोनी एक्सोम के साथ श्री अपूर्वा काकोती के अपहरण में शामिल था। पीड़ित और अभियुक्त के बयान से यह पता चलता है कि वे लोग भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से जबरन धन वसूलने के उद्देश्य के लिए स्थानीय लोगों को आतंकित करने हेतु इस प्रकार का अपराध लगातार कर रहे हैं।

(xvi) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 447/364(क)/34 के अधीन दर्ज मामला संख्या 353/2019.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 11.10.2019 को, शिकायतकर्ता सुनितपाल भुयान, पुत्र दिम्बेश्वर भुयान, प्रबंधक, शंकर टी एस्टेट, पुलिस थाना- दुमदुमा ने तालप ओपी, पुलिस थाना दुमदुमा में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसी दिन अपराह्न लगभग 06:05 बजे, काली पोशाक पहने और एके 47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस चार (4) युवक शंकर टी एस्टेट फैक्ट्री के परिसर में घुसे और उनसे बात की। कुछ समय बाद, शंकर टी एस्टेट हेड फिटर, श्री गोरांग देब फैक्ट्री से बाहर आया तो उक्त युवकों ने फिरौती लेने के दृष्टिकोण से उसका अपहरण कर लिया। सूचना है कि युवकों ने स्वयं का परिचय उल्फा के सदस्यों के रूप में दिया। प्रदर्श 383 प्राथिमकी की सत्यापित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने के उपरांत, दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 447/364(क)/34 के अधीन मामला संख्या 353/2019 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक जयंत डेका को सौंपा गया। जांच के दौरान, घटना के तुरंत बाद, आईसी, तालप ओपी ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने तथा श्री गोरांग डे को उनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए विभिन्न स्थानों में तालप ओपी स्टाफ और सीआईजेडब्ल्यू कार्मिकों के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद, जांच की अगली कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी ने घटना से संबंधित कई गवाहों से पूछताछ की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनके बयान को दर्ज किया। उपर्युक्त गवाहों के बयान से यह स्पष्ट रूप से यह बात सामने आई कि पीड़ित श्री गोरांग डे का अपहरण काली पोशाक पहले हथियार से लैस कम से कम चार व्यक्तियों, जिन्होंने घटना के चश्चदीद दो गवाहों की उपस्थिति में प्रतिबंधित उल्फा(आई) से जुड़े होने के रूप में स्वयं का परिचय दिया था, द्वारा दिनांक 11.10.2019 की शाम में शंकर टी स्टेट फैक्ट्री के परिसरों से किया गया था। जांच अधिकारी ने जब्ती की कार्रवाई के गवाहों की उपस्थिति में शंकर टी एस्टेट परिसरों से घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर लिया था। जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज से उपर्युक्त सभी गवाहों के बयानों की पुष्टि होती है। प्रदर्श 386 और 387 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियां हैं। जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज के

विश्लेषण से चार ज्ञात उल्फा(आई) काडरों अर्थात (1) रूपोम असोम (2) ज्ञान असोम (3) यांखू असोम और (4) ज्ञान असोम की पहचान काली पोशाक में घातक हथियारों से लैस होकर दिनांक 11.10.2019 को शंकर टी एस्टेट से श्री गोरांग डे के अपहरण में भाग लेने वाले व्यक्तियों के रूप में की गई। हथियार से लैस अपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़ दिए जाने तथा सुरक्षित घर पहुंचने के बाद, पीड़ित श्री गोरांग देब, शंकर टी एस्टेट, पुत्र स्वर्गीय दिनेश देब, मोघुली, पुलिस थाना- बोरडुबी, जिला- तिनसुकिया से पुछताछ की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 23.10.2019 को छोड़े जाने तक अन्य गवाहों द्वारा बताए गए अनुसार शंकर टी एस्टेट के भीतर दिनांक 11.10.2019 की घटनाओं की पुष्टि की। पीड़ित के बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन भी दर्ज किया गया। प्रदर्श 409 (चार पृष्ठ) पीड़ित का उक्त बयान है।

मामले से संबंधित उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों, गवाहों के बयानों, पीड़ित के बयान तथा शंकर टी एस्टेट से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट रूप ये यह पता चलता है कि श्री गोरांग देब का अपहरण नियोजित ढंग से फिरौती की राशि वसूलने के उद्देश्य से की गई थी और फिरौती की इस राशि का उपयोग विधिवत रूप से निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद 'संप्रभु सोशलिस्ट असम' स्थापित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत संघ से असम आजाद करवाने के अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के कार्यों में किए जाने की संभावना थी।

(xvii) तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/427 के अधीन दर्ज मामला संख्या 456/2016.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 28.04.2016 को, शिकायतकर्ता श्री प्रवास चंद्र पारिक, पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल पारिक, पदुमनी टी एस्टेट, पुलिस थाना- तिनसुकिया ने गुइजन ओपी के माध्यम से तिनसुकिया पुलिस थाने में एक लिखित प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 28.04.2016 को पूर्वाह्न लगभग 01.25 बजे, वह और उनके साथ रहने वाले अन्य व्यक्ति आवास के अगले गेट के ठीक बाहर बम धमाके की आवाज से जग गए। देखने पर उन्होंने पाया कि धमाके के कारण गेट से सटी पुलिया और सड़क का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था तथा गेट और दीवार पर छिद्र देखे जा सकते थे। प्रदर्श 413 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

उपर्युक्त प्राथमिकी प्राप्त होने पर, तिनसुकिया पुलिस थाने में, ईएस अधिनियम की धारा 3/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/427 के अधीन मामला संख्या 456/2016 इस घटना के बारे में दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक टुचन चेतिया को सौंपा गया।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और स्केच मैप बनाया और इसका संक्षिप्त ब्योरा तैयार किया। पीओ तिनसुकिया में श्री बिबेक अग्रवाल के आवास के सामने गुइजन पीडब्ल्यूडी रोड पर स्थित है। जांच अधिकारी ने धमाके वाले स्थल से मिट्टी के कुछ नमूने, टूटी ईंटों के नमूने आदि को लिया तथा इनको मौजूदा मामले के संबंध में, अपने पास रख लिया। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही कुछ और वस्तुओं को भी अपने पास ले लिया जिनमें पीओ के निकट लगाए गए कैमरे का सीसीटीवी फुटेज शामिल है। जांच अधिकारी ने इस मामले के संबंध में, कई पीओ गवाहों अर्थात 1. श्री बिबेक अग्रवाल, 2. प्रवेश चंद्र पारेक, 3. दिनेश गोगोई, 4. मंगल महाली, 5. कृष्णा पनिका, 6. दिपेन बेजबोरुआह और 7. प्रिया गोगोई से पूछताछ की और उनका बयान दंड प्रकिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया।

आगे की जांच के दौरान, गवाहों के बयानों तथा स्रोत की जानकारी के आधार पर, जांच अधिकारी पांच व्यक्तियों, जिनकी अपराध में भागीदारी और संलिप्तता परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित हो चुका था अर्थात 1. बाबुल दिहिंग्या, 34 वर्ष, पुत्र श्री कगेन दिहिंग्या, बीवीएफसीएल टाइप III क्वार्टर नंबर 570, पुलिस थाना नामपूरू, 2. पनक फुकन, 26 वर्ष, पुत्र श्री कुमुद फुकन, ना-मेथांग गांव, पुलिस थाना काकोपाथर, 3. नकुल गोगोई उर्फ नोक्ता, 28 वर्ष, पुत्र श्री माधव गोगोई, घिलागुरी गांव, पुलिस थाना नामरूप, 4. जीतू दोहोतिया उर्फ अनिल दोहोतिया, 34 वर्ष, पुत्र श्री अनेश्वर दोहोतिया, नंबर 1, सारूमाची कुरकाकानी गांव, पुलिस थाना काकोपाथर, 5. अशोक भूजल, 50 वर्ष, पुत्र श्री अमर भुजाल, कोइलाशपुर गांव, पुलिस थाना बोरडुम्सा को पकड़ने, उनसे पूछताछ करने और उनको गिरफ्तार करने में सफल रहे। जांच अधिकारी ने जब्त किए गए सभी प्रदर्शों को विशेषज्ञ राय के लिए एफएसएल, गुवाहाटी भेज दिया था। जांच के उपरांत, एफएसएल गुवाहाटी के विशेषज्ञों ने राय दी की मिट्टी के नमूनों में विस्फोटक की कम मात्रा है और यह कि संग्रह किए गए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए धातु के टुकड़े आईईडी के प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज द्वारा दिखाए गए अनुसार, अपराध में शामिल मारूति वेन का पता लगाने का प्रयास किया तथा उक्त् मारूति वेन के पंजीकरण संख्या का पता लगाने के लिए एमवीआई से संपर्क किया। इस संबंध में, अपठनीय सीसीटीवी फुटेज के कारण, जांच अधिकारी वाहन के पंजीकरण संख्या का पता नहीं लगा सके। .

जांच के क्रम में, आईओ को यह पता चला कि मौजूदा मामले से संबंधित बम दो लोगों अर्थात जिन्तू दोहोतिया और विकास गोगोई को ज्ञात उल्फा अरुणोदय दोहोतिया द्वारा सौंपा गया था जिसे तिनसुकिया के भीतर फोड़ा जाना था। तथापि, गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं रहने के कारण दुर्भाग्यवश मामले को तिनसुकिया पुलिस थाना में दिनांक 30.06.2019 के एफआर संख्या 309 के तहत, एफआर में वापस कर दिया गया।

यद्यपि, जांच अधिकारी ठोस साक्ष्य के आभाव में उपर्युक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं कर सके तथापि, जांच से यह बात सामने आई कि मौजूदा मामले से संबंधित बम को जिले में लोगों को आतंकित करने और लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा करने की दृष्टि से उल्फा(आई) काडर अरुणोदय दोहोतिया के निर्देश पर फोड़ा गया था ताकि भय दिखाकर उल्फा(आई) की जबरन धन वसूलने संबंधी मांग पूरी की जा सके। यह कृत्य कानूनी रूप से स्थापित भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और भारत से असम को अलग करने के उल्फा(आई) के घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए था।

(xviii) तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/326/307/427 के अधीन दर्ज मामला संख्या 459/2016.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 28.04.2016 को, तिनसुकिया पुलिस थाने के शिकायतकर्ता उप निरीक्षक नबाजीत दास बागरी ने इस पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 28.04.2016 को अपराह्न लगभग 7:33 बजे, अरुणोदय असोम के अनुदेश से अभि असोम उर्फ भीम उर्फ भारत चेतिया, सभी प्रतिबंधित उल्फा(आई) के सदस्य, द्वारा तिनसुकिया शहर के देवीपुखरी पाच अली पर बम धमाका कराया गया। इसके परिणामस्वरूप, 14-15 व्यक्ति गंभीर रूप से और हल्के–फुल्के रूप से घायल हुए और पीओ पर पार्क किया गया मोटर साइकिल तथा पास की कुछ दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रदर्श 424 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/326/307/427 के अधीन मामला संख्या 459/2016 दर्ज किया गया और जांच के लिए तिनसुकिया पुलिस थाने के उप निरीक्षक अजय दास को सौंपा गया। जांच अधिकारी, जांच के दौरान पीओ गए, घायलों को इलाज के लिए भेजा तथा पीओ पर आवश्यक जब्तियां कीं जिनमें ग्रेनेड लेवर, स्प्लिंटर्स आदि शामिल हैं। प्रदर्श 425 और 426 जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रति हैं। जांच के दौरान, जांच अधिकारी यह जान सके कि प्राथमिकी में नामित अभियुक्त अर्थात अभि असोम उर्फ भीम उर्फ भारत चेतिया को बाद में शिमालूगुरी पुलिस थाने के आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क) के अधीन मामला संख्या 46/2016 के संबंध में शिमालूगुरी पुलिस थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी ने मौजूदा मामले के संबंध में, अभि असोम को गिरफ्तार किया और उससे पूरी पूछताछ की। जांच के दौरान, अभि असोम ने खुलासा किया कि वह उल्फा(आई) का सक्रिय काडर है और वह प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने के लिए तिबराजीत असोम से प्रभावित हुआ और उसने म्यांमार में प्रशिक्षण लिया। उसने कहा कि वह वर्ष 2016 में, काकोपाथर पुलिस थाने पर हुए रॉकेट लॉन्चर हमले में शामिल था किंतु उक्त रॉकेट लॉन्चर विस्फोट नहीं हो सका था। आगे की पूछताछ के दौरान, उन्होंने कहा कि यद्यपि वह देवीपुखुरी पाच अली पर हुए ग्रेनेड हमले में सीधे शामिल नहीं था तथापि उसने ग्रेनेड को तिनसुकिया शहर में फेंकने के लिए पेंगरी पुलिस थाने के अधीन टेकरी गांव के पूनाकॉन चेतिया को ग्रेनेड दिया था। तदनुसार, पुनाकॉन चेतिया ने ग्रेनेड दुवीपुखुरी पंच अली में फेंका था। अभियुक्त के बयान से यह साबित होता है कि ग्रेनेड फेंकने की घटना का उद्देश्य जिले के लोगों के मन में आतंक फैला कर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के व्यापक उद्देश्य से तिनसुकिया जिले में अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था।

(xix) फिलोबारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के अधीन दर्ज मामला संख्या 24/16.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 15.08.2016 को, श्री गुणाकांत हजारिका, असम पुलिस का हेड कांस्टेबल, पुत्र श्री सुकेश्वर हजारिका, फिलोबारी ने इस पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक

15.08.2016 को लगभग सुबह 08:00 बजे, संख्या 11 बामुनगांव राजेन दुकान तिनाली में, संदिग्ध उल्फा काडर द्वारा बम धमाका कराया गया था जिससे किसी को चोट और हानि नहीं पहुंची थी। प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान, भय पैदा करने के इरादे से बम धमाका कराया था। प्रदर्श 447 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, फिलोबारी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के अधीन मामला संख्या 24/16 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने विस्फोट के स्थान से मिट्टी के कुछ नमूने लिए और शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों के बयानों को दर्ज किया। जांच अधिकारी ने स्रोतों से बातचीत करके अभियुक्तों की पहचान की तथा किशोर अपराधियों अर्थात श्री मानव डेका उर्फ दत्त, 16 वर्ष तथा श्री बिचित्र मोरान उर्फ उम्र 16 वर्ष को पकड़ा तथा उनको माननीय प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जेजेबी तिनसुकिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उनको उल्फा कार्यकर्ता हरेन डेका उर्फ अखिल असोम द्वारा मदद किए जाने के कारण पकड़ा जा सका जिसको पहले ही मौजूदा मामले के संबंध में गिरफ्तार दिखाया गया था। जांच के दौरान, यह खुलासा हुआ कि प्रतिबंधित संगठन उल्फा भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से जिले के लोगों को आतंकित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के पहले तोड़फोड़ की ये गतिविधियां कर रहा है।

(xx) दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के अधीन मामला संख्या 299/2016 .

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 15.08.2016 को, शिकायतकर्ता निरीक्षक मोनी मोहन सिंघा, ओ.सी. दुमदुमा पुलिस थाना, ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 15.08.2016 को पूर्वाह्न लगभग 07:56 बजे, जब वह काकोजन सड़क के किनारे नंबर 6 लाइन, बुदलाबेटा टी एस्टेट पर हुई विस्फोट की घटना के स्थल पर जा रहे थे तो दुमदुमा शहर की ओर से विस्फोट की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। उसके तुरंत बाद, उनको जीआरईएफ तिनियाली प्वाइंट के निकट सड़के किनारे नाले में नंबर 8 सूकरेटिंग पर बम धमाके के बारे में सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत ही उप निरीक्षक जितेन गोहेन को घटनास्थल पर जाने का निदेश दिया और वह भी नंबर 8 सुकरेटिंग की ओर चल पड़े। पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने यह देखा कि जीआरईएफ तिनियाली प्वाइंट नंबर 8, सूकरेटिंग के निकट नाले में संदिग्ध आईईडी का विस्फोट कराया गया था। इसकी अत्यधिक आशंका थी कि धमाका उल्फा(आई) द्वारा कराया गया थाऔर पूर्व में प्राप्त जानकारी के आधार पर, उल्फा काडर रूपम, बिबिर, उमेश मोरान, उदय तथा एक और अज्ञात काडर का इस विस्फोट में संलिप्त होने का संदेह था। उल्फा द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसी गतिविधियों की योजना बनाए जाने की जानकारी थी। प्रदर्श 465 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 /4 के अधीन मामला संख्या 299/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और स्केच मैप तैयार किया। जांच अधिकारी ने पीओ से मिट्टी के कुछ नमूने लिए और शिकायतकर्ता तथा कुछ अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया। जांच अधिकारी ने स्रोतों से मदद लेकर अभियुक्तों का पता लगाया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने निम्नलिखित किशोर अभियुक्तों अर्थात (i) श्री बिचित्र मोरान (16 वर्ष), पुत्र श्री पुलीन मोरान, निवासी नंबर 3 काकोजान, पुलिस थाना फिलोबारी, जिला तिनसुकिया और (ii) श्री मानब मोरान (16 वर्ष), पुत्र श्री धनेश्वर मोरान, निवासी नंबर 4 काकोजान, पुलिस थाना फिलोबारी, जिला तिनसुकिया को पकड़ा। पूरी पूछताछ के बाद, उन्होंने इस अपराध को किए जाने में अपनी भूमिका का खुलासा किया। अन्य अभियुक्त श्री बितुल मोरान उर्फ तितुल (22 वर्ष), पुत्र श्री अरना मोरान, निवासी नंबर 1 काकोजान, पुलिस थाना फिलोबारी, जिला तिनसुकिया को सैन्य कार्मिकों द्वारा पकड़ा गया था तथा पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उसने दो अन्य व्यक्तियों अर्थात श्री बिचित्र मोचार और श्री मानव मोरान के साथ मिलकर आईईडी को रखा था। बाद में, यह भी खुलासा किया गया कि उनको उल्फा काडर रूपम असोम, उदय असोम, निबिर उमेश मोरान तथा अन्य अज्ञान उल्फा काडर द्वारा आईईडी सौंपा गया था।

(xxi) दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मामला संख्या 298/2016.

संक्षेप में ममला यह है कि दिनांक 15.08.2016 को, शिकायतकर्ता उप निरीक्षक ज्योतिस्मान नियोग, पुत्र श्री नरेन नियोग, दुमदुमा पुलिस थाना, जिला- तिनसुकिया में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 15.08.2016 को जब वह अपने स्टाफ के साथ बाई-पास रोड पर गश्त ड्यूटी कर रहे थे और सेमडंग टी एस्टेट की ओर जा

रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई लोग बुदलामेटा टी एस्टेट नं 6 लाइन के निकट एकत्र हुए थे। तब उन्होंने अपने वाहन को बुदलामेटा टी एस्टेट की ओर मोड़ दिया। पहुंचने पर उन्होंने पाया कि लगभग सुबह 06.55 बजे काकोजान रोड के किनारे नं. 6 लाइन, बुदलामेटा टी एस्टेट में संदिग्ध आईईडी विस्फोट कराया गया था। उन्होंने तुरंत निरीक्षक एम.एम. सिंह, ओसी दुमदुमा पुलिस थाने को विस्फोट की घटना के बारे में बताया। कुछ देर बाद, ओसी दुमदुमा पुलिस थाना वहां पहुंचे। उस समय स्रोत से उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस बात की अत्यधिक आशंका हुई कि विस्फोट प्रतिबंधित उल्फा संगठन के काडरों अर्थात् रूपम, निबिर उमेश मोरान, उदय तथा अन्य काडरों द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि तोड़फोड़ की ऐसी गतिविधियां उल्फा आतंकवादियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले की जातीं। प्रदर्श 492 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियमककी धारा 3/4 के अधीन मामला संख्या 298/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और पीओ का स्केच मैप बनाया। जांच अधिकारी ने पीओ पर पाए गए संदिग्ध टूटे मोबाइल हैंडसेट के कुछ टुकड़ों तथा विस्फोटक के स्थान से मिट्टी के नमूने को अपने कब्जे में लिया। जाचं अधिकारी ने शिकायतकर्ता और कुछ अन्य गवाहों के बयान को दर्ज किया। पांच अधिकारी ने स्रोतों से संपर्क करके अभियुक्तों की पहचान की। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने अग्रलिखित किशोर अभियुक्तों अर्थात् (i) श्री बिचित्र मोरान (16 वर्ष), पुत्र श्री पुलिन मोरान, निवासी- नंबर 3 काकोजान, पुलिस थाना- फिलोबारी, जिला- तिनसुकिया और (ii) श्री मानब मोरान (16 वर्ष), पुत्र श्री धनेश्वर मोरान, निवासी नंबर 04 काकोजान, पुलिस थाना-फिलोबारी, जिला-तिनसुकिया को उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर पकड़ा। पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपराध में अपनी भूमिका का खुलासा किया। श्री बितुल मोरान उर्फ तितुल (22 वर्ष), पुत्र श्री अरना मोरान, निवासी नंबर 1 काकोजान, पुलिस थाना- फिलोबारी, जिला- तिनसुकिया को दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मामला संख्या 299/2016 के संबंध में गिरफ्तार दिखाया गया। पूरी पूछताछ के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने दो अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आईईडी रखा था और यह भी खुलासा किया कि यह आईईडी उनको उल्फा काडर रूपम असोम, उदय असोम, निबिर उमेश मोरान और अन्य उल्फा काडर द्वारा सौंपा गया था, जिनमें से सभी को अभी गिरफ्तार किया जाना है। प्रदर्श 494 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति है।

(xxii) तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3/4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 121/121(क)/122/427 की धारा के अधीन मामला संख्या 907/16.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 15.08.2016 को, शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक पुष्पाकांत हजारिका, आईसी पानीटोला ओपी ने तिनसुकिया पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि उस दिन लगभग पूर्वाह्न 7 बजे, लैपुली तिनसुकिया में एनएच-37 के निकट बम धमाका कराया गया। शिकायतकर्ता ने संदेह किया कि विस्फोट उल्फा(आई) द्वारा कराया गया था क्योंकि ऐसी सूचना थी कि उल्फा(आई) तिनसुकिया में तोड़फोड़ की ऐसी गतिविधियां करा सकता है। प्रदर्श 517 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, तिनसुकिया पुलिस थाना में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3/4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 121/121(क)/122/427 की धारा के अधीन मामला संख्या 907/16 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, गवाहों से पूछताछ की और आवश्यक जब्तियां कीं जिनमें ग्रेनेड के टुकड़े शामिल थे। प्रदर्श 519 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति है। जांच के क्रम में, जांच अधिकारी ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर उनको गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि कुछ अज्ञात उल्फा(आई) काडरों ने लोगों को आतंकित करने के लिए तिनसुकिया शहर के विभिन्न भागों में बम रखने के लिए उनको 4 बम सौंपे थे। ऐसा एक बम लैपुली में रखा गया था आर इसका विस्फोट उल्फा(आई) द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कराया गया था। अभियुक्तों के बयानों से यह तथ्य साबित होता है कि वे उल्फा(आई) के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे तथा उन्होंने जिले के लोगों के बीच आतंक फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से उल्फा(आई) के नेतृत्व द्वारा उकने दिए गए निर्देश के अनुसार तोड़फोड़ की गतिविधियां चलाई थीं।

(xxiii) लेखापानी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या 13/2018.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 26.01.2018 को, शिकायतकर्ता उप निरीक्षक पुलक कुमार, पुत्र श्री रत्नेश्वर कुमार, जागुन चौकी, लेखापानी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 26.01.2018 को सुबह 9.00 बजे, जागुन बाजार में एक बम धमाका हुआ। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि धमाका बाजार परिसर क महिला शौचालय के पास हुआ था। पूछताछ करने पर उनको ज्ञात हुआ कि बम का विस्फोट गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को लोगों को आतंकित करने के लिए लिंकमैन के माध्यम से रखे गए बम को प्रतिबंधित संगठन उल्फा(आई) द्वारा कराया गया था। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रदर्श 534 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी के आधार पर, लेखापानी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या 13/2018 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, गवाहों से पूछताछ की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयान को दर्ज किया। गवाहों से पूछताछ किए जाने तथा स्रोतों से संपर्क करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि दिनांक 26.01.2018 को सुबह 9.00 बजे, उल्फा ने अपने लिंकमैन की सहायता से गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या को लोगों को आतंकित करने के लिए जागुन बाजार में बम रखवाया था। यद्यपि अपराध में लिप्त व्यक्ति का पता लगाने के लिए स्रोतों से संकर्प किया गया और सभी संदिग्ध अवस्थानों की तलाशी की गई। जांच अधिकारी को अभियुक्तों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। इसलिए, मामले को लेखापानी पुलिस थाने में दिनांक 01.08.2018 के एफआर संख्या 26/2018 के तहत एफआर में वापस कर दिया गया।

यद्यपि अभियुक्त का पता नहीं लगाया जा सका, तथापि, उपर्युक्त अपराध जिले के लोगों को आतंकित करने, जनता के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए उल्फा(आई) के निर्देश पर किया गया था ताकि भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए जन वसूली संबंधी अपनी मांगों को पूरा कर सकें।

(xxiv) मार्गेरीटा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या 21/18.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 27.01.2018 को, पूर्वाह्न 11.30 बजे, शिकायतकर्ता श्री अमर ज्योति बेलुंग, पुत्र श्री अमूल्य बेलुंग, आई/सी लेडो ओपी, पुलिस थाना-मार्गेरीटा ने इस पुलिस थाने में एक इजहार दर्ज कराया जिसमें कहा गया कि दिनांक 26.01.2018 को जब वह एपी बटालियन कार्मिकों के साथ लेडो चौकी क्षेत्र में गश्त ड्यूटी कर रहे थे तो सुबह लगभग 9 बजे उनको तिरु कोलियरी साइट, लेडोसे तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनने के बाद, स्टाफ कार्मिकों के साथ तुरंत तिरप कोलियरी क्षेत्र में पहुंचे और तिनसुकिया जागुन रोड में सड़क के किनारे पुलिया पर किए गए धमाके को देखा। धमाका कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा किया गया था किंतु कोई हताहत नहीं हुआ था। प्रदर्श 545 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, मार्गेरीटा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, पीओ (विस्फोट स्थल) से मिट्टी के कुछ नमूने एकत्र किए गए और कब्जे में लिए गए तथा जांच एवं विशेषज्ञ राय के लिए उनको एफएसएल भेजा गया, शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों के बयान को दर्ज किया गया जिससे यह खुलासा हुआ कि कुछ संदिग्ध उल्फा(आई) काडरों ने एनएससीएन काडरों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों के मन में भय पैदा करने तथा गणतंत्र दिवस समारोह का विरोध करने के लिए विस्फोट करवाया है। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने श्री बिक्रम चकमा, आयु 19 वर्ष उर्फ शोंती कुमार, पुत्र शुक्र सूर्य चकमा, निवासी नंबर 2 ज्योत्सनापुर, पुलिस थाना- दियुंग, जिला- चांगलांक, अरुणाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया जो प्रतिबंधित उल्फा(आई) समूह का घनिष्ठ सहयोगी था। उसी दिन, कुछ अन्य विस्फोट दूसरे जिलों में हुए थे जो प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा(आई) द्वारा अपनी मौजूदगी दिखाने तथा समाज में भय पैदा करने के लिए कराया गया था।

(xxv) बारेकुरी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 03/2015.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 03.02.2015 को, शिकायतकर्ता श्री मोहन लाल गुप्ता, पुत्र श्री भरत भूषण गुप्ता, सेंट्रल नामघर रोड, दुलियाजान, पुलिस थाना दुलियाजान, जिला-डिब्रुगढ़ ने इस बारे में प्राथमिकी दर्ज करवाई कि वह बारेकुरी डेन्का ओसीएस में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधीन एक संविदात्मक कार्य कर रहे थे। शिकायतकर्ता को दिनांक 21.08.2014 को मोबाइल नंबर 9615986079 से एसएमएस प्राप्त हुआ जिसमें 10,00,000/- रु. की मांग की गई तथा उनकी मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम की धमकी भी दी गई। उसके उपरांत, उल्फा काडरों ने शिकायतकर्ता को कई बार कॉल किए और अपना परिचय पबित्र असोम तथा अरुणोदय दोहोतिया के रूप में दिया। उन्होंने डिमांड कॉल करने के लिए दूसरे फोन नंबर अर्थात 9615924420 का भी प्रयोग किया था। वे 2,00,000/- रु. लेने के लिए सहमत हो गए तथा दिनांक 03.02.2015 तक की समय-सीमा भी दी। प्रदर्श 568 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, बारेकुरी पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 03/2015 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, गवाहों से पूछताछ की तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उनके बयान दर्ज किए। जांच अधिकारी ने, उग्रवादी द्वारा धन वसूली की मांग करने के लिए प्रयोग में लाए गए मोबाइल नंबर 9615986079, 9615924420, 9508143969, 9954513188 की सीडीआर संग्रह किए। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने तीन उल्फा काडरों तथा लिंक मैन अर्थात (i) श्री रुकनोई चेतिया, पुत्र हलीराम चेतिया, पुरोनी मोटापुंग गांव (2) श्री बितुपन मोरान उर्फ दत्ता, पुत्र मोनेश्वर मोरान, फिलोबारी एमगुरी, पुलिस थाना फिलोबारी, तथा (3) श्री लोका भास्कर बोराह उर्फ बापू, पुत्र श्री भूपेन बरुआह, टोंगाना बाजार को गिरुफ्तार किया। अभियुक्तों के बयान से यह स्पष्ट है कि गिरफ्तार व्यक्ति उल्फा(आई) के निर्देश पर भारत संघ के विरुद्ध अपने तथाकथित युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु जन-सामान्य से जबरन धन वसूल रहे थे। प्रदर्श 594 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

(xxvi) डिगबोई पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 365/511/395 के अधीन मामला संख्या 230/2017.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 21.10.2017 को, शिकायतकर्ता श्री उमेश त्यागी, श्री कृष्णा चाय बागान के प्रबंधक ने डिगबोई पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 21.11.2017 को अपराह्न 7.50 बजे, सेना की पोशाक में 2 (दो) व्यक्ति उनके बंगला में आए तथा अपना परिचय प्रतिबंधित उल्फा(आई) के सदस्य के रूप में दिया तथा उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। त्यागी ने यह उत्तर दिया कि वह केवल एक अतिथि हैं न कि प्रबंधक तथा बाद में वह वहां से भाग खड़े हुए तथा स्वयं चाय की झाड़ियों में छिप गया। उल्फा(आई) काडरों ने लगभग 5 बार पूरे बंगले की तलाशी ली। अपराह्न लगभग 9.45 बजे, शिकायतकर्ता तब अपने छिपने के स्थान से धीरे-धीरे बाहर आए जब उन्होंने अपने बंगले के बाहर एकत्र हुए कुछ बागान निवासियों की आवाज सुनी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उग्रवादी समूह में पांच व्यक्ति थे तथा उन्होंने उनके दो मोबाइल फोन तथा उनके कार्यालय की अलमारी से 20,000.00 रु. की नकद राशि ले ली। प्रदर्श 594 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रित है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, डिगबोई पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 365/511/395 के अधीन मामला संख्या 230/2017 दर्ज किया गया और जांच के लिए उप निरीक्षक जतिन सेकिया को सौंप दिया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए, गवाहों से पूछताछ की तथा उनके बयान दर्ज किए जिससे यह खुलासा हुआ कि पांच उल्फा(आई) काडरों का एक समूह प्रबंधक का अपहरण करने के लिए बागान में आए थे और जब वह नहीं पाए गए तो वहां डकैती कर ली। जांच के दौरान, उल्फा काडर संतोष मोरान उर्फ हिरण्य असोम, पुत्र बुधेश्वर मोरान को इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया कि वह अपने सहयोगियों अर्थात (1) रूपम असोम (2) जान असोम उर्फ रूद्र बरुआह तथा (3) मोनीराम असोम और अन्य के साथ इस मामले में लिप्त थे। इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त उल्फा(आई) समूह चाय बागान के प्रबंधक उमेश त्यागी का अपहरण उनको छोड़े जाने के लिए फिरौती लेने के उद्देश्य से करने हेतु आया था। फिरौती की राशि का उपयोग भारत संघ से असम को आजाद करने तथा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उल्फा(आई) के घोषित उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किया जाता।

(xxvii) दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 448/365/511/387 के अधीन मामला संख्या 342/2017.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 22.11.2017 को अपरह्न 9.00 बजे, शिकायतकर्ता श्री मोनीमोहन कोच, पुत्र श्री थोगीराम कोच, दुमदुमा पुलिस थाना, ने इस पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 21.11.2017 कोअपराह्न लगभग 06.45 बजे पांच/छह उल्फा(आई) काडर अत्याधिक आग्नेयास्त्रों से लैस होकर जबरदस्ती सेमडांग चाय बागान कार्यालय में घुस आए तथा उल्फा(आई) के नाम से चाय बागान के अधिकारी से पैसे की मांग की तथा उन्होंने सेमडांग चाय बागान के सहायक प्रबंधक श्री मुश्लीहुर रहमान का अपहरण करने का भी प्रयास किया। प्रदर्श 608 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, दुमदुमा पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 448/365/511/387 के अधीन मामला संख्या 342/2017 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए और पीओ का सकेच मैप बनाया। जांच अधिकारी ने, (1) जियोनी मोबाइल हैंडसेट जिसका आईएमईआई नं. 868702020400612 और 868702023400619 तथा सिम नंबर 9854208588 था, जिस पर श्री मुश्लीहुर रहमान को मोबाइल नंबर 7085896407 से व्हाट्सअप पर धन लेने संबंधी मेसेज प्राप्त हुआ था और (2) ब्रिगेडियर जिबोन असोम, फाइनेंस सक्रेटरी, उल्फा (I) द्वारा हस्ताक्षरित उल्फा(आई) के एक्सटोरसन पेड की एक प्रति जब्त की। जांच अधिकारी ने, शिकायतकर्ता तथा कुछ अन्य गवाहों के बयान को दर्ज किया। जांच अधिकारी ने, सीईआर/एसडीआर/पीटीएल/सीएएफ के लिए एक निवेदन प्रस्तुत किया तथा तदनुसार इसे प्राप्त किया और इसका विश्लेषण किया। जांच अधिकारी ने स्रोतों से संपर्क करके अभियुक्तों की पहचान की। जांच के दौरान, अभियुक्त श्री संतोष मोरान उर्फ पाकुल उर्फ हिरण्य असोम (23 वर्ष), पुत्र श्री बुधेश्वर मोरान, निवासी काकोजान नंबर 4, पुलिस थाना फिलोबारी, जिला तिनसुकिया को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूरी पूछताछ के दौरान, उसने यह खुलासा किया कि वह उल्फा(आई) का एक सक्रिय सदस्य है तथा दिनांक 21.11.2017 को, वह अपने सहयोगियों अर्थात रूपम असोम, ज्ञान असोम, जान असोम, बिबेक असोम और मुनीराम असोम के साथ असॉल्ट राइफल से लैस होकर सेमडांग चाय बागान कार्यालय में आया था तथा उल्फा(आई) के नाम से चाय बागान प्राधिकारी से पैसे की मांग की थी। पूछताछ के दौरान,अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डिगबोई पुलिस थाने के अधीन श्री कृष्ण चाय बागान से पैसे की मांग की थी तथा बोरडुम्सा पुलिस थाने के अधीन काथलगुरी से फिरौती के लिए एक व्यक्ति का अपहरण भी किया था।

(xxviii) डिगबोई पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 132/2018

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 9.06.2018 को अपराह्न 12:30 बजे, शिकायतकर्ता श्री सज्जन गोयल, पुत्र मोनी राम अग्रवाल, मूलीबारी बिहुटोली पुलिस थाना डिगबोई ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि लगभग 20:23 बजे, उनको मोबाइल नंबर 9774272531 से एक एसएमएस प्राप्त हुआ जिसमें उनसे 20,00000/- रु. की नकद राशि की मांग की गई। एसएमएस में, रोक्तिम असोम, उल्फा(आई) संगठन का समूह प्रभारी का नाम था। प्रदर्श 626 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, डिगबोई पुलिस थाने में, आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 132/2018 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए, शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों से पूछताछ की तथा उनके बयान दर्ज किए, शिकायतकर्ता के मोबाइल हैंडसेट से मेसेज का स्क्रीनशॉट अपने कब्जे में लिया। सीडीआर की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद, अपराध में लिप्त अभियुक्तों अर्थात (i) श्री अतुल बोरडोलोई (ii) श्री बालेश्वर प्रसाद राय तथा (iii) श्रीमती मिंटू सेकिया उर्फ माधोबी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूछताछ के दौरान, अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि 6,00,000/- रु. की मांग करने और यह राशि लेने का कार्य उनके द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने, 2 लाख रु. की नकद राशि, जो जबरन वसूले गए धन का एक भाग थी, तथा अपराध में प्रयोग किए गए मोबाइल हैंडसेट को बरामद किया। जांच अधिकारी ने मौजूदा मामले से संबंधित, धनराशि और मोबाइल दोनों जब्त किए। जांच के अंत में, जांच अधिकारी ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध

आईपीसी की धारा 387 के अधीन सीएस नं. 116/2018 दिनांक 31.08.2018 के तहत मामले को सीएस में प्रस्तुत कर दिया।

(xxix) लेखापानी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) (क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/365/392 के अधीन मामला संख्या 27/2020

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 12.02.2020 को, शिकायतकर्ता श्री राजू खान ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमे कहा गया कि दिनांक 11.02.2020 को अपराह्न 12:00 बजे, उनका एक श्रमिक अर्थात बेकुंठ हेंडीक्यू, वारा घाट का अपहरण हथियार से लैस 3 व्यक्तियों द्वारा तब किया गया जब वह अपना दोपहर का खाना खा रहे थे। सशस्त्र काडर उनके सभी मोबाइल फोन लेकर भी चले गए। जब शिकायतकर्ता को अपराह्न लगभग 3:00 बजे यह समाचार मिला तो कुछ समय बाद उन्होंने सैन्य अधिकारी तथा लेखापानी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को सूचित किया और इसलिए यह मामला दर्ज हुआ। प्राथमिकी के आधार पर, लेखापनी पुलिस थाने में, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) (क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/365/392 के अधीन मामला संख्या 27/2020 दिनांक 12.02.2020 को दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 659 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान, तिनसुकिया पुलिस द्वारा, 210 बटालियन, 9आरआर की सेना और 13 असम राइफल्स के साथ मिलकर जागून के सटे वन क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तथा लुंगवी और अरुणाचल प्रदेश के हेटलोंग गावों में तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने कुछ गवाहों से पूरी पूछताछ की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उनके बयान दर्ज किए। उपर्युक्त जांच से यह पता चला कि उल्फा(आई) विगत 2017 से ही जागून क्षेत्र से लोगों का अपहरण करता रहा है और अब तक पांच लोगों का अपहरण किया जा चुका है। अपहरण किए गए सभी व्यक्ति जागून क्षेत्र में स्थित स्टॉन क्रसर्स/चाय बागानों के कर्मचारी थे। गवाहों तथा पूर्व में अपहरण किए गए व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि उल्फा (I) उदय असोम, धोनी असोम, यांगपू असोम और गुंजन असोम सभी अपरहणों में शामिल थे। यह भी ज्ञात हुआ कि एक वृद्ध नागा व्यक्ति तथा पूर्व एनएससीएन काडर अर्थात बाबा, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहता है, विद्रोही समूह को संभारतंत्र संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद करता है तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रूप से पार कराने में भी मदद करता है। दिनांक 19.02.2020 को, राजू खान को अपहृत व्यक्ति बेकुंठ हेंडीक्यू को छोड़े जाने के लिए 1.2 करोड़ रु. की राशि की मांग करते हुए उल्फा(आई) काडर रूपम असोम से कॉल प्राप्त हुआ। दिनांक 04.03.2020 को, बेकुंठ हेंडीक्यू को अरुणाचल प्रदेश के लुंगवी गांव से लाया गया तथा उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उल्फा(आई) काडर रूपम असोम, उदय असोम, विवेक, ज्ञान, यांगकू, पारसमनी असोम और सौरव असोम उनके अपहरण में शामिल थे और वे उनको म्यांमार के काफी अंदर ले गए।

जांच से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उल्फा(आई) वर्ष 2017 से ही जागून लेखापानी क्षेत्र से अपहरण में लिप्त है और ये सभी अपहरण उन मालिकों/कारोबारियों से फिरौती की बड़ी राशि लेने के लिए किए गए थे, जिनके व्यक्तियों/श्रमिकों का अपहरण जिले के लोगों में आतंक फैला कर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने संगठन का वित्तपोषण करने के इरादे से किया गया था।

(xxx) तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121(क) के अधीन मामला संख्या 1866/2019.

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 28.11.2019 को, शिकायतकर्ता, यूबीसी/37 रोबिन सोनोवाल, पुत्र स्वर्गीय सुनाराम सोनोवाल, पानीटोल ओपी, पुलिस थाना तिनसुकिया ने इस पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि जब वह अपने स्टाफ के साथ दिनांक 27.11.2019 की रात्रि में गश्त ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने प्रतिबंधित उल्फा(आई) संगठन के 3 झंडों को पानीटोला ओपी के अधीन पानीटोला उच्च विद्यालय के सामने फहरते हुए देखा। प्रदर्श 679 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, तिनसुकिया पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121(क) के अधीन मामला संख्या 1866/2019 दर्ज किया गया तथा उसकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने उल्फा(आई) के झंडों को जब्त किया तथा शिकायतकर्ता तथा कुछ अन्य गवाहों के बयानों को दर्ज किया। जांच अधिकारी ने स्रोतों से संपर्क करके और सीडीआर के विश्लेषण से अभियुक्तों की पहचान की। जांच के दौरान, अभियुक्तों ने अपराध में अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसके

उपरांत, जांच अधिकारी ने अभियुक्तों (i) हीरकज्योति फुकन, 22 वर्ष, पुत्र श्री अनुल्य फुकन, निवासी पानीटोला रेलवे गेट, पुलिस थाना तिनसुकिया (ii) हिमाद्री गोगोई, 21 वर्ष निवासी पानाटोला नौगांव, पुलिस थाना तिनसुकिया और (iii) हीरकज्योति बरुआ, 22 वर्ष, पुत्र श्री मोनुज बरुआ, निवासी पानीटोला नौगांव, पुलिस थाना तिनसुकिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा किया कि वे सोशल मीडिया एप्प पर उल्फा(आई) काडर मुन्ना बुरुआ उर्फ रूप असोम के संपर्क में थे और यह कि उसने उन लोगों को उल्फा(आई) का झंडा तैयार करने तथा इसको कुछ प्रमुख स्थानों पर फहराने के लिए कहा था। अभियुक्तों के बयानों से यह पता चलता है कि वे जिले के लोगों के मन में आतंक फैला कर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन हेतु सक्रिय रूप से दुष्प्रचार कर रहे थे।

27. श्री भंवर लाल मीणा जो इस समय सादिया जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने शपथपत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

दिनांक 01.11.2018 को अपराह्न लगभग 08 बजे, सी/आई, धोला (आई/सी ओ/सी सेखोवाघाट पुलिस थाना) को मोबाइल नंबर 6001290038 से एक सूचना प्राप्त हुई कि सेखोवाघाट पुलिस थाने के अधीन खेरबारी में गोलीबारी की एक घटना हुई है तथा पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होने पर सी/आई, धोला पुलिस थाना, खेरबारी गांव पहुंचे और पाया कि पांच व्यक्ति अर्थात (i) श्यामल बिश्वास (आयु 55 वर्ष), पुत्र कुशाल बिश्वास, (2) अभिनव बिश्वास (आयु 22 वर्ष), पुत्र मोहनलाल बिश्वास, (3) अनंत बिश्वास (उम्र 18 वर्ष) पुत्र मोहनलाल बिश्वास (4) सुबल दास (आयु 50 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय गिरिन्द्र दास (5) धनन्जय नामशुद्र (आयु 22 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय जुगेन्द्र नामशुद्र, जो सभी खेरबारी गांव, पुलिस थाना सेकोवाघाट, जिला तिनसुकिया (पुलिस जिला सादिया) के थे, को अज्ञात उपद्रवियों द्वारा मार गिराया गया था। दिनांक 02.11.2018 ओ/सी, सेखोवाघाट पुलिस थाने ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 01.11.2018 को अपराह्न लगभग 7.30 छह अज्ञात बंदूकधारी सेना की पोशाक में खेरबारी गांव में घुसे तथा छह ग्रामीणों को स्टील ब्रिज पर लाए तथा उनमें से पांच को अंधाधुंध गोली चलाकर मार दिया। उनमें से एक व्यक्ति सहादेव नामशुद्र घटना से स्वयं का बचा पाने में समर्थ रहा। यह आशंका की गई कि यह घटना सक्रिय उल्फा आतंकवादियों द्वारा करवाई गई है। प्रदर्श 700 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है।

प्राथमिकी प्राप्त होने पर, सेखोवाघाट पुलिस थाने में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/302/307 के अधीन मामला संख्या 36/18 दर्ज किया गया और इस मामले को दिनांक 03.11.2018 के ज्ञापन संख्या एसडीवाई/सीबी/क्राइम/2697 के तहत दिनांक 03.11.2018 को एक राजपत्रित अधिकारी अर्थात पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सादिया पुलिस जिला को जांच के लिए सौंपा गया।

जांच अधिकारी पीओ गए और चश्मदीद गवाह सहदेव नामशुद्र द्वारा बताए गए अनुसार, संपूर्ण क्षेत्र की तलाशी ली। जांच अधिकारी ने पीओ का मैप बनाया तथा 32 खाली कारतूस, 05 चप्पल और रक्त से सने 01 परिधान जब्त किए। जांच अधिकारी ने सर्किल ऑफिसर, सादिया द्वारा 05 शवों के बारे में पड़ताल का प्रबंध किया और तिनसुकिया सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम जाचं के लिए शवों को भेज दिया। जांच अधिकारी ने माननीय एसडीजेएमा, सादिया द्वारा देखे जाने के लिए जब्त की गई सामग्री भेजने का प्रबंध किया। जब्त किए गए कारतूसों को भी जांच तथा विशेषज्ञ राय के लिए एफएसएल भेजा गया।

जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 तथा 164 के अधीन चश्मदीद गवाह सहदेव नामशुद्र तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्य स्थानीय गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों के बयान से यह पाया गया कि छह उपद्रवी लाओपानी गांव की ओर से पैदल सेना की वर्दी में खेरबारी आए। उन्होंने श्यामलाल बिश्वास की दुकान से छह व्यक्तियों को अपने पीछे आने के लिए आदेश दिया तथा बिल्कुल निकट से उन पर गोली चला दी। उपद्रवी ने हिंदी में बात की तथा अंधेरे का फायदा उठाकर उस स्थान से चले गए।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने स्थानीय गवाहों के बयान के आधार पर एक उल्फा लिंक मैन अर्थात जिन्तु गोगोई उर्फ डिकला को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने अपराधियों का पता लगाने के लिए स्रोतों से संपर्क किया। मामले की जांच चल रही है।

जांच अधिकारी ने इस मामले के संबंध में, जिन्तु गोगोई उर्फ डिकला, उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्र मोहुदार गोगोई, बोचा गांव, पुलिस थाना सादिया को दोषी बताया और पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि वह उल्फा के साथ विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल था।

28. श्री बेदांता माधव राजखोआ जो इस समय पुलिस उपायुक्त (एस एंड आई), गुवाहाटी, पानबाजार, पुलिस कमिश्नरेट गुवाहाटी, असम के रूप में कार्य रहे हैं, ने शपथपत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया:

(i) दिनांक 24.07.2018 को श्री कमल हरललका, पुत्र रामस्वरूप हरललका, निवासी श्री सदन, बीके फुकन रोड, कुमारपाड़ा, पुलिस थाना भारालुमुख ने मौखिक रूप से भारालुमुख पुलिस थाना को सूचित किया कि उनके भाई संतोष हरललका जो धुबरी में ठहरे हुए थे, को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फोन पर लगातार धमकी दी जा रही थी और धमकी देने वालों ने उल्फा संगठन के सदस्य होने का दावा किया तथा उनसे पैसे की मांग की। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि उनको फोन नंबर 6901158471 से पुलिस कॉल आया था तथा कॉल करने वाले ने जी.एस. रोड से, मांगी गई धनराशि संग्रह की। इस प्रकार, भारालुमुख पुलिस थाना जीडीई नंबर 1051, दिनांक 24.07.2018 के तहत दर्ज सूचना के आधार पर, उप निरीक्षक के. महंत के नेतृत्व में एक टीम ने जी.एस. रोड की ओर प्रस्थान किया। शिकायतकर्ता के एक कर्मचारी अर्थात अशोक चौधरी अपराधी द्वारा मांगी गई एक लाख रुपए की राशि साथ ले गए तथा वह पूर्व में निर्धारित अनुसार मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने जी.एस. रोड पर सोहुम शोपी के निकट अपराधी को पकड़ा तथा उसके पास से कई आपत्तिजनक चीजें जब्त कीं और एक लाख रुपए की राशि जो अशोक चौधरी के पास थी, को जब्त कर लिया।

शिकायतकर्ता श्री कमल हरललका ने बारालुमुख पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई (प्रदर्श 725) जिसके आधार पर, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निववारण अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 599/18 दर्ज किया गया। .

मामले की जांच के दौरान, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान दिपेन दास (उम्र 37 वर्ष), पुत्र कालीचरण दास, कुकुरमरा, राजपाड़ा, पुलिस थाना- बोको के रूप में की गई। अभियुक्त से पूरी पूछताछ की गई और उसके बयान को दर्ज किया गया।

उसने अपने बयान में कहा कि वह वर्ष 2003 में उल्फा लिंकमैन के रूप में शामिल हुआ था। उसके बाद, उसकी मुलाकात उल्फा नेता दृष्टि राजखोआ तथा सीमांत राभा से हुई जो भी उसके साथ था। उसने वर्ष 2009 में आत्मसमर्पण किया। इससे पहले उसे बोको पुलिस थानो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसका एक मामला अभी भी बाघमारा न्यायालय में लंबित था। दिनांक 20.07.18 को सीमांत राभा ने उसे फोन नं. 9435558149 प्रदान किया और उसे धनराशि लेने के लिए गुवाहाटी जाने के लिए कहा। उसने उसे कहा कि वह अपना परिचय रतन के रूप में दे। तदनुसार, फोन पर संपर्क करने के बाद, वह गुवाहाटी में पूर्व निर्धारित स्थान पर धनराशि लेने आया। उसने कहा कि उसने फोन नं. 6901158471 से शिकायतकर्ता को कॉल किया था। कॉल करने के बाद, उसने सिम कार्ड को जीएमसी नाले में फेंक दिया था। वहां से लौटने के बाद, पुलिस ने उसे जीएस रोड पर सोहुम शोप्पी के निकट पकड़ लिया।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री कमल हरललका (उम्र 60 वर्ष) तथा अशोक चौधरी, पुत्र कमलप्रीत चौधरी, नारायण नगर, पुलिस थाना- बारालुमुख से पूछताछ की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसके बयान को दर्ज किया। पीड़ित संतोष हरललका का बयान भी दर्ज किया गया। .

दिनांक 25.07.2018 को, दूसरा अभियुक्त सीमांत कुमार राभा (उम्र 31 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय दिनेश चंद्र राभा, ग्राम-बनियापाड़ा, पुलिस थाना- रोंगजुली, जिला- गोलपाड़ा को रोंगजुली पुलिस थाने से पकड़ा गया। पूरी पूछताछ के बाद, उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया और उसे वर्तमान मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया । उसके बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया।

अपने बयान में उसने कहा कि वह दिपेन दास को तब से जानता है जब वह बिकली कॉलेज, धूपधोरा का जीएस था। उसने यह स्वीकार किया कि वह वर्ष 1996/97 से उल्फा के लिंकमैन के रूप में कार्य कर रहा है। उस दौरान, उल्फा नेता प्राय: उसके घर पर आते थे और दोपहर का खाना खाते थे। वह दृष्टि राजखोआ को भी जानता था और उसके लिए काम किया करता था। दिनांक 18.07.2018 को दृष्टि राजखोआ ने उसे फोन पर कॉल किया और उसे कुछ धनराशि लेने के लिए गुवाहाटी जाने के लिए कहा।

अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लिए मामला लंबित है।

(ii) दिनांक 16.05.2019 को सुबह गीतानगर पुलिस थाने के उप निरीक्षक मुकुट चंद्र डेका ने गीतानगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई (प्रदर्श 783) जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 15.05.2019 को शाम में उसे पापा 17 स्टाफ और एसएसबी पार्टी के साथ अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 10 बजे तक गुवाहाटी सेंट्रल मॉल के सामने नाका चेकिंग ड्यूटी के लिए लगाया गया। तदनुसार, जब वह अपराह्न लगभग 7.40 अपने साथी स्टाफ के साथ चेकिंग ड्यूटी पर थे तो कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने पुलिस चेकिंग पार्टी पर निशाना साधते हुए सामने से ग्रेनेड फेंका जो चेक प्वाइंट के पास फटा। परिणामस्परूप, 02 एसएसबी जवान और पापा ड्राइवर सहित 12 व्यक्ति हल्के-फुल्के/गंभीर रूप से घायल हुए। घायल व्यक्तियों को तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पताल में जांच और उपचार के लिए भेजा गया। तदनुसार, उपर्युक्त मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। .

यह उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय से दिनांक 24.06.2019 को सीटीसीआर डिविजन के आदेश संख्या 11011/22/2019/एनआईए के अनुसार, गीतानगर पुलिस थाने के मामला संख्या 210/2019 और सतगांव पुलिस थाने का मामला संख्या 147/2019 की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अंतरित किया गया तथा तदनुसार सभी रिकॉर्डों सहित सीडी को मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी ने एनआईए के संबंधित अधिकारी को सौंप दिया।

(iii) दिनांक 28.11.2018 को, शिकायतकर्ता सहायक उप निरीक्षक उमेश उपाध्याय ने दिसपुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श 736) दर्ज करवाई। जिसमें यह कहा गया कि जब वह दिसपुर पुलिस थाने के पापा V के स्टाफ के साथ दिसपुर पुलिस थाने के अधीन हेंग्राबारी और बोरबारी क्षेत्र में गश्त ड्यूटी कर रहे थे तो उनको पुलिस थाने के फोन ड्यूटी अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई कि 01 झंडा अपर हेंग्राबारी, हिल्स किला तथा दूसरा झंडा हेंग्राबारी एलपी स्कूल कैंपस जो दिसपुर पुलिस थाना अधिकार क्षेत्र में आता है, में फहराया गया था और झंडों पर उल्फा(आई), स्प्रिंग यूक्यूनोक्स लिखा हुआ था। सूचना प्राप्त होने पर वह स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उपर्युक्त झंडों को नीचे उतारा और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में इनको अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने आरंभिक जांच की तथा स्वतंत्र भरोसेमंद स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि उग्रवादी संगठन के समर्थकों ने प्रतिबंधित संगठन के प्रभाव और मौजूदगी को दिखाने के लिए झंडे फहराया करते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए देश के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के कट्टर इरादे से राजधानी शहर गुवाहाटी में और उसके आसपास उल्फा(आई) द्वारा झंडे फहराए जाते थे। इसलिए, मामले को दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की तथा उनके बयानो को दर्ज किया । जांच अधिकारी पीओ भी गए और इंडेक्स के साथ स्केच बनाया। जांच अधिकारी ने कुछ संदिग्ध कथित अभियुक्त अर्थात निलोत्पल गोस्वामी, जेहरुल इस्लाम, रोहित दत्ता, शहर अली, पुतुल दास, हिरक ज्योति गोहेन, लोजने शैकिया, पापू कलिता, सुनु ओझा, बितुपन भराली, हासिम अली, नितीश पातिर, ध्यान डोले को गिरफ्तार किया तथा उसने पूरी पूछताछ की गई और दंड प्रक्रिया संहित की धारा 41 (क) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बादस, उनको छोड़ दिया गया।

यह मामला अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा आगे की जांच के लिए लंबित है।

(iv) दिनांक 13.10.2018 को अपराह्न 6 बजे शिकायतकर्ता श्री टोनमोय नाथ, पुलिस उप निरीक्षक, पानबाजार पुलिस थाना, कामरूप (एम), ने पानबाजार पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श 770) दर्ज करवाई। जिसमें कहा गया कि उसी दिन अर्थात 13.10.2018 को पूर्वाह्न लगभग 11.55 बजे एक जोर की आवाज सुनाई दी जिसके एमएमसी अस्पताल, पानबाजार, गुवाहाटी के पीछे एमजी रोड के नदी किनारे पगडंडी पर बम धमाका होने का संदेह था। इस धमाके के कारण पांच व्यक्ति अर्थात तैफुद्दीन अहमद, बिनिता दास, शंकु दास, कालपज्योति तालुकदार और शाहजहां घायल हुए और एक सिटी बस क्षतिग्रस्त हो गई। .

इस संबंध में, ई.एस. अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/325/427 के अधीन पानबाजार पुलिस थाने में मामला संख्या 687/2018 दर्ज किया गया। जांच के दौरान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 को इस मामले में जोड़ा गया है।

कुछ मलबे और लोहे के अलग-अलग चार टुकड़े घटनास्थल से एकत्र/जब्त किए गए तथा इनको जांच और विशेषज्ञ राय के लिए एफएसएल, काहिलीपाड़ा भेज दिया गया। जब्त की गई वस्तुओं के बारे में फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में स्पष्ट

रूप से यह कहा गया कि प्रदर्शों तथा आईईडी में प्रोजेक्टाइल्स के रूप में प्रयोग किए लोहे के टुकड़ों में हाई एक्सप्लोसिव (टीएनटी) पाया गया।

जांच के दौरान, अभियुक्त परेश दास (असम इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी का ड्राइवर) पुत्र स्वर्गीय ललित दास, निवासी महादेव टोला पुलिस थाना- हाजो, जिला कामरूप (आर) को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उससे पूरी पूछताछ की गई।

जांच के दौरान, गिरफ्तार अभियुक्त परेश दास के फोन नंबर 8399093046 की सीडीआर ली गई तथा इसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि उसने एक संदिग्ध फोन नंबर से संपर्क किया था जिसका उपयोग उल्फा के नेता श्री नयन मेधी उर्फ पाठक द्वारा किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त परेश दास से पूछताछ से यह भी खुलासा हुआ कि उसने उक्त बम धमाके में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसने यह भी खुलासा किया कि उसे श्री नयन मेधी, कमांडर 28 बटालियन, उल्फा द्वारा वर्ष 2006 और 2009 में बम धमाका करवाने में सहायता दी गई थी।

बाद में, उल्फा के दो और लिंकमैन अर्थात बोलेन डेका, पुत्र श्री भोबेन डेका और दिम्बेश्वर डेका पुत्र श्री पुलेश्वर डेका, जो बरंगा बारी, पुलिस थाना- हरिसिंगा के थे, को इस मामले के संबंध में गिरफ्तार दिखाया गया।

अब तक, जांच कर ली गई है, अभियुक्त परेश दास के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है। उसने अपराध को साबित करने वाली सामग्री के बारे में भी प्रथम दृष्टया खुलासा किया और उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहित की धारा 120(ख)/124(क)/325 के तहत मामला दर्ज किया गया।

किंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त परेश दास की दिनांक 04.01.2019 को मृत्यु हो गई है।

मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के नाम का पता लगाने के लिए तथा इस मामले के संबंध में कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए परेश दास के बयान के अनुसार सह-अभियुक्त अर्थात नयन मेधी, कमांडर 28 बटालियन, उल्फा को पकड़ने हेतु मामले की जांच जारी है।

29. श्री राजवीर, आईपीएस जो इस समय दिनांक 18.12.2019 से लखीमपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने शपथपत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

(i) दिनांक 20.10.2015 को, शिकायतकर्ता डम्ब्रूधर बोराह ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 15.10.2015 को एक युवक उनके घर आया और उल्फा लेटरपेड में लिखा पत्र सौंपा जिसमें दिनांक 20.10.2015 तक उल्फा के नाम से 30 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी। उन्होंने इसके बारे में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी मौखिक रूप से जानकारी दे दी थी। प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना आते समय उनको यह जानकारी मिली कि पुलिस ने इस संबंध में दो व्यक्तियों अर्थात मोहम्मद बाबुल अहमद, पुत्र मोहम्मद अबुति अहमद तथा मोहम्मद इलियस अली, पुत्र स्वर्गीय हस्मोत अली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उसके उपरांत, उन्होंने यह लिखित प्राथमिकी दर्ज करवाई। प्राथमिकी (प्रदर्श. 790) प्राप्त होने पर लालुक पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 384/34 के अंतर्गत मामला संख्या 233/2015 दर्ज किया गया और तदनुसार जांच की गई। .

जांच के दौरान, क्षेत्र के जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री दम्ब्रूधर बोराह, पुत्र स्वर्गीय अकनमन बोराह, तुनीजान बाहबारी, पुलिस थाना लालुक, जिला लखीमपुर के बयानों को दर्ज किया तथा उपलब्ध गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्र को जब्त कर लिया। जांच अधिकारी ने जब्ती गवाहों: 1) श्री बिपुत सरमाह, पुत्र पद्म सरमाह, हरमुट्टी विवेकानंद कॉलेज, पुलिस थाना लालुक, 2) श्रीमती भोगोप्रवा बोराह, पत्नी श्री दम्ब्रूधर बोराह, तुनिजान बाहबारी पुलिस थाना लालुक के बयानों को भी दर्ज किया।

उन्होंने कहा कि दिनांक 15.10.2015 को, एक युवक शिकायतकर्ता के घर आया और उल्फा के लेटरपेड पर लिखा एक पत्र सौंपा जिसमें दिनांक 20.10.2015 तक उल्फा संगठन की सहायता के लिए 30 लाख रुपए की मांग की गई थी।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी पीओ गए तथा गवाह श्री भास्कर बोराह पुत्र श्री दम्ब्रूधर बोराह, तुनिजान बाहबारी, पुलिस थाना लालुक के बयान को दर्ज किया जिनको युवक ने मांग पत्र सौंपा था।

उन्होंने कहा कि दिनांक 15.10.2015 को अपराह्न लगभग 7 बजे उनके घर आया और उनको पत्र देकर वापस चला गया। उनको पत्र खोलने पर यह जानकारी मिली कि यह पत्र उल्फा के नाम से 30 लाख रुपए की राशि मांगे जाने के लिए है। उन्होंने यह पत्र तुरंत अपने पिता को दे दिया तथा उनके पिता ने इसको पुलिस को दे दिया।

जांच अधिकारी ने अभियुक्तों को पकड़ने की योजना बनाई। तदनुसार, दिनांक 20.10.2015 को, जांच अधिकारी ने दो अभियुक्तों को पदमापुर दियोरी गांव, लालुक पुलिस थाना में तब पकड़ लिया जब वे मांगी गई धनराशि लेने के लिए आ रहे थे। वे हैं, i) मोहम्मद बाबुल अहमद, पुत्र अबुति अहमद, पदमापुर मुस्लिम गांव, पुलिस थाना लालुक तथा 2) मोहम्मद इलियस अली, पुत्र मोहम्मद हजमोत अली, नं. 2 केहुटोली गांव, पुलिस थाना लालुक। जांच अधिकारी ने, गवाहों की मौजूदगी में दो मोबाइल नंबर 8256097386 और 8752994442 को अपने कब्जे में ले लिया, जिनका उपयोग डराने-धमकाने तथा शिकायतकर्ता से धनराशि लेने के लिए किया जाता था। जांच अधिकारी ने, जब्ती गवाहों, 1) श्री सोक्रेश्वर बोराह, पुत्र श्री गणेश बोराह, लिपखाना, पुलिस थाना लालुक, लखीमपुर तथा 2) बिपुत सरमाह, पुत्र श्री पदम सरमाह, हरमुटी, पुलिस थाना लालुक, लखीमपुर के बयान भी दर्ज किए।

उन्होंने कहा कि दिनांक, 20.10.2015 को, उपद्रवियों ने फोन पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया तथा उनसे कहा कि वह मांगी गई धनराशि देने के लिए पदमापुर दियोरी गांव आए। पुलिस द्वारा बनाई गई योजना अनुसार, गवाहों भी पुलिस टीम के साथ मौके पर गए जब वे मांगी गई धनराशि लेने के लिए आए थे। .

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने मामले के संबंध में अभियुक्त i) मोहम्मद बाबुल अहमद, पुत्र अबुति अहमद, पदमापुर मुस्लिम गांव, पुलिस थाना लालुक तथा 2) मोहम्मद इलियस अली, पुत्र मोहम्मद हजमोत अली, नं. 2 केहुटोली गांव, पुलिस थाना लालुक को गिरफ्तार किया तथा उनके बयानों को दर्ज किया। मोहम्मद बाबुल अहमद ने कहा कि वह उल्फा का सदस्य है। उसे उत्तरी लखीमपुर शहर में ग्रेनेड फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और नयायिक हिरासत में भेजा गया था। उल्फा का लेटरपेड उसके पास लंबे समय से था जब वह उल्फा संगठन में था। श्री दम्ब्रूधर बोराह, पदमापुर बाहबारी गांव ने उल्फा के लेटरपेड का प्रयोग करके धनराधि मांगने की योजना बनाई तथा इस विषय में मोहम्मद इलियस अली से चर्चा की। तदनुसार, उसने दम्ब्रूधर बोराह को मांग पत्र सौंपा जिसमें दिनांक 20.10.2015 तक 30 रुपए की राशि मांगी गई थी। दिनांक 20.10.2015 को, पुलिस ने उसे पदमापुर देयोरी में उस समय पकड़ लिया जब वे मांगी गई धनराशि लेने के लिए आए थे। यह खुलासा किया गया कि मोहम्मद बाबुल अहमद उर्फ रोबी असोम उल्फा का सदस्य है। उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 /4 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/326/307/427 के अधीन उत्तरी लखीमपुर पुलिस थाने में मामला संख्या 519/2013 के संबंध में उत्तरी लखीमपुर शहर में बम धमाके की घटना के लिए गिरफ्तार किया गया।

(ii) दिनांक 28.11.2018 को, शिकायतकर्ता श्री नीलकंठ सोनोवाल, सहायक उप निरीक्षक, धालपुर ओपी ने एक लिखित इजहार प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 28.11.2018 को पूर्वाह्न 08.10 बजे सी/30 बटालियन, सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर ने फोन पर उन्हें सूचित किया कि उल्फा(आई) संगठन के झंडे से मिलते-जुलते एक झंडा धालपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान के गोल पोस्ट पर फहरता हुआ पाया गया। तदनुसार, कंपनी कमांडर, सीआरपीएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार, झंडे को पीओ में गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिया गया। यह संदेह है कि इस झंडे को आम लोगों में आतंक फैलाने के षड्यंत्र के भाग के रूप में उल्फा लिंकमैन या किसी अज्ञात अलगाववादी व्यक्तियों द्वारा टांगा गया था जो कि एक देश द्रोह का कृत्य है। .

शिकायतकर्ता सहायक उप निरीक्षक नीलकंठ सोनोवाल से प्राथमिकी (प्रदर्श. 817) प्राप्त होने पर, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121 के अधीन बिहपुरिया पुलिस थाने में मामला संख्या 761/2018 दर्ज किया गया।

जांच के दौरान, मामले के जांच अधिकारी ने श्री टी. थ्वांगलियानलाल जोउ, कंपनी कमांडर, सी/30 बटालियन सीआरपीएफ, जो धालपुर ओपी के कैंप में है, द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उल्फा के झंडों से मिलते-जुलते झंडे को उपलब्ध गवाहों की मौजूदगी में कब्जे में लिया है। जांच अधिकारी ने, शिकायतकर्ता तथा चौकी पर उपलब्ध जब्ती गवाहों; 1) श्री टी. थ्वांगलियानलाल जोउ पुत्र स्वर्गीय लिम्जाडोंग जोउ, सी/30 बटालियन सीआरपीएफ, कैंप धालपुर ओपी, पुलिस थाना- बिहपुरिया 2) श्रीमती जूनू बोरुआह हजारिका पत्नी स्वर्गीय प्रदीप हजारिका ग्राम- कछुआ, पुलिस थाना- बिहपुरिया और 3) श्री राजेन फुकन पुत्र निर्मल फुकन, ग्राम- कछुआ उरियमगुरी (धालपुर), पुलिस थान- बिहपुरिया के बयानों को भी दर्ज किया।

उन सभी ने यह कहा कि दिनांक 28.11.2018 को पूर्वाह्न लगभग 6.30 बजे सीआरपीएफ कार्मिक दिनांक 29.11.2018 को कम्प्यूटर वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अठाबारी प्लेग्राउंड को साफ कर रहे थे तो उन्होंने दक्षिण धालपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लेग्राउंड के गोल पोस्ट पर उल्फा के प्रतीक और एक आधे उगते सूर्य के चिन्ह वाले एक झंडे को फहरते हुए देखा। तदनुसार, शिकायतकर्ता ने बांस के पोस्ट तथा झंडे को ले लिया और उसे चौकी पर ले आया तथा उसे जांच अधिकारी द्वारा ओपी में कब्जे में ले लिया गया।

जांच अधिकारी ने मामले के संबंध में, पूछताछ के लिए निम्नलिखित संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। 1) श्री दिलीप बोरा 2) श्री प्रशांत बोराह 3) जुगल दास पुत्र कमल दास 4) श्री प्रवीण बोराह 5) श्री संजीव दोवाराह और 6) श्री पूर्णा गोगोई।

पूछताछ के दौरान, यह खुलासा हुआ कि दो संदिग्ध व्यक्तियों अर्थात पूर्णो गोगोई पुत्र श्री सोनाराम गोगोई, डिब्रूवालगांव तथा संजीव दोवाराह पुत्र श्री प्रफुल्ल दोवाराह, भीटोरडोलोनी गांव, बिहपुरिया को विगत में उल्फा के संदिग्ध लिंकमैन के रूप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किंतु उन्होंने मौजूदा मामले में अपनी भागीदारी से इंकार किया। इन दो संदिग्ध व्यक्तियों को चार अन्य संदिग्धों के साथ बाद में जांच अधिकारी द्वारा पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया।

30. श्री सुशांत बिश्व शर्मा, एपीएस, जो दिनांक 23.01.2019 से पुलिस अधीक्षक, गोलपाड़ा जिला, असम के रूप में कार्यरत हैं, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

(i) भारत की अखंडता और सौहार्द को नष्ट करने के उद्देश्य से हरिनाथ राभा उर्फ लांबू, तारीनिन पाथर, सेलापाड़ा पहाड़ के नेतृत्व में, उल्फा सदस्यों के एक समूह के कैंप होने के बारे में ओसी, क्रिष्णई पुलिस थाना को एक सूचना प्राप्त हुई। शीघ्र ही, शिकायतकर्ता ने कमांडो बटालियन के बल के साथ क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। लगभग पूर्वाह्न 9.00 बजे तलाशी दल उल्फा के कैंप पर पहुंचा और उसे घेर लिया। शीघ्र ही, उल्फा के उग्रवादी समूह ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्वरक्षा में पुलिस दल को उन पर जवाबी गोलीबारी करनी थी। गोलीबारी के समाप्त होने के बाद, कैंप से दो बैग, एक कंबल, बर्तन तथा कुछ कपड़े बरामद हुए और तदनुसार उनको जब्त कर लिया गया। बाद में, यह पुष्टि की गई कि यह उग्रवादी समूह उल्फा नेता दृष्टिराजखोआ उर्फ मनोज राभा के अनुदेशों के अनुसार, कार्य कर रहा था। इस संबंध में, मामला संख्या 35/16 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121/121A/122/124क/353/307 कृष्णई पुलिस थाना में दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। प्रदर्श 857 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो उल्फा के सदस्य हैं - i) हरिनाथ राभा उर्फ लांबू उर्फ अपारोय, पुत्र भूपेंद्र राभा, ग्राम- सेलापाड़ा, पुलिस थाना- कृष्णई और ii) सेनबाथ के संगमा उर्फ निनांकग, पुत्र बिलापसोन मोमिन, ग्राम- डोरांगटिप, पुलिस थाना- कृष्णई को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य की पुष्टि हो गई है।

जांच के पूरा होने के बाद, उक्त मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(A)/122/124(क)/353/307 के तहत कृष्णई पुलिस थाने में मामला संख्या 239/16 के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

(ii) दिनांक 08.01.2015 को, गुवाहाटी तथा गोलपाड़ा में गणतंत्र दिवस से पहले विघटनकारी गतिविधियां करने के लिए बोरझोरा गांव में 3-4 संदिग्ध उल्फा आतंकवादियों की आवाजाही और उनके छिपे होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर गोलापाड़ा के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अपराह्न 0200 बजे सप्लेंगकाटा गांव में एक घने जंगल के बीच पहाड़ की चोटी में छिपने के स्थान का पता चला और उसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी की गई। उस समय 3 से 4 संदिग्ध उल्फा काडरों ने पुलिस तलाशी दल का सामना किया। जब पुलिस दल ने उनको पहचान के लिए रुकने को कहा तो उन लोगों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की। स्वरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। एक दूसरे के बीच गोलीबारी के दौरान दो काडर भाग खड़े हुए और जब गोलीबारी बंद हो गई तो स्थान की तलाशी ली गई। पीओ में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति 7.65 एमएम पिस्टल और सात राउंड जिंदा कारतूस तथा कुछ अन्य लेख बरामद किए। घायल को तुरंत अगिया पीएचसी भेजा गया जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसे मृत लाया हुआ घोषित किया। मृत की पहचान स्रोत द्वारा उल्फा निर्देश असोम उर्फ कोनोक राभा, गांव- बामुनडांगा, लखीमपुर पुलिस थाना के एसएएल/सीपीआई के रूप में की गई। क्षेत्र की तलाशी के दौरान, 7 राउंड खाला 9 एमएम वाले गोलाबारूद, 6 राउंड एके-47 गोलाबारूद, 6 मोबाइल हैंडसेट, 12 सिमकार्ड बरामद किए गए। मृत शरीर पर इन्क्वेस्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा

किया गया तथा उसके बाद मृत शरीर को पोस्टमार्टम जांच के लिए सिविल अस्पताल गोलापाड़ा भेज दिया गया। इस संबंध में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121/121क/353/307 के अधीन अगिया पुलिस थाने में एक मामला संख्या 06/2015 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और कुछ गवाहों से पूछताछ की। इन बयानों के आधार पर, एक दूसरे के बीच गोलीबारी की घटना तथा अभियुक्त/मृत उल्फा सदस्य की पहचान की जा सकी। समुचित जांच के बाद, दिनांक 12.11.2018 को मामले को अगिया पुलिस थाने के एफआर नंबर 87/18 के तहत एफआर में वापस कर दिया गया। .

(iii) दिनांक 05.04.2016 को, ओ/सी कृष्णई पुलिस थाना ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 05.04.2016 को, ओसी, कृष्णई पुलिस थाना के नेतृत्व में असम पुलिस कमांडों तथा सुरक्षा बल कार्मिक की एक टीम खुफिया जानकारी पर कार्य करते हुए जिरागारो बस्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया। जब दोपहर लगभग 1 बजे तलाशी चल रही थी तो दल ने बंद दरवाजे वाले एक मकान को घेर लिया। टीम ने जब यह पूछा कि क्या मकान के अंदर कोई है, तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार कांस्टेबल नंबर 202 स्वपन नाथ, कमांडो बटालियन ने दरवाजे पर धक्का मारा और अंदर चला गया। उस समय मकान के अंदर संदिग्ध हथियार से लैस उल्फा उग्रवादी थे। जिन्होंने कांस्टेबल स्वपन नाथ को देखकर गोली चला दी। कांस्टेबल स्वपन नाथ ने, तुरंत ही अपने सर्विस एके-47 राइफल से जवाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ के दौरान, कांस्टेबल स्वपन नाथ को गोली लगी और वह वहीं गिर पड़े। संदिग्ध उल्फा काडरों ने पुलिस तथा सुरक्षा बल दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस ने भी जवाब में अपने सर्विस हथियारों से गोली चलाई। एक संदिग्ध उल्फा काडर को गोली लगी और वह घायल हुआ तथा दो काडर पेड़ पौधों की आड़ में भाग निकलने में सफल रहे। जब गोलीबारी रुकी तो पुलिस /सुरक्षा बल दल ने मकान की तलाशी ली तथा मृत कांस्टेबल स्वपन नाथ तथा एक अज्ञात आतंकवादी के शव को प्राप्त किया। पुलिस /सुरक्षा बल ने 36 ग्रेनेड, 03 पिस्तौल और उनके साथ 19 राउंड गोलाबारूद, एम20 पिस्तौल का खाली मैग्जीन, 02 एके-56 खाली मैग्जीन, 01 एके-47 के 21 राउंड जिंदा गोलाबारूद, 05 डेटोनेटर सेट, 21 राउंउ खाली कारतूस, 02 राउंड 7.65 जिंदा गोलाबारूद, 02 रिमोट कंट्रोल डिवाइस, जिसका प्रयोग आईईडी के विस्फोट के लिए किया गया था, 05 मोबाइल हैंडसेट, 24 बैटरी, 02 टॉर्च लाइट, 04 बांग्लादेश के सिम कार्ड (आरओबीआई प्रीपेड), उल्फा से संबंधित अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज आदि बरामद किए। यह भी आरोप है कि एक सर्विस एके-47 राइफल तथा एक मैग्जीन गोलाबारूद के साथ घटना में खो गया। शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक, गोलपाड़ा एएसपी (मुख्यालय) गोलपाड़ा डीआईजी डब्ल्यू.आर. बोंगईगांव, कमांडेंट 6/5 जीआर, सेना तथा कमांडेंट, 152 बटालियन सीआपीएफ घटनास्थल पर पहुंचे और भाग खड़े हुए आतंकवादियों की तलाशी में असम पुलिस तथा नॉर्थ गारो हिल्स पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गहन तलाशी अभियान चलाया गया।

घटना के संबंध में, कृष्णई पुलिस थाने में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27, ईएस अधिनियम की धारा 4/5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121/121क/122/353/307/302/34 के अधीन मामला संख्या 99/2016 दर्ज किया गया और जांच की गई। प्रदर्श 884 प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति है। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने सेफ्टी चाबी के साथ डेटोनेटर से युक्त एक 36 जिंदा ग्रेनेड, एक 7.65 एमएम पिस्तौल जिसके साथ मैग्जीन और 02 जिंदा गोलाबारूद था, मैग्जीन के साथ 9 एमएम पिस्तौल और 10 आरडी जिंदा गोलाबारूद, 21 जिंदा गोलाबारूदों के साथ एके मैग्जीन और अपराध में प्रयोग किए जाने वाली कुछ अन्य वस्तुएं जब्त कीं जिनका ब्यौरा जब्ती सूची में दिया गया है। प्रदर्श 886, 887 और 888 जब्ती सूची की प्रमाणित प्रति हैं।

जांच के दौरान, पुलिस ने अभियुक्त हरिनाथ राभा उर्फ लांबू उर्फ अपोरोय, पुत्र भुपने राभा, गांव सेलापाड़ा, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला गोलपाड़ा (असम) तथा सेनबाथ के मारक उर्फ निनांग, पुत्र श्री बिलापसोन मोमिन, गांव डोरांगटिप, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला गोलापाड़ा (असम) को गिरफ्तार किया जो उल्फा के सदस्य हैं।

जांच के दौरान यह पाया गया कि जांच अधिकारी द्वारा संग्रह की गई पर्याप्त सामग्री हैं जो अपराध करने में उल्फा के सदस्यों की संलिप्तता तथा गोलपाड़ा के लोगों में आतंकवादी गतिविधियां फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध छेड़ने के उनके इरादे को दर्शाता है। जांच के पूरा होने के बाद, अभियुक्तों अर्थात् हरिनाथ राभा उर्फ लांबू उर्फ अपोरोय, पुत्र भुपने राभा, गांव सेलापाड़ा, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला गोलपाड़ा (असम) तथा सेनबाथ के मारक उर्फ निनांग, पुत्र श्री बिलापसोन

मोमिन, गांव डोरांगटिप, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला गोलापाड़ा (असम) के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए जो उल्फा के सदस्य हैं। यह आरोप पत्र संख्या ULFA 43/2018, दिनांक 2.04.2018 को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27, ईएस अधिनियम की धारा 4/5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121/121क/122/353/307/302/34 के अधीन दाखिल किया गया था।

(iv) दिनांक 04.04.2016 को, सूचना देने वाले उप निरीक्षक हमिदुल रहमान, दुधनोई पुलिस थाना ने, एक प्राथमिकी (प्रदर्श 905) दर्ज करवाई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 04.04.2016 को अपराह्न लगभग 7.20 बजे दुधनोई चरियाली में एक आईईडी धमाका हुआ जहां 29 लोग घायल हो गए जिनमें से दो व्यक्तियों अर्थात बापन शाहा और अजीत दत्ता की दुधनोई एफआरयू और गोलपाड़ा सिविल अस्पताल में मृत्यु हो गई। घायल व्यक्तियों को गोलपाड़ा सिविल अस्पताल भेजा गया। एक उप निरीक्षक राजेंद्र तालुकदार, हेड कांस्टेबल सेलेश तिवारी, यूबीसी 90 गणेश दास तथा एचजी जादूमणी नाथ धमाके में घायल हुए थे जो दुधनोई चरियाली ट्रैफिक प्वाइंट पर ड्यूटी पर थे। इस धमाके में उल्फा की भूमिका होने का संदेह था। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के प्रयास में व्यक्तियों का एक समूह हथियार, गोलाबारूद एकत्र करता रहा है और कुछ समूह यूनाइटेड लिब्रिशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) नाम संगठन के सदस्यों द्वारा युद्ध छेड़ने के कार्य को सुगम बना रहे थे। यह भी आरोप है कि ऐसे व्यक्ति सामान्यतया गोलपाड़ा जिले में और विशेषकर दुधनोई क्षेत्र में फिरौती के लिए अपहरण के कार्य को सुगम बनाते रहे हैं।

इस घटना के संबंध में, दुधनोई पुलिस थाने में ईएस अधिनियम की धारा 3/4/5 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 121 क/122/124क/353/307/302 के तहत मामला संख्या 44/2016 दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही है। जाचं के दौरान, जांच अधिकारी ने अच्छी खासी संख्या में जब्ती की है जिनका ब्यौरा जब्ती सूची में दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि घटना के दिन धमाके के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों अर्थात बपन शाहा और अजीत दत्ता की मृत्यु हो गई थी। बाद में, उपचार के दौरान दो और व्यक्तियें, जो उसी धमाके में घायल हुए थे, अर्थात महंत दास और दिपांकर शाहा की मृत्यु हो गई। शवों का इन्क्वेस्ट किया गया और उनको पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा गया। जांच अधिकारी ने 12 घायल रिपोर्टें प्राप्त कीं। जाचं अधिकारी ने इस घटना के संबंध में घायल व्यक्तियों तथा कुछ गवाहों से पूछताछ की।

जांच के दौरान, घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस, असम काहिलीपाडा, के निदेशक गुवाहाटी आए थे और मौके पर आने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे यह पता चला है कि विस्फोट के स्थान पर एक शक्तिशाली आईईडी का विस्फोट कराया गया तथा आईईडी को इलेक्ट्रिक पोल के पीछे पगडंडी के बगल में रखा गया था।

आगे जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने i) पूर्णा राभा उर्फ पूर्णा संगमा, पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर राभा, गांव- थापा डांगरी, पुलिस थाना- मेंदीपाथर, नॉथ गारो हिल्स, मेघायल ii) मुकुंद राभा, पुत्र भुपेन राभा, गांव- सीतुकोना, पुलिस थाना- मेंदीपाथर, नॉर्थ गारो हिल्स iii) अपूर्बा राभा, पुत्र खगेंद्र राभा, गांव- सीतुकोना, पुलिस थाना- मेंदीपाथर, नॉर्थ गारो हिल्स iv) नरेश्वर राभा उर्फ तलत, पुत्र भरत राभा, गांव- सीतुकोना, पुलिस थाना- मेंदीपाथर, नॉर्थ गारो हिल्स v) फरिनाथ राभा उर्फ अपरोल राभा उर्फ हरि काला उर्फ लांबू, पुत्र भुपेन राभा, गांव चीलपाड़ा, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला- असम vi) सेंगबार्थ के. मारक उर्फ निंगन उर्फ लेंगरा, पुत्र ओलिपसोन मोमिन, गांव- टोरोंगथोप, पुलिस थाना- कृष्णई, vii) खगेन रे उर्फ पाथन असोम उर्फ अनिल, पुत्र स्वर्गीय टिकेन चंद्र रे, गांव- कलितापाड़ा, बकियाटारे, पुलिस थाना-मटिया, जिला- गोलपाड़ा (असम) को गिरफ्तार किया और उनके बयान को दर्ज किया। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्णा राभा उर्फ पूर्णा संगमा जो उल्फा का सदस्य था, ने जांच अधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि वह उल्फा के सदस्य फरिनाथ राभा उर्फ अपरोल राभा उर्फ हरि काला उर्फ लांबू, पुत्र भुपेन राभा, गांव चीलपाड़ा, पुलिस थाना- कृष्णई, जिला- असम को जानता था और उसका प्रशिक्षण बांग्लादेश में हुआ था। उसने उसे दुधनोई पुलिस थाना के निकट बम रखने के लिए कहा था। बम स्कूल बैग में रखा गया था और जब उसने बम को रखने से इंकार कर दिया तो उसने पूर्णा राभा से यह अनुरोध किया कि वह इस मामले का खुलासा पुलिस को न करे तथा उसने फिल्ड में अजमल नामक एक व्यक्ति को बुलाया तथा उसके पहुंचने पर उसे बैग सौंप दिया गया। बम वाले बैग को सौंपने के चार दिन बाद दुधनोई में धमाका हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान से यह पुष्टि हुई कि बम धमाके की घटना गोलपाड़ा के लोगों में आतंक फैलाकर भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से उल्फा कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। तथापि, मामला अभी लंबित है क्योंकि कुछ अभियुक्त फरार हैं।

(31) श्री आनंद मिश्रा, आईपीएस, जो इस समय दिनांक 23 जनवरी, 2019 से चराइदेव जिला, असम में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

(i) दिनांक 02.02.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे, शिकायतकर्ता उप निरीक्षक नरेंद्र नाथ बारिक, ओ/सी, सापेखाटी पुलिस थाना, ने इस पुलिस थाने में एक इजहार दाखिल किया (प्रदर्श 950) जिसमें कहा गया है कि दिनांक 31.01.2018 को अपराह्न लगभग 09:05 बजे उल्फा(आई) काडर के संदिग्ध दो सशस्त्र उपद्रवी सापेखाटी टीई फैक्ट्री के गेट के पास आए और एक बड़ा बैग फैक्ट्री गेट पर तैनात चौकीदार को यह निदेश देते हुए दिया कि इसे फैक्ट्री के परिसर के अंदर रख दिया जाए। किंतु चौकीदार ने बैग को पास के धान के खेत में फेंक दिया और फैक्ट्री की ओर भाग गया। कुछ समय बाद, उपद्रवियों ने सापेखाटी टीई फैक्ट्री और कार्यालय पर निशाना साधते हुए लगभग 20/30 राउंड गोलियां चलाईं। कुछ राउंड गोलियां ऑफिस और फैक्ट्री में आकर लगीं किंतु कोई हताहत नहीं हुआ। घटनास्थल और पास के क्षेत्र की तलाशी के दौरान, 16 राउंड खाली खोखे तथा एके सीरीज का एक जिंदा कारतूस बारामद किया गया और जब्त कर लिया गया। पीओ के निकट के स्थान से आईईडी से भरा एक बैग भी बरामद किया गया तथा बम विशेषज्ञ द्वारा इसे निष्क्रिय कराने के बाद इसे जब्त कर लिया गया। विश्वसनीय स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि उल्फा(आई) काडर गणेश लाहोन लंबे समय से कानूबारी चाय बागान प्रबंधन से बड़ी धनाशि की मांग कर रहा था। किंतु कोई भुगतान नहीं किया गया था। इसके लिए प्रतिबंधित उल्फा(आई) के गणेश लाहोन के निर्देश के अनुसार उक्त कार्रवाई उसके सहयोगी अर्थात श्री अपूर्वा गोगोई, तुपिधर गोगोई और अन्य द्वारा की गई थी। विश्वसनीय स्रोतों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ उल्फा(आई) काडर सापेखाटी पुलिस थाना क्षेत्र के अधीन विभिन्न कारोबारियों से धनराशि की मांग कर रहे हैं।

जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और स्केच मैप बनाया। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ की।
2. जांच अधिकारी ने 16 राउंड खाली कारतूस तथा एक राउंड जिंदा कारतूस जिनके एके सीरीज का होने का संदेह है, एक आईईडी बम जिसका वजन लगभग 500 ग्राम था, एक हल्के हरे रंग का प्लास्टिक केरी बैग को जब्त किया।
3. दोषियों के पकड़ने के उद्देश्य से सेना, सीआरपीएफ की मदद से असम-अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्र को कवर करते हुए संपूर्ण क्षेत्र की तलाशी ली लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ।
4. जांच अधिकारी ने विशेषज्ञ की राय के लिए जब्त किए गए प्रदर्शों को प्रथम एपी बटालियन, लिगिरीपुखिरी, नाजिरा, शिवसागर को भेजा तथा रिपोर्ट प्राप्त की। विशेषज्ञ ने राय दी कि "प्रदर्श-"क" अर्थात 16 राउंड खाली कारतूस बोर 7.62 एमएम X 39, प्रदर्श-"ख" अर्थात एक राउंड जिंदा गोलाबारूद तथा 7.62 एमएम X 39 है और यह प्रदर्श -"क" से मिलता जुलता है। .
5. जांच अधिकारी ने विशेषज्ञ की सहायता से जब्त किए गए आईईडी बम को निष्क्रिय किया और नष्ट किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

(ii) दिनांक 24.04.2018 को शिकायतकर्ता उप निरीक्षक नरेंद्र नाथ बारिक, सापेखाटी पुलिस थाना ने एक प्राथमिकी (प्रदर्श 988) उसी थाने में दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 23.04.2018 को अपराह्न लगभग 8:10 बजे कुछ संदिग्ध उल्फा(आई) काडरों ने ब्रम्हपुत्र ईंधन केंद्र, सापेखाटी पर गोली चला दी तथा ग्रेनेड भी फेंक दिया। सूचना प्राप्त होने पर, सुरक्षा कार्मिकों ने उपद्रवियों का पीछा करना शुरू किया तथा उक्त क्षेत्र में तलाशी अभियान और नाका जांच की। उस समय 6/7 संदिग्ध उल्फा(आई) काडरों ने कानूबारी फैक्ट्री के निकट सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जांच के दौरान यह पता चला कि उल्फा(आई) काडर गणेश लाहोन के निदेश के अनुसार उसके सहयोगियों अपूर्वा गोगोई, तुपिधर गोगोई तथा अन्य ने अपराध किए।

जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसक स्केच मैप बनाया। जांच अधिकारी ने चीन में बने एक ग्रेनेड को भी बरामद किया तथा उसे जब्त कर लिया।
2. जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ की तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयानों को दर्ज किया।

3. जांच अधिकारी ने उल्फा(आई) काडरों अर्थात (क) श्री निर्मल खाकलारी उर्फ निर्मल असोम, पुत्र श्री रूपेन खाकलारी, सारूपाथर गांव, पुलिस थाना- सोनारी, जिला- चरियादेव तथा (ख) श्री बिजीत कोनवार, पुत्र श्री दम्ब्रूधर कोनवार, बाहलहाबी गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी, जिला- चराइदेव को गिरफ्तार किया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

4. जांच अधिकारी ने 05 खाली कारतूस, एक एके-56 राइफल और साथ में एक मैग्जीन तथा एक एमक्यू-81 असॉल्ट राइफल मैग्जीन के साथ, 78 राउंड जिंदा गोलाबारूद, एक चीनी ग्रेनेड, 03 आईईडी, 7 सर्किट, 3 डेटोनेटर, 9 वोल्ट वाली तीन बैटरी, एक रिमोट कंट्रोल तथा एक मैग्जीन पोस्ट को बरामद किया तथा उनको विधिवत रूप से जब्त कर लिया।

5. जांच अधिकारी ने जब्त प्रदर्शों अर्थात एक एमक्यू-81 असॉल्ट राइफल, 2 मैग्जीन, 4 राउंड गोलाबारूद, एक एके-56 राइफल, एक मैग्जीन, 5 राउंड गोलाबारूद, 5 राउंड खाली कारतूस तथा 2 राउंड जिंदा गोलाबारूद को विशेषज्ञ जांच के लिए भेजा तथा उनकी राय संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की। पहली एपी बटालियन लिगीरीपुखुरी, नाजिरा के हेड आर्मर ने राय दी कि "एकक्यू-81 राइफल् तथा एके-56 फैक्ट्री मेड हैं और ये सर्विसेबल हैं, ये लोगों को मार सकती हैं। दोनों मैग्जीन उपयोग किए जाने योग्य हैं तथा जब्त किए गए सर्विसेबल जिंदा गोलाबारूद फैक्ट्री मेड हैं और सर्विसेबल हैं।"

6. जांच अधिकारी ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आईईडी को निष्क्रिय कराया तथा नष्ट किए जाने संबंधी प्रामाण-पत्र प्राप्त किया।

(iii) दिनांक 21/11/2018 को शिकायतकर्ता सुश्री मोनिमा बरुआह, पत्नी श्री नुमल चंद्र बरुआह, टिमोन हाबी चाय बागान, पुलिस थाना- बोरहाट, जिला- चराइदेव (असम) ने बोरहाट पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1042) करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसके पति का अपहरण दिनांक 20/11/2018 को अपराह्न लगभग 7:35 बजे सशस्त्र उपद्रवियों के एक समूह द्वारा किया गया था। बोरहाट पुलिस थाने में प्राथमिकी के आधार पर आईपीसी की धारा 265 के अंतर्गत मामला संख्या 54/2018 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई। दिनांक 11/01/2019 को श्री नुमल चौधरी बरुआह को प्रतिबंधित उल्फा(आई) काडर द्वारा नागालैंड के मोन जिले में छोड़ दिया गया। नए खुलासे के आधार पर, आईपीसी की धारा 387 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा10/13 को मामले में जोड़ा गया। उसके उपरांत, आगे की जांच के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि श्री नूमल चौधरी बरुआह का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। अंतत: आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-क) तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 17/18 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/364(क) को जोड़ा गया है और मामले की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसक स्केच मैप बनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता तथा गवाहों से भी पूछताछ की।

2. जांच अधिकारी को निरीक्षक दिपांत फुकन, ओ/सी सेनारी पुलिस थाना से यह ज्ञात हुआ कि कोई श्री नित्यानंद दत्ता, पुत्र श्री जयराम दत्ता, थुपुबिल, पुलिस थाना- सोनारी, जिला- चराइदेव (असम) ने उल्फा(आई) काडर अर्थात स्वदेश असोम उर्फ बिनंदा दोहुतिया को फिरौती की राशि सौंपी। .

3. श्री नित्यानंद दत्ता से पूछताछ की गई और उसने कहा कि उसे उल्फा(आई) अरुणोदय असोम उर्फ दोहुतिया के अनुदेश के अनुसार, फिरौती की राशि मिली थी और उसने यह राशि स्वदेश असोम उर्फ बिनंदा दोहुतिया को सौंप दिया था।

4. स्वदेश असोम बिनंदा दोहुतिया दिनांक 18/06/2019 के एनआईए मामला संख्या आरसी-09/2018/एनआईए/जीओडब्ल्यू/483 के संबंध में गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में था। माननीय एडीजेएम, चराइदेव, सोनारी न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट को प्रस्तुत करने के आधार पर स्वदेश असोम उर्फ बिनंदा दोहुतिया को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. स्वतंत्र गवाहों के सामने जांच के दौरान, की गई अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया में श्री नित्यानंद दत्ता ने स्वदेश असोम उर्फ बिनंदा दोहुतिया की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसको उन्होंने फेंनेंग बस्ती, मार्गेरीता,

तिनसुकिया में फिरौती राशि सौंप दी। स्वदेश असोम उर्फ बिनंदा दोहुतिया ने गवाहों के सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने इसको उल्फा(आई) के काडर अरुणोदय असोम उर्फ अरुणोदय दोहुतिया के अनुदेश के अनुसार प्राप्त किया।

6. जांच के दौरान, श्री नित्यानंद दत्ता ने यह भी खुलासा किया कि उसने मोरनहाट में फिरौती की राशि प्राप्त् करने के बाद एक मोबाइल हैंडसेट खरीदा था। उसके बाद क्रम संख्या 6301 से 6400 क्रम संख्या वाले कैश मेमो बुक साईं इलेक्ट्रोनिक्स, गरुडिया भवन, एटी रोड, मोरनहाट, जिला- डिब्रूगढ़ (असम) से जब्त किया गया था। क्रम संख्या 6366 का उपयोग श्री नित्यानंद दत्ता को मोबाइल फोन की बिक्री के समय किया गया था।

7. श्री देबा गोगोई, पुत्र स्वर्गीय टीलू गोगोई, खरियाभेटा बरुआह नगर, पुलिस थाना- बोरहाटा, जिला- चराइदेव (असम) से पूछताछ की गई और उन्होंने कहा कि उल्फा(आई) काडर ने सुश्री मोनिमा बरुआह (शिकायतकर्ता) से फोन पर श्री नुमल चौधरी बरुआह के अपहरण के बाद बातचीत की। .

8. जांच अधिकारी को पता चला कि आत्मसमर्पण करने वाले उल्फा(आई) काडर श्री शशांक नाथ उर्फ ज्ञान ज्योति असोमस, पुलिस थाना- कोलईगांव, जिला- उदलगुरी (असम) को श्री नुमल चौधरी बरुआह का अपहरण करने वाले व्यक्तियों के बारे में बहुत कुछ पता है। श्री शशांक नाथ उर्फ ज्ञान ज्योति असोम से पूछताछ की गई और उसने कहा कि उल्फा(आई) काडर (i) जिंतु कोटोकी, पुत्र श्री हेमो कोटोकी, कचारीपाथर गांव, बोरहाट पुलिस थाना (ii) दिप्तो असोम उर्फ सामांत गोगोई उर्फ मैना, पुत्र श्री हेमा कांत गोगोई, हलुआ, चराईपुंज पुलिस थाना (iii) आरोहण असोम उर्फ अपूर्वा गोगोई, पुत्र श्री रोबिन गोगोई, तराई, सापेखाटी पुलिस थाना (iv) उदिप्तो असोम उर्फ तुपिधर गोगोई, पुत्र श्री नरेंद्र गोगोई, तराई, सापेखाटी पुलिस थाना तथा (v) दिब्य असोम उर्फ दीपक हातीबरुआह, पुत्र देबेन हातीबरुआह, 2 नं. टोकोनी, पुलिस थाना डिग्बोई, जिला तिनसुकिया इस अपहरण में शामिल थे।

9. श्री शशांक नाथ उर्फ ज्ञानज्योति असोम के बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के तहत दर्ज किया गया।

10. उदिप्तो असोम उर्फ तुपिधर गोगोई को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

11. उल्फा(आई) काडर दिप्तो असोम उर्फ सामांत गोगोई उर्फ मैना और आरोहण असोम उर्फ अपूर्वा गोगोई को भी जल्द ही इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उनको सापेखाटी पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा10/13 और ईएस अधिनियम की धारा 5 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/123/124क/212 के अधीन मामला संख्या 37/2020 के संबंध में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

(iv) दिनांक 15.08.2016 को शिकायतकर्ता श्री नारायण दोवाराह, पुत्र स्वर्गीय सुरेन दोवाराह, चारीमुठिया गांव, पुलिस थाना- मथुरापुर, जिला- चराइदेव (असम) ने मथुरापुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1118) दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसी दिन अर्थात 15/08/2016 को पूर्वाह्न लगभग 7 बजे गरियापाथर को जोड़ने वाली सड़के के किनारे पथालीगढ़ चरियाली के निकट एक बम धमाक हुआ। धमाके की आवाज सुनकर शिकायतकर्ता घटनास्थल रवाना हो गए और उन्होंने धमाके से लगभग 1 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा खाई देखा। जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसका स्केच मैप बनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता तथा गवाहों से भी पूछताछ की।

2. जांच अधिकारी ने धातु के 04 टुकड़े, जिनके क्षतिग्रस्त पेंसिल बैट्री होने का संदेह था, तथा लगभग 1 किलाग्राम आईईडी ब्लास्टिंग स्वाइल को गवाहों की मौजूदगी में जब्ती ज्ञापन तैयार करके घटनास्थल से जब्त किया।

3. जांच अधिकारी ने जब्त किए गए प्रदर्शों को जांच के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चराइदेव के माध्यम से दिनांक 06/09/2016 के ज्ञापन संख्या एसपी/सीआरडी/एसएनआर/16/920-22 के तहत एफएसएल, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी को भेज दिया।

(v) दिनांक 26/01/2017 को शिकायतकर्ता श्री बिजोय दोवाराह, ओ/सी मथुरापुर पुलिस थाना ने इस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1141) दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसी दिन पूर्वाह्न लगभग 8:00 बजे पानीजान में एक साथ दो धमाके क्रमश: इसार पैट्रोलपंप और लंगीबार तिनियाली के बगल में हुआ। इस संबंध में, शिकायतकर्ता तुरंत ही दोनों घटनास्थलों पर पहुंचे। यह ज्ञात हुआ कि दोनों धमाके आईईडी विस्फोट थे। प्रारंभिक जांच के दौरान और विश्वसनीय सूचना के आधार पर यह बात सामने आई कि प्रतिबंधित उल्फा(आई) के सदस्य काडर गणेश लाहोन, पंकज मालिया तथा संगठन के अन्य लिंकमैन अपराध की घटना में शामिल थे। जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसका स्केच मैप बनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता तथा गवाहों से भी पूछताछ की।
2. जांच अधिकारी ने एक मोबाइल हैंडसेट जिसका आईईएमआई नं. क्रमश: 356490063063880 और 356490063063898 थे, तथा लगभग 1 किलोग्राम आईईडी ब्लास्टिंग स्वाइल घटनास्थल से जब्त किया।
3. जांच अधिकारी ने अभियुक्तों अर्थात् (i) श्री बिपुल सैकिया उर्फ नित्या, पुत्र कमल सैकिया, टिपोमिया गांव, पुलिस थाना- सिमालुगुड़ी, जिला- शिवसागर (ii) श्री वांगखा कोन्यक, पुत्र स्वर्गीय टोनवांज कोन्यक, नामथई, पुलिस थाना- नागिनीमोरा, जिला- मोन (नागालैंड) तथा (iii) श्री मनफा कोन्यक, पुत्र स्वर्गीय वानज्योन कोन्यक, ओटिंग तिरु बस्ती, पुलिस थाना- नागिनीमोरा, जिला- मोन (नागालैंड) के गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
4. जांच अधिकारी ने जब्त किए गए प्रदर्शों को जांच और विशेषज्ञ राय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चराइदेव के माध्यम से दिनांक 03/02/2017 के ज्ञापन संख्या एसपी/सीआरडी/एसएनआर/17/75-77 के तहत एफएसएल, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी को भेज दिया तथा विशेषज्ञ संबंधी रिपोर्ट भी प्राप्त की इस रिपोर्ट के अनुसार, "प्रदर्श "क" और "ख" में टीएनटी एवं एनजी-एनसी की मात्रा है जो अत्यधिक विस्फोटक माने जाते हैं।"

(vi) दिनांक 28/05/2017 को शिकायतकर्ता श्री बितुल चलीहा, असम गैस कंपनी लिमिटेड, बोरमथुरापुर शाखा ने सोनारी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1176) दर्ज करवाई जिसमें जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 27/05/2017 को अपराह्न लगभग 07:45 बजे अदियोबारी तथा अदियोपुखुरी की गैस पाइपलाइन के पास के क्षेत्र में एक धमाका हुआ। जांच के दौरान, निम्नलिखित कदम उठाए गए -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसका स्केच मैप बनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता और गवाहों के से भी पूछताछ की।
2. जांच अधिकारी ने गवाहों की मौजूदगी में जब्ती ज्ञापन तैयार करके घटनास्थल से टूटे हुए गैस पाइप के दो टुकड़े तथा नारियल की रस्सी के एक टुकड़े को जब्त किया।
3. जांच अधिकारी ने इस मामले के संबंध में उल्फा(आई) काडर पुतुल असोम उर्फ देबाजीत गोगोई उर्फ मदन, पुत्र श्री तिलक गोगोई, 1 नंबर हाओफाओ, सोनारी- पुलिस थानाको गिरफ्तार किया।

(vii) मामले का ब्यौरा: दिनांक 26/01/2020 को अपराह्न 06:55 बजे शिकायतकर्ता उप निरक्षक नितुल सोनोवाल, आई/सी, तिंगालिबाम पुलिस चौकी, पुलिस थाना- सोनारी, जिला- चराइदेव (असम) ने सोनारी पुलिस थाने में एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श. 1191) दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसी दिन पूर्वाह्न लगभग 8:05 बजे तियोघाट की ओर से धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद शिकायतकर्ता अपने ओपी स्टाफ के साथ तियोघाट गए और देखा कि एक बम धमाका मोहम्मद मिलिक अली की दुकान के सामने हुआ है। शिकायतकर्ता को संदेह था कि प्रतिबंधित संगठन उल्फा(आई) ने गणतंत्र दिवस 2020 के विरोध में बम धमाका किया था। उक्त प्रतिबंधित संगठन अवैध रूप से भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहा है और जानकारी यह भी मिली कि उक्त प्रतिबंधित संगठन से धमाके की जिम्मेदारी ली है। जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसका स्केच मैप बनाया। उन्होंने शिकायतकर्ता और गवाहों के से भी पूछताछ की तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयानों को दर्ज किया।

2. जांच अधिकारी ने घटनास्थल से कुछ मिट्टी, वृक्ष के छालें और धमाके के कई टुकड़े जब्त किए।

3. जांच अधिकारी ने नायब सूबेदार रामसिंह राउत, 244 फील्ड रेजिमेंट, सापेखाटी सीओबी, द्वारा तैयार किए गए एक मूल जब्ती ज्ञापन, 01 5.56 एचके- 33 असॉल्ट राइफल, 02 एचके- 33 मैग्जीन, 30 राउंड 5.56 गोलाबारूद, उल्फ(I) के 02 बैज जब्त किए। .

4. जांच अधिकारी ने उल्फा(आई) के काडर (1) श्री मानस पतमौत उर्फ बास्ताब असोम (2) चाओ लाखी लोंगनो उर्फ रुबुल असोम तथा सहयोगी (3) श्री हेमंत बोरुआह उर्फ रोटे, पुत्र श्री सत्यन बोरुआह, कानूबारी बलिजान ग्रांट, पुलिस थाना- सोनारी (4) श्री सुमेश्वर सैकिया, पुत्र तुकांत सैकिया, सारुपाथर गांव, पुलिस थाना- सोनारी, (5) श्रीमती पुनिमा सैकिया, पत्नी– स्वर्गीय सुभन सैकिया, धनियापाथर गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी (6) श्री बिश्वरजीत सैकिया, पुत्र स्वर्गीय सुभान सैकिया, धनियापाथर गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी (7) श्री मिंटू चांगमई, पुत्र श्री जुराम चांगमई, अतलपाथर गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी (8) श्री नोबिन गोगोई, पुत्र श्री तिलेश्वर गोगोई, तैरई गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी (9) श्री उत्पल चेतिया उर्फ बाका, पुत्र श्री सुरेन चेतिया, कानुबारी बालीजान ग्रांट, पुलिस थाना- सोनारी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

5. जांच अधिकारी ने जब्त किए गए प्रदर्शों अर्थात जब्त की गई मिट्टी और धमाके में प्राप्त टुकड़ों को जांच के लिए एफएसएल, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी को भेज दिया है।

(viii) दिनांक 23/04/2020 को शिकायतकर्ता उप निरीक्षक दिनेश डोले, ओ/सी सापेखाटी पुलिस थाना ने इस पुलिस थाने में एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श. 1225) दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 22.04.2020 को अपराह्न लगभग 5:30 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उल्फा(आई) के 5/6 काडरों का एक समूह ने असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सीमा के पास सापेखाटी पुलिस थाने के अधीन तैरई और चाटियोनागुरी गांव में स्वयं को बंद कर लिया है। यह सूचना उच्च प्राधिकारियों को दी गई और शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक, चराइदेव, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), चराइदेव, एसडीपीओ सोनारी, 244 फील्ड रेजिमेंट, कैंप सापेखाटी के सैन्य कर्मियों की एक टीम तथा सापेखाटी पुलिस थाने के स्टाफ ने तैरई और चाटियानागुरी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कट्टर उल्फा(आई) उग्रवादियों अर्थात (1) श्री अपूर्बा गोगोई उर्फ आरोहण असोम (28 वर्ष), पुत्र श्री रोबिन गोगोई, तैरई गांव, पुलिस थाना- सापेखाटी, जिला-चरईदेब (असम), (2) श्री जुगेन गोगाई उर्फ बिराज असोम (28 वर्ष), पुत्र श्री धीरेन गोगोकई, डफाला गांव, पुलिस थाना- बोराहाट, जिला- चरईदेब (असम), (3) श्री सिद्धार्थ गोगोई उर्फ चिन्मय असोम (21 वर्ष), पुत्र श्री सोनाबार गोगोई, सारुपाथर गांव, पुलिस थाना- सोनारी, जिला- चरईदेब (असम), (4) श्री लख्यजीत गोगोई उर्फ ध्रुबा असोम (28 वर्ष), पुत्र श्री दिम्बेश्वर गोगोई, बोरबाम डंगालपाड़ा, पुलिस थाना- टिंगखोंग, जिला- डिब्रूगड़ (असम) (5) श्री श्यामांत गोगोई उर्फ दिप्तो असोम (30 वर्ष), पुत्र श्री हेमाकांत गोगोई, मध्य हलुआ, पुलिस थाना- चारीपुंग, जिला- चरईदेब (असम) को पकड़ा गया। पूछताछ किए जाने पर और उनके द्वारा अगुवाई किए जाने और दिखाए जाने पर (i) 3 एमक्यकू-81 असॉल्ट राइफल (ii) एमक्यकू-81 असॉल्ट राइफल का 8 मैग्जीन (iii) 323 राउंड एमक्यकू असॉल्ट राइफल गोलाबारूद (iv) एक 7.65 एमएम पिस्टल (v) एक.22 बोर फैक्ट्री मेड पिस्टल (vi) दो 7.65 एमएम गोलाबारूद (vii) दो .22 बोर गोलाबारूद (viii) दो किलोग्राम विस्फोटक जिसके जिलेटिन होने का संदेह था (ix) कोरडेक्स 3 मीटर (7 नग) (x) 16 डेटोनेटर आदि श्री नबीन गोगोई के चाय बागान से बरामद किए गए हैं और उनको जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए और उसका स्केच मैप बनाया।

2. जांच अधिकारी ने इस मामले के संबंध में (i) 3 एमक्यकू-81 असॉल्ट राइफल (ii) एमक्यकू-81 असॉल्ट राइफल का 8 मैग्जीन (iii) 323 राउंड एमक्यकू असॉल्ट राइफल गोलाबारूद (iv) एक 7.65 एमएम पिस्टल (v) एक.22 बोर फैक्ट्री मेड पिस्टल (vi) दो 7.65 एमएम गोलाबारूद (vii) दो .22 बोर गोलाबारूद (viii) दो किलोग्राम विस्फोटक जिसके जिलेटिन होने का संदेह था (ix) कोरडेक्स 3 मीटर (7 नग) (x) 16 डेटोनेटर आदि को जब्त किया है।

3. जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ की है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनको बयानों को दर्ज किया है।

4. जांच अधिकारी ने इस मामले के संबंध में अभियुक्त उल्फा(आई) काडरों को गिरफ्तार किया है और उनको पुलिस रिमांड में लिया है।

32. श्री रिपुल दास, जो दिसंबर, 2019 से उदलगुरी जिला बीटीएडी, असम के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने शपथ-पत्र पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार बयान दिया है:

(i) दिनांक 21.10.2015 को अपराह्न 12.30 बजे, शिकायतकर्ता सतीश कुमार मिश्रा, लेफ्टिनेंस, 159 फील्ड रेजिमेंट, आर्मी कैंप- गोलोंडी, उदलगुरी ने कलाईगांव पुलिस थाने में एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श. 947-ए) दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उत्तर बारपुखुरी गांव में उल्फा(आई) आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर भारतीय सेना के 159 फील्ड रेजिमेंट तथा पुलिस का एक संयुक्त अभियान दिनांक 20.10.2015 को 2330 बजे से गांव में आरंभ किया गया। पूर्वाह्न लगभग 02.00 बजे, अभियान की टीम ने संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर दी। पूर्वाह्न लगभग 02.30 घेराबंदी दल ने मकान में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दल को देखकर आतंकवादी ने उस पर गोली चलाई और एक ग्रेनेड फेंका जो नहीं फटा। अभियान की टीम ने आतंकवादी से कहा कि वह गोलीबारी न करे और आत्मसमर्पण कर दे। इस पर घर के अंदर मौजूद सिविलियन मकान से बाहर आ गए तथापि आतंकवादी लगातार गोलीबारी करते रहे। अभियान दल ने आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी की पूर्वाह्न 05.30 से 06.00 बजे के बीच अभियान दल ने नियंत्रित गोलीबारी करते हुए मकान में प्रवेश किया और पाया कि आतंकवादी मृत पड़ा हुआ है जिसको गोली लगी हुई है। उस मकान और आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली गई तथा एक 9 एमएम पिस्तौल, एक 7.65 एमएम पिस्तौल, छह जिंदा गोलाबारूद, आठ गोलीबारी में प्रयुक्त कारतूस, एक फेंका गया चीनी ग्रेनेड जिसके साथ एक डेटोनेटर था, चौदह मोबाइल हैंडसेट, छह सिम कार्ड, कुछ टूटे सिम कार्ड, एक समसंग लैपटॉप, 23 जबरन धन वसूली शीट, एक उल्फा(एस) काडर में वांटेड पोस्टर, दीपक बोरा उर्फ बिक्रम असोम, दो उल्फा झंडे बरामद किए गए तथा इनको सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब्त कर लिया गया। इस अभियान को पूर्वाह्न 08.30 बजे बंद कर दिया गया। श्री डी एन हजारिका, एसीएस, कार्यकाकरी मजिस्ट्रेट सह सर्किल ऑफिसर, कलाईगांव, एसडीपीओ, भेरगांव तथा पुलिस स्टाफ ने घर में प्रवेश किया जहां मृत आतंकवादी का शव पड़ा हुआ था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सभी प्रकार की औचारिकताएं पूरी करने के बाद शव पर इन्वेस्ट किया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद शव को उसके रिश्तेदारों/अभिभावकों द्वारा पहचान किए जाने के लिए कलाईगांव पुलिस थाना में लाया गया। स्थानीय गांव के मुखिया और स्थानीय लोगों तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीओ की पूरी तलाशी ली गई।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि एक बिना विस्फोट हुए चीनी ग्रेनेड को सेना के बम डिस्पोजल स्क्वैड की मदद से सुरक्षित स्थान पर अंत-स्थाने नष्ट किया गया और सेना के विशेषज्ञ से इस बारे में एक प्रमाणपत्र लिया गया। मृत आतंकवादी के शव को मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए समुचित सुरक्षा के साथ पोस्टमार्टम जांच के लिए सिविल अस्पताल उदलगुरी भेजा गया।

इस बारे में, एक मोहम्मद शाहिदुल हक, पुत्र स्वर्गीय अरब अली, उत्तर बारपुखुरी गांव, पुलिस स्टेशन-कलाईगांव और मोहम्मद इनामुल हक, पुत्र स्वर्गीय किश्मत अली, उत्तर बारपुखुरी गांव, पुलिस थाना-कलाईगांव को गिरफ्तार किया गया जो प्रतिबंधित संगठन उल्फा के लिंकमैन थे। तथा जो उल्फा काडर को शरण देते थे।

(ii) दिनांक 18.05.2017 को, उदलगुरी पुलिस थाने के अधीन नलखामरा और सेनालीपारा गांव के सामान्य क्षेत्र में कुछ उल्फा(आई) काडरों की आवाजाही के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर, जिला पुलिस उदलगुरी तथा गोलंडी आर्मी कैंप, उदलगुरी के 14 डोगरा द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान टीम लगभग 16.10 बजे सोनालीपारा गांव पहुंची तथा क्षेत्र की घेराबंदी शुरू की। क्षेत्र की घेराबंदी करते समय इस अभियान टीम पर हथियारों से लैस उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई और हेंड ग्रेनेड भी फेंका गया। कोई विकल्प नहीं रहने के कारण, अभियान टीम ने आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी बंद होते ही, अभियान टीम ने क्षेत्र की गहन तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान, अभियान टीम को गंभीर रूप से घायल स्थिति में एक संदिग्ध उग्रवादी मिला। उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल उदलगुरी भेजा गया। किंतु ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने जांच के बाद उसे मृत लाया घोषित कर दिया। बाद में, मृत आतंकवादी की पहचान रमेश बाराह (उम्र लगभग 35 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय थानेश्वर बोराह, निवासी ग्राम- बेलगुरी,

पुलिस थाना- होवराघाट, जिला- कारबी आंगलोंग, असम के रूप में की गई जो प्रतिबंधित संगठन उल्फा(आई) का स्वयंभू मेजर था। पूरी तलाशी के बाद पीओ से मृत आतंकवादी के पास से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई।

i. 01 (एक) 9 एमएम फैक्ट्री मेड पिस्तौल ।

ii. 06 (छः) 9 एमएम जिंदा गोलाबारूद।

iii. 10 रु. मूल्य के 38 रीचार्ज कूपन (36 एयरटेल और 02 एयरसेल)।

iv. लगभग 6,10,370 भारतीय रुपए की करेंसी।

v. 01 वॉलेट।

vii. 04 पाउच।

vii. 9 एमएम गोलाबारूद के 02 खाली खोखे।

(iii) दिनांक 30.11.2017 को, अपराह्न 11.30 बजे, उदलगुरी जिले के कलाईगांव पुलिस थाने के अधीन, खोइरापारा के सामान्य क्षेत्र में अत्यधिक हथियारों से लैस उल्फ(I) आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक उदलगुरी, श्री राजवीर, आईपीएस के नेतृत्व में और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), उदलगुरी, श्री मेदुल इस्लाम, एपीएस की सहायता से उदलगुरी जिला पुलिस द्वारा तथा कैंप उदलगुरी की एपीआर टीम द्वारा संयक्त अभियान चलाया गया। गुप्त स्रोत के नेतृत्व में उकेश्वर डेका, खोयरापारा क्षेत्र, कलाईगांव पुलिस थाना के मकान की घेराबंदी पुलिस टीम द्वारा की गई जहां उल्फा(आई) आतंकवादी के घिरे जाने का संदेह था। मकान की घेराबंदी के दौरान, कमरे के अंदर से भारी गोलाबारी हुई तथा पुलिस टीम पर ग्रेनेड भी फेंके गए किंतु उन्होंने किसी न किसी प्रकार स्वयं को बचाया। कोई विकल्प न रहने के कारण पुलिस टीम ने अपने जीवन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए आत्मसुरक्षा में गोली चलाई तथा गोलीबारी सुबह तक चली। उसके बाद, सेना भी वहां पहुंच गई। दोतरफा गोलीबारी दिनांक 01.12.2017 को लगभग सुबह 7.00 बजे तक चली जिसके दौरान आतंकवादियेां ने दोबारा सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका और लगातार गोलीबारी की। कोई विकल्प नहीं रहने के कारण सुरक्षा बल भी गोलीबारी करते रहे तथा कुछ समय बाद सुबह लगभग 7.30 संदिग्ध आतंकवादी की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। गोलीबारी बंद होते ही सुरक्षा बल ने उस मकान तथा खोयरापारा के सामान्य क्षेत्र की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, कमरे में अज्ञात और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति मिला जिसे कलाईगांव राज्य औषधालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी के दौरान निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई। 1) एके 56 राइफल 2) एके 56 के 3 मैग्जीन 3) एके 56 के 74 जिंदा राउंड 4) एके 56 के 31 गोलीबारी में प्रयुक्त खोखे, 5) एक 7.65 एमएम पिस्तौल (एमएफ), 6) 7.65 एमएम पिसतौल का एक मैग्जीन, 7) 7.65 एमएम पिस्तौल का एक मिसफायर्ड राउंड, 8) 6,980 रु. की भारतीय करेंसी तथा 500 करेंसी नोट (क्षतिग्रस्त), 9) सात मोबाइल फोन, 10) छह सिम कार्ड (क्षतिग्रस्त), 11) एक ब्लाइंड ग्रेनेड (अंत-स्थानिक रूप से नष्ट किया गया), 12) एक डेटोनेटर कॉर्ड सहित (अंत-स्थानिक रूप से नष्ट किया गया), 13) एक ग्रेनेड कैप, 14) एक ग्रेनेड कैप, 15) एक कॉम्बेट पाउच, 16) एक रेक्सीन पाउच, 17) एक पाउच, 18) एक क्लॉथ पाउच (छोटा), 19) एक केपरी (शॉर्ट्स), 20) एक टॉर्च, 21) एक सेविंग रेजर, 22) एक टूथपेस्ट, 23) एक हेडफोन (टूटा हुआ) प्रदर्श. 1336 कलाईगांव पुलिस थाने में मामला संख्या 122/2017 के रूप में दर्ज कराई गई प्राथमिकी की एक प्रमाणित प्रति है।

बाद में मृतक की पहचान उसके भाई प्रवीण डेका द्वारा स्वयंभू उल्फा(आई) काडर राजेन डेका उर्फ रिंकु कलिता, उम्र 40 वर्ष, पुत्र श्री रूद्र डेका, गांव- गरियापारा, पुलिस थाना- मंगलडोई, जिला- दरांग, असम के रूप में की गई। तदनुसार, शव को उसके परिवार के सदस्य को सौंप दिया गया।

मुठभेड़ के दौरान, कांस्टेबल रणदीप डेका (2) कांस्टेबल मेनुल हक तथा (3) उप पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), उदलगुरी मोईदुल इस्लाम घायल हुए।

मुठभेड़ के दौरान, 10वीं एपी बटालियन, गुवाहाटी के कांस्टेबल रणदीप डेका का सर्विस एके-47 राइफल उग्रवादियों की गोली लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त एके-47 राइफल को जब्त कर लिया गया तथा इसे विशेषज्ञ की राय के लिए 13वीं एपी बटालियन, लीलाबारी, लखीमपुर, असम भेज दिया गया है।

(iv) दिनांक 14.06.2015 को उप निरीक्षक दिपांक गोगोई, उदलगुरी डीईएफ ने कलाईगांव पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसमें यह कहा गया कि उसी दिन अपरह्न 07.30 बजे कलाईगांव पुलिस थाने के अधीन डमारापोटा में उल्फा उग्रवादी के एक समूह की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर शिकायतकर्ता ने अपने स्टाफ के साथ भांगाबरुआह काठ पुल पर नाका चेकिंग ड्यूटी की। नाका चेकिंग ड्यूटी के दौरान एक उल्फा काडर मोटर साइकिल से डमारापोटा की ओर से आ रहा था। पुलिस दल ने उसे रुकने के लिए कहा किंतु उसने अचानक पुलिस दल की ओर ग्रेनेड फेंक दिया तथा अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की किंतु उग्रवादी घने जंगल तथा पास में ग्रामीणों के मकानों की आड़ में भागने में सफल हो गए तथा अपना मोटर साइकिल वहीं छोड़ गए।

33. श्री अमिताव सिन्हा, एपीएस, वर्तमान में 24 जनवरी, 2019 से शिवसागर जिले, असम में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत हैं, ने अपने हलफ़नामे पर साक्ष्य में इस निम्न प्रकार कहा गया है:-

(i) दिनांक 10.08.2019 को शाम 5 बजे, शिकायतकर्ता डिमोक पुलिस स्टेशन, जिला शिवसागर के एसआई मिराज डोले सुपुत्र श्रीपुना डोले ने एक लिखित प्राथमिकी (प्रदर्श 1416) दर्ज की जिसमें यह कहा गया कि गुप्त सूचना के आधार पर बकाटा नेमुगूरी पुलिस स्टेशन के तहत बकाटा बोरपियाल हैबी गॉव में उल्फा (आई) कार्यकताओं ने शरण ले रखी है, 149 बटालियन के सैकेंड इन कमांड श्री पी के साहू और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) शिवसागर के नेतृत्व में दिनांक 09.08.2019 को 149 बटालियन सीआरपीएफ,कैम्प-जोयसागर, शिवसागर और शिवसागर जिला पुलिस के संयुक्त दल द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, उल्फा (आई) के एक कार्यकर्ता अर्थात श्री बीरेन चेतिया उर्फ रंटू असोम, पुत्र श्री लखी चेतिया, निवासी मोरन धेमजी, पुलिस स्टेशन मोरन, जिला डिब्रूगढ़, जो उल्फा (आई) का स्वंयभू पीटी था, को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक हैंडग्रेनेड, तीन मोबाइल हैंडसेट और एनएससीएन, जीपीआरएन द्वारा दिनांक 01.07.2019 का कमांडपास भी बरामद किया गया। प्राथमिकी प्राप्त होने पर बकाटा नेमुगुरी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (बी) /121 के तहत मामला संख्या 55/2019 दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने पीओ का दौरा किया, एक रफ स्केच मैप खींचा और दिनांक 10.08.2019 को एक हैंडग्रेनेड, तीन मोबाइल सेट और एनएससीएन, जीपीआरएन द्वारा जारी दिनांक 01.07.2019 का कमांड पास जब्त किया।

जांच के दौरान, गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह उल्फा (आई) का कार्यकर्ता है और वह दिनांक 16.11.2018 को उल्फा (आई) संगठन में शामिल हुआ था और उसके बाद वह नागालैंड चला गया और म्यांमार में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद वह चरसदेव जिले से एक हैंडग्रेनेड लेकर शिवसागर वापस लौटा और बोरपियाल गॉव में रुका। उसने 15 अगस्त, 2019 से पहले एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के लिए उस ग्रेनेड को अपने पास रखा। उसने यह भी कहा कि उसने उल्फा (आई) संगठन में शामिल होने से पहले एक विस्फोट में डेमो पुलिस स्टेशन के तहत निताईपुखुरी ने एक ग्रेनेड फेंका था। बाद में, जब्त किए गए हैंड ग्रेनेड का दिनांक 09.11.2019 को निस्तारण कर दिया गया।

अभियुक्तों के बयान के साथ-साथ गवाहों ने यह स्थापित किया कि बरामद ग्रेनेड शिवसागर जिले में अलगाववादी गतिविधियों के लिए था, जिसका उद्देश्य जिले के लोगों के बीच आतंक फैलाकर भारत गणराज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना था।

(ii) दिनांक 22.11.2018 को रात्रि 10.30 बजे श्री संजीब कुमार बरुआ सुपुत्र स्व. हेमाधर बरुआ गॉव पुलिस स्टेशन टेओक, जिला जोरहाट डेमो पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (प्रदर्श 1431) दर्ज की कि उसी दिन शाम लगभग 5 बजे उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि विस्फोट की घटना श्री कमल अग्रवाल के हार्डवेयर स्टोर में हुई है और शिकायत के आधार पर डेमो पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 3/4/6 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी) के साथ आईपीसी की धारा 320 के तहत मामला संख्या 380/2018 दर्ज किया गया है।

सूचना मिलने पर, निरीक्षक संजीब कुमार बरुआ ओ/सी डेमो पुलिस स्टेशन उपलब्ध कर्मचारियों के साथ पीओ में पहुंचे। मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने हार्डवेयर स्टोर के मालिक श्री कमल अग्रवाल को एक अन्य गैर व्यक्ति के साथ गंभीर हालत में पाया क्योंकि विस्फोट के कारण उन दोनों व्यक्तियों के शरीर में गंभीर चोटें आई थी। दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत डेमो मॉडल अस्पताल भेजा गया। कुछ समय बाद अज्ञात व्यक्ति ने हस्पताल में दम तोड़ दिया जिसकी

बाद में अनूप गुप्ता उर्फ अहिरा गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय प्रसाद गुप्ता, निवासी देहिंगमुख लाचन गाँव, पुलिस स्टेशन डेमो, जिला शिवसागर के रूप में पहचान की गई। गंभीर रूप से घायल अन्य व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए एएमसीएच, डिब्रूगढ़ भेजा गया जिसने भी एएमसीएच, डिब्रूगढ़ में दम तोड़ दिया।

जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी श्री बिरेन चेतिया उर्फ रंटू असोम, पुत्र श्री लाखी चेतिया, निवासी मोरन धेमाजी, पुलिस स्टेशन मोरन, जिला डिब्रूगढ़ के संबंध में बकाटा नेमुगुरी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121 के तहत मामला सं. 5/2019 दर्ज किया गया और उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया भी दर्शाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने कहा कि उसने कट्टर उल्फा (आई) काडर मोनीराम बोर्गोहाइन उर्फ आइडियमन असोम, निवासी नीताइपुखुरी नागांव, पुलिस स्टेशन डेमो, जिला शिवसागर के निर्देश पर टीवीएस अपाचे मोटरसाईकिल का उपयोग करके दिनांक 22.11.2018 को श्री कमल अग्रवाल के हार्डवेयर स्टोर पर डेमो-निताई रोड पर विस्फोट के लिए ग्रेनेड फेंका था।

(ii) दिनांक 10.05.2016 को शाम को लगभग 4 बजे एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर कि एक कट्टर उल्फा (आई) काडर शिवसागर शहर से सोनारी की ओर जा रही एक बस में यात्रा कर रहा था, एसडीपीओ, नाजिरा, सीआरपीएफ कर्मी और सेना 63 फील्ड रेजिमेंट शिविर, मेबेला द्वारा सिमलुगुड़ी पुलिस स्टेशन के तहत गारमुर में नाका लगाया गया। तदनुसार, शाम लगभग 4.30 बजे एक 709 बस पंजीकरण सं. एएस-04 सी-7679 को रोका गया और गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वह उल्फा (आई) के सक्रिय कैडर का एक एस/एस कर्नल था और उसका नाम भरत चेतिया उर्फ अभि असोंग, पुत्र स्वर्गीय किखेश्वर चेतिया निवासी बरेकुरी रिचिंगा गाँव है जो तिनसुकिया के बरेकुरी पुलिस स्टेशन के तहत है। वह देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आपराधिक साजिश में शामिल विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल था। आगे पूछताछ के दौरान उसने यह भी खुलासा किया कि दो लोग अर्थात श्री मोहन दत्ता, पुत्र दिम्बेश्वर दत्ता और श्रीमती मयूरी दत्ता, पत्नी मोहन दत्ता दोनों टोलापाथर, पुलिस स्टेशन बोर्डुम्सा, जिला तिनसुकिया उल्फा के कैडरो की सुविधा के लिए सोनारी के माध्यम से तिनसुकिया से म्यांमार तक भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से छह मोबाइल हैंडसेट, कुछ भ्रामक दस्तावेज, एक बोतल ग्रेनेड और 40,000/- रु. नकद बरामद किए गए और उन्हें विधिवत रूप से जब्त किया गया। प्रदर्श 1456 जीडीई सिमलुगुड़ी पुलिस स्टेशन की दिनांक 10.05.2016 की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र की गई और उल्फा (आई) के कई कैडरों की भी पहचान की गई। आरोपी व्यक्ति अर्थात नामत: भरत चेतिया उर्फ अभि असोम एक कट्टर उल्फा कैडर का सदस्य है और उसके विरुद्ध नामरूप पुलिस स्टेशन (।) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25(।) (क) के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 184(क)/122/123/124(क)/447/325/326/307/427 के तहत मामला दर्ज है। (।।) बोर्डुमसा पुलिस स्टेशन में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25(।) (क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/307 के तहत मामला सं. 37/16 दर्ज है (।।।) तिनसुकिया पुलिस स्टेशन में ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/346/307/427 के तहत मामला सं. 459/16 दर्ज है, में शामिल था। आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, बाद में, जब्त की गई बोतल ग्रेनेड को नष्ट करने के लिए माननीय एसडीजेएम, नाजीरा न्यायालय में प्रार्थना करते हुए अर्जी प्रस्तुत की गई। तदनुसार माननीय न्यायालय ने बोतल ग्रेनेड को नष्ट करने का आदेश पारित किया लेकिन, ग्रेनेड को नष्ट किया जाना अभी बाकी है।

34. श्री मृणाल तालुकदार, एपीएस वर्तमान में 1 फरवरी, 2020 से जोरहाट जिले, असम के पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत हैं, उन्होंने हलफनामे पर अपने साक्ष्य में निम्नानुसार कहा है:

दिनांक 28.11.2018 को शिकायतकर्ता एसआई उत्पल दत्ता, मारियानी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ उल्फा (आई) के दिनांक 27 नवंबर के प्रोटेस्ट डे के अवसर पर उनके सदस्यों द्वारा किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान लगभग 9.30 बजे, शिकायतकर्ता को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अज्ञात उल्फा (आई) कार्यकर्ताओं ने नागधुली जनजातिओ हाई स्कूल की बांस की बाड़ में अपने संगठन का झंडा लटका दिया है। इनपुट प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत स्कूल पहुंचा और स्कूल की बांस की बाड़ में उल्फा (आई) के झंडे को देखा। पुलिस टीम ने बाड से को झंडे से हटा दिया और गवाहों की मौजूदगी में उसे जब्त कर लिया। पुलिस टीम ने तुरंत शामिल उल्फा (आई) कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में शिकायतकर्ता को पता लगा कि इस घटना में उल्फा (आई) के अन्य सदस्यों के साथ बिजॉयपुर गाँव के एक संदिग्ध श्री जिबोन पेगु शामिल है। संदिग्ध, मैरियानी पुलिस स्टेशन के एक अन्य मामले अर्थात मारियानी पुलिस स्टेशन में विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के साथ मामला संख्या 125/2016 में भी शामिल था।

एफआईआर (प्रदर्श 1473) प्राप्त होने पर मरयानी पुलिस स्टेशन में विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के तहत मामला संख्या 251/2018 दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने इस मामले के सिलसिले में मौके पर निम्नलिखित गवाहों की जांच की

1. श्री बिलती तांती, 69 वर्ष पुत्र श्री स्वर्गीय फुलकोन तांती निवासी नगधुली गजेन गाँव, पुलिस स्टेशन मरियानी। साक्षी असम चाहा मजदूर संघ, जोरहाट जिले का अध्यक्ष, नागधौली ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष और नागधुली जनजतिओ हाई स्कूल के शासी निकाय का अध्यक्ष भी था। जांच के दौरान उसने बताया कि दिनांक 28.11.2018 को सुबह 8.30 बजे श्री शरत गोगोई, स्कूल के चौकीदार ने उन्हें फोन पर सूचित किया था कि उल्फा (आई) का एक झंडा स्कूल की बांस की बाड़ में लटका हुआ था और उन्हें स्कूल पहूंचने के लिए भी कहा था। वहां पहुंचने पर उन्होंने स्कूल की बांस की बाड़ में उल्फा (आई) का झंडा देखा था। बाद में पुलिस ने उनकी मौजूदगी में झंडे को जब्त कर लिया था।

2. श्री हामिद राजा, 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय टुन्नू अली निवासी नागदौली गेट, पुलिस स्टेशन मरियानी जिला जोरहाट। गवाह नागधुली वीडीपी की सचिव थीं। जांच के दौरान, उसने बताया कि दिनांक 28.11.2018 को प्रात: लगभग 8.30 बजे जब वह हाई स्कूल में आए थे तब उन्होंने स्कूल की बांस की बाड़ में उल्फा (आई) का झंडा देखा था। बाद में, पुलिस ने उनकी मौजूदगी में झंडे को जब्त कर लिया था।

3. श्रीमती रूपा दत्ता गोगोई, 30 वर्ष पत्नी श्री प्रमोद गोगोई, निवासी नागोदुली सुकफा नगर, पुलिस स्टेशन मरियानी, जोरहाट। साक्षी नागधुली जनाजतिओ हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका थीं। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि 28.11.2018 को सुबह लगभग 8.35 बजे स्कूल के चौकीदार श्री शरत गोगोई ने उन्हें फोन पर स्कूल में उल्फा (आई) ध्वज के लटके होने के बारे में फोन पर सूचित किया था। वह तुरंत स्कूल के लिए चल पड़ी और सुबह 8.50 बजे स्कूल पहुंच गई और उन्होंने स्कूल के सामने बांस की बाड़ में उल्फा (आई) का झंडा देखा। पहले से ही कई लोग घटनास्थल पर मौजूद थे।

4. श्री शरत गोगोई, 30 वर्ष पुत्र श्री कमल गोगोई निवासी नागधौली सुकफा नगर, पुलिस स्टेशन मरियानी, जोरहाट। वह हाई स्कूल का चौकीदार था। जांच के दौरान, उन्होंने बताया कि दिनांक 28.11.2018 को सुबह 8.30 बजे वह स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल के सामने बांस की बाड़ में उल्फा (आई) का झंडा देखा। उन्होंने तुरंत फोन पर इसकी सूचना मुख्याध्यापिका और स्कूल की गवि्नंग बॉडी के अध्यक्ष श्री बिलती तांती को दी।

5. श्री राजू लोहार, 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मोहन लोहार निवासी नागधुली टीई, पुलिस स्टेशन मरियानी, जोरहाट। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि दिनांक 28.11.2018 को उन्हें हाई स्कूल में उल्फा

झंडा लगा होने के बारे में पता चला और सुबह लगभग 9 बजे जब वह स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने स्कूल के सामने बांस की बाड़ में एक झंडा देखा।

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने उल्फा के निम्नलिखित आत्मसमर्पण करने वाले सदस्यों की भी जांच की:

1. श्री दिम्बेश्वर ककोटी उर्फ बरुआ पुत्र स्व. गंगाधर ककोटी, निवासी बिजयपुर गाँव, पुलिस स्टेशन मरियानी, जोरहाट। जांच के दौरान, उसने बताया कि वह संदिग्ध श्री जिबोन पेगु को एक चालक के रूप में जानता था। लेकिन उसे जिबोन पेगू की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के बारे में मालूम नहीं था। वह संदिग्ध व्यक्ति से मोपेड स्कूटी खरीदना चाहता था और इसीलिए उसने दिनांक 27.11.2018 को उससे संपर्क किया था।

2. श्री भीमोन गोगोई, 38 वर्ष पुत्र टीपुराम गोगोई निवासी मोरन गाँव, पुलिस स्टेशन मरियानी, जोरहाट। जांच के दौरान, उसने बताया कि वह वर्ष 1995 में उल्फा में शामिल हुआ था और वर्ष 2005 में जोरहाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्ष 2008 में उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे नागदौली हाई स्कूल में उल्फा झंडा फहराने की घटना के बारे में नहीं पता था क्योंकि उस दिन वह अपने कार्य स्थल पर पानीचोकवा में था।

जांच के दौरान, गवाहों के बयान से यह स्थापित हो गया था कि उल्फा (आई) के सदस्यों ने नागधुली जनजतिओ हाई स्कूल के सामने बांस की बाड़ में अपना झंडा टांग दिया था। लेकिन किसी भी गवाह ने अपराध करते समय सदस्यों या उनके किसी हमदर्द को नहीं देखा था। इसलिए जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त श्री जिबोन पेगू के विरुद्ध मामला स्थापित नहीं किया जा सका और मामले को एफआर में अपर्याप्त सबूत के रूप में वापस कर दिया।

35. श्री श्रीजीत टी, आईपीएस, ने दिनांक 13.12.2019 से पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ जिले में सेवारत रहते हुए और अपने हलफनामे पर अपने साक्ष्य में यह कहा:

(i) दिनांक 01.12.2015 को दोपहर 12.30 बजे शिकायतकर्ता श्री शशि भूषण भारती, सुपुत्र लेफ्टिनेंट भूषण भारती निवासी दिलीघाट नंबर 2 पुलिस स्टेशन नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम ने नामरूप पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की कि 30.11.2015 को शाम लगभग 7.50 बजे 4/6 अज्ञात आतंकवादी आपराधिक रूप से विलिघाट नं. 2 में स्थित उनके क्रैशर प्लांट के परिसर में घुस आए और आफिस कक्ष के समीप अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरु कर दी। इसके परिणामस्वरूप, उनके कर्मचारी अर्थात श्री संजय कुमार भारती और श्री गोपाल शाह गोली लगने से गंभीर से घायल हो गए और 2 (दो) वाहन जिनके पंजीकरण संख्या एस-06 एसी-1125 (डम्पर), एस-23 एसी-1725 (जेसीबी) हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एएमसीएच डिब्रूगढ़ में भर्ती कराया गया। प्रदर्श 1485 एफआईआर की प्रमाणित प्रति है।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने तुरंत पीओ का दौरा किया और पीओ को अच्छी तरह देखा तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की और घायल व्यक्तियों को एएमसीएच डिब्रुगढ भेजने का प्रबंध किया। जांच अधिकारी ने गवाहों की मौजूदगी में निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया।

1. ए के श्रृंखला राइफल्स के 14 (चौदह) खाली कारतूस।
2. ए के श्रृंखला राइफल्स की मिस फायर्ड 1 (एक) गोली।
3. ए के श्रृंखला राइफल्स की चलाई गई 1 (एक) गोली।
4. 1 (एक) आरपीजी खाली बम संख्या एल-0117771792।
5. गोली से क्षतिग्रस्त स्थिति में 2 (दो) डम्पर पंजीकरण संख्या क्रमश: एएस-06 एससी-1125 और एएस-23 आईबी-1924।
6. गोली से क्षतिग्रस्त स्थिति में 1 (एक) जेसीबी पंजीकरण संख्या एएस-23 एसी-1725।
7. कुछ टूटे हुए शीशे।
8. सीसीटीवी फुटेज के साथ 1 (एक) 4जीबी मेमोरी कार्ड।

जांच अधिकारी ने निम्निलखित गवाहों की जांच की:-

1. श्री शशि भूषण भारती, सुपुत्र दीनानाथ भारती, निवासी डिलीघाट, पुलिस स्टेशन-नामरूप (शिकायतकर्ता)।
2. श्री नबीन कुमार प्रबत, सुपुत्र स्व. सुधाकर प्रबत, निवासी नं. 2 डिलीघाट, पुलिस स्टेशन-नामरूप।
3. श्री मोनोज भारती, सुपुत्र श्री काशीनाथ भारती, निवासी नं. 2 डिलीघाट, पुलिस स्टेशन-नामरूप।
4. श्री एम सांगा, सुपुत्र स्व. एम. रूमला, निवासी नं. 2 डिलीघाट, पुलिस स्टेशन-नामरूप।
5. श्री बिनोद भारती, सुपुत्र स्व. मैनेजर भारती, निवासी नं. 2 डिलीघाट, पुलिस स्टेशन-नामरूप।
6. श्रीमती सुनु बरुआ पत्नी श्री दलिन बरुआ निवासी सिंगिमारी कोपोहुआ गांव पुलिस स्टेशन-जॉयपुर
7. श्री बिनोद गोगोई सुपुत्र गकुल गोगोई निवासी सिंगिमारी कोपोहुआ गांव पुलिस स्टेशन-जॉयपुर

जांच अधिकारी ने निम्नलिखित घायल व्यक्तियों की एएमसीएच डिब्रूगढ़ से छुट्टी होने के बाद जांच की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए:

1. संजोय कुमार भारती और
2. श्री गोपाल शाह

जांच के क्रम में, जांच अधिकारी ने निम्नलिखित आरोपी व्यक्तियों (उल्फा के लिंकमैन होने का संदेह) को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया :-

1. श्री दलिन बरुआ पुत्र श्री लंबोदर बरुआ निवासी सिंगीमारी कोपोहुआ गांव पुलिस स्टेशन- जॉयपुर, जिला-डिब्रूगढ़ और उसके कब्जे से क्रमश: सिम नं. 9854316300 और 9854573960 के साथ 2 (दो) मोबाइल हैडसेट बरामद किए तथा उन्हें जब्ती सूची के अनुसार जब्त कर लिया।

2. श्री अरुप चेतिया पुत्र स्व. गोपाल चेतिया निवासी गजपुरिया गांव, पुलिस स्टेशन-मोरन, जिला डिब्रूगढ़ और उसके कब्जे से 1 (एक) मोबाइल (हैंडसेट मॉडल संख्या 105) सिम नं. 8723929051 के साथ बरामद किया और उसे जब्ती सूची के अनुसार जब्त कर लिया।

3. श्री बाबुल भरली पुत्र स्व. कुशाराम भरली, निवासी डोलानिकुर गांव, पुलिस स्टेशन खोवांग, जिला डिब्रूगढ़ और उसके कब्जे से सिंम नं. 9957709852 (एयरसेल), आईएमईआई नं. 1-358966/05/680782/9, 2-358966/05/680783/7 के साथ 01 (एक) मोबाइल हैंडसेट बरामद किया और उसे जब्ती सूची के अनुसार जब्त कर लिया।

4. श्री बिक्रम राय घाटोवर पुत्र स्व. देब रॉय घाटोवर निवासी लेपरा गांव पुलिस स्टेशन बोरहाट जिला चोराईदेव

5. श्री जीतू बोराह पुत्र स्व. रुद बोराह निवासी विलेज नागमती गांव पुलिस स्टेशन नामरूप, जिला डिब्रूगढ।

बाद में, यह मामला एफआर में आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120/120(ख)/121/121(क)/122/123/124(क)/447/326/307/427 के तहत एफआर में वापस कर दिया गया था क्योंकि नामरूप पुलिस स्टेशन में एफआर सं. 11/17 दिनांक 05.03.2017 के तहत आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अपर्याप्त सबूत थे।

जेसी 276/30ए सुबेदार योगेन्द्र सिंह (सीओबी डांगरीकुमार से सेना के जवान) से नामरूप पुलिस स्टेशन जीडीई नं. 266 दिनांक 10.12.2017 के तहत पुन: एक एफआईआर प्राप्त हुई थी और उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120/ 120(ख) /121/121(क)/ 122/123/ 124(क)/447/ 325/ 326/ 307/427 के तहत नामरूप पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 185/15 के संबंध में इसे अनुपूरक एफआईआर के रूप में माना गया। प्रदर्श 1486 अनुपूरक एफआईआर की प्रमाणित प्रति है। विशिष्ट आसूचना के आधार पर, सीओबी

डांगरीकुमार और डीएसपी नामरूप के एक संयुक्त दल ने जनरल एरिया डिलीघाट, डिब्रुगढ़ जिला में दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 को 0300 बजे एक अभियान शुरू किया और अभय डेका उर्फ अजय असोम को गांव डिलीघाट के बाहरी इलाके से 0715 बजे गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किए गए:

1. एक 7.65 पिस्टल (चीनी निर्मित)
2. एक मैगजीन
3. छ: जिंदा कारतूस
4. जबरत वसूली से संबंधित13 पैड
5. एक मोबाइल फोन
6. 02 (दो) सिम कार्डस

सेना और पुलिस की संयुक्त पूछताछ के दौरान अभय डेका उर्फ अजय असोम ने उल्फा (आई) काडर के 2014 बैच का कार्यकर्ता होना कबूल किया जो उक्त गांव में जबरन वसूली करने के लिए था। उसने 30 नवम्बर, 2015 को 03 (तीन) अन्य उल्फा कार्यकर्ताओं अर्थात (i) असुत बर्मन (ii) पबित्रो (iii) अंकुर डेका के साथ डिलीघाट में गोलीबारी की घटना में शामिल होने की बात कबूल की। गोली बारी की घटना के बाद उसने अपना स्थान डारंग में बदल लिया और फिर से डिब्रुगढ़ जिले में चला गया। जांच अधिकारी ने आरोप को गिरफ्तार कर लिया और सेना द्वारा नामरूप पुलिस को सौंप दिए जाने के लिए बरामद वस्तुओं को विधिवत रूप से जब्त कर लिया।

मामला जांच के तहत लंबित है।

(ii) दिनांक 20.06.2016 को रात 11 बजे मोरन पुलिस स्टेशन के एसआई बिद्युत बिकास बरुआ ने मोरन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर (प्रदर्श 1535) दर्ज की जिसमें बताया गया कि उसी दिन लगभग 1615 बजे खेलमती मोरन के एक प्रशिक्षित उल्फा कॉडर की आवाजाही से संबंधित एक विशेष सूचना के आधार पर मोरन पुलिस स्टेशन के एसआई दुलाल महंता के नेतृत्व में उन्होंने कांस्टेबल दिबेन्द्र चेतिया और एपीबीएन स्टाफ के साथ खेलमती के जनरल क्षेत्र और श्री राहुल हजारिका उर्फ उर्फ लादेन असोम, पुत्र श्री उमा हजारिका निवासी खेलमती, मोरन के घर के परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया और श्री राहुल हजारिका उर्फ लादेन असोम को गिरफ्तार किया तथा उल्फा उग्रवादी, दृष्टि असोम द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिबंधित उल्फा संगठन के धन की मांग संबंधी 12 (बारह) पत्र और एक हैंडग्रेड बरामद किया। उल्फा काडर श्री राहुल हजारिका ऊर्फ लादेन असोम से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वह वर्ष 2013 में उल्फा संगठन में शामिल हुआ था और वर्ष 2014-15 के दौरान उसने बंगलादेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह वर्ष 2016 की शुरूआत में मोरन वापस आ गया और अपने वरिष्ठ नेताओं के निर्देश के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मांग पत्र देना शुरू कर दिया ताकि असम को भारतीय क्षेत्र से अलग करने के लिए गोलाबारूद की खरीद के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में धन की जबरन वसूली की जा सके। वे निर्दोष लोगों को आतंकित करने के लिए हथगोलों की बौछार करके जमीनी स्तर के उल्फा कार्यकर्ताओं और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले युवा पीढ़ी के लोगों को भी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के विरुद्ध उकसा रहे थे। जानकारी मिलने पर, मोरन पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने मोरन पुलिस स्टेशन में ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईसीपी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/123/124(क)/387 के तहत मामला संख्या 133/2016 दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने पीओ का दौरा किया और पीओ को अच्छी तरह से देखा तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। जांच अधिकारी ने गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त कर लिया:-

1. उल्फा संगठन के धन की मांग संबंधी12 (बारह) मांग पत्र
2. 01 (एक) 36 हैंड ग्रेनेड
3. 01 (एक) आई-बाल मोबाइल आईएमईआई नं. 911450250600322 के साथ सिम नं. 8399026170 (वोडाफोन)।

4. 01 (एक) मोबाइल फोन (ओपो) आईएमईआई नं. 860885033117931, 860885033117923 के साथ सिम नं. 9127597556.

जांच अधिकारी ने निम्नलिखित उपलब्ध गवाहों के बयानों की जांच की और उन्हें रिकॉर्ड किया:-

1. श्री विद्युत बिकास बरूआ, एसआई, मोरन पुलिस स्टेशन
2. श्री देबान ओरांग पुत्र स्व. बसोए ओरांग निवासी खेलमती खटखटी, देवगेहरोया गांव पुलिस स्टेशन मोरन
3. श्री शिबा तंती पुत्र श्री सुकरा तंती निवासी खेलमती गांव पुलिस स्टेशन-मोरन
4. श्री देबेन ओरांग पुत्र स्व. दासर उरांग निवासी खेलमती गांव, पुलिस स्टेशन मोरन
5. श्री शिबा कुर्मी पुत्र सुकरा कुर्मी निवासी जेसनी, पुलिस स्टेशन मोरन
6. श्रीमती लीला कहार पत्नी स्व. बूपल कहार निवासी खेलमती गांव, पुलिस स्टेशन मोरन।
7. श्री धरण कर्माकर, पुत्र श्री रखल कर्माकर निवासी खेलमती गांव, पुलिस स्टेशन मोरन।
8. श्री मितवा मिर्धा पुत्र श्रीअनारू मिर्धा निवासी खेलमती गांव पुलिस स्टेशन-मोरन।
9. श्री उमा हजारिका पुत्र स्व. माखन हजारिका निवासी खेलमती गांव पुलिस स्टेशन मोरन

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने निम्निलिखित आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उन्हें हिरासत में भेज दिया:-

1. श्री राहुल हजारिका उर्फ लादेन असोम पुत्र उमा हजारिका निवासी खेलमती गांव पुलिस स्टेशन मोरन
2. श्री सागर गोगोई उर्फ फिरोज असोम पुत्र श्री दीपू गोगाई, निवासी लाहोनी गांव, पुलिस स्टेशन तेंगाखत
3. श्री बिजोय बेदिया पुत्र श्री कुंदन बेदिया निवासी बेजोचक बंगाली गांव मोरन पुलिस स्टेशन (गिरफ्तार दिखाया गया) जिसे आधुद्ध अधिनियम की धारा 25(आई-क) के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क) के तहत लाहोवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला संख्या 84/2016 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

यह मामला जांच के अधीन है।

(iii) दिनांक 26.01.2020 को शाम 06.05 बजे शिकायतकर्ता डिब्रुगढ़ पुलिस स्टेशन के एसआई मनोरंजन सैकिया, ने एक एफआईआर (प्रदर्श 1564) दर्ज कराई कि दिनांक 26.01.2020 को सुबह लगभग 08 बजे ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़ में एक बम विस्फोट किया गया जिसे एक परित्यक्त दुकान में कचरे के नीचे लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दुकान थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी लेकिन किसी के जीवन और अन्य संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। यह विस्फोट प्रतिबंधित उल्फा (आई) के संदिग्ध उग्रवादी द्वारा अपना अस्तित्व दिखाने और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के समर्थन में लोगों में दहशत पैदा करने के लिए किया गया था। जानकारी मिलने पर, ओसी डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 26.01.2020 को डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(A)/307/427 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने पीओ का दौरा किया, पीओ को अच्छी प्रकार देखा और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। जांच अधिकारी ने गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया:-

1. टूटे हुए पाइप का 01 (एक) टुकड़ा जिसमें संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ की गंध थी।
2. संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ की गंध वाले संदिग्ध मोबाइल फोन के कुछ अवशेष
3. संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ की गंध वाली मिश्रित मिट्टी की कुछ मात्रा
4. डा. लाल पैथ लैब्स के रूप में चिन्हित थर्माकॉल लेबल के कुछ टूटे हुए टुकड़े

जांच अधिकारी ने निम्नलिखित उपलब्ध गवाहों के बयानों की जांच की और उन्हें रिकॉर्ड किया:-

1. श्री सुभाष जैन, पुत्र स्व. गणपति जैन निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
2. श्री सौरव धानुका, पुत्र निर्मल कुमार धानुका निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
3. मो. कमरूल शेरिफ जिन्नाह, पुत्र स्व. कमल अफरोज निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
4. श्री बिकास जैन, पुत्र श्री अमर चन्द जैन निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
5. श्री प्रमोद ठाकुर, पुत्र श्री बाबुल ठाकुर निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
6. श्री बिस्वजीत नाथ, पुत्र जगत नाथ निवासी गौरीसागर, टी/ए-नजदीक टीवी सेंटर, डिब्रूगढ़
7. मो. अकबर खान, पुत्र स्व. रहीम खन निवासी गबरूपाथर, डिब्रूगढ़
8. श्री गौतम दास, पुत्र श्री मोहन दास निवासी गबरूपाथर, डिब्रूगढ़
9. श्री बुतन दास, पुत्र स्व. रघु दास निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
10. श्री अनिल कुमार शाह, पुत्र श्री राम नरेश शाह निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
11. मो. रिजाउर रहमान, पुत्र फैजउर रहमान निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
12. श्री श्याम शर्मा पुत्र बिस्वनाथ शर्मा निवासी ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़
13. एसआई, मनोरंजन सैकिया पुलिस स्टेशन डिब्रूगढ़ (शिकायतकर्ता)

जांच के दौरान जांच, अधिकारी ने निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया दिखाया (चैरायदेव पुलिस द्वारा पहले से ही गिरफ्तार किए गए), उनसे पूछताछ की और उन्हें हिरासत में भेज दिया :-

(1) चाउ लखी लोगनो उर्फ रूबल असोम पुत्र चाउ काईनूक लोगनो, निवासी बोपत्थर कमटी गांव, नारायणपुर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ लखीमपुर (गिरफ्तार दिखया गया) जिसे सोनारी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/307/427 के तहत दर्ज मामला संख्या 16/2020 के संबंध में गिरुफ्तार किया गया था।

(2) श्री मानस पटमोट उर्फ बाबा उर्फ बास्तबज्योति उर्फ बासतब असोम, पुत्र तिलेशवर पटमोट निवासी बेगेनवाड़ी लखुराखन गोरोखीयाहबी गांव, गांव, पुलिस स्टेशन-सोनारी, जिला- चराएदेव (गिरफ्तार दिखाया गया) जिसे सोनारी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/307/427 के तहत दर्ज मामला संख्या 16/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान जांच, अधिकारी ने लेफ्टिनेंट जॉय असोम द्वारा हस्ताक्षरित उल्फा (आई) का दिनांक 26.01.2020 का एक पावती पत्र प्राप्त किया (असम के विभिन्न दृश्य एवं सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित) जहां उल्फा (आई) की प्रचार शाखा ने घोषणा की कि उनके काडर गणतंत्र दिवस, 2020 पर असम के तीन जिलों में दिनांक 26.01.2020 को प्रात: 8 बजे किए गए सीरियल बम विस्फोट में शामिल थे।

यह मामला जांच के अधीन लंबित है।

(iv) दिनांक 26.01.2020 को शाम 06.10 बजे डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजीब कुमार सैकिया ने इस संबंध में एक एफआईआर (प्रदर्श 1592) दर्ज की कि दिनांक 26.01.2020 को प्रात: लगभग 08.05 बजे गुरूद्वारा, सिख इंटरनेशनल स्कूल वाल, डिब्रूगढ़, की पिछली तरफ एक बम्ब विस्फोट किया गया था, जिसे घास के नीचे लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल की दीवार मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन किसी के जीवन और अन्य संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। यह विस्फोट प्रतिबंधित उल्फा (आई) के संदिग्ध उग्रवादी द्वारा अपना अस्तित्व दिखाने और भारत सरकार के विरुद्ध अपनी छदम लड़ाई के समर्थन में आम लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए गया था। जानकारी मिलने पर ओसी डिब्रूगढ़ द्वारा डिब्रूगढ़ पुलिस में दिनांक 26/01/2020 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की

धारा 10/13 के साथ पठित और ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121(क)/307/427 के तहत मामला संख्या 152/2020 दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने पीओ का दौरा किया, पीओ को अच्छी प्रकार देखा और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। जांच अधिकारी ने गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया :-

(1) विस्फोटक पदार्थ की गंध वाले मोबाइल फोन के कुछ अवशेष

(2) फोम थर्माकोल के साथ मिश्रित कुछ मिट्टी/विस्फोटक पदार्थ की गंध वाले ईट के टूटे हुए टूकड़े

जांच अधिकारी ने निम्नलिखित उपलब्ध गवाहों के बयानों की जांच की और उन्हें रिकॉर्ड किया:-

(1) श्रीमती फातिमा बेगम, पत्नी मो. मोमताज अली निवासी पूजाघाट, मालीपटटी, डिब्रूगढ़

(2) श्रीमती अबीदा बेगम, पत्नी स्व. फूल मो. खान निवासी पूजाघाट मालीपटटी, डिब्रूगढ़

(3) श्री राहुल ठाकुर, पुत्र स्व. सत्य नारायण ठाकुर निवासी पूजाघाट मालीपटटी, डिब्रूगढ़

(4) श्रीमती असमा बी निसा, पत्नी स्व. फूल मो. खान निवासी मारवाडीपटटी, डिब्रूगढ़

(5) श्री मलकियोत सिंह, पुत्र स्व. कलवंत सिंह निवासी फुलबागान गुरूद्वारा, डिब्रूगढ़

(6) मो. अलाउद्दीन अहमद, पुत्र स्व. फैजूद्दीन निवासी पूजाघाट मालीपटटी, डिब्रूगढ़

(7) इंस्पेक्टर राजीब सैकिया (पुलिस स्टेशन डिब्रूगढ़) (शिकायतकर्ता)

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया दर्शाया, उनसे पूछताछ की और उन्हें हिरासत में भेज दिया:-

(1) चाउ लखी लोगनो उर्फ रूबल असोम पुत्र चाउ काईनूक लोगनो, निवासी बोपत्थर कमटी गांव, नारायणपुर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ लखीमपुर (गिरफ्तार दिखया गया) जिसे सोनारी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/307/427 के तहत दर्ज मामला संख्या 16/2020 के संबंध में गिरुफ्तार किया गया था।

(2) श्री मानश पटमोट उर्फ बाबा उर्फ बास्तबज्योति उर्फ बासतब असोम, पुत्र तिलेशवर पटमोट निवासी बेगेनवाड़ी लखुराखन गोरोखीयाहबी गांव, गांव, पुलिस स्टेशन-सोनारी, जिला- चराएदेव (गिरफ्तार दिखाया गया) जिसे सोनारी पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121(क)/307/427 के तहत दर्ज मामला संख्या 16/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने लेफ्टिनेंट जॉय असोम द्वारा हस्ताक्षरित उल्फा (आई) का दिनांक 26.01.2020 का एक पावती पत्र प्राप्त किया (असम के विभिन्न दृश्य एवं सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित) जहां उल्फा (आई) की प्रचार शाखा घोषित करती है कि उनके काडर गणतंत्र दिवस, 2020 पर असम के तीन जिलों में दिनांक 26.01.2020 को प्रात: 8 बजे किए गए सीरियल बम्ब विस्फोट में शामिल थे।

यह मामला जांच के अधीन लंबित है।

(v) दिनांक 25.05.2017 को रात 09 बजे एसआई राजीब पेंगिंग, रक्षा नियंत्रण अधिकारी, दुलियाजन ने इस संबंध में एक एफआईआर (प्रदर्श 1622) दर्ज की कि दिनांक 25.05.2017 को प्रात: 6.30 बजे भुगपाडा से दिकोन ओसीएस, दिकोन सेसा ब्रिज तक एक क्रूड ऑयल पाइप लाईन में रिसाव देखा गया था और सेसा नदी पर क्रूड ऑयल बह रहा था तथा पीओ पर एक अज्ञात शव भी पड़ा हुआ मिला था। इसके अतिरिक्त, एक चालू पाइप लाईन भी क्षतिग्रस्त पाई गई थी और इसमें अज्ञात उग्रवादी संगठन की तोड़फोड़ की गतिवधियों का संदेह था। सूचना मिलने पर, ओ/सी लाहोवाल पुलिस स्टेशन ने दिनांक 25.05.2017 को लाहोवाल पुलिस स्टेशन में ईएस अधिनियम की धारा 3/4 के साथ पठित और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/427 के तहत मामला संख्या 69/2017 दर्ज किया गया और जांच की गई।

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने पीओ का दौरा किया और पीओ को अच्छी तरह से देखा तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई। जांच अधिकारी ने गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त कर लिया:-

(1) दो (02) शराब के पव्वे की बोतल, गोल्ड रिबन

(2) एक (01) टार्च लाल रंग में, लगभग 8 इंच की

(3) एक (01) शराब के अधे की बोतल मैक डोवल नं. 1

(4) एक लांगपेंट जींस, ब्रांड स्पार्की, नीले रंग का

(5) एक (01) लाल कलर का तोलिया चीन में निर्मित

(6) एक (01) पीले कलर की रेन कोट जैसी जैकेट, हेली हेनसन, फिलिपिंस में निर्मित

(7) एक (01) एक जोड़ी जूते ब्रांड प्रोजेक्ट

(8) एक (01) बैग ब्रांड नाम एआईआर कैमल माउंटेन, कच्चे तेल के साथ मिश्रित

(9) एक (01) प्लास्टिक कैरी बैग

(10) एक (01) साइकिल टयूब लगभग 2 फीट

(11) प्लास्टिक गैलन की एक-(01) राउड कैप

(12) कागज का एक टुकड़ा, जो शायद अज्ञात बोली में लिखा गया समाचार- पत्र है

(13) प्लास्टिक का एक टुकड़ा (पारदर्शी), माप 2X15 इंच

(14) विस्फोटक के अवशेषों से युक्त संदिग्ध दो किलोग्राम का कैरी बैग

(15) हवा भरने के लिए वाल टयूब युक्त तीन इंच लंबाई वाली टयूब का एक टुकड़ा

(16) एक गोल कंटेनर हरे रंग में लगभग एक इंच व्यास का

(17) क्षतिग्रस्त हालत में एक कच्चे तेल की पाइप (लोहे की) लगभग चार फीट लंबी

जांच अधिकारी ने निम्नलिखित गवाहों के बयानों की जांच की और उन्हें रिकार्ड किया:-

(1) श्री उमेश पाटोर, पुत्र हीरालाल पाटोर निवासी दिकोम सेसा गांव, लाहोवाल (जब्ती गवाह)

(2) श्री हेरंबा दास पुत्र स्व. केसब दास निवासी दिकोम सेसा गांव, लाहोवाल (जब्ती गवाह)

(3) श्री सुबोध देवनाथ, पुत्र हरी पाडा देवनाथ निवासी दिकोम (गवाह)

(4) श्री हरी चरण कहार, पुत्र बहादुर कहार निवासी दिकोम, सेसा

(5) श्री राजीब पेगिंग, पुत्र स्व. जोगेश पेगिंग ऑफ सिक्यूरिटी कंट्रोल, दुलियाजान

जांच के दौरान जांच अधिकारी ने निम्नलिखित आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया:

(1) अजय गोगोई उर्फ सोनी असोम प्रतिबंधित उल्फा (आई)संगठन का सदस्य, पुत्र श्री सेनीराम गोगोई, दीनजॉय, चबुआ।

उसने अपने सहयोगी पोलाश असोम (रॉबिन दोहोटिया) के साथ मिलकर दिनांक 24.05.2017 की रात को डिकॉन सेसा में उक्त कच्चे तेल की पाइप लाईन में तोड़-फोड़ करने के अपराध को कबूल किया, उसका उक्त सहयोगी असोम बम्ब प्लांट करते समय मारा गया था (जिसके शव की पहचान उसके भाई रिजू दोहोटिया, पुत्र रत्न दोहाटिया निवासी टोगोना बाजार, पुलिस स्टेशन-टोगोना, तिनसुकिया ने की थी। उन्हें प्रतिबंधित उल्फा (आई) संगठन के मेजर अरुणोदय दोहोटिया ने ऐसी घटिया करतूत को अंजाम देने का निर्देश दिया था। उसके कब्जे से चीन निर्मित एक जिंदा ग्रेनेड बरामद किया गया था और उसे विधिवत जब्त कर लिया गया था। यह मामला जांच के तहत लंबित है।

36. श्री गौरव अभिजीत दिलीप जो वर्तमान में 27 जनवरी, 2020 से पुलिस अधीक्षक, नागांव जिला, असम के रूप में सेवारत हैं, ने अपने साक्ष्य में हलफनामे पर निम्नानुसार कहा है:

दिनांक 28.11.2018 को शिकायतकर्ता एसआई सुनमोनी सैकिया, सुपुत्र स्व. कलीमान सैकिया, प्रभारी इताचली (टाउन आउट पोस्ट) टीओपी, पुलिस स्टेशन नागांव ने इस संबंध में एक एफआईआर (प्रदर्श 1631) दर्ज की कि उसे दिन दोपहर लगभग 12.20 बजे, सूचना के अनुसार उन्होंने प्रतिबंधित उल्फा संगठन का एक झंडा बरामद किया जिसे स्वर्गीय पबित्रा जमीदर, स्वर्गीय प्रशांत बोरा और स्व. शरत काकाती के शहीद स्मारक (स्वाहिद बेदी) पर नागांव पुलिस स्टेशन के तहत भूटिया डेका प्ले ग्राउंड, भूटिया गांव में बांस के डंडे पर एक झंडा फहराया गया था क्योंकि प्रतिबंधित उल्फा संगठन द्वारा दिनांक 28.11.2018 को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया गया था

पुलिस स्टेशन में एफआईआर प्राप्त होने पर, नागांव पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(B)/121/121(क) के तहत मामला संख्या 4022/18 दर्ज किया गया और इसकी जांच की जा रही है।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने दो व्यक्तियों अर्थात श्री भास्कर बोरा (49 वर्ष) पुत्र स्व. बकुल चन्द्र बोरा निवासी बटाडरवा पुलिस स्टेशन के तहत दमदमीया बलीसतरा और श्री नरेन गोहेन (67 वर्ष) पुत्र स्व. कमल चन्द्र गोहेन, निवासी गांव-दिपलो, नागांव पुलिस स्टेशन, जिला नागांव को इस संबंध में गिरफ्तार किया और विभिन्न वस्तुओं और दस्तावेजों को जब्त किया। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे दिनांक 28.11.2018 को नागांव पुलिस स्टेशन के तहत भूटियाडेका प्ले ग्राउंड, भूटिया गांव में स्व. पवित्रा जमीदर, स्वर्गीय प्रशांत बोरा और स्व. शरत काकाती के शहीद स्मारक (स्वाहिद बेदी) पर प्रतिबंधित उल्फा संगठन का झंडा फहराने में शामिल थे।

37. श्री अमृत भुयन, एपीएस, जो वर्तमान में जिला दरांग, असम में दिनांक 22 जनवरी, 2019 से पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने अपने शपथ में निम्नलिखित बयान दिए हैं:

(i) दिनांक 28.03.2015 को शिकायतकर्ता श्री विमलेश कुमार पहाड़िया पुत्र शांति लाल जैन, सी/ओमंगलदई सर्विस स्टेशन, ने पुलिस थाना मंगलदई में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1651) दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 27.03.2015कोलगभग सांय 7.30 बजे दो अज्ञात मोटरसाइकल सवार बदमाश हथियारों के साथ आए और उन्होंने पीएस मंगलदई के तहत बरजामगुड़ी के पास स्थित मंगलदई सर्विस स्टेशन के कर्मचारियों पर गोलियां चलाईं। परिणामस्वरूप, एक कर्मचारी नामत: मनोज पटेल (33 वर्ष) पुत्र श्री तेज नयन पटेल, ग्राम- मादी नगर बनकठ, पुलिस थाना बरुगंज, जिला- मुजफ्फरपुर (बिहार) गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल मंगलदई सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया और डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन उसे नारायण अस्पताल, उत्तर गुवाहाटी में दाखिल किया गया जहां उसी दिन रात को लगभग 9.50 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में, पुलिस थाना मंगलदई में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 302/34 के अधीन मामला संख्या 238/2015 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने पीओ से .76 एमएम गोलाबारूद के 3 खाली खोखे और एक गोली जब्त की।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने बताया कि लगभग1-1 ½ वर्ष पहले, कुछ उल्फा सदस्यों ने शैल पैट्रोल पंप के मालिक से पैसे मांगे थे और मांग पूरी न होने के कारण उल्फा(आई) के सदस्य दीपक बोराह और एक अन्य ने उक्त पैट्रोल पंप के कर्मचारी मनोज पटेल की हत्या कर दी।

(ii) दिनांक 16.04.2017 को शिकायतकर्ता उप निरीक्षक हेमंत बरुआह ने मंगलदई पुलिस थाने में गुप्त सूचना पर आधारित एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1676) दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि हिदाली ग्रुप नामक उल्फा(आई) का एक समूह म्यांमार से आम जनता में से सदस्यों की भर्ती करने और पैसा एकत्र करने आया था। जिला दरांग के समर्थकों/शरणदाताओं की सहायता से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें उक्त समूह का एक सदस्य नामत: हरेन डेका पुत्र खितेश्वर डेका, पुलिस थाना कलईगांव के अंतर्गत नंबर 2 नाहरबाड़ी, जिला- उदलगुरी (बीटीएडी) को नगांव पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तथा बाद में उसे दो मोबाइल हेंडसेट और कागजातों के साथ पुलिस थाना मंगलदई के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2013 में उल्फा(आई) में शामिल हुआ था और वर्तमान में वह उल्फा(आई) का फुटड्रिल इंस्ट्रक्टर है और वह मंगलदई में नए काडरों को भर्ती करने आया था। इस संबंध में, पुलिस थाना मंगलदई में विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13/19 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या 289/2017 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान, हिरासत में लिए अभियुक्त हरेन डेका उर्फ निखिल एक्सोम उर्फ अखिल गोगोई पुत्र खितेश्वर डेका, पुलिस थाना कलईगांव के अंतर्गत नंबर 2 नाहरबाड़ी, जिला- उदलगुरी (बीटीएडी) को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के दौरान, एसबी एचडब्ल्यूआर से ज्ञात हुआ कि वह म्यांमार में प्रशिक्षित उल्फा(आई) के 78वें बैच का काडर है जो जनवरी, 2013 में उल्फा(आई)में भर्ती हुआ था। यह भी खुलासा हुआ कि वह दरांग जिले में उल्फा(आई)के नए काडरों की भर्ती करने के लिए आया था। जांच पूरी होने के बाद, गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस थाना मंगलदई में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122 के अधीन मामला संख्या 58/2019 दर्ज किया गया।

(iii) दिनांक 21.06.2018 को शिकायतकर्ता निरीक्षक निरंजन बरुआह ने ओ/सी मंगलदई पुलिस थाने में एक प्राथमिकी (प्रदर्श. 1701) दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि दिनांक 21.06.2018 को यहगुप्त सूचना मिलने पर कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फ़ा(स्वाधीन) द्वारा चपाई क्षेत्र के एक व्यवसायी से मोबाइल फोन पर पैसे मांगे गए हैं, उसने टीएसआई प्रेमांकुर हजारिका , एसआई (प्रोग) कृष्ण कान्त लस्कर और डीएसपी(मुख्यालय), दारांग, मंगलदई श्री अमित होजई, एपीएस के नेतृत्व के अधीन एक एपीआर पार्टी ने श्री चिन्मय कालिता (19 वर्ष) पुत्र श्री पुतुल कलिता, बोरपुखुरी, पीएस कालईगाँव, जिला उदलगुरी के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से दो मोबाइल हैंडसेट और एक इस्तेमाल किया हुआ सिम कार्ड नंबर 8811902018 बरामद किया। धमकी भरे कॉल और टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करने वाले पीड़ित की जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी के मोबाइल फोन नंबर 8811902018 से पीड़ित के मोबाइल फोन नंबर 9101984330 पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा (स्वाधीन) के नाम पर 23.06.2018 से पहले 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) देने की मांग की गई और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। । इसके अलावा, आरोपी व्यक्ति उल्फा (स्वाधीन) का सदस्य है जो स्वयंभू क्षेत्र कमांडर बिस्वजीत डेका और मेजर असोम परेश के मार्गदर्शन में काम करता है। । इस संबंध में, पुलिस थाना मंगलदई में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के अधीन मामला संख्या 477/2018 दर्ज किया गया और उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान, आईओ ने आरोपी व्यक्ति से दो मोबाइल हैंडसेट के साथ सिम कार्ड नंबर 8811902018 और एयरटेल के दो सिम कार्ड और पीड़ित के पास से एक मोबाइल हैंडसेट के साथ सिम कार्ड नंबर 9101984330 और मोबाइल नंबर 8811902018 से भेजे गए टेक्स्ट मैसेज के स्क्रीन शॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग (जबरन धन वसूली संबंधी कॉल) से युक्त 4 जीबी एसडी कार्ड जब्त किए गए। जांच अधिकारी ने एक दुकान से एक सिम एंट्री रजिस्टर भी जब्त किया, जिसमें पाया गया कि सिम कार्ड नंबर 8811902725 और 8811902018 मनिका कालिता के नाम से जारी किए गए थे (यानी सिम कार्ड नंबर 8811902018 जिसका इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए आरोपी व्यक्ति करता था)।

जांच के दौरान, आईओ ने आरोपी श्री चिन्मय कालिता को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान, यह पता चला था कि उल्फा (आई) संगठन के सदस्य आम लोगों से जबरन पैसे वसूली में शामिल थे। इस मामले में जांच चल रही है।

38. भारत सरकार और असम राज्य के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, मामला 20.06.2020 को बहस के लिए तय किया गया जिसमें श्री पी. नायक और श्री ए. चलिहा द्वारा समर्थित श्री केयल, विद्वान एएसजीआई और श्री सैकिया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने संबंधित तर्क प्रस्तुत किया। दोनों विद्वान वकीलों के तर्क का सार यह है कि दिनांक 25.11.2014 को संगठन के गैरकानूनी घोषित होने के बाद भी वह भारतीय क्षेत्र से असम राज्य के अलगाव की अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर प्रतिबद्ध है। चूंकि हिंसा के मार्ग को बंद करने का कोई संकेत नहीं है और न ही संगठन ने अपने लक्ष्य को बदला है, इसलिए संदर्भ के तहत अधिसूचना में वर्णित आधार उचित हैं। इसके अलावा, साक्ष्य असम राज्य द्वारा जिलों जिनमें यह संगठन अपनी गतिविधियां चला रहा है, के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य अधिसूचना में भारत सरकार द्वारा किए गए दावों को पर्याप्त समर्थन देता है। तदनुसार, दोनों विद्वान वकीलों ने अधिसूचना के पक्ष में निर्णय के लिए अनुरोध किया।

39. उपरोक्त 16 (सोलह) पुलिस अधीक्षकों केसाक्ष्य दर्ज किए गए हैं जोअसम राज्य के उतने ही जिले से हैं जिसमें वर्ष 2015 से लेकर अब तक उल्फा काडरों के कृत्यों को दर्ज किया गया है। अभिसाक्षियोंने साक्ष्यमें संदर्भित मामलों के खिलाफ प्रमाणित रूप में सहायक दस्तावेजों को दर्शाया और कुछ दस्तावेज मूल साबित हुए। संगठन के काडरों की गतिविधियों से

प्रभावित जिलों में वास्तविक जमीनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से बातचीत की जो ट्रिब्यूनल में गवाहों के रूप में उपस्थितथे। मूल्यांकन के अनुसार, ऊपरी असम, कामरूप (एम) और गोलपारा में मेघालय-बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों को छोड़ दें, तो बाकी जिलों में संगठन के काडर की गतिविधियाँ, जहां वर्ष 2016 से 2018 तक बहुत अधिकथीं, काफी कम हो गईं हैं। लेकिन यह निर्णय के लिए एकमात्र विचार नहीं हो सकता है। तदनुसार, अन्य बातों पर भी नीचे चर्चा की गई है।

40. मैंने विद्वान वकीलों की प्रस्तुति पर विचार किया है। उल्फा संगठन जिसके खिलाफ अधिसूचना जारी कर यह घोषित किया गया था कि यह एक गैरकानूनी संगठन है, कार्यवाही के दौरान उसकी ओर से कोई नहीं उपस्थित हुआ। दूसरी ओर, भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के माध्यम से इसके सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग मौजूद थे, ने अपने आधार के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया । असम राज्य के उन जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिनमें उल्फा संगठन के सदस्य सक्रिय हैं, ने अपने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं।

41. साक्ष्य बताते हैं कि संगठन के सदस्यों द्वारा किए गए मुठभेड़ों, हमलों, अपहरण, विस्फोटों, वसूली की घटनाएं दिनांक 28.11.2014 से ले कर अभी हाल के दिनों तक जारी हैं। मुठभेड़ों में उल्फा (आई) काडरों के साथ-साथ नागालैंड राज्य के उग्रवादी संगठन के अन्य काडरमारे गए। इसके अलावा, उल्फा (आई) काडरों द्वारा किए गए हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों की भी मौत हो गई। हालांकि हिंसा की प्रवृत्ति में गिरावट जारी है, लेकिन भारतीय क्षेत्रों के बाहर शिविरों में नए काडरकी भर्ती और प्रशिक्षण के लिए मुहिम चलाने जैसी अन्य गतिविधियां चल रही हैं। इस संबंध में कुछ उच्च श्रेणी के काडरके डिब्रीफिंग बयानों पर विचार किया गयाहै। उदाहरण के लिए, अगर हम असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के संयुक्त सचिव श्री सिमांता कुमार दास के साक्ष्यों पर गौर करें, तो यह देखा गया है कि 2016-2018 की अवधि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से नए युवा काडरकी भर्ती में अचानक उछाल आया था। उल्फा की प्रचार शाखा ने समाज के युवा कमजोर वर्ग को उकसाने वाली राष्ट्रविरोधी भावनाएं पैदा करके सोशल मीडिया के माध्यम से उल्फा (आई) की अलगाववादी विचारधारा की ओर आकर्षित होने के लिए प्रेरित किया। मैंगोलाघाट पी.एस. मामलासंख्या 1163/19 आईटी अधिनियम की धारा 66 (एफ) के साथ पठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/ 121/121 (क)/109 66 (प्रदर्श 24 और 26 एफआईआर और दिनांक 28.11.2019 की जीडीई की प्रमाणित प्रतियां) लेता हूं। उल्फा (आई) के सदस्यों ने गोलघर जिले के पुरबंगला नामक स्थान पर सड़क के डिवाइडर पर उल्फा के झंडे फहराए जिसमें संगठन में काम करने के लिए युवकों को आकर्षित करने के इरादे से "उल्फा जिंदबाद" के पर्चे भी थे। दिनांक 8.8.2019 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/ 121/121 (क)/124(क) के अधीन (प्रदर्श 62 प्राथमिकी है) मामला संख्या 316/2019 को पुलिस थाना धेमाजी में दर्ज किया गया था और जांच में धेमाजी जिले के मोरीदल और लिपुलिया के बीच 4 (चार) उल्फा (आई) कैडर को गिरफ्तार किया गया था। उनके बयानों के अनुसार उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आग लगा दी थी और वीडियो फुटेज को राष्ट्रीय विरोधी संदेश के साथ सोशल मीडिया में अपलोड किया गया था। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121/122,(प्रदर्श 98 प्राथमिकी है) पुलिस थाना काकी मामला संख्या 154/2019 से पता चलता है कि उल्फा(आई) के समर्थकों द्वारा 28.11.2019 को होजई जिले में काकी जूनियर कॉलेज, काकी में उल्फा (I) का झंडा फहराया और सोशल मीडिया में वीडियो फुटेज डाला।

42. पूर्वोक्त साक्ष्य, संगठन के राष्ट्र-विरोधी प्रचार का स्पष्ट संकेत देते हैं और वास्तविक उद्देश्य समाज के कमजोर युवा वर्ग को उस विचारधारा का अनुसरण करने के लिए आकर्षित करना है जो भारत से असम राज्य को अलग करना चाहते हैं।

43. साक्ष्य से आगे, मेरा मानना है कि इस संगठन के पास पूर्वोत्तरभारत के अन्य राज्यों के अन्य अलगाववादी संगठन के साथ भारतीय क्षेत्र से पूर्वोत्तरको अलग करने की अपनी योजना को सफल करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति है। उस उद्देश्य के लिए उल्फा (आई) अन्य संगठनों के साथ पास के देशों में अपने संबंधित शिविर लगा रहा है। अगर इस संबंध में, पुलिस थाना बोर्डमासा में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/307/34 के अधीन मामला संख्या 11/2016 पर गौर किया जाए तो सत्य यह है कि आस-पास के राज्य असम और उल्फा (आई) के अन्य संगठनों के सदस्य विध्वंसक कृत्यों में अपने समन्वित सांठगांठ को बनाए रख रहे हैं। यह मामला 16.02.2016 को

तिनसुकिया जिले के वथोई गांव में मुठभेड की बात करता है जिसमें 4 (चार) उल्फा (आई) और एनएससीएन (के) काडरों को सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार दी गई थी।

44. राज्य द्वारा दिए गए साक्ष्यमें संगठन के शस्त्रागार में हथियारों और गोला-बारूद के भंडार को रिकॉर्ड में रखा गया है जो कि काफी मात्र में है। आम जनता की बात हीन की जाए हथियारों और गोला-बारूद से लैस संगठन सुरक्षा बलों को मारने में सक्षम हैं। पुलिस थाना पेंगारी मामला संख्या 63/2016 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/341/353/427/302/326/307/179 (प्रदर्श 260 एफआईआर की प्रतिलिपि है) दर्शाता है कि उल्फा (आई) के सदस्यों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया जब वे तिनसुकिया जिले के पेंगब्री से डिगबोई की ओर बढ़ रहे थे। दिनांक 20.11.2016 को उक्त हमले में सुरक्षा बलों की जान-माल की हानि हुई।

45. यदि पुलिस थाना साक्षीघाट मामला संख्या 36/18 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/302/307 (प्रदर्श 700 एफआईआर की प्रतिलिपि है) को देखा जाए तो समाज के लोगों को आतंकित करने के लिए उल्फा(आई) के काडरों की क्रूरता का आकलन किया जा सकता है। दिनांक 01.11.2018 को अपराह्नलगभग 7:30 बजे 6 (छह) अज्ञात बंदूकधारियों के सदस्यों ने सोदिया जिले के खेरबोर्बी गांव में प्रवेश किया, एक दुकान से 6 (छह) ग्रामीणों को अपने पीछे आने के लिए कहा और 5 (पाँच) लोगो को करीब से गोली मार दी। हालाँकि 6 (छह) में से 1 (एक) ग्रामीण खुद को बचाने में सफल रहा जिसने संगठन के सदस्यों द्वारा किए गए क्रूर हमले के बारे में बताया। यह निस्संदेह रूप से संगठन के काडरों द्वारा समाज में अराजकता का माहौल बना कर आम लोगों पर नियंत्रण हासिल करने का एक प्रयास है।

46. संगठन के काडर अपहरण और जबरन वसूली की वारदातों में लिप्त हैं। यदि कोई व्यक्ति संगठन के कैडरों द्वारा पैसे की मांग को पूरा करने में विफल रहता है तो वे उसे मार डालते थे। अपहरण के मामले में, उल्फा(आई) काडर फिरौती के भुगतान के बाद ही अपहृत व्यक्ति को छोड़ देते थे। पुलिस थाना मंगलदोई मामला संख्या 238/2015 (प्रदर्श 1651 एफआईआर की प्रतिलिपि है) दर्शाता है कि पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा मांगे गए पैसों की पूर्ति न होने के कारण, उल्फा(आई) काडर ने डारंग जिले में मंगलदोई सर्विस स्टेशन, मंगलदोई पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। । पुलिस थाना डीमॉव, मामला संख्या 380/2018 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/6 के साथ पठित आईपीसी की धारा 320 के साथ जोड़ी गयी आईपीसी की धारा 120(ख) भी एक ऐसा ही मामला है जिसमें एक हार्डवेयर की दुकान का मालिक और एक अन्य व्यक्ति उल्फा(आई) काडर द्वारा फेंके गए एक ग्रेनेड से घायल हो गए। बाद में घायल व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना बोरहाट, मामला संख्या 54/2018 आईपीसी की धारा 365 (प्रदर्श 1042 एफआईआर की प्रतिलिपि है) चराईदेव जिले में पुलिस थाना बोरहट के तहत टिमोन हबी टी एस्टेट के एक श्री नोमल च. बरुआ के अपहरण का मामला है। फिरौती की रकम मिलने पर उक्त व्यक्ति को छोड़ा गया था।

47. देश के गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस का आगमन ही संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए एक कारण है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर बमों के विस्फोट जैसी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं ताकि आम जनता को इन दो दिनों में सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जा सके। प्रदर्श 1141, चराईदेव जिले के मथुरापुर पुलिस थाने में एफआईआर जो 26.01.2017 को दर्ज की गई थी, ने बताया कि पंजिज में इसके अलावा उक्त पुलिस के अधीन एक पेट्रोल पंप और लेंगीबेर तिनाली में एक ही दिन एक साथ दो आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट हुए थे। जांच के अनुसार उक्त विस्फोट उल्फा (आई) काडरों द्वारा किए गए थे। सोनारी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर (प्रदर्श 1191) के अनुसार दिनांक 26.01.2020 को चराइदेव जिले में इसी तरह का विस्फोट किया गया था। एफआईआर प्रदर्श 1564 के अनुसार डिब्रूगढ़ पुलिस थाना मामला संख्या 151/2020 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 (ख)/121 (क)/307/427 डिब्रूगढ़ जिले में उक्त पुलिस स्टेशन के तहत ग्राहम बाज़ार में एक और बम विस्फोट किया गया और इसी प्रकार, एफआईआर, प्रदर्श 1592 पुलिस थाना डिब्रूगढ़ मामला संख्या 152/2020 में डिब्रूगढ़ शहर में दिनांक 26.01.2020 को एक बम विस्फोट किया गया। जैसा कि डूमडोमा पुलिस थाना मामला संख्या 298/2016 तथा 299/2016 की प्राथमिकी (प्रदर्श 465 और प्रदर्श 492) से स्पष्ट है तिनसुकिया जिले के डूमडोमा में दिनांक 15.08.2016 को बमों का विस्फोट किया गया था।

48. संगठन ने अपने काडरों के माध्यम से अपने विध्वंसक कृत्यों से राष्ट्र को संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। लखपनी पुलिस थाना में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/ 121/121(क)/ 122/342/436/427/384/379/323 के तहत दर्ज़ प्रथिमिकी, मामला संख्या 11/2018 प्रदर्श 322 के अनुसार तिनसुकिया जिले में दिनांक 16.01.2018 को उग्रवादियों ने अरुणाचल प्रदेश के खेरसांग से डिग्बोई असम में कच्चा तेल ले जा रहे 8 (आठ) तेल टैंकरों में आग लगा दी। उक्त कच्चे तेल को डिग्बोई रिफाइनरी में शोधन के लिए परिवहन किया जा रहा था।

49. राज्य और भारत सरकार के साक्ष्य से पता चलता है कि 27.11.2014 से 25.05.2019 तक विस्तारित प्रतिबंध की अवधि के दौरान संगठन ने 72 (बहत्तर) घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें 21 (इक्कीस) व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 16 (सोलह) नागरिक हैं और 5 (पांच) सुरक्षा बल के सदस्य हैं। इस तरह के कार्य सशस्त्र संघर्ष को तेज करने के लिए संगठन के सदस्यों के निर्धारित इरादे को इंगित करते हैं। संगठन लोगों को आतंकित करने के लिए ऐसे कार्य कर रहा है ताकि भय से बचाव के लिए लोग जबरन वसूली या किसी अन्य मांग के माध्यम से पैसे की मांग को पूरा कर दें, जिसके परिणाम संगठन के अनुकूल हैं लेकिन समाज की लिए बेहद असुविधाकारक हैं। संगठन उस क्रूरता को स्थापित करने में सक्षम हो गया है जिसके साथ वह अपने मिशन को चलाताहै और परिणामस्वरूप, अपहरण से फिरौती वसूल कर अपने फायदे में सफल रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि संगठन अक्सर विध्वंसक कार्य से समाज के लोगों के मन में भय पैदा करता रहे। उपर्युक्त विध्वंसक कार्यों से उन जगहों पर लोगो में डर का माहौल है जहां पर इस संगठन का दबदबा है। इस तरह के भय की लहर समाज की समरसता को विचलित करने वाली असामान्य घटना की स्थिति पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

50. **हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य आदि बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने एआईआर 1994 एससी 2623 में** सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने "आतंकवाद" को बढ़ती अराजकता और हिंसा के रूप में व्यक्त किया है । इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को परेशान करना या समाज की सद्भावना को बिगाड़ना या समाज और लोगों को "आतंकित" करना और न केवल उन लोगों पर सीधा हमला करना है बल्कि समाज की स्थिरता, शांति और अमन चैन को हिला कर भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना है। अनुभव से पता चला है कि "आतंकवाद" आम तौर पर डराने-धमकाने और लोगों के मन में बड़े या किसी भी तबके में भय या लाचारी पैदा कर सत्ता या नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने का एक प्रयास है और यह पूरी तरह से असामान्य भावना है। वर्तमान संदर्भ में उपरोक्त वर्णित रिकॉर्ड के साक्ष्यों को देखते हुए, यह मानना पर्याप्त है कि असम के राज्य के भीतर इन संगठनों के गढ़ रहे जिलों में एक असामान्य भावना मौजूद है।

51. "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" शब्द को अधिनियम, 1967 की धारा 2 (ण) के तहत परिभाषित किया गया है जो यहां प्रस्तुत है: -

> *"विधिविरुद्ध क्रियाकलाप", से किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में, ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई (जो किसी कृत्य या शब्दों द्वारा, बोल कर या लिख कर या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिदर्शन द्वारा या अन्यथा की गई हो) अभिप्रेत है, -*
>
> *(i) जिसका आशय किसी भी आधार पर भारत के भू-भाग के किसी भाग के अध्यर्पण या संघ से भारत के भू-भाग के किसी भाग के विलगन को प्राप्त करना है या जो इससे संबंधित किसी दावे का समर्थन करता हो या जो ऐसे अध्यर्पण या विलगन को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उत्प्रेरित करता हो; या*
>
> *(ii) जो भारत की संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता के दावे को समाप्त करता हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, उसमें विघ्न डालता हो या जिसका आशय उसमें विघ्न डालने का हो; या*
>
> *(iii) जो भारत के विरुद्ध अप्रीति कारित करता हो या जिसका आशय अप्रीति कारित करने का है।"*

52. यदि यहांबताए गए कृत्यों और साक्ष्य के रूप में उल्लिखित कृत्यों को उपरोक्त परिभाषा के प्रकाश में विचार किया जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन परिभाषा के दायरे में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से अधिसूचना के तहत विशिष्ट आधारों का उल्लेख किया था जिनके आधार पर घोषणा की गई थी। श्री दास, असम सरकार के संयुक्त सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग, ने अपने साक्ष्य में उल्फा (आई) के एक सक्रिय

सदस्य श्री प्रणमॉय राजगुरु के डिब्रीफिंग बयान के आधार पर एक विशिष्ट बयान दिया कि संगठन असम की स्वतंत्रता तक अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने के लिए दृढ़निश्चित है। प्रचार इकाई के श्री अरुणोदय दोहोटिया ने दोहराया कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से संप्रभु स्वतंत्र असम की स्थापना करना उल्फा (आई) का एकमात्र उद्देश्य है। संगठन द्वारा उक्त साक्ष्य के संबंध में कोई इनकार नहीं किया गया है और न ही इस तरह के बयान और/या संदर्भ के तहत अधिसूचना में उल्लिखित आधारों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होना आवश्यक महसूस किया गया है। निष्कर्ष के तौर पर केवल मैं यह बता सकता हूं कि संगठन के सदस्यों/काडर को शामिल करने वाले ऐसे विध्वंसक कृत्य के पीछे अभिप्राय सामान्य रूप से समाज में भय के माहौल का निर्माण करना है और भारत की मुख्यधारा से अलग एक स्वतंत्र असम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। । इससे पता चलता है कि इस संगठन के काडरों की विध्वंसक गतिविधियों का इरादा असम राज्य की आज़ादी है, जो भारत के संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा है क्योंकि संगठन भारत की संप्रभुता और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को नकारता है।

53. जैसा कि ऊपर बताया गया है वर्तमान कार्यवाही का उद्देश्य दिनांक 27.11.2019 को जारी अधिसूचना में संगठन उल्फा को गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित करने के आधार की जांच करना है। इस आधार के समर्थन में, भारत सरकार ने दिनांक 27.11.2014 (पहले की अधिसूचना जारी करने की तिथि) के बाद से यह बताने के लिए पर्याप्त सामग्री को रिकॉर्ड में रखा था कि संगठन ने भारतीय भू-भाग से असम राज्य को अलग करने के लिए विध्वंसक कार्य किए। संगठन ने भारत सरकार के दावे को नकारने के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत की है। यदि उन आधारों तथा सहायक सामग्री के बारे में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लिया जाए तो जो दिनांक 27.11.2014 की पूर्व अधिसूचना जारी करते समय विचार में लिए गए आधारों एवं सहायक सामग्री के अतिरिक्त है,तो यह उसी आधार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसके आधार पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री सत्येन्द्र गर्ग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 नवंबर 2019 केका.आ.4273 (अ) द्वारा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

54. "विधिविरुद्ध संगम" शब्द को अधिनियम, 1967 की धारा 2 (त) के तहत परिभाषित किया गया है जो यहां प्रस्तुत है: -

"विधिविरुद्ध संगम" से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है;-

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या जो किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसमें सहयोग करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं; या

(ii) जो अपने उद्देश्य के लिए ऐसे क्रियाकलाप करता है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153क या धारा 153ख के अंतर्गत दंडनीय है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं: परंतु यह कि उप खंड (ii) में अंतर्विष्ट कोई भी बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी।"

55. यह पहले ही साबित हो चुका है कि यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फ़ा) संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और अब यह नए नाम यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) (उल्फ़ा/आई) से भी एक गैरकानूनी संगठन है। संदर्भ में निर्णय लिया गया है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री सत्येंद्र गर्ग द्वारा जारी दिनांक 27 नवंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना का.आ.4273 (अ) में घोषणा की पुष्टि करता है।

न्यायमूर्ति प्रशांतकुमार डेका

पीठासीन अधिकारी

उल्फ़ा के मामले में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3187(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Prasanta Kumar Deka, Judge, Gauhati High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as unlawful, is published for general information:

[F. No.11011/03/2019-NE.V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

AAI BUILDING, MAGISTRATE'S COLONY, HADAYTPUR, GUWAHATI

IN THE MATTER OF :**UNITED LIBERATION FRONT OF ASOM (ULFA)**

BEFORE

HON'BLE MR JUSTICE PRASANTA KUMAR DEKA

Presiding Officer

For the State of Assam	:	Mr. D. Saikia, Senior Advocate
		Mr. P. Nayak, Advocate
		Mr. A. Chaliha, Advocate.
For the Union of India	:	Mr. S. C. Keyal,
		Assistant Solicitor General of India.
Date of hearing	:	20.06.2020
Date of adjudication	:	03.08.2020

ORDER

1. On 27th November, 2019, a Notification being S.O. 4273(E) was issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the Central Government was of the opinion that the activities of the United Liberation Front of Asom (hereinafter referred to as ULFA) were detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association.

2. The Central Government was also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the unlawful activities of ULFA, it may take the opportunity to mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities; openly propagate anti-social activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity; indulge in killings of civilians and targeting police and security forces personnel; procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border and extort and collect funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities; and therefore existing circumstances rendered it necessary to declare the ULFA as an unlawful association with immediate effect. Accordingly, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967(hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared ULFA as an unlawful association.

3. The Central Government was also of the opinion that it was necessary to declare the ULFA to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act, the Central Government directed that the notification shall, subject to any order made under section 4 of the Act, would have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

4. For the purposes of Section 3(1) of the Act, the Central Government was of the opinion that the ULFA has been: (i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which may disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam; (ii) aligning

itself with other unlawful associations of the North Eastern Region to secede Assam from India; (iii) engaging in unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association, in pursuance of its aims and objectives.

5. The Central Government is of further opinion that the unlawful and violent activities which are attributed to ULFA include- (i) occurrence of about seventy incidents of violence, either individually or in alliance with other insurgent groups of North East Region, during the period from 1st January 2015 to 31st July 2019, (ii) killing of thirty-two persons, including twenty-five civilians and seven security forces personnel, during the period from 1st January 2015 to 31st July 2019, (iii) kidnapping of six persons, during the period from 1st January 2015 to 31st July 2019, (iv) forty-seven cases of recovery of unauthorized arms and ammunitions from its cadres, (v) indulging in a spate of extortions and secessionist activities, and endangering the lives of innocent citizens, in addition to acts of kidnappings for ransom, (vi) instructing its cadres to carry out acts by targeting the establishments of security forces and their personnel, political leaders, railways and oil installations, (vii) establishing sanctuaries and training camps in the neighbourhood countries, and (viii) embarking upon restructuring of its organizational network at the grass root level by launching a systematic drive for recruitment of fresh cadres while continuing its violent and insurgent activities.

6. Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Act, "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" was constituted by a notification being S.O. 4613(E) dated 24th December, 2019 issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient cause of declaring the ULFA as Unlawful Association. By virtue of Section 4(3) of the Act, the Tribunal was required to adjudicate whether or not there was sufficient cause for declaring the ULFA as an unlawful association within the meaning of the expression defined under Section 2(p) of the Act, by holding an inquiry.

7. In support of its case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted a resume regarding the aims/objectives and violent activities of ULFA.

8. The reference was received by the Registrar of the Tribunal on 20.12.2019. The reference was placed before the Tribunal on 02.1.2020, after winter vacation of the Hon'ble Gauhati High Court. Having received it, vide order dated 02.1.2020, this Tribunal deemed it fit to direct the issuance of letter to inform the Government of Assam to provide a venue for the Tribunal along with infrastructure to initiate the proceedings. Accordingly, the Government of Assam allotted a venue for the Tribunal on 02.3.2020. Thereafter, the Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 14.3.2020. After recording satisfaction on perusal of materials placed by the Central Government and hearing the representatives of the Ministry of Home Affairs, UOI, Department of Home and Political, Government of Assam and of Assam Police, notice under Section 4(2) of the Act was ordered to be issued to the ULFA to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why the said Association should not be declared unlawful and why order should not be made confirming the declaration under Section 3(1) of the Act. Notice was directed to be served in the prescribed manner in the Act and accordingly the Notification banning ULFA was served in the following manner:-

(a) By Speed Post/Registered A/D at the last known address of ULFA along with all their factions, wings and front organizations as well as that of their principal office bearers.

(b) Service of notice on the office bearers of the ULFA in Assam at its addresses, if any or if under detention, through the Superintendent (Jail) concerned.

(c) Publication along with a copy of the Gazette Notification dated 23rd November, 2019 in two daily newspapers, one in a National Newspaper (in English) and the other in prominent local newspaper (vernacular) in Assamese respectively, having wide circulation in the areas where the activities of the ULFA are ordinarily carried on, within 14 days from the date of order.

(d) Affixation of the notice along with a copy of the Gazette notification dated 23rd November, 2019, at the last known addresses of the ULFA along with all their factions, wings and front organizations as well as their principal office bearers.

(e) Proclamation by beating of drums as well as loudspeakers about the contents of the notice and the Gazette notification dated 23rd November, 2019, in the areas in which the activities of the ULFA were or are ordinarily carried on.

(f) Displaying the notice along with a copy of the Gazette notification dated 23rd November, 2019, on the notice Board of the Deputy Commissioner, SDM and Superintendent of Police in all the entire district headquarters of the state (s) where the activities of ULFA were or are believed to be ordinarily carried on.

(g) Serving of notice on the Government of Assam through its Chief Secretary.

(h) Announcement of notice and the gazette notification dated 23rd November, 2019 in All India Radio/electronic media at the prime time and shall also be pasted at the prominent places in the states where the activities of ULFA were or are believed to be carried on.

(i) Affixing copies of the notice at some conspicuous parts of the offices, if any, of ULFA.

(j) Publishing on the website of Ministry of Home Affairs, UOI and of the Department of Home and Political, Government of Assam

(k) Any other possible modes, including e-mails etc.

9. The next date of hearing was fixed on 2nd of May, 2020 at 10:30 a.m. at the office of the Tribunal, in AAI Building, Magistrate Colony, Hedayatpur, Guwahati.

10. Pursuant to the order dated 14th March, 2020, Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary to the Government of Assam, Home and Political Department filed an affidavit on 30th of April, 2020 before the Registrar of the Tribunal on behalf of the State of Assam regarding service of notice on ULFA by different modes including newspaper publications, which was placed before the Tribunal on 02nd of May, 2020.

11. Similarly, Sri R. K. Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, North Block , NE Division, had filed an affidavit dated 30th of April, 2020, on behalf of the Central Government, regarding service of notice on ULFA in the prescribed modes directed by the Tribunal. In the proceeding dated, 02nd of May, 2020 before the Tribunal, considering the submissions made by the learned Counsel of the Central Government and of the Government of Assam and on perusal of the affidavits along with the records showing the manner in which the notice was served upon ULFA, it was held that the show cause notice as required under Section 4(2) of the Act had been duly served upon ULFA.

12. Despite due service, nobody appeared on 02.5.2020, on behalf of ULFA before the Tribunal to show-cause as to why the Association should not be declared unlawful. However, one Mr. Madhab Jyoti Kalita, s/o Late Dhiren Kalita, was produced from the Special Jail, Nagaon, upon whom a notice issued by the Tribunal was served by the SP, Nagaon through the Superintendent of Special Jail, Nagaon. On being asked, he denied to be a member of ULFA. No petition/message/reply/objection was received from ULFA about their willingness to be represented before the Tribunal. Hence, it was held that proceeding would take place ex-parte against ULFA, fixing 09.05.2020 as the date for evidence by the Central Government.

13. The opinion of this Tribunal is required to be delivered as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of issue of the notification under sub-section (1) of section 3 of the Act. The notification was issued on 27.11.2019 and the period of six months expired on 26.5.2020. In the meantime, the Central Government had imposed nationwide lockdown due to COVID-19 pandemic. The Apex Court vide order dated 23.03.2020 extended the limitation period w.e.f 15.3.2020 until further order in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3/2020 in Re : Cognizance for Extension of Limitation. The said order passed under Article 141 of the Constitution of India binds this Tribunal. Accordingly, the prescribed period of six months stands extended until further order by the Apex Court in terms of the order dtd.23.3.2020.

14. The Tribunal fixed 09.05.2020, 16.05.2020, 23.5.2020, 28.05.2020, 20.5.2020, 01.06.2020, 02.6.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020 and 09.06.2020 for evidence. Though, the witnesses of the Government of India and State Government of Assam have adduced their evidences but none appeared on behalf of ULFA to give evidence or to cross examine the witnesses of the government. After the closure of evidence, the date 20.6.2020 was fixed for argument. On 20.6.2020 arguments were heard from the learned Assistant Solicitor General of India, Sri Subhash Chandra Keyal, representing the Central Government and learned Senior Counsel Sri Devajit Saikia, representing the Government of Assam in this proceeding. On 20.6.2020 none appeared on behalf of ULFA to present argument on its behalf. The Tribunal fixed 07.07.2020 for delivery of final order in the matter of ULFA , but due to the imposition of "Total Lockdown" in Kamrup(Metro) district of Assam due to COVID-19 pandemic, the order could not be passed on 07.07.2020, thereby deferring the delivery of the order to 18.7.2020. Due to further extension of the lockdown the same couldnot be prepared. All the proceedings took place in the office of the Tribunal. No public citizen participated in the inquiry. ULFA remained absent till the final disposal of the proceeding.

15. The notification under reference before the Tribunal had declared ULFA as an unlawful organisation U/S 3(1) of the Act. The reference is made under Section 4 of the Act for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. The nature of inquiry contemplated by the Tribunal can very well be gathered, as held by the Apex Court in ***Jamaat-E-Islami Hind –Vs- Union of India*** reported in ***(1995) I SCC 428*** which requires it to weigh the materials on which the notification under sub-Section (1) of Section 3 of the Act is issued by the Central Government, the cause shown by the Association in reply to the notice issued to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the Association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of materials placed before the Tribunal by the two sides, and the inquiry is in the nature of adjudication of a lis between two parties, the outcome of which depends on the weight of the materials produced by them. The determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the materials to support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context.

16. In the present context the aim and objective of the ULFA is not required to be discussed. Suffice it to mention that the organisation was declared as an unlawful organisation within the purview of the Act vide Government of India notification No. 915(E) dated 27.11.1990 for its unlawful activities. Time to time the said declaration was continued and it was last extended with effect from 27.11.2014 vide MHA Notification No. SD 2984(E) dated 27.11.2014 and confirmed by the Hon'ble Tribunal of Unlawful Activities (Prevention) as per MHA Notification No. SO 1751(E) dated 30.06.2015. The period of the said notification dated 27.11.2014 was for five years which expired on 26.11.2019 due to which the notification dated 27.11.2019 was required to be issued.

17. Sri R. K. Pandey, Deputy Secretary in the Government of India, MHA in his evidence on affidavit stated that after the arrest of Sri Arabinda Rajkhowa, the self styled Chairman of ULFA, the Government of Assam initiated peace talks with the jailed leaders. This led to a vertical split of ULFA into two groups one support the peace process led by Rajkhowa and the other led by Sri Paresh Baruah, the self styled Commander-in-Chief of ULFA the anti talk faction which later renamed as ULFA(Independent) [ULFA(I)].

18. The ULFA(I) led by Paresh Baruah is currently based in Ruili, Yunnan Province, China is continuing with violent activities including extortion, recruitment and procurement of arms. The members of ULFA(I) are active in Upper Assam districts of Tinsukia, Dibrugarh, Charaideo, Sivasagar, Lower Assam districts of Goalpara, Dhubri and Guwahati city, bordering areas of Udalguri, Darrang, Sonitpur, Lakhimpur districts of Assam besides in the bordering areas in districts of Tirap, Changlang, Longing, Namsai in Arunachal Pradesh, Mon district of Nagaland and Assam-Meghalaya-Bangladesh border.

19. Mr. Pandey further stated that ULFA(I) has been conducting violent operations both individually and in alliance with other Indian Insurgent Groups (IIG) like NSCN(K) in the bordering areas of Assam and the neighbouring states. On November 19, 2016 and on January 22, 2017 ULFA(I) along with NSCN(K) ambushed army convoys in Tinsukia district of Assam causing casualties to security forces. It also ambushed along with NSCN(K) security forces in Changlan district of Arunachal Pradesh. In 2016 eight IED explosions were carried out by ULFA(I) in Tinsukia and Charaideo districts just before the Independence Day. In 2017, the outfit carried out violent incidents of ambush and explosions causing casualties in security forces just before Independence Day. On 15th May, 2019 a grenade blast was engineered by the outfit at Guwahati. The outfit is indulged in extortion demands by abduction of tea garden owners/contractors/businessmen during 2018-2019. The outfit continues to indulge in anti India propaganda to influence public opinion by boycotting general elections holding it to be a flawed democratic process and has been trying to bring all insurgent groups under a common platform to fight against India. Further ULFA(I) used to incite ethnic violence at the time of the movement in Assam against the amendment of the Citizenship Act, 1955. Upon consideration of the aforesaid unlawful activities the Central Government issued the notification banning the organisation.

20. Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary to the Government of Assam in Home & Political Department in his detailed evidence on affidavit stated the chronological changes/developments in the outfit, ULFA. On the basis of the statement/statements made by the high ranking ULFA(I) cadres records

of which are in the custody of Superintendent of Police (S.O.U), SB, Assam and recorded during the interrogation, the deponent Sri Simanta Kumar Das stated as follows:-

"Highlights of organizational activities during banning period :-

- In pursuance of the secessionist ideology propagated by the publicity unit of ULFA(I) the outfit has been issuing obnoxious statements through electronic media and through social media with a view to inciting common man against the State as well as proliferate the support base of outfit for establishing sovereign Assam.

- In their Press Statements, the publicity wing of outfit including Paresh Barua, ULFA(I) supremo, have been issuing vituperative vocal statements to wage a mind war targeting the common men against the lawfully established Government allegedly to inject the feeling of deprivation and exploitation.

- In April 2015, an executive meeting was held in Council Mobile HQR. (CMHQ of ULFA(I) in Taka that was attended by the SS Chairman, SS C-in-C and other office bearers of the Executive Committee. The meeting took some collective decision on organizational front and for strengthening operational wing.

A separate committee was formed for collection of money through extortion/ ransom which is still continuing.

In this meeting a Naga Base Area Advisory Board was formed under Jeeban Moran's leadership for coordinating and supervising the activities of the ULFA(I) camps located in Naga Liberated Zone in Kanyak Region of Sagaing division of Myanmar.

Recruitment:-

During this period particularly from 2016-2018 a sudden spurt in recruitment has taken place through the FB and other social media. The publicity wing of ULFA has been trying in motivate the young vulnerable sections of the society to get them attracted towards the secessionist ideology of the outfit through social media by fanning subversive anti-national sentiments. In 2017 and 2018, total 37 No. of youths have been found to have joined this outfit. Some of them are qualified in certain technical areas which outfit has contemplated to utilise them for cyber related technical work in Darknet which is an emerging threat for the LEAs.

Formation of UNLFWSEA (United National Liberation Front of West of South East Asia):-

After series of discussion in a three day meeting w.e.f. April 16, 2015 that was held in the CMHQ of NSCN(K) in Taka which was attended by the Heads of the Indian insurgent groups viz. NSCN(K), ULFA(I), NDFB(S) and KLO, a common platform under name and style United National Liberation Front of West of South East Asia (UNLFWSEA), was formed to fight their common alleged enemy India unitedly. In 2017 PDCK (Peoples Democratic Council of Karbilim) and NLFT (National Liberation Front of Twipra) joined the UNLFW as new member for widening the base of UNLFW. The outfits that espouse sovereignty is eligible for becoming a member of UNLFWSEA.

ULFA'S Operational nexus with Corcom (Co-ordination Committee), a conglomerate of Valley-based Meitei militant groups of Manipur :-

ULFA(I) has been maintaining a close nexus with the members (UNLF, KYKL, KCP, PLA, PREPAK, PREPAK-P) of Cor Com since 2011. As a result of this nexus, in 2016 and 2017, a joint operation was launched by ULFA and CorCom under name and style 'Operation Barak-I' and 'Operation Barak-II 'in Jagun and Pengree in Tinsukia district against Indian Army where 03 (three) SF personnel were killed and 04 (four) were injured.

Nexus with NDFB(S) :-

In November, 2015, the bomb-trainer of ULFA(I) viz A.Z. Himuam (Trainer) and Brindabon Moran (demonstrator) @ Bipul Asom imparted training on preparation of IED to 17 (seventeen) NDFB(S) cadres in the camp of NDFB(S) location in Taka

Use of Social Media:-

Social media has been exploited by ULFA(I) very extensively as well as intensively for furthering its subversive activities of recruitment by whipping up the sentiment of youths belonging to the vulnerable organisations sections of the society by projecting itself as messiah of Assamese community, by

capitalising certain political issues like Citizenship Amendment Bill, 2016, through misinterpretation of facts in social media, to eulogies, glorify the armed struggle espoused by ULFA alleging it to be the only solution. The use of FB, Whatsapp, Hangout etc. for communication by the proscribed outfit, the use of satellite phone technology for dissemination of subversive ideology in closed groups have posed a new challenge before the Law Enforcing Authority to track their activities. This has led to recruitment of 36 (thirty six) new youths by the ULFA, who are now undergoing training in Myanmar in 82nd Batch.

Formation of frontal Organisation-"ANMMMTA":-

Simultaneously with formation of UNLFW, Paresh Barua, ULFA(I) supremo has instructed one Pranmoy Rajguru @ Anubhab Chaliha, one overground worker who facilitated the grenade blast in Zoo Road, Guwahati on 15-05-2019 to form a frontial organisation which will propagate the aims and objectives of UNLFW among common people. Accordingly a new organisation under name and style ANMMMTA was formed formally on 19/08/2018 in Golaghat. ANMMMTA stands for Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tripura and Assam. It was an endeavor to cause mass mobilization against the lawfully established Govt. by adopting various democratic movements, mobilization, through electronic/ print media, social media recruitments for extremist activities, fund collection. Paresh Barua monitored all the developments in political front through ANMMMTA. All instructions came through Facebook account of ULFA (I) operated by Arunodoi Dohotiya.

Burning of Indian Tricolour and making viral in social media:-

ULFA is always boycotting the Republic Day and the Independence Day expressing solidarity with the other Indian insurgent groups viz. NSCN, KLO, NDFB, CorCom, NLFT, PDCK that are based in Myanmar. They give joint calls for general strike and total bandh, appealing all denizens of the area to refrain from participating the observance of these two specific days, as a mark of protest against alleged Indian occupationist forces. Prior to the Republic Day of 2018, ULFA circulated a video from its Myanmar base Taka camp where they burnt the Indian tricolor to protest against Govt. of India – which was video recorded and made viral in social media. This type of subversive activities are circulated with an ulterior motive of demonstrating their strength, to revive lost ground as well as to inject hatred and arouse anti-Indian sentiment.

Camps in Myanmar:- ULFA(I) has set up following operational camps in Sagaing division of Myanmar in collusion with NSCN(K) in below mentioned locations from where they continued subversive activities in the State :

1)	CMHQ (Council Mobile Hqr.)	:	Location Taka
2)	GMHQ (General Mobile Hqr.)	:	Location Lungmak
3)	CTC (Central Training Centre)	:	Location Lungmak
4)	ECHQR (Eastern Command Hqr.)	:	Hayat Basti, across Indo-Myanmar International Border along Mon district of Nagaland.
5)	Arakan Camp, also known as Brigade Camp	:	Papung Naga Basti.
6)	Operation Camp	:	Location- Papung Naga Basti, Set up near Arakan Camp, where act groups are stationed for striking in Assam.
7)	Nilgiri Camp	:	Location- Naimung Basti. Also known as Council Camp.
8)	UG Camp	:	Location- Lungmak area, by side of Taka river, Myanmar, where arms/ammunitions/explosives are kept concealed.

Extortion drive of ULFA(I) :-

During the ban period the ULFA(I) is continuing its extortion activities through telephonic means encrypted appliances like Whatsapp, Messenger, Hangout etc. as well as kidnapping for extracting ransom for replenishing their coffer with a view to procuring arms, ammunitions, explosives etc. for waging war against India, to recruit and provide training to them, to maintain logistics expenditure for cadres in Assam as well as in foreign bases for subversion.

Collection of arms and ammunition and cadre strength:-

The outfit has procured huge quantity of arms and ammunitions, explosives etc from international arms smugglers and snatching from SF personnel. Paresh Barua, C-in-C ULFA(I) is instrumental in procuring arms/ explosive consignments with help of Meitei militant outfits, and other ethnic militant groups in Myanmar. These are brought through reverie route of Chindwin, carried by cadres to GMHQ and then kept in UG camp. The fire power of ULFA(I) can be gauged easily on basis of following arms/ explosive devices that are kept in its different camps, which are used for causing subversive activities in the State with an ulterior motive to create fear psychosis among common people for facilitating extortion, recruitment etc.

Following arms and ammunition are available in UG Camp:-

Arms:

1)	MQ 81	- 65 nos.
2)	M22 Rifle	- 20 nos.
3)	AK 56 Rifle	- 20 nos.
4)	HK 33	- 15 nos.
5)	9 mm Pistol	- 01 no.
6)	.32 Pistol	- 3 nos.
7)	Chinese hand grenade	-30 nos.
8)	IED	- 15 nos.
9)	RPG-7	- 2 nos.
10)	Hunting gun	- 2 nos.

Ammunition:

1)	MQ 81	- 1 box (3000 rds.)
2)	HK 33	- 1 box (3000 rds.)

GMHQ :

1)	MQ-81	- 50/60 nos.
2)	AK-56	- 25/30 nos.
3)	Insas	- 6/7 nos.
4)	HK-33	- 15 nos.
5)	Pistol	- 10/12 nos.

Similar stock of arms/ explosive devices are kept in CMHQ, Arakan Camp, Nilgiri Camp, Everest Camp for camp defence duty, which vary from time to time.

At present approximate cadre strength in ULFA(I) is around 250.

Post Myanmar Army operation scenario:-

The Myanmar Army launched operations in the IIG camps in Taka w.e.f. January 28, 2019, as a result the Lungmak, Taka, Nilgiri camps of ULFA(I) suffered a big jolt. Several cadres not only lower level but upper level cadres also deserted the outfit. Till now **22** nos. of ULFA(I) cadres contacted SF/Police and joined mainstream. Besides one new recruit of 82nd is batch also reportedly in touch with SF. In spite of all these odds, the ULFA(I) supremo has made all out efforts to generate fear psychosis among cadres reportedly sentenced death punishment to **21** cadres, who tried to desert.

Further the incident of grenade blast in Zoo Road near Guwahati Central Mall that took place on 15-05-2019, is a pointer to the fact that the outfit is still trying to demonstrate its capability for striking inside the State as well as to boost up the sagging morale of the cadres who are likely to be disenchanted due to the continuous attack of the Myanmar Army and state of total disarray.

Here it may be mentioned that the terminology ULFA (Independent) or ULFA (Pro-talk) are only used for operational purpose, otherwise the word of ULFA can be used in a broader perspective, where both ULFA (I) and ULFA (Pro talk) are embodied into a single entity considering the gravity of the threat posed by the outfit to the integrity and security of the country. The desertion of some cadres from the pro-talk group to the ULFA(I) is a pointer to this phenomenon.

That, the subversive terrorist activities pursued by the ULFA has generated deep sense of panic and insecurity amongst the common people. Its continued depredatory activities and its procurement of arms/ ammunition and explosives from clandestine sources including foreign countries, establishment of training camps in foreign soil and attacks on Army/ Police/ SF nexus with foreign intelligence agencies of country which are inimical to India are clear indications of its evil design for continuing its secessionist activities through arms struggle for creation of an independent sovereign Assam. The anti-national activities of the ULFA are considered to be a grave threat to the integrity and security of the State.

To sum up, ULFA is an anti-national outfit, having no faith in the Constitution of India, with the avowed objectives of creating a sovereign country and hence it is recommended that the declaration of ULFA (I) as an unlawful organization under Unlawful Activities (Prevention) Act should be extended for another period of 5 (five) years beyond 26-11-2019 in the interest of maintaining public order and security of the country.

That, the Government of Assam in Home & Political Department ponend with reliable information that cadres of ULFA(I), majority of whom are still taking shelter on foreign soil, are in search of opportunity to continue secessionist and subversive activities in future also, in collusion with the like-minded extremist outfits of the North-East who are still operating from foreign soil under the tutelage of their foreign mentors. Besides, the ULFA(I) is still a major constituent of the United National Liberation Front of West of South East Asia (UNLFWSEA) which is a conglomerate of the major extremist outfits of the North East.

That, in view of above stated facts and circumstances, this deponent respectfully submits that the Government of Assam supports the stand taken in the Gazette Notification No. 4273, dated 27th November, 2019, issued by the Government of India, declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA(I)) as an unlawful association, under Sub-Section (1) of Section 3 of Unlawful Activities (prevention) Act, 1967".

21. The statements of high ranking ULFA leaders recorded by the investigating officer under the Superintendent of Police (SOU) SB, Assam were produced and proved in original.

22. Sri Pushpraj Singh, IPS, serving as Superintendent of Police, Golaghat District in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 07.11.2017 one Shri Suresh Sahu S/O Shri Premlal Sahu of Bihora Bazar, Bokakhat PS-Bokakhat lodged an FIR at Bokakhat PS stating that on 30.10.2017 at about 0900 hrs complainant received a phone call from the number (7423974669) who demanded Rs. 5 Lakhs by 07.11.2017 and threatened him in the name of ULFA.

On receipt of the FIR from the complainant, Shri Suresh Sahu a case vide Bokakhat PS Case No. 253/2017 U/S 387 IPC was registered and investigated. Ext. 2 is the certified copy of FIR in Bokakhat PS Case No. 253/2017.

On 07.11.2017 at about 1330 hrs, police apprehended one Ratul Gogoi (40 yrs) S/O Sandhiram Gogoi of Habisua Borpathar, Khumtai, PS- Kamargaon along with another person namely Shri Dayal Kurmi (32 yrs) S/O Kamal Kurmi of Borfolong T.E. Khumtai, PS-Kamargaon from Bosapathar area under Kamargaon PS. Reportedly Ratul Gogoi was an ULFA cadre. During investigation Ratul Gogoi stated that he concealed a pistol and some ammunition in his house and accordingly police recovered one 7.65 mm pistol and 9 rounds of live ammunition from his house and seized the same. Subsequently both Ratul Gogoi and Dayal Kurmi were arrested in connection with the above reference case. Ext. 4, 5 and 6 are the seizure lists in connection with the aforesaid case.

During interrogation it was revealed that Ratul Gogoi joined ULFA in the year 1998 and trained at Myanmar. Thereafter, in the year 2003 during the time of "Operation all clear" in Bhutan, he was arrested and stayed in jail for one year. After that in the year 2009/2010 he was again arrested by Kamargaon PS and stayed in Golaghat jail for around three months. After release from the jail he joined the ULFA (pro talk) and was working as PSO for Bhimkanta Buragohain till his death. In this case, his intention was to extort money along with his associate Dayal Kurmi in the name of ULFA.

Further, the mobile SIM and handset used to call the complainant to extort money was also recovered from the accused person Ratul Gogoi. The arms and ammunition seized from the possession of accused were sent for examination and collected the expert opinion report. After getting prosecution sanction from the District Magistrate, Golaghat, charge sheet of the case was submitted vide Bokakhat PS CS No. 108 dated 30.06.2019 and case is under trial.

(ii) On 28.11.2019 at about 0730 hrs an information was received that a flag of ULFA was hoisted by miscreants at Purabangla area under Golaghat PS along the divider of NH-39. Immediately a police team reached the spot and seized the flag. As per information in relation to the incident, one person namely Papul Konwar (31 yrs) S/O Sri Pradip Konwar of Bolial, PS-Bogijan Dist Golaghat was detained on suspicion. Further his shop situated at Purabangla was searched and found some incriminating documents related to ULFA including pictures of flag and letter pad etc. in his computer.

On receipt of the FIR from the complainant ASI Dulal Bora of Numaligarh Outpost, a Case vide Golaghat P.S. Case No. 1163/19 u/s 120(B)/121/121(A)/109 IPC R/W Sec. 10/13 UA (P) Act R/W Sec 66 (F) IT Act was registered and investigated. Ext. 24 and 26 are the certified copies of FIR and GDE of the said Golaghat P.S. Case No. 1163/19.

During investigation the I/O seized two flags having symbol of ULFA from the place of occurrence, one Computer CPU where various incriminating documents were found, one blood stained Gamusa having symbol of ULFA from the shop of Papul Konwar. The IO arrested Papul Konwar, S/O Sri Pradip Konwar of Bokial, PS Bogijan dist.- Golaghat and forwarded to the judicial custody after thorough interrogation. During interrogation, the accused revealed that he is a member of ULFA (I). He kept the Gamusa having ULFA symbol for several days. On 28.11.2019, he himself hanged the ULFA flags at road divider at Purabangla and two papers scribing "ULFA zindabad" were also thrown there. Further, he confessed that he was actively involved in recruitment for ULFA (I) by inducing gullible youth by act of hoisting ULFA (I) flags in order to attract youth to the fold of terror outfit ULFA and in the process waging war against the State. The investigation of the case is going on and more facts will be divulged in course of time.

23. Shri Prateek Vijaykumar Thube, IPS serving as Superintendent of Police, Baksa district, Assam in his evidence of affidavit stated as follows:

On 16.09.2015, complainant Shri Dipu Shill, S/O Lt. Boloram Shill, Vill-Dwarkuch, P.S. Tamulpur, Baksa (BTAD), Assam lodged an FIR inter alia stating that on same day at about 6.30 pm two unknown persons came to his house by a Motor Cycle (Pulsar) and gave a marriage invitation letter to his family members then left away, when complainant was absent in his house. After opening the letter, the family members learnt that a demand of Rs. 03 Lakhs in the name of United Liberation Front of Assam (ULFA) Central Committee has been placed to the complainant.

In connection with this a case vide Tamulpur PS case No. 212/15 U/s 387/507 IPC R/w Sec 10/13 UA (P) Act was registered. The I/O of the case immediately visited the complainant's house and seized the ULFA demand letter. The I/O has drawn the sketch map of the PO and also recorded the statement of the complainant. Further, the I/O has recorded the statement of the witnesses namely (1) Sri Sanjay Shill (35 yrs) S/O Lt. Sulla Shill, Vill-Duarkuch, PS Tamulpur, Baksa (2) Sri Samar Shill (34 yrs) S/O Lt Bholaram Shill Vill Duarkuchi, PS Tamulpur, Baksa (3) Smt. Dipali Shill (40 yrs) W/O Sri Dipu Shill, Vill Duarkuchi PS Tamulpur, Baksa (4) Sri Laba Kumar Shill (21 yrs) S/O Dipu Shill vill-Duarkuchi, PS Tamulpur, Baksa (5) Sri Fakaruddin Ahmed (33 yrs) S/O Abdul Rashid, vill Silonibari PS Tamulpur, Baksa. Ext. 46 is the certified copy of FIR in connection with Tamulpur PS Case No. 212/15.

In course of investigation all sources were activated and VDP's were alerted in addition to the search operation conducted with local Army. All possible steps were taken by the I/O to trace out the culprits but the efforts did not yield any results. Ultimately the case was returned in FR vide FR No. 19/16 dated 31.07.2016.

24. Sri Dhananjay Ghanwat, IPS serving as Superintendent of Police, Dhemaji district since 14th December, 2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

On 08.08.2019 complainant ASI Chandra Borah of Dhemaji PS lodged an FIR registered as Dhemaji P.S. Case No. 316/19 U/S 120(B)/121/121(A)/124(A) IPC R/W Sec. 10/13 UA(P) Act, 1967 to the effect that on 08.08.2019 at about 11 am based on specific source input about the presence of suspected ULFA cadres a search operation was launched in the area between Moridhal to Laipulia by Dhemaji Police leading to

apprehension of four numbers of ULFA cadres namely (1) Sri Parthjit Konwar (2) Sri Mrinal Phukan (3) Sri Janak Baruah and (4) Sri Uday Dowarah near Laipulia LP School under Dhemaji P.S. During search two ULFA flags made of cloth and one khukuri were recovered from their bags and during interrogation they confessed to being ULFA members, that they had burnt an Indian National Flag and displayed ULFA Flag as well as shot a video which was found in the mobile phone belonging to accused Parthajit Konwar. As admitted by the apprehended accused Uday Dowarah, accused Junak Baruah had put on fire the Indian National Flag while accused Mrinal Phukan was recording the video whereas accused Uday Dowarah and accused Parthjit Konwar were holding placards with anti-national messages covering their faces with black cloth. Accused Parthjit Konwar and accused Mrinal Phukan led the police team to the spot nearby where they had burnt Indian National Flag. Two damaged paper posters with anti-national messages and some pieces of cloth were also seized from the spot, which were concealed by burying under the mud in the forest area. Based on the recovery of incriminating material and the admission of the four accused they were apprehended and brought to Dhemaji police station. Ext. 62 is the certified copy of the FIR in Dhemaji P.S. Case No. 316/19 and Exts. 71 to 78 are the seizure lists.

During interrogation the accused persons admitted that they came under the influence of various ULFA leaders/ members like Paresh Baruah, Diganta Daimary @ Juman Borah, Anirban Gogoi etc. who instigated them to do anti Indian National activities like national flag burning etc. and the accused persons also confessed about their active involvement with the banned ULFA organization.

25. Sri Ankur Jain, IPS, S/O Shri Ashok Kumar Jain currently serving as Superintendent of Police, Hojai district since 15.02.2018 in his evidence on affidavit stated as follows:

On 28.11.2019, ASI Santanu Dutta of Kaki PS lodged an FIR at Kaki PS to the effect that on the same day at about 06.30 am, while he was on duty at Kaki PS, one person informed him over phone stating that some unknown person of banned ULFA (I) organization hoisted a flag of banned ULFA (I) at the entrance gate of 1 No. Kaki Junior College. As soon as he received the information, he along with PS staff proceeded to the place of occurrence, took down the flag on the spot and brought to the PS. He engaged sources to nab the person involved in the crime. Later based on secret information Sri Manash Jyoti Kalita, S/O Late Dhiren Kalita of Vill 1 No. Kaki 2 No. Gaon, PS Kaki, dist- Hojai, Assam was apprehended at Lumding railway station with the help of Lumding PS staff. On interrogation the person admitted that he hoisted the flag of banned ULFA (I) organization for having sympathy to the said organization.

On receipt of the FIR, SI (UB) Tuniram Neog, OC Kaki PS registered a case vide Kaki PS case no. 154/2019, U/s 120(B)/ 121/122 IPC, R/W Sec. 13 of the UA(P) Act 1967. Ext. 98 is the certified copy of the FIR in the said Kaki P.S. Case No. 154/2019.

During investigation, the following items were seized from the place of occurrence i.e. (1) one ULFA (I) flag with Sun symbol in the middle (2) A piece of Gamucha. One OPPO mobile handset with SIM No. 8876772692 were seized from the possession of accused. One mobile handset Redmi Y1L with SIM No. 9678200665 from the possession of ABC 821 Rishi Raj Bodo along with screen shot of the messages which were sent by Manob Jyoti Kalita, from his mobile number 8876772692 were seized in connection with the case. The apprehended person was interrogated, arrested and forwarded to judicial custody. Exts. 103 to 108 are the certified copies of the seizure lists.

26. Shri Shiladitya Chetia, IPS, currently serving as Superintendent of Police, Tinsukia district in his evidence on affidavit submitted the following cases:-

(i) Pengaree P.S. Case No. 89/15 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 27.10.15 at 1:30 PM, complainant S.I. Joyshankar Wary of Pengaree P.S lodged an F.I.R. at Pengaree P.S. to the effect that the complainant received an information of about 3 /4 ULFA cadres taking shelter at No. 1 Noloni Gaon. On the basis of information, a joint operation was launched by Police/Army/CRPF/ and SSB. During the time of search operation, the ULFA cadres noticed the police party and fled away from the isolated thatch. During search of the sheltering place of the ULFA cadres, the operation party recovered one IED, ammunition pouch, two nos. of AK 56 magazine loaded with 60 rounds live ammunition, 3 nos. of jacket etc. The ULFA cadres again came into contact with the 7 Madras Regiment at Dibrujan Road and a heavy exchange of fire took place. The cordoning party during search recovered numbers of items which were being carried by the ULFA cadres. The whole area was

cordoned for the night and in the morning hours one ULFA cadre namely Sri Prafulla Moran, S/O Sri Phuleswar Moran of Dumsi Hatigarh under Bordumsa P.S. was apprehended from Chikorajan Village.

Upon receipt of the FIR, Pengaree P.S. Case No. 89/15 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. Ext.129 is the certified copy of the FIR. During investigation the I.O. visited the P.O., examined the complainant and available witness. The I.O. also arrested the accused Prafulla Moran, S/O Sri Phuleswar Moran of Dumsi Hatigarh, P.S. Bordumsa. During the investigation I.O. seized the recovered items from the PO in the presence of witnesses. The arrested accused have confessed of his association with ULFA which is waging a war against the Govt. of India. Ext. 131 to 134 are the seizure lists in the said Pengaree P.S. Case No. 89/15. As per the chemical examination report Ext. 140 of the Directorate of Forensic Science, Kahilipara the explosives contained traces of TNT.

(ii) Bordumsa P.S. Case No. 11/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/34 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 16.02.2016 at 11 AM, complainant Sri Rama Erappa Sunjimani, S/O Erappa, R/O Post Shanti Boswat, Belgaum, Karnataka lodged an FIR to the effect that on the same day at about 12.20 AM a secret information was received from a reliable source by Police regarding movement of 5/6 cadres of ULFA(I)/NSCN(K) in general area of Wathoi village under Bordumsa P.S. A joint cordon and search operation was launched by 7th Madras Regiment, 38th BN SSB, 68th BN CRPF. During search of the house on 16.02.2016 at about 05.00 AM, an encounter took place between security force, ULFA(I) and NSCN(K) extremists. As a result 4 (four) unidentified extremist sustained bullet injuries in the exchange of fire in between 5.40 AM to 6 AM. The injured were immediately shifted to Kothaguri PHC where they were declared brought dead by the attending doctor. During the operation, a large cache of arms and ammunitions have been recovered from the PO which includes 1 (one) AK-56 rifle with magazines, 02 nos. 9 MM pistol, Burmese currency, mobile phones etc.

Accordingly Bordumsa P.S. Case No. 11/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/34 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into.

After the investigation, the case was returned in FR vide FR No. 16/2016 Dtd. 10/09/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/34 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act as though the case was true but all the accused persons died during the encounter. Ext. 144 is the certified copy of the FIR in the Bordumsa P.S. Case No. 11/2016.

(iii) Bordumsa P.S. Case No. 37/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 27.04.2016 at 10 AM, complainant NK. Anil Kumar, s/O Radha Krishnan Nair of Lekha Bhavan, Puthanampalam Post, P.S. Sasthamcottah, Dist. Kollam (Kerala) of 7th Madras, C/O 99 APO Camp Bordumsa lodged an FIR at Bordumsa P.S stating that based on their source information regarding presence of ULFA(I) cadre Rongman Gogoi @ Mekuri, a joint operation was launched by 7th Madras, 19th Jat and Bordumsa Police in general areas of Tal Pather village under Bordumsa P.S. on 26.04.16 at around 05:00 PM. Later on it was confirmed by their source that the ULFA cadre Rongman Gogoi had taken shelter in the house of one Satyanath Dutta and accordingly the house was cordoned but there was no response. The family staying in the house was called out side and when they came out they also confirmed that Rongman Gogoi was inside.

The ULFA(I) cadre tried to sneak out to the tea plantation which was observed through night vision goggles and on being challenged, the cadre opened indiscriminate fire upon the OPS team and also lobbed a grenade. For the sake of lives and property of the villagers and in self defense, the team also retaliated with return fire. The fire fight lasted for 10 (ten) minutes. When the fire fight stopped, the ULFA(I) cadre was found injured and was lying on the ground with an AK 81 rifle along with ammunition. The injured cadre was immediately shifted to Pengaree Mini PHC for treatment but was declared brought dead by doctor.

Upon receipt of the FIR, Bordumsa P.S. Case No. 37/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. Ext. 146 is the certified copy of the FIR.

During investigation, the case was returned in FR vide FR No. 17/2017 dtd. 29.12.2017 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act as the accused died in the encounter.

(iv) Bordumsa P.S. Case No. 31/2018 U/S 120(B)/121/121(A)/307/302/379 IPC R/W Sec 25(1)(B)/27 Arms Act R/W Sec 4/5 E.S. Act R/W Sec. 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 05.05.2018, complainant Hav/Clk Gopal Singha, S/O Lt. S.K. Singha lodged an FIR to the effect that on 04.05.2018 on the basis of secret information that a group of 7 (seven) ULFA cadres were taking shelter in the house of one Sri Kuleswar Borah @ Kolia Bura of No. 3 Kujupathar, P.S. Bordumsa, an operation was launched at No. 3 Kujupathar area under SDPO, Margherita, O.C. Bordumsa P.S., APRG party, O.C. Pengree P.S. Cobra Party, CRPF party and available P.S. staff. While the operation was going on, suspected ULFA(I) cadres resorted to indiscriminate firing from their automatic weapons targeting the security forces which resulted fierce gun battle in between secutiy forces and ULFA(I) cadres. During the exchange fire between ULFA(I) cadres and security forces, S.I. Bhaskar Kalita, O/C Bordumsa P.S. received severe bullet injuries in his chest and stomach. Immediately he was shifted to L.G.B. Civil Hospital Tinsukia but the doctor declared him brought dead. The suspected ULFA(I) cadres managed to flee away under the cover of darkness with the AK-47 rifle of S.I. Bhaskar Kalita along with magazine and ammunition. After the operation was over and during the search, four kit bags, thirteen number of AK 47 rounds, one ULFA letter pad, mobile handsets etc. were found in the PO.

Upon receipt of the FIR, Bordumsa P.S. Case No. 31/2018 U/S 120(B)/121/121(A)/307/302/379 IPC R/W Sec 25(1)(B)/27 Arms Act R/W Sec 4/5 E.S. Act R/W Sec. 10/13 U/A(P) Act, Pengaree P.S. Case No. 89/15 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act. were registered, investigated into. Later on the case was transferred to NIA for investigation. Presently the case is under investivation with NIA. Ext 163 is the certified copy of the FIR and Ext 164 (in two pages) is the certified copy of handing/taking over the investigation by NIA.

(v) Lekhapani P.S. Case No. 113/2018 U/S 120(B)/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec 25(1-B)(A)/27 Arms Act R/W Sec 5 of ES Act., R/W Sec. 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 27.09.2018 complainant Sri Dabhi Fate Sinh (Subeder), S/O Sri Abhe Sinh of Jagun Army Camp C/O 99 APO, Jairampur, Arunachal Pradesh lodged an ejahar to the effect that on 24.09.2018 at about 6 PM input was received that a group of about 10 cadres of ULFA(I) were hiding in the adjoining jungles of Kokhorani village. At about 7.45 PM troops of 9th Rajputana Rifles of Jagun COB came into contact with the insurgents and a fire fight took place. On retaliation from the Army personnel, the insurgents fled away in the cover of darkness and on launch of combing operation, explosives and other combat items were recovered from the area. Initial report suggested that few of the insurgents sustained injuries but could not be ascertained at that time. In this regard the Army personnel lodged an FIR wherein it was admitted that one cadre was killed and another sustained injuries. Ext. 166 is the certified copy of the FIR.

On receipt of the FIR Lekhapani P.S. Case No. 113/2018 U/S 120(B)/121(A)/122/353/307 IPC R/W Sec 25(1-B)(A)/27 Arms Act R/W Sec 5 of ES Act., R/W Sec. 10/13 U/A(P) Act was registered and endorsed to SI Golap Bailung for investigation. On 27th September 2018, the corpse of one of the ULFA(I) cadre was recovered from Dehing river under Pengree P.S. The body was identified as that of one Jan Asom @ Rudreswar Baruah of Kujupathar under Bordumsa P.S. The body was identified by his mother. This refers Pengree P.S. U.D. Case No. 03/2018 and the said case was disposed. During investigation the I/O visited the P.O. and examined the complainant Sri Dabhi Fate Sinh (Subedar) and witnesses Sri Dharmendar Kumar, Sri Nitu Gogoi, Sri Tilok Baruah, Sri Numal Moran, Sri Santanu Gogoi, Sri Ranjit Chutia & Sri Satyajit Baruah. I/O also seized the explosive and other combat items. Ext. 167 is the certified copy of the seizure list. As the dead body of active ULFA(I) cadre Jan Asom @ Rudreswar Baruah was recovered from Dehing river on 27.09.2018, it is clear that the banned organization was behind the fire fight with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror among the people of this district.

(vi) Pengaree P.S. Case No. 51/2015 U/S 120(B)/121/121(A)/302/307/326 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 15.07.2015, complainant Sri Joy Sankar Warry, SI of Police, lodged an FIR at Pengree P.S. stating that on 14.07.2015 he received an information from the Gaon Bura of Bujiliban Natung Maythong. On the basis of information, he along with staff led by S.D.P.O. Margherita rushed to the spot and found that two to three suspected ULFA cadres armed with arms entered into the house of Sri

Nandalal Sah of Bulijanbon Natung Maythong village and opened indiscriminate firing targeting the family members. Nandalal Sah succumbed to his injuries at the spot while five of his family members namely (1) Manti Devi Sah (2) Sri Monoj Sah (3) Sri Akshyalal Sah (4) Sri Ajay Sah and (5) Smti. Kajol Sah sustained bullet injuries. Injured Kajol Sah was declared brought dead at Civil Hospital Tinsukia.

Upon receipt of the FIR, Pengaree P.S. Case No. 51/2015 U/S 120(B)/121/121(A)/302/307/326 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. Ext. 188 is the certified copy of the FIR. During the investigation, the I/O visited the P.O. and examined the complainant and available witnesses. The I/O arrested the accused persons namely (1) Sri Muhidhar Moran @ Ravan @ John Asom and (2) Sri Surajit Moran and recovered some Arms and Ammunition, Explosive etc from their possession and after their thorough interrogation, they were forwarded to Judicial Custody. Exts. 190 to 193 are the certified copies of seizure lists. Exts. 197 to 200 are the certified copies of Forensic reports of the seized arms and ammunition. Both the accused persons admitted their involvement in the case. The recovered Arms and Ammunition, Explosive etc were examined at F.S.L. Guwahati, Assam for expert opinion. From the statements of the accused persons it is clear that the banned ULFA(I) is killing innocent people of the district for their so called war against the state and terrorizing the local public in order to fulfil their extortion demands.

(vii) Kakopathar P.S. Case No. 54/2015 U/S 120(B)/121/121(A)/122/392 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act R/W Sec 4 of ES Act., R/W Sec 15/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 01.10.2015, complainant SI Badan Singpho, O/C Kakopathar P.S. lodged an FIR alleging that on 30.09.2015 at about 7.45 PM, 4 (four) suspected ULFA(I) cadres in army dress opened indiscriminate firing on air in order to create panic amongst the public of the locality. In retaliation, the complainant along with APRG party also opened 10(ten) rounds of fire. Subsequently the extremist group escaped from the sight dividing into two groups. While fleeing, the extremist group forcefully took away the Honda Activa vehicle with Regd. No. AS-23-L-5120, belonging to one Kamal Deka from Gelgeli Patti while another cadre took away one TVS Scooty bearing Regd. No. AS-06-J-8143, belonging to Hemango Gohain, at gun point. After a while, the complainant and his party conducted a search operation of the area and seized 6 rounds of empty cartridge and one suspected rocket like ammunition. On 01.10.2015 at around 6 AM, the Honda Activa bearing Regd. No. AS-23-L-5120 was recovered from Kathorbasti Tezi Road.

Upon receipt of the FIR, Kakopathar P.S. Case No. 54/2015 U/S 120(B)/121/121(A)/122/392 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act R/W Sec 4 of ES Act., R/W Sec 15/13 U/A(P) Act was registered and endorsed to SI Chandan Raut for investigation. Ext. 210 is the certified copy of the FIR.

During investigation, the I/O had visited the P.O., seized one unexploded rocket like object and six empty cases of AK47 series rifle. The I/O also recovered the scooty bearing Regd. No. AS-23-L-5120. The I/O recorded the statement of the complainant along with some other witnesses which revealed that the members of ULFA(I) group was involved in the incident with a motive to show their existence and also to create panic in the locality. Exts. 212 and 213 are certified copies of seizure lists. In the course of investigation, the I/O had also shown arrest of the accused persons namely (1) Sri Lakhyajit Moran @ Moina @ Tushar Asom 27(yrs), S/O Sri Aneshar Moran of No 1 Kachijan, P.S. Tongana, Dist- Tinsukia and (2) Sri Bharat Chutia @ Abhijit Asom @ Abhi Asom @ Bhim, S/O Lt. Lokeswar Chutia of Lesenga, PS. Barekuri, Dist- Tinsukia, Assam. The statement of the accused persons reveals that they at the behest of ULFA(I) were doing active propaganda for the banned organization ULFA(I) with the intention of waging war against the Govt. by spreading terror amongst the people of the district.

(viii) Phillobari P.S. Case No. 23/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1-A)/27(B) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 13.08.2016 at 6.30 PM, complainant Sri Arabinda Shah, S/O Lt. Kishori Shah of No. 11 Bamun Gaon, P.S. Phillobari lodged an ejahar at Phillobari PS to the effect that on 12.08.2016 at about7.30 PM, a group of unknown ULFA cadres have come to the house of the complainant and fired indiscriminately with their arms and as a result his father Kishori Shah, brother Rajesh Shah and his relatives Sri Jitendra Choudhan, Sri Raban Garh, Sri Ranjit Shah and Smt. Pratibha Devi sustained grievous bullet injuries. Injured Kishore Shah, father of the complainant died on the spot and Rajesh Shah succumbed to his bullet injuries at Doomdooma Civil Hospital. Another person who got grievous bullet injury was admitted to Assam Medical College, Dibrugarh for treatment. Two motor cycles also got damaged due to firing. After committing the crime the suspected ULFA cadres fled from the P.O. Ext. 235 is the copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Phillobari P.S. Case No. 23/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/307 IPC R/W Sec 25(1-A)/27(B) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. During investigation the I/O made the necessary seizures from the PO in the presence of witnesses and also examined the complainant along with some other witnesses. Ext. 236 to 241 are certified copies of the seizure lists. During investigation, the I/O collected sufficient evidences which directly indicates the role of ULFA(I) in commission of the crime. Thus from the above it is very clear that the banned organization is terrorizing the society by killing innocent people for their wrongful gain.

(ix) Pengaree P.S. Case No. 63/16 U/S 120(B)/121/121(A)/341/353/427/302/326/307/179 IPC R/W Sec. 3 /4 E.S. Act, R/W Sec. 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 20.11.16 at 3.00 PM, complainant Lt. Nanduri Sai Prasun of 15 Kumaon (Indore) Army, C/O 99 APO Camp Pengeree lodged an FIR at Pengaree PS to the effect that on 19.11.16 when one party in one Gypsy vehicle (BA No. 098-102865 A) and one 2.5 ton vehicle (BA No. 14C-100892P) were moving from Pengaree towards Digboi, at about 0600 hrs one IED blasted the leading Gypsy and subsequently 2 RPF, 3 UBGLs and heavy fire was opened on the Gypsy and 2.5 ton vehicle by a group of insurgents. In the incident, loss of life, loss of arms and ammunition and damage of vehicles and equipment took place. Ext. 260 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Pengaree P.S. Case No. 63/16 U/S 120(B)/121/121(A)/341/353/427/302/326/307/179 IPC R/W Sec. 3 /4 E.S. Act, R/W Sec. 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. During the investigation, I.O. visited the P.O. and examined the complainant and other witness. The I/O made the necessary seizures from the PO in the presence of witnesses. Exts. 262 and 263 are the certified copies of seizure lists. The I/O also arrested suspected accused person namely Sri Lakheswar Baruah, Age 23 years, @ Labang, S/O Sri Padeswar Baruah of Dirak Sunjan Gaon, PS Bordumsa, Dist. Tinsukia, Assam. From the statement of the complainant, witness and the accused person it was learnt that ULFA(I) cadres were behind the attack on the army troop.

(x) Bordumsa P.S. Case No. 48/2017 U/S 120(B)/121/121(A)/447/307/427/34 IPC R/W Sec 25(1-A)/27(2) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 13.12.2017 at 01:40 PM, complainant Mr. Kumar Mouglam Petel, Commercial Manager, Satrupa Tea Factory MKB (Asia) Pvt. Ltd., lodged an FIR at this PS stating that on 08.12.2017 at about 19:30 hrs, a gang of 06 to 08 numbers of militants/extremist entered through the office gate of the said garden and took all the chowkidars, drivers and others persons present at the gate on gun point. After capturing, the said militants fired more than 20 rounds at the garden office, where the complainant along with 3 other office staff were present. After that all of them escaped from scene and luckily no causality happended to any person, the car parked in front of the gate got badly damaged. After that the said militants took all the captured persons along with them at gun point and moved towards the factory and again fired more than 20 rounds on a standing truck which was parked in the factory campus and the factory building and as a result they got badly damaged. Thereafter the said militants moved towards the manager's bunglow and opened fire on it and also lobbed a hand grenade at the porch room of the bunglow. The whole incident was carried out by the militants for half an hour i.e. from 19:30 hrs to 20:00 hrs. and they went out walking from the garden through gate number 09. The reserve police in-charge arrived at the garden office at 21:15 hrs. Ext. 287 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Bordumsa P.S. Case No. 48/2017 U/S 120(B)/121/121(A)/447/307/427/34 IPC R/W Sec 25(1-A)/27(2) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. During investigation of the case, the IO visited the PO, drew a sketch map of the PO and made necessary seizures. Exts. 288, 289 and 290 are certified copies of seizure lists. Upon examination of the complainant and other witnesses the IO learnt that the persons involved in the crime were ULFA(I) cadre. The IO further learnt after engaging sources that under the command of Rupam Asom some other ULFA(I) cadres namely Jan Axom @ Rudra Boruah of Natun Gaon, Vivek Asom, Gyan Asom and Moni Asom came to the PO carrying sophisticated weapons and indiscriminately fired at the factory campus and building. After receiving the information, the IO along with other armed force rushed to the PO and searched nearby areas in order to nab the ULFA(I) cadres. From the above it is revealed that the above ULFA(I) cadres at the behest of the banned organization are involving themselves in these sabotage activities in order to create a fear psychosis amongst the common people and in turn extort from them for collection of fund with the intention of waging war against the Union of India.

(xi) Bordumsa P.S. Case No. 47/2017 U/S 120(B)/447/302/34 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27(3) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 12.12.2017, complainant Sri Kamaleswer Mahanta, S/O- Lt. Briten mahanta of Dirak Hunjan, Simuluguri, PS. Bordumsa, Dist. Tinsukia lodged an FIR stating that on 11.12.17 at about 6:40 PM, while his elder brother namely Sri Anteswar Mahanta and his son namely Karun Mahanta were in their house, at that time about 3/ 4 nos of ULFA cadres came to the house. The ULFA cadres fired on them from a close distance and as a result they got grievously injured. They were immediately shifted to the Tinsukia Civil Hospital for treatment but they were declared brought dead. Ext. 304 is the certified copy of FIR.

Upon receipt of the FIR, Bordumsa P.S. Case No. 47/2017 U/S 120(B)/447/302/34 IPC R/W Sec 25(1)(a)/27(3) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act. was registered and investigated into. During investigation of the case, the IO visited the PO, drew a sketch map of the PO and made necessary seizures. Ext. 305 is the certified certified copy of seizure list. The IO upon engaging source learnt that under the command of Rupam Asom, UlFA(I) cadres namely Bubul Asom, Monikanta Asom, Gyan Asom, Jan Asom and Diganta Chetia came to the PO with sophisticated weapons and indiscriminately fired on the victims. After receiving the information, the IO along with armed force rushed to the PO and searched the nearby areas for nabbing the ULFA(I) cadres. After occurrence of the incident search operation was conducted in several suspected villages. From the statement of the witnesses it is revealed that the above cadres at the behest of ULFA(I) were doing active propaganda for the banned organization with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district.

(xii) Lekhapani P.S. Case No. 11/2018 U/S 120(B)/121/121(A)/122/341/436/427/384/379/323 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act.

The brief of the case is that on 17.01.2018, complainant Sri Charitra Ram Deka, S/O Lt. Ranu Ram Deka of OIL (EA) Digboi lodged an ejahar stating that on 16.01.2018, 10 (ten) numbers of Oil tankers loaded with Crude Oil were coming from Kharsang to Digboi. After crossing about 500 meter from Namchik gate, a group of 10 to 16 members of extremist with arms waylaid the tankers and asked the drivers to come out from their vehicles. Then they snatched the purses, vehicle documents and mobile phones etc. from the drivers and also physically assaulted them. Later on, the miscreants had set fire to the oil tankers and all together eight oil tankers caught fire and were damaged. Ext. 322 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR a case was registered vide Lekhapani P.S. Case No. 11/2018 U/S 120(B)/121/121(A)/122/341/436/427/384/379/323 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act and was endorsed to SI Pulak Kumar for investigation. During investigation the I.O. visited the P.O. and examined the complainant and available witnesses. I.O. also seized the eight tankers which were set fire by the extremists. The statements of the witnesses reveal that extremist organization with the intention of waging war against the Union of India committed such terrorist activities.

(xiii) Bordumsa P.S. Case No. 37/2017 U/S 447/364(A) IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 02.09.2017, complainant Sri Soumen Bordoloi, Manager of Dihingiya TE, Ritubon Gaon, PS- Bordumsa lodged an FIR at this PS and stated that on the same day evening at around 6:30 PM, one unknown person with arms entered into the campus of the Dihingiya TE office cum residence by jumping the main gate and called the manager of the garden i.e. complainant of this case and asked him to come out of the main gate. The unknown person also asked the complainant the mobile number of the owner of the garden, Sri Rajib Phukan. The armed unknown person then contacted the owner and demanded Rs. 20,00,000.00 (Twenty lakhs). At that time the complainant saw six nos of gunman and they identified themselves as ULFA(I) members. At that very moment they kidnapped one Sri Sailya Dohotia, Age-35 years, S/O Sri Jagat Dohotia, Vill- Miholiritu, PS- Bordumsa, Dist- Tinsukia, from the campus of the TE for ransom. Sri Sailya Dohotia was a clerk of the said Tea Estate. Ext. 335 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Bordumsa P.S. Case No. 37/2017 U/S 447/364(A) IPC R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act. was registered and investigated into. During investigation of the case, the IO visited the PO, drew a sketch map of the PO, examined the complainant and other witnesses and recorded their statement. During examination it was learnt that the armed persons were ULFA(I) cadre and they came there under the command of Rupam Asom. It was also learnt that the other cadres were namely

Jan Asom @ Rudra Boruah of Natun Gaon, Hiranya Moran @ Goda of Hatigarh, Gyan and Monikanta and all were carrying sophisticated weapons when they came to the Tea Estate. After receiving the information, the IO along with armed force rushed to the PO and searched the nearby areas in order to recover the victim and to nab the ULFA(I) cadres and the operation subsequently continued in the next few days in all suspected hideouts. On 05.10.2017 at 8 PM, the victim person Sri Sailya Dohotia was released by the kidnappers of ULFA(I), who was recovered from the campus of the said Tea Estate office. After interrogation, the victim Sailya Dohotia disclosed about their hide out places as well as the name of above ULFA(I) cadres. Search operation continued in suspicious places to apprehend the culprits with the help of 23 Punjab Regiment, A210 Cobra and APBn personnel. In the course of investigation, IO seized one CD of CCTV footage and based on that one accused person namely Sri Santush Moran @ Sri Hiranya Asom @ Pokul, S/O Sri Budheswar Moran, Vill- No 4 Kakojan, PS- Phillabari, Dist- Tinsukia was arrested. Ext. 336 is the certified copy of seizure list. The statement of the accused person revealed that they at the behest of ULFA(I), were doing active propaganda for the banned organisation with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district and extort money from people by giving threat of life and property.

(xiv) Lekhapani P.S. Case No. 54/2018 U/S 120(B)/364(A) IPC R/W Sec 25(1-b)(A) Arms Act.

The brief of the case is that on 09.06.2018, complainant Sri Pratap Upadhyaya, S/O Sri Dinanath Upadhyaya of No. 3 Udaipur under Lekhapani P.S. lodged an ejahar to the effect that on 08.06.2018 at about 11 AM, a group of 6-7 miscreants with arms came to the tea garden of Sri Radha Chetia situated at Phaneng village and kidnapped the complainant's father Sri Dinanath Upadhyaya. Ext. 353 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR a case was registered vide Lekhapani P.S. Case No. 54/2018 U/S 120(B)/364(A) IPC R/W Sec 25(1-b)(A) Arms Act and was endorsed to SI Pulak Kumar for investigation. During investigation the I.O. visited the P.O. and examined the complainant and the available witnesses. The I.O. also arrested suspected accused Sri Hem Kanta Basumatary, S/O Sri Chandra Kanta Basumatary of Phaneng village, P.S. Lekhapani. On 25.06.2018 the victim, Sri Dinanath Upadhaya was recovered from Arunachal Pradesh. According to the statement of the victim he was kidnapped by ULFA cadre Uday Asom and four other cadres of the outfit. From the statement of the victim and witnesses it is clear that ULFA(I) is committing such types of activities in order to terrorise the people for the purpose of extortion with the intention of waging war against the Union of India.

(xv) Lekhapani P.S. Case No. 140/2018 U/S 120(B)/365 IPC R/W Sec 25(1-B)(A) Arms Act.

The brief of the case is that on 20.11.2018 the complainant Sri Bijay Borah S/O Lt. Dhananjoy Borah of 10th mile Jagun, P.S. Lekhapani lodged an ejahar to the effect that on 19.11.2018 at around 5.30 PM a group of three miscreants with arms kidnapped the complainant's Manager Sri Apurba Kakoti from his Crusher mill situated at 10th Mile, Jagun. Ext. 363 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR Lekhapani P.S. Case No. 140/2018 U/S 120(B)/365 IPC R/W Sec 25(1-B)(A) Arms Act was registered and investigated into. During investigation the I.O. visisted the P.O. and examined the complainant and the available witnesses. The I.O. also arrested suspected accused Sri Hem Kt. Basumatary and forwarded to the judicial custody. Later the victim Sri Apurba Kakoti was recovered and recorded his statement U/S 161 Cr.P.C. According to him, on 19.11.2018 three persons equipped with arms kidnapped him from the crusher mill of Sri Bijay Borah. They introduced themselves as ULFA cadres and threaten to kill him if he disobey their instructions. Later active ULFA cadre Sri Tutu Borah @ Handuk along with one over ground worker, namely Sri Jumon Borah were arrested in connection with the case. In his statement Sri Tutu Borah confessed that he along with Uday Axom, Jan Axom and Dhoni Axom were involved in the kidnap of Sri Apurba Kakoti. The statement of the victim and accused person reveals that they are continuously committing this type of crime for terrorizing the local people for the purpose of extortion with the intention of waging war against the Union of India.

(xvi) Doomdooma P.S. Case No. 353/2019 U/S 447/364(A)/34 IPC R/W Sec 25(1-A) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 11.10.2019, the complainant Sunitpal Bhuyan, S/O Dimbeshwar Bhuyan, Manager, Sankar T.E. P.S. Doomdooma lodged an FIR at Talap OP, P.S. Doomdooma stating that on the same day at about 06:05 PM, four (4) nos. of youths wearing black coloured clothes and armed with deadly weapons like AK-47, entered the Sankar T.E. factory premises and talked with him. After some time, the

Head Fitter of Sankar T.E., Sri Gauranga Deb, came out of the factory and was subsequently kidnapped by the said youths with a view to obtain ransom. Reportedly, the youths had introduced themselves as members of the United Liberation Front of Assam (ULFA). Ext. 383 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of FIR, Doomdooma P.S. Case No. 353/2019 U/S 447/364(A)/34 IPC R/W Sec 25(1-A) Arms Act R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and was endorsed to SI Jayanta Deka for investigation. During investigation, in the immediate aftermath of the incident, IC, Talap OP had launched a search operation with Talap OP staff and CIJW personnels at various places in order to intercept the abductors and rescue Sri Gauranga Dey, but the same did not bear any result. Thereafter, during further course of investigation, the IO examined a number of witnesses pertaining to the incident and recorded their statement U/S 161 Cr.P.C. From the statements of the aforementioned witnesses, it clearly emerged that victim Sri Gauranga Dey was abducted from Sankar T.E. factory premises on the evening of 11.10.2019 by at least four (4) nos. of armed persons wearing black attire who had introduced themselves as belonging to the banned ULFA(I) in presence of two (2) nos. of eye witnesses of the incident. The IO also seized the CCTV footage pertaining to the incident from Sankar T.E. premises in the presence of seizure witnesses. The seized CCTV footage corroborates the statements of all the aforementioned witnesses. Exts 386 and 387 are certified copy of the seizure lists. Upon analysis of the seized CCTV footage, four known ULFA(I) cadres, viz. (1) Rupom Asom (2) Gyan Asom (3) Yankhu Asom and (4) Gyan Asom were indentified as having taken part in the abduction of Sri Gauranga Dey from Sankar T.E. on 11.10.2019 while being dressed in black attire and armed with lethal weapons. After being freed by the armed abductors and reaching home safely, the victim Sri Gauranga Deb of Sankar T.E. S/O Lt. Dinesh Dev, Mohghuli, P.S. Bordubi, Dist- Tinsukia was examined wherein he corroborated the events of 11.10.2019 inside Sankar T.E. as narrated by other witnesses till his release on 23.10.2019. A statement of the victim was also recorded U/S 164 Cr.P.C.Ext. 409 (four pages) is the said statement of the victim.

The aforementioned facts and circumstances pertaining to the case, the statements of witnesses, the statement of the victim as well as CCTV footage obtained from Sankar T.E. premises clearly reveals that the abduction of Sri Gauranga Deb was in a planned manner for the purpose of extorting ransom money, to be likely used in acts to achieve its stated objective of liberating Assam from the Indian Union through armed struggle, in order to establish a 'Sovereign Socialist Assam' after overthrowing a legitimately elected democratic government.

(xvii) Tinsukia P.S. Case No. 456/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/427 IPC R/W Sec 3/5 of E.S. Act, added section 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 28.04.2016, complainant Sri Pravash Chandra Parrik, S/O Lt. Sohan Lal Parrik of Padumani Tea Estate, PS. Tinsukia lodged a written FIR at Tinsukia P.S. through Guijan O.P. to the effect that, at about 01.25 AM on 28.04.2016, he and other co-habitants were woken up by the sound of a bomb blast just outside the front gate of their residence. Upon enquiry, he found that the culvert and the stretch of road adjacent to the gate were damaged due to the blast and there were holes to be found on the gate and the wall. Ext 413 is the certified copy of the FIR.

On receipt of the above noted FIR, Tinsukia P.S. Case No. 456/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/427 IPC R/W Sec 3/5 of E.S. Act, was registered pertaining to the incident and the same was endorsed to SI Tuchan Chetia for investigation.

During investigation, the I/O visited the P.O. and drew a sketch map with brief description. The P.O. is situated at Tinsukia – Guijan PWD Road, in front of the residence of Sri Bibek Agarwal. The I/O collected some soil samples from the blast site, broken bricks etc. and seized the same in connection with instant case. The I/O also seized some more articles on being produced by the complainant, which includes CCTV footage from a camera installed near the PO. The I/O examined a number of P.O. witnesses and recorded their statements U/S 161 Cr. PC in connection with the case, viz. 1. Sri Bibek Agarwal, 2. Pravash Chandra Parrke, 3. Dinesh Gogoi, 4. Mangal Mahali, 5. Krishna Panika, 6. Dipen Bezboruah and 7. Priya Gogoi.

During the course of further investigation, based on statements of witnesses and source inputs, the I/O was able to apprehend, interrogate and arrest 5 (five) persons whose participation and complicity in the crime was established by circumstantial evidence, viz. 1. Babul Dihingia, 34 yrs, S/O Sri Kagen Dihingia of BVFCL Type III QTR No. 570, P.S. Namrup, 2. Panak Phukan, 26 yrs, S/O Sri Kumud Phukan of Na-Maithang Gaon, P.S. Kakopathar, 3. Nakul Gogoi @ Nokta, 28 yrs, S/O Sri Madhav Gogoi of Ghilaguri Gaon, P.S. Namrup, 4. Jitu Dohotia @ Anil Dohotia, 34 yrs, S/O Aneswar Dohotia of No.1, Sarumachi

Kurkakani Gaon, P.S. Kakopathar, 5. Ashok Bhujal, 50 yrs, S/O Sri Amar Bhujal, of Koilashpur Gaon, P.S. Bordumsa. The I/O had sent all the seized exhibits to the FSL, Guwahati for expert opinion. After examination, the experts from FSL Guwahati had opined that the soil samples contain low traces of explosive and that the metallic splinters collected and sent for Forensic examination may be the projectiles of an IED.

During investigation, the I/O tried to trace out the Maruti Van which was involved in the crime, as revealed by the CCTV footage, and also consulted the MVI regarding determination of registration number of the said Maruti Van. But, due to illegible CCTV footage pertaining to the same, the I/O could not ascertain the vehicle's registration number.

In the course of investigation, it came to be learnt by the IO that the bomb pertaining to the instant case was handed over to two people, viz. Jintu Dohotia and Bikash Gogoi, by known ULFA Arunodoy Dohotia, with a view to have it detonated inside Tinsukia. However, due to insufficient concrete evidence against the arrested accused persons, the case had to be unfortunately returned in F.R. vide Tinsukia P.S. F.R. No. 309, dtd. 30.06.2019.

Although the charges against the aforementioned arrested accused persons could not be established by the I/O due to dearth of concrete evidence, the investigation brought to light that the bomb pertaining to the instant case was detonated at the behest of ULFA(I) cadre Arunadoy Dohutia, with a view to terrorize the public in the district, and infuse a sense of insecurity among the masses, so that the extortion demands of ULFA(I) are fulfilled out of fear. This was an act in furtherance of ULFA(I)'s stated objective of waging war against the legally established Union of India and bring about the secession of Assam from the Indian State.

(xviii) Tinsukia P.S. Case No. 459/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/326/307/427 IPC R/W Sec 4/5 E.S. Act, R/W Sec 10/13 UA(P) Act.

The brief of the case is that on 28.04.2016, complainant SI Nabajit Das Bagri of Tinsukia PS lodged an FIR at the PS to the effect that on 28.04.2016 at about 7:33 PM, an explosion was caused by Abhi Asom @ Bhim @ Bharat Chutia and others under the instruction of Arunoday Asom, all members of banned ULFA(I), at Devipukhuri Pach Ali of Tinsukia Town. As a result, 14-15 persons sustained major and minor injuries and one motorcycle parked at the PO and some nearby shops got partially damaged. Ext. 424 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Tinsukia P.S. Case No. 459/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/ 122/326/307/427 IPC R/W Sec 4/5 E.S. Act, R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and was entrusted to SI Ajay Das of Tinsukia PS to investigate into. The I/O, during investigation, visited the PO, sent the injured for medical treatment and made necessary seizures at the PO, which includes grenade lever, splinters etc. Ext. 425 and 426 are the certified copy of the seizure lists. During investigation, the I/O could learn that the FIR named accused, namely Abhi Asom @ Bhim @ Bharat Chutia was subsequently arrested by Simaluguri PS in connection with Simaluguri PS Case No. 46/2016 U/S 120(B)/121/121(A) IPC. The I/O arrested Abhi Asom in connection with the instant case and interrogated him thoroughly. During interrogation, Abhi Asom revealed that he was an active cadre of ULFA(I) and was influenced by Tibrajit Asom to join the banned organization and received training in Myanmar. He stated that he was involved in the rocket launcher attack on Kakopathar PS in the year 2016, but the said rocket launcher had failed to explode. During further interrogation, he stated that though he was not directly involved in the grenade attack at Devipukhuri Pach Ali, he had given the grenade to one Punakon Chutia, of Tekeri village under Pengeree PS for lobbing the same in Tinsukia town. Accordingly, Punakon Chutia had lobbed the grenade at Devipukhuri Panch Ali. The statement of accused person establishes that the grenade lobbing incident was in furtherance of secessionist activities in Tinsukia district, with a larger objective of waging war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district.

(xix) Phillobari P.S. Case No. 24/16 U/S 3 /4 E.S. Act, R/W Sec 10/13 UA(P) Act.

The brief of the case is that on 15.08.2016, complainant Sri Gunakanta Hazarika, head constable of Assam Police, S/O Sri Sukeswar Hazarika of Phillobari lodged an FIR at Phillobari PS to the effect that on 15.08.2016 at around 08:00 am, a bomb was blasted by suspected ULFA at No. 11 Bamungaon Rajen Dukan tinali, which caused no hurt and damage. The banned outfit ULFA blasted the bomb with an intention to create panic during the celebration of Independnce Day. Ext. 447 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Phillobari P.S. Case No. 24/16 U/S 3 /4 E.S. Act, R/W Sec 10/13 UA(P) Act was registered and investigated into. During investigation I/O seized some soil sample from the site of the explosion, recorded the statements of complainant and others witnesses. The I/O identified the accused persons by engaging sources and apprehended the juveniles namely Sri Manab Deka @ Dut 16 yrs and Sri Bichtra Moran @ Munna, 16 yrs and produced them before Hon'ble Principal Magistrate JJB Tinsukia. They were engaged by ULFA activist Haren Deka @ Akhil Asom, who was already shown arrested in connection with the instant case. During the investigation it was revealed that the banned outfit ULFA is doing these sabotage activities before the celebration of Independence Day in order to create terror amongst the people of the district with an intention of waging war against the Union of India.

(xx) Doomdooma P.S. Case No. 299/2016 U/S 3 /4 E. S. Act, R/W Sec 10/13 U/A(P) Act.

The brief of the case is that on 15.08.2016, the complainant Insp. Moni Mohan Singha, O.C. Doomdooma P.S. lodged an FIR to the effect that, on 15.08.2016 at about 07:56 A.M., while he was visiting the place of occurrence of explosion that took place at No. 6 line, Budlabeta T.E., on the wayside of Kakojan Road, a high intensity sound of explosion was heard coming from the direction of Doomdooma Town. Immediately afterward, he received information about a bomb explosion at No. 8, Sookreting, in a road side drain near GREF Tiniali point. Immediately, he directed S.I. Jiten Gohain to go to the place of occurrence, and he too rushed towards No. 8 Sookreting. On arrival, it was observed by the complainant that a suspected IED had exploded in a drain near GREF Tiniali Point at No. 8, Sookreting. It was strongly suspected that the blast was carried out by ULFA (I) and, based on previously received inputs, ULFA cadres Rupam, Bibir, Umesh Moran, Udoy and one more unidentified cadre were suspected to be involved in the explosion. There were inputs of such activities being planned by ULFA on the run up to Independence Day. Ext. 465 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the F.I.R., Doomdooma P.S. Case No. 299/2016 U/S 3 /4 E. S. Act, R/W Sec 10/13 U/A(P) Act was registered and investigated into. During investigation, the I.O. visited the P.O. and drew a rough sketch map. The I.O. seized some soil sample from the P.O. and recorded the statement of the complainant along with some other witnesses. The I/O identified the accused persons by engaging sources. During investigation, the I.O. apprehended the following Juvenile accused persons, namely (i) Sri Bichitra Moran (16 yrs), S/O Sri Pulin Moran, R/O No. 3 Kakojan, P.S. Phillobari Dist. Tinsukia and (ii) Sri Manab Moran (16 yrs), S/O Sri Dhaneswar Moran, R/O No. 4 Kakojan, P.S. Phillobari, Dist. Tinsukia. After thorough interrogation, they disclosed their role in the commission of the crime. Another accused, Sri Bitul Moran @ Titul (22 yrs), S/o Sri Arna Moran, R/O No. 1 Kakojan, P.S. Phillobari Dist. Tinsukia was apprehended by Army personnel and during interrogation, he disclosed that he, along with the two other persons, namely Sri Bichitra Moran and Sri Manab Moran, had placed the IEDs. Later on, it was also revealed that the IEDs were handed over to them by ULFA cadres Rupam Asom, Udoy Asom, Nibir Umesh Moran and another unidentired ULFA cadre.

(xxi) Doomdooma PS case No. 298/2016 U/s 3/4 of ES Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 15.08.2016, complainant SI Jyotishman Neog, S/O Sri Naren Neog, of Doomdooma PS Dist- Tinsukia lodged an FIR to the effect that on 15.08.2016, while he, along with his staff, was conducting patrolling duty on bye-pass road and was proceeding towards Samdang TE, they saw that a number of people had assembled near Budlabheta TE No. 6 Line. He then turned his vehicle towards No. 6 Line of Budlabheta TE. On arrival, he found that a suspected IED had exploded at No. 6 Line, Budlabheta TE, on the wayside of Kakojan Road, at about 06.55 am. Immediately, he informed Insp. MM Singha, OC Doomdooma PS about the occurrence of the blast. After a short while, OC Doomdooma PS arrived there. It was strongly suspected, based on available source input at the time, that the explosion was carried out by cadres of banned ULFA organization, namely Rupam, Nibir Umesh Moran, Udoy, and another cadre. Moreover, there were strong inputs that such sabotage activities would be carried out by the ULFA militants leading to Independence Day. Ext. 492 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of FIR, Doomdooma PS Case No. 298/2016 U/s 3/4 ES Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act was registered and investigated into. During investigation, the IO visited the PO and drew up a sketch map of the PO. The IO had seized some fragments of suspected broken mobile handset found at the PO and also the soil sample of the blast site. The IO recorded the statement of the complainant along with some other witnesses. The IO identified the accused persons by engaging sources. During investigation, the IO apprehended the following juvenile accused persons namely (i) Sri Bichitra Moran (16 yrs) S/O Sri Pulin Moran R/O No. 3 Kakojan PS- Phillobari Dist Tinsukia and (ii) Sri Manab Moran (16 yrs) S/O Sri Dhaneswar Moran R/O No. 4 Kakojan, PS-Phillobari Dist Tinsukia, upon finding sufficient evidence

against them. Upon interrogation they disclosed their role in commission of the crime. Another accused Sri Bitul Moran @ Titul (22 yrs) S/O Sri Arna Moran, R/O No. 1 Kakojan, PS Phillobari, Dist Tinsukia were shown arrested in connection with Doomdooma PS case No. 299/2016 U/s 3/4 of ES Act, R/W Sec 10/13 UA (P) Act. During thorough interrogation, he had disclosed that he along with the other two co-accused, namely Sri Bichitra Moran and Sri Manab Moran had placed the IED and it was also revealed that the IED was handed over to them by ULFA cadres Rupam Asom, Udoy Asom, Nibir Umesh Moran and another ULFA cadre, all of whom are yet to be arrested. Ext. 494 is the certified copy of the seizure list.

(xxii) Tinsukia PS case no. 907/16 U/s 121/121(A)/122/427 IPC R/w Sec 3/4/5 of ES Act R/w Sec 10/13 of UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 15.08.2016, complainant SI Pushpakanta Hazarika, IC Panitola OP lodged an FIR at Tinsukia PS to the effect that on the same day, at about 7 am, a bomb exploded near NH-37 at Laipuli Tinsukia. The complainant suspected that the explosion was caused by ULFA (I) as there was an input that ULFA (I) might cause such sabotage activities in Tinsukia. Ext. 517 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Tinsukia PS case no. 907/16 U/s 121/121(A)/122/427 IPC R/w Sec 3/4/5 of ES Act R/W Sec 10/13 of UA(P) Act was registered and was endorsed to SI PK Banik for investigation. During investigation, the IO visited the PO, examined the witnesses and made necessary seizures, which included splinters from the grenade. Ext. 519 is the certified copy of the seizure list. In the course of investigation, the IO arrested 2 (two) persons upon finding sufficient evidence against them. During examination of the accused persons, they revealed that some unknown ULFA (I) cadres had handed over 4 nos. of bombs to them, to plant in different parts of Tinsukia town in order to terrorize the people. One such bomb was planted at Laipuli and it exploded as planned by ULFA (I). The statements of the accused persons establishes the fact that they were working at the behest of ULFA (I), for the furtherance of ULFA(I)'s separatist ideology, and had carried out the sabotage activities as directed to them by the ULFA (I) leadership, with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district.

(xxiii) Lekhapani PS case no. 13/2018 U/s 120 (B)/121(A)/122 IPC R/w Sec 3 of ES Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 26.01.2018, SI Pulak Kumar, S/O Sri Ratneswar Kumar of Jagun Out Post under Lekhapani PS lodged an FIR to the effect that on the 26.01.2018 morning at 9.00 am, a blast took place at Jagun Bazar. On approaching he found that the blast occurred near the female toilet of the bazaar complex. Upon enquiry he learnt that the bomb was exploded by the banned outfit ULFA (I) to create terror amongst the people on the eve of Republic Day celebration, planted through their linkman. No casualty was reported due to blast. Ext. 534 is the certified copy of the FIR.

On the basis of FIR, Lekhapani PS case No. 13/2018 U/s 120(B)/121(A)/122 IPC, R/W Sec 3 of ES Act R/w Sec 10/13 UA (P) Act was registered and investigated into. During investigation, the IO visited the PO, examined the witnesses and recorded their statement U/s 161 Cr.P.C. Upon examination of witnesses and by engaging sources the IO found that on 26.01.2018 at 9.00 am, ULFA (I) by using their linkman had planted the bomb in Jagun Bazar in order to terrorize the people on the eve of Republic Day celebration. Though sources were engaged to trace the person involved in the crime and all the suspected locations were searched, the IO could not get any clue about the accused persons. Therefore the case was returned in FR vide Lekhapani PS FR No. 26/2018 dated 01.08.2018.

Though the accused could not be traced, but the above crime was committed at the behest of ULFA (I) in order to terrorize the people of the district, infuse a sense of insecurity amongst the public so as to fulfill their extortion demands while waging war against the Union of India.

(xxiv) Margherita PS case no. 21/18 U/s 120(B)/121/121(A)/122 IPC R/W Sec. 3 of E.S. Act R/w Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 27.01.2018 at 11.30 am, complainant Sri Amar Jyoti Bailung, S/O Lt Amulya Bailung, I/C Ledo OP, PS Margherita lodged an ejahar at Margherita PS to the effect that on 26.01.2018 while he along with APBn personnel were executing patrolling duty at Ledo Out Post area, at about 9 am he could listen a heavy sound from the Tirap Colliery site, Ledo. After hearing the sound he along with staff immediately arrived at the Tirap Colliery area and had seen the blast which was at a road side culvert in the Tinsukia Jagun road. The blast was done by some unknown miscreants but there was no casualities. Ext 545 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Margherita PS case No. 21/18 U/s 120(B)/121/121(A)/122 IPC R/w Sec 3 of ES Act R/W Sec 10/13 of UA (P) Act was registered and investigated into. During investigation some soil sample from the PO (Explosion Site) was collected and seized and was sent to FSL for examination and expert opinion, recorded the statement of the complainant and other witnesses which had revealed that some suspected ULFA (I) cadres jointly with NSCN cadres have caused the explosion to create fear psychosis amongst the locality as well as to observe their protest against celebration of Republic Day. During investigation the IO arrested one Sri Bikram Chakma, age 19 years @ Sonti Kumar S/O Sukra Surhya Chakma R/O No.2 Jyosnapur PS Dyung, Dist-Changlang, Arunachal Pradesh, who was a close associate of the banned ULFA(I) group. On that very day, some other explosions took place in some other districts which was caused by the banned extremist group ULFA (I) to show their presence and create panic in the society.

(xxv) Barekuri PS case No. 03/2015 U/s 387 IPV R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 03.02.2015, the complainant Sri Mohan Lal Gupta, S/O Sri Bharat Bhuchan Gupta of Central Namghar Road, Duliajan PS Duliajan, Dist-Dibrugarh, lodged an FIR to the effect that he had been carrying out a contractual work under Oil India Ltd. at Barekuri Denka OCS. On 21.08.2014 the complainant had received SMS from mobile number 9615986079 demanding Rs. 10,00,000/- and also threatened of dire consequences if their demand is not fulfilled. Later on the ULFA cadres had made several call to the complainant and introduced themselves to be one Pabitra Asom and Arunoday Dohutia. They had also used another phone number viz. 9615924420 for making the demand calls and have agreed to receive an amount of Rs. 2,00,000/- and also have given the deadline of 03.02.2015. Ext. 568 is the certified copy of the FIR.

On receipt of the FIR, Barekuri PS case No. 03/2015 U/s 387 IPC R/W Sec 10/13 of UA (P) Act was registered and investigated into. During investigation, the IO visited the PO examined the witnesses and recorded their statement U/s 161 Cr.P.C. The IO collected the CDRs of mobile numbers 9615986079, 9615924420, 9508143969, 9954513188 which were used by extremist in making extortion demands. During investigation the IO had arrested three ULFA cadres and linkman namely (i) Sri Ruknoi Chutia, S/O Haliram Chutia of Puroni Motapung Gaon (2) Sri Bitupan Moran @ Dutta, S/O Moineswar Moran of Philobari Amguri, PS Philobari and (3) Sri Loka Bhaskar Borah @ Bapu S/O Sri Bhupen Baruah of Tongana Bazar. From the statement of the accused persons it is pertinent that the arrested persons at the behest of ULFA (I) were resorting to extortion from the common people for raising fund for their so called war against the Union of India. Ext. 594 is the certified copy of the FIR.

(xxvi) Digboi PS case No. 230/2017 U/s 365/511/395 IPC R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 21.10.2017, complainant Sri Umesh Ch. Tyagi, Manager of Shree Krishna TE, lodged an FIR at Digboi PS to the effect that on 21.11.2017 at about 7.50 PM, 2 (two) persons in army dress came to his bunglow and identified themselves as members of banned ULFA (I) and asked him to go along with them. Tyagi replied that he was only a guest and not the Manager, and subsequently he ran away and hid himself among the tea bushes. The ULFA (I) cadres searched the entire bunglow about 5 times. At around 9.45 pm, the complainant slowly came out of his hiding place after hearing the voice of some garden residents who had gathered outside his bunglow. The complainant stated that the extremists group was five in number and they had taken away two mobile phones belonging to him and a cash amount of Rs. 20,000.00 from his office almirah. Ext. 594 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Digboi PS case No. 223/17 U/s 365/511/395 IPC R/W Sec 10/13 UA(P) Act was registered and was entrusted to SI Jatin Saikia for investigation. During investigation, the IO visited the PO examined the witnesses and recorded their statement which revealed that the group of five ULFA (I) cadres came to the garden to kidnap the manager and, when he was not found, committed dacoity at the place. During the course of investigation, ULFA cadre Sontosh Moran @ Hiryana Asom S/O Budheswar Moran was arrested in connection with the instant case, who during interrogation, revealed that he, along with his associates, namely (1) Rupam Asom (2) Jaan Asom @ Rudra Baruah and (3) Moniram Asom, among others, were involved in this case. Hence from the above stated facts and circumstances, it is pertinent that the aforementioned ULFA (I) group had come with a motive of kidnapping the TE Manager, Umesh Ch. Tyagi, with an objective of extorting ransom money for his release, which, in turn, would have been likely used in the furtherance of ULFA (I)'s stated objective of waging war against the Indian state to liberate Assam from the Indian Union and overthrow its democratically elected Government.

(xxvii) Doomdooma PS case No. 342/2017 U/s 448/365/511/387 IPC R/W Sec 25(1)(a) Arms Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

The brief facts of the case is that on 22.11.2017 at 9.00 pm, complainant Sri Moni Mohan Koch, S/O Thogiram Koch, of Doomdooma Police Station, lodged an FIR at this PS to the effect that on 21.11.2017 at about 06.45 pm five/ six nos. of ULFA (I) cadres, equipped with sophisticated firearms, had criminally trespassed into Samdang T.E. office and demanded money from the garden authority in the name of ULFA (I) and they also tried to kidnap one Mr. Muslihur Rahman, Assistant Manager Samdang T.E. Ext. 608 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Doomdooma PS case No. 342/2017 U/s 448/365/511/387/34 IPC R/w Sec 25(1)(a) Arms Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act was registered and investigated into. During investigation the I.O. visited the PO and drew up a sketch map of the PO. The IO had seized (1) A Gionee mobile handset having IMEI Nos. 868702020400612 and 868702023400619 with SIM No. 9854208588, on which Mr. Muslihur Rahman had received extortion message over whatsapp from the mobile No. 7085896407, and (2) one copy of extortion pad of ULFA (I) signed by Brigadier Jibon Asom, Finance Secretary, ULFA (I). The IO recorded the statement of the complainant along with some other witnesses. The IO submitted a prayer for CER/SDR/PTL/CAF and accordingly received the same, and analyzed it. The IO identified the accused persons by engaging sources. During investigation, the accused person Sri Santosh Moran @ Pakul @ Hiranya Asom (23 years) S/O Sri Buddheswar Moran R/O Kakojan No. 4, PS Philobari, Dist Tinsukia was arrested and forwarded to judicial custody. During thorough interrogation of the arrested accused, he disclosed that he is an active member of ULFA (I) and on 21.11.2017, he along with his associates namely Rupam Asom, Gayan Asom, Jaan Asom, Bibek Asom and Muniram Asom, all equipped with assault rifles, came to Samdang TE office and demanded money from the garden authority in the name of ULFA (I). During interrogation, the accused also confessed that he, along with his associates, had demanded money from Srikrishna TE under Digboi PS and had also kidnapped one person for ransom from Kathalguri under Bordumsa PS.

(xxviii) Digboi PS case No. 132/2018 U/S 387 IPC.

The brief of the case is that on 09.06.2018 at 12:30 PM, complainant Sri Sajjan Goyal, S/O Moni Ram Agarwal of Mulibari Bihutoli, P.S. Digboi lodged an FIR to the effect that on 08.06.2018 at around 20:23 hrs, he received an sms from the mobile no. 9774272531, demanding of a cash of Rupees 20,00000/- (twenty lakh) from him. The sms carried the name of Roktim Asom, Group In-Charge of ULFA(I) organization. Ext. 626 is the certified copy of the FIR.

On receipt of the FIR, Digboi P.S. Case No. 132/2018 U/S 387 IPC was registered and investigated into. During the course of investigation, the I/O visited the place of occurrence, examined and recorded the statement of the complainant and other witnesses, seized the screen shot of the message from the mobile handset of the complainant. After careful examination of C.D.R, the accused persons involved in the crime namely (i) Sri Atul Bordoloi (ii) Sri Baleswar Prasad Rai and (iii) Smti. Mintu Saikia @ Madhobi were arrested and forwarded to judicial custody. During interrogation all the accused person have confessed that the demand and collection of 6,00,000/- (six lakh) rupees was done by them for their personnel benefit. During investigation the I/O had recovered a cash amount of 2 lakhs which was a part of the extorted money and also the mobile handset, which was used in commission of the crime. The IO seized both the money and the mobile in connection with the instant case. At the end of the investigation, the I/O submitted the case in C.S. vide C.S. No. 116/2018 dtd. 31.08.2018, U/S 387 IPC against all the accused persons.

(xxix) Lekhapani PS case No. 27/2020 U/S 120 (B)/365/392 IPC, R/W Section 25(1-b) (a) Arms Act.

The brief of the case is that on 12.02.2020, complainant Mr. Raju Khan lodged an FIR stating that on 11.02.2020 at 12:00 PM one of his worker namely Baikuntha Handique of Wara ghat was kidnapped by 3 persons who were having arms, when he was taking his lunch. The armed personnels also took away all their mobile phones. When the complainant got the news at around 3:00 PM, then after sometime he informed the army officer and the officer in charge of Lekhapani P.S. and hence the case. On the basis of FIR, Lekhapani PS case No. 27/2020 U/S 120 (B)/365/392 IPC, R/W Section 25(1-b) (a) Arms Act dtd. 12.02.2020 registered and investigated. Ext. 659 is the certified copy of the FIR.

During investigation, search operation was conducted by Tinsukia Police along with 210 Cobra battalion, Army of 9 RR and 13 Assam Rifles in the adjoining jungle areas of Jagun, Arunachal Pradesh border and in Lungvi and Hetlong villages of Arunachal Pradesh. During the course of investigation, the

I/O had examined some witnesses thoroughly and also recorded their statements U/S 161 CrP.C. From examination of the above it was learnt that ULFA(I) has been kidnapping persons from Jagun area from last 2017 and till date there have been five kidnappings. All kidnapped persons were employees of stone crushers/tea gardens located in Jagun areas. During the examination of the witnesses and the earlier kidnapped persons it is learnt that ULFA(I) cadres Uday Asom, Dhoni Asom, Yangku Asom and Gunjan Asom were involved in all the kidnappings. It was also learnt that one old aged Naga person and a former NSCN cadre namely Baba, who stays in the Indo-Myanmar border helps the insurgent group of providing necessary logistical support and also helps crossing the international border safely. On 19.02.2020, Raju Khan again received a call from ULFA(I) cadre Rupam Asom demanding a sum of Rs. 1.2 crore for release of the kidnapped persons Baikuntha Handique. On 04.03.2020, Baikuntha Handique was recovered from Lungvi village of Arunachal Pradesh and during his examination he revealed that the ULFA(I) cadres Rupam Asom, Udoi Asom, Vivek, Gyan, Yangku, Parashmoni Asom and Sourav Asom were involved in his kidnapping and they took him deep inside Myanmar.

From the investigation it is clearly seen that ULFA(I) is engaged in kidnappings from Jagun Lekhapani area since 2017 and all these were done to extort huge amount of ransom from owner/business whose persons/workers were kidnapped with an intention of funding their organization to carry out war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district.

(xxx) Tinsukia PS case No. 1866/2019 U/s 120 (B)/121/121(A) IPC, R/W Section 10/13 UA (P) Act.

The brief of the facts is that on 28.11.2019, the complainant, UBC/37 Robin Sonowal, S/O Lt. Sunaram Sonowal, of Panitola OP, PS Tinsukia, lodged an FIR at Tinsukia PS stating that while he was performing patrolling duty on the night of 27.11.2019 along with his staff, he noticed 3 (three) numbers of flags of the banned ULFA (I) organization, which were hoisted in front of Panitola High School, under Panitola OP. Ext. 679 is the certified copy of the FIR.

Upon receipt of the FIR, Tinsukia PS case No. 1866/19 U/s 120B/121/121(A) IPC, R/W Section 10/13 of UA (P) Act was registered and investigation was started. During investigation, the I/O seized the flags of ULFA (I) and recorded the statements of the complainant, along with some other witnesses. The I/O identified the accused persons by engaging sources and by the analysis of CDRs. During interrogation, the accused persons admitted their role in the commission of the crime. Subsequently, the I/O arrested the following accused persons, namely, (i) Hirakjyoti Phukan, 22 years S/O Sri Anulya Phukan, R/O Panitola Railway Gate, PS Tinsukia (ii) Himadri Gogoi, 21 years, S/O Sri Nirud Gogoi R/O Panitola Nagaon, PS Tinsukia and (iii) Hirakjyoti Barua, 22 years S/O Sri Monuj Barua, R/O Panitola Nagaon, PS Tinsukia. The arrested accused persons further revealed during interrogation that they were in touch with ULFA (I) cadre Munna Barua @ Rup Asom over social media app and that he had asked them to prepare flags of ULFA (I) and hoist the same in some conspicuous location. The statements of the accused persons reveal that they at the behest of ULFA (I) were doing active propaganda for the banned organization with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror amongst the people of the district.

27. Shri Bhanwar Lal Meena, currently serving as Superintendent of Police, Sadiya district in his evidence on affidavit stated as follows:

On 01.11.2018 at around 08 pm one information was received by the C/I, Dholla (I/C O/C Saikhowaghat PS) from mobile No. 6001290038 that one incident of firing had taken place at Kherbari under Saikhowaghat P.S. and 05 (five) nos. of persons had been killed. On receipt of information he along with O/C Dholla PS and sufficient force rushed to the Kherbari Gaon and found that five persons namely (i) Shyamal Biswas (age 55 years), S/O Kushal Biswas, (2) Abinash Biswas (age 22 years), S/O Mohanlal Biswas, (3) Ananta Biswas (age 18 years) S/o Mohanlal Biswas (4) Subal Das (age 50 years) S/O Lt. Girindra Das (5) Dhananjay Namsudra (age 22 years) S/O Lt. Jugendra Namsudra, all of vill-Kherbari, PS Saikhowaghat, dist.-Tinsukia (police district Sadiya) had been killed by unknown miscreants. On 02.11.2018 O/C, Saikhowaghat P.S. lodged an FIR stating that on 01.11.2018 at about 7.30 pm six nos. of unknown gunman entered into Kherbari village in army uniform and brought six nos. of villagers to steel bridge and indiscriminately gunned down five of them. One person namely Sahadev Namasudra could manage to save himself from the incident. It was suspected that the incident was caused by active ULFA militants. Ext. 700 is the certified copy of the FIR.

On receipt of FIR a case had been registered vide Saikhowaghat PS case No. 36/18 U/s 120(B)/121/121(A)/122/302/307 IPC R/W Sec. 25(1)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 UA (P) Act. And the case was endorsed to one gazetted officer i.e the Dy. SP (HQ) Sadiya Police District on 03.11.2018 vide Memo No. SDY/CB/Crime/2697 dated 03.11.2018.

The I/O had visited the PO and searched the entire area as shown by the eye witness Sahadev Namasudra. The I/O had drawn up PO map and seized 32 nos. of empty cartridges, 05 nos. of chappals and 01 garment containing blood stain. The I/O arranged to inquest over the 05 dead bodies by the Circle Officer, Sadiya and send the dead bodies for post mortem examination at Tinsukia Civil Hospital. The I/O arranged to send the seized articles to be seen by the Hon'ble SDJM, Sadiya, The seized cartridges were also send to FSL for examination and expert opinion.

The I/O recorded the statement of eye witness Sahadev Namasudra U/s 161 Cr.P.C. and 164 Cr.P.C. and other local witnesses U/s 161 Cr.P.C. From the statement of witnesses it is found that 06 nos. of miscreants came to Kherbari, in Army Uniform, from Laopani Gaon side on foot. They ordered 06 persons from the shop of Shyam Lal Biswas to follow them and fired from zero distance. The miscreants talked in Hindi and left the place taking advantage of the dark place.

During investigation the I/O had arrested one ULFA linkman namely Jintu Gogoi @ Dikla on the basis of statement of local witnesses. The I/O had engaged sources to trace out the culprits. The investigation of the case is going on.

The I/O arrested accused Jintu Gogoi @ Dikla aged about 32 years, S/o Mohudar Gogoi, of village Bocha Gaon, P.S. Sadiya in connection with this case and during interrogation it revealed that he was involved in unlawful activities with ULFA.

28. Sri Bedanta Madhab Rajkhowa presently serving as Deputy Commissioner of Police (S&I), Guwahati, Panbazar under Police Commissionerate Guwahati, Assam since May, 2017 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 24.07.2018 one Sri Kamal Harlalka, S/O Ramswarup Harlalka R/O Shree Sadan, BK Phukan Road, Kumarpara, PS Bharalumukh verbally informed Bharalumukh PS that his brother Sontosh Harlalka who stayed in Dhubri had been continuously threatened by some anti social elements over phone who claimed themselves to be members of ULFA organization and demanded money from him. The complainant informed that they received the phone call from the phone No. 6901158471 and the caller would collect the demand money from G.S. Road. As such on the basis of information recorded vide Bharalumukh PS GDE No. 1051 dated 24.07.2018 a team led by SI K Mahanta proceeded to G.S. Road. One employee of the complainant namely Ashoke Choudhury carried Rs. One Lakh as demanded by the culprit and reached the spot as decided previously. The police team could apprehend the culprit near Sohum Shoppe at G.S. Road and seized some objectionable items from his possession and Rs. One Lakh which was carried by Ashok Choudhury.

The complainant Shri Kamal Harlalka lodged an FIR (Ext. 725) at Bharalumukh PS on the basis of which a case was registered vide Bharalumukh PS case No. 599/18 U/s 387 IPC R/W Sec. 10/13 UA (P) Act.

During investigation of the case the, apprehended accused was identified as Dipen Das (37 years), S/O Kalicharan Das, Kukurmara, Rajapara, PS- Boko. The accused was thoroughly interrogated and his statement was recorded.

In the statement he stated that he had joined as ULFA linkman in the year 2003. Then he met ULFA leader Dristi Rajkhowa and Simanta Rabha who was also with him. He surrendered in the year 2009. Prior to that, he was arrested by Boko PS and one of his case was still pending at Baghmara Court. On 20.07.18 Simanta Rabha provided him a phone No. 9435558149 and asked him to go to Guwahati to collect some sum of money. He asked him to introduce himself as Ratan. Accordingly, after making contact over phone, he came to collect the money at the pre decided place at Guwahati. He stated that he made a call to the complainant from the phone No. 6901158471. After making the call he threw the sim card at the GMC drain. On returning from there police caught him near Sohum Shoppe at G.S. road.

During investigation I/O examined the complainant Sri Kamal Harlalka (60 yrs) and Ashok Choudhury, S/O Kamalpreet Choudhury, Narayan Nagar, PS-Bharalumukh and recorded their statement under Section 161 Cr.P.C. Statement of the victim Santosh Harlalka was also recorded.

On 25.07.2018 another accused Simanta Kumar Rabha (41 Yrs), S/O Lt. Dinesh Ch. Rabha, Vill-Baniapara, PS Rongjuli, Dist-Goalpara was apprehended from Rongjuli PS. After thorough interrogation sufficient evidence was found against him and he was arrested in connection with the present case. His statement was recorded U/s 161 Cr.P.C.

In his statement he stated that he had known Dipen Das since when he was the GS of Bikali College, Dhupdhora. He admitted that he had been working as a linkman of ULFA since the year 1996/97. During that time ULFA leaders often came to his house and used to have lunch. He knew Dristi Rajkhowa and used to work for him. On 18.07.2018 Dristi Rajkhowa called him up over phone and asked him to go to Guwahati to collect some money.

The case is pending for obtaining prosecution sanction.

(ii) On 16.05.2019 morning SI Mukut Ch Deka of Geetanagar PS lodged an FIR (Ext. 783) at Geetanagar PS to the effect that on 15.05.2019 evening he was detailed for NAKA checking duty in front of Guwahati Central Mall along with PAPA 17 staffs and SSB party from 2 pm to 10 pm. Accordingly while he was on checking duty along with his accompanied staffs at about 7.40 pm some unknown extremists lobbed a Grenade from the opposite side aiming at police checking party which exploded near the check point. As a result 12 persons including two SSB jawans and PAPA driver sustained minor/ serious injuries. The injured persons were immediately shifted to Guwahati Medical College Hospital and other Hospital for examination and treatment. Accordingly the above reference case was registered and investigated.

It is stated that as per order dated 24.06.2019 received from the under Secretary to the Govt. of India Ministry of Home Affairs, CTCR Division vide No. 11011/22/2019/NIA dated 24.06.2019 the investigation of Geetanagar PS case No. 210/2019 and Satgaon PS case No. 147/2019 has been transferred to the National Investigation Agency (NIA) for carrying out investigation from their end and accordingly handed over the CDs along with all records to the concerned officer of NIA by the then I/O of the case.

(iii) On 28.11.2018, complainant ASI Umesh Upadhya lodged an FIR (Ext. 736) at Dispur PS stating that while he was executing patrolling duty at Hengrabari and Borbari area under Dispur PS alongwith the staff of PAPA V of Dispur PS information was received from phone Duty officer of police station that two nos. of flag had been hoisted one at upper Hengrabari, Hills Tilaa and other at Hengrabari LP School campus under the Dispur PS jurisdiction wherein the flags were captioned as ULFA (I), SPRING UQUINOX. On receipt of the information he along with staff proceeded to the place of occurrence and brought down the aforesaid flags and seized the same in presence of independent witnesses. He did preliminary investigation and on input received from independent reliable sources it is found that Militant Outfit sympathizers, to showcase the dominance and presence of the banned outfit, flags were hoisted by ULFA (I), in and around the capital city Guwahati with an ulterior motive to wage confrontation against the state to promote terrorism. Hence the case was registered and investigated into.

In course of investigation I/O examined the complainant and available witnesses and recorded their statements. I/O also visited the PO and drew up a sketch with index. I/O apprehended some suspected alleged accused namely Nilotpal Goswami, Jeherul Islam, Rohit Dutta, Saher Ali, Putul Das, Hirakh Jyoti Gohain, Lozen Saikia, Papu Kalita, Sunu Ojah, Bitupan Bharali, Hasim Ali, Nitish Patir, Dhyan Doley and they were thoroughly interrogated and released after issuing notices U/s 41 (A) Cr.P.C.

The case is pending for arrest of the accused person and further investigation.

(iv) On 13.10.2018 at 6 pm complainant Sri Tonmoy Nath, SI of police, Panbazar police station, Kamrup (M), lodged an FIR (Ext. 770) at Panbazar PS stating that on the same day i.e. 13.10.2018 at about 11.55 am, one high intensity sound suspected to be bomb blast occurred at the riverside footpath of M.G. road backside of MMC Hospital, Panbazar, Guwahati due to which five persons namely Taifuddin Ahmed, Binita Das, Shanku Das, Kalpajyoti Talukdar and Shahjahan Ali sustained injury and one city bus got damaged.

In this connection, a case was registered vide Panbazar P.S. case no. 687/2018 u/s 120(B)/325/427 IPC R/W Sec. 3 E.S. Act. During investigation, Section 10/13 UA(P) Act has been added in the case.

Some debris and four pieces of iron splinters were collected/ seized from the place of occurrence and sent to FSL, Kahilipara for examination and expert opinion. The Forensic examination opinion report on seized articles clearly stated that high explosives (TNT) were traced in the exhibits and the seized iron pieces used as projectiles in an IED.

In course of investigation accused person Paresh Das (Driver of Assam Engineering Institute, Guwahati) S/O Lt. Lalit Das R/O Mahadev Tola PS- Hajo, Dist Kamrup (R) was arrested in connection with the case and thoroughly examined.

In course of investigation, CDR of the phone number 8399093046 of the arrested accused Paresh Das was collected and after careful analysis of the same, it was learnt that he had contacts with one suspected phone number which was used by one Sri Nayan Medhi @ Pathak, a leader of ULFA.

Interrogation of arrested accused Paresh Das also revealed that he played an active role in the said bomb blast. He also revealed that he was helped by Sri Nayan Medhi, Commander of 28 Bn, ULFA to cause bomb explosion in the year 2006 and 2009.

Later on two more link man of ULFA namely Bolen Deka, S/O Sri Bhoben Deka and Dimbeswar Deka S/O Sri Phuleswar Deka both of Baranga Bari, PS Harisinga were shown arrested in connection with the case.

So far, the investigation is made, sufficient evidence are found against the arrested accused Paresh Das which revealed prima facie incriminating materials against him under Section 120(B)/124(A)/325 IPC.

But it is to be stated here that the accused namely Paresh Das expired on 04.01.2019.

The investigation of case is continuing to apprehend the co-accused namely Nayan Medhi, Commander of 28 Bn. ULFA as per the statement of Paresh Das for ascertaining the names of other persons involved in the case and to take action against them as per law in connection with this case.

29. Sri Rajveer, IPS currently serving as Superintendent of Police, Lakhimpur District since 18.12.2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 20.10.2015, the complainant Dambrudhar Borah lodged an FIR to the effect that on 15.10.2015 a young man came to the house and handed over a letter written on ULFA letter pad, demanding Rs. 30 Lacs in the name of ULFA within 20.10.2015. He also informed this verbally to the Officer in Charge of the police station. While coming to the PS to lodge the FIR, he could know that the police has already arrested two persons in this regard and their names are Md. Babul Ahmed S/O Md. Abuti Ahmed and Md. Elius Ali S/O Lt. Hasmot Ali. After that, he lodged a written FIR. On receipt of the FIR, (Ext. 790) a case was registered at Laluk PS vide case No. 233/2015 U/s 384/34 IPC, R/W Sec 10/13 UA(P) Act and investigated accordingly.

During the investigation, Investigating Officer (IO) of the case recorded the statements of complainant Sri Dambarudhar Borah (Complainant) S/O Lt. Akanman Bora of Tunijan Bahbari, PS Laluk Dist Lakhimpur and seized the demand letter on being produced by the complainant in presence of available witnesses. I/O also recorded statements of seizure witnesses: 1) Sri Biput Sarmah, S/O Padma Sarmah of Harmutty Vivekananda College, PS- Laluk, 2) Smt. Bhogoprava Borah, W/O Sri Dambarudhar Borah of Tunijan Bahbari PS, Laluk.

They all stated that on 15.10.2015, one youth came to the house of the complainant and delivered a letter in ULFA pad, demanding Rs. 30 Lacs for the aid of ULFA organization within 20.10.2015.

In course of the investigation, IO visited the PO and recorded statement of witness Sri Bhaskar Borah S/O Sri Dambarudhar Borah of Tunijan Bahbari, PS Laluk to whom the demand letter was delivered by the youth.

He stated that on 15.10.2015 at about 7 pm one youth came to their house and gave him a letter and left the place. He opened the letter and came to know that it was a letter demanding Rs. 30 Lacs in the name of ULFA. He gave the letter to his father and his father handed over the letter to police.

The IO has prepared a plan to apprehend the accused persons. Accordingly on 20.10.2015, the IO nabbed two nos. of accused persons at Padmapur Deori Gaon under Laluk PS while they were coming to collect the demanded money. They are namely i) Md. Babul Ahmed, S/O Md. Abuti Ahmed of Padmapur Muslim Gaon PS Laluk and 2) Md Elius Ali, S/O Md. Hazmot Ali of No. 2 Kehutoli Gaon PS Laluk and I/O has seized 2 (two) mobile phones bearing Nos. 8256097386 and 8752994442, in presence of witnesses, which were used for the purpose of threatening and to demand money from the complainant. I/O also recorded statements of the seizure witnesses 1) Sri Socreswar Borah S/O Sri Gonesh Borah of Pilkhana PS Laluk, Lakhimpur and 2) Sri Biput Sarmah S/O Sri Padma Sarmah of Harmuty PS Laluk, Lakhimpur.

They stated that on 20.10.2015 the miscreants contacted the complainant over phone and called him to Padmapur Deorigaon to deliver the demanded money. As planned by the police, the witnesses also accompanied the police team and went to spot while they came to collect the demanded money.

In course of investigation, the IO arrested the accused i) Md. Babul Ahmed, S/O Md. Abuti Ahmed of Padmapur Muslim Gaon PS Laluk and 2) Md. Elius Ali, S/O Md. Hazmot Ali of No. 2 Kehutoli Gaon PS Laluk in connection with the case and recorded their statements. Md. Babul Ahmed stated that he was an ULFA member. He was arrested in a grenade lobbing case at North Lakhimpur town and forwarded to judicial custody. The ULFA letter pad was kept with him since long when he was in ULFA organization. He prepared a plan to demand money from Sri Dambarudhar Borah of Padmapur Bahbari Gaon using the ULFA pad and discussed the matter with one Md. Elius Ali. Accordingly, he delivered the demand letter to Dhambarudhar Borah demanding Rs. 30 Lacs within 20.10.2015. On 20.10.2015, police nabbed them at Padmapur Deori while they came to collect the demanded money. It was revealed that Md. Babul Ahmed @ Robi Asom is a ULFA member. He was arrested in a bomb explosion case at North Lakhimpur town in connection with North Lakhimpur PS case no. 519/2013 U/s 120(B)/121/326/307/427 IPC R/W Sec. 3 /4 of the Explosive Substances Act and Sec 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act.

(ii) On 28.11.2018, complainant Sri Nilkanta Sonowal, ASI of Dhalpur OP submitted a written ejahar to the effect that on 28.11.2018 at 08.10 am, Company Commander of C/30 Bn CRPF informed him over telephone that a flag looking similar to that of the flag of ULFA (I) organization was found hanging at the goal post of Dhalpur Balika Uccha Madhyamik Bidyalay Playground. Accordingly, as produced by Company Commander CRPF, the flag was seized in the presence of witnesses at the PO. The flag is suspected to be hung by some unknown separatist persons or ULFA linkmen as part of some conspiracy to create terror among common public which is an act of sedition.

On receipt of the FIR (Ext. 817) from complainant ASI Nilakanta Sonowal, a case was registered vide Bihpuria PS case No. 761/2018 u/s 120B/121 IPC R/W Section 13 UA (P) Act.

During enquiry, Investigating Officer (IO) of the case has seized the flag similar to that of the ULFA flag on being produced by Sri T Thawnglianlal Zou, Company Commander, C/30 Bn CRPF, camped- Dhalpur OP, in presence of available witnesses. I/O also recorded statements of the complainant and seizure witnesses at the outpost; 1) Sri T Thawnglianlal Zou S/O Lt. T Limzadong Zou of C/30 Bn CRPF, Camped- Dhalpur OP, PS Bihpuria 2) Smt. Junu Boruah Hazarika W/o Lt. Pradip Hazarika vill-Kachua, PS Bihpuria and 3) Sri Rajen Phukan S/O Nirmal Phukan, Vill-Kachua Uriamguri (Dhalpur), PS-Bihpuria.

They all stated that on 28.11.2018 at about 6.30 am while CRPF personnel were cleaning the Athabari playground to hold computer distribution programme on 29.11.2018 they have seen one flag with a symbol of ULFA and a half rising sun hung at a goal post of Dakshin Dhalpur Balika Uccha Madhyamik Bidyalaya playground. Accordingly, a bamboo post and the flag were taken to the outpost by the complainant and seized by the IO at the OP.

The IO has picked up following suspected persons for interrogation in connection with case. 1) Sri Dilip Bora 2) Sri Prasant Borah 3) Jugal Das S/O Kamal Das 4) Sri Prabin Borah 5) Sri Sanjib Dowarah and 6) Sri Purna Gogoi.

During interrogation it is revealed that two of the suspected persons namely Purno Gogoi S/O Sri Sonaram Gogoi of Dibruwalgaon and Sanjib Dowara S/O Sri Prafulla Dowara of Bhitordoloni village of Bihpuria , were previously arrested by police as suspected linkmen of ULFA. But they have denied their involvement in the present case. These two suspected persons along with the other four suspects were later released on PR bond by the IO since no concrete evidence against them were found.

30. Sri Sushanta Biswa Sarma, APS, Superintendent of Police, Goalpara District, Assam since 23.01.2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) An information was received by OC, Krishnai PS regarding camping of a group of ULFA members led by Harinath Rabha @ Lambu at Tarinin Pathar, Selapara Pahar with a view to destroy the integrity and harmony of India. Immediately the complainant along with a force of Commando Battalion conducted a search operation in the region. At about 9.00 am the search party reached the camp of ULFA and cordoned it. All of a sudden the extremist group of ULFA opened firing at the search party. In self defense, the police party had to retaliate by firing back at them. After the firing was over two bags, a blanket, utensil, and some cloths were recovered from the camp and were seized accordingly. Later it was confirmed that the

extremist group was operating as per instructions of ULFA leader Dristi Rajkhowa @ Manoj Rabha. In this regard a case was registered at Krishnai PS vide Krishnai PS case No. 35/16 U/s 120B/121/121A/122/124A/353/307 IPC R/w Sec 25 (1-A)/27 Arms Act and R/w Sec 10/13 UA(P) Act and investigated. Ext. 857 is the certified copy of the FIR. During investigation I/O arrested accused persons who are member of ULFA - i) Harinath Rabha @ Lambu @ Aparoy, S/O Bhupen Rabha, vill-Selapara, PS Krishnai and ii) Senbath K Sangma @ Ninang S/O Bilapson Momin, Vill-Dorangtip, PS-Krishnai. Sufficient evidence was established about their involvement in the said case.

After completion of investigation, the said case was charge sheeted vide Krishnai PS CS No. 239/16 u/s 120(B)/121/121(A)/122/124(A)/353/307 IPC against the arrested accused persons.

(ii) On 08.01.2015 based on an information regarding movement and hiding of 3-4 suspected ULFA terrorists in a village namely Borjhora to do subversive activities prior to the Republic Day in Guwahati and Goalpara, a search operation was launched by police under the leadership of the Superintendent of Police, Goalpara. At 0200 hrs a hideout was located in the hilltop amidst a dense jungle in the village of Saplengkata and the area was cordoned. At that time a group of 3-4 suspected ULFA cadres confronted the police search party. When the police party asked them to halt for identification, they fired upon police indiscriminately. In self defence, police retaliated by firing back taking cover. During cross firing two cadres fled and when the firing was stopped, the place was searched. At the PO one grievously injured person with one 7.65 MM pistol and seven rounds of live ammunitions and some other articles were recovered. The injured was immediately shifted to Agia PHC where the attending Doctor declared him brought dead. The deceased was identified by source as SS L/CPI of ULFA Nirdesh Asom @ Konok Rabha of village Bamundanga under Lakhimpur PS. During search of the area, 7 rounds of empty 9 mm ammunitions, 6 rounds of AK-47 ammunitions, 6 nos. of mobile handsets, 12 nos. of SIM cards were recovered. Inquest over the dead body was conducted by the Executive Magistrate and then dead body was sent for post mortem examination to the Civil Hospital, Goalpara. In this connection a case vide Agia PS case No. 06/2015 U/s 120B/121/121A/353/307 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act and Sec. 10/13 of UA (P) Act was registered and investigated.

During investigation, I/O examined the complainant and some witnesses. Based on these statements, the incident of cross firing and identity of the accused/ deceased ULFA member could be ascertained. After proper investigation the case was returned in FR vide Agia PS FR No. 87/18 dated 12.11.2018.

(iii) On 05.04.2016, the O/C Krishnai PS lodged an FiR alleging interalia that on 05.04.2016, acting on a tip off a team of Assam Police Commando and Security Force Personnel under the leadership of OC, Krishnai PS conducted a search operation in Jira Garo Basti areas. While the search was on at around 1 pm, the party cordoned a house with closed doors. The team called if anybody was inside while no body responded. As such Constable No. 202 Swapan Nath of Commando Bn pushed the door and went inside. At that time there were suspected armed ULFA militants inside the house who seeing Constable Swapan Nath opened fire at him. Constable Swapan Nath immediately fired from his service AK-47 rifle. During the encounter constable Swapan Nath sustained bullet injuries and fell down on the spot. The suspected ULFA cadres fired to the police and security force party indiscriminately. Police also retaliated with fire from service weapons. One suspected ULFA cadre sustained bullet injuries and two cadres managed to escape under cover of vegetation. When the firing stopped, police /SF party searched the house and recovered the dead bodies of deceased Constable Swapan Nath and one unidentified militant. Police/ SF also recovered 36 live grenade, 3 pistols with 19 rounds ammunitions, M20 pistol's empty magazine 02 nos. AK 56 empty magazine 01 nos, AK47 live ammunition 21 rounds, detonator sets 05 nos. empty cartridges 81 rounds, 7.65 live ammunition 02 rounds, 02 remote control device used in detonating IEDs, mobile handsets 05 nos., battery 24 nos. torch light 02 nos, SIM card of Bangladesh 04 nos, (ROBI Prepaid), ULFA related incriminating documents etc. It is also alleged that one service AK-47 rifle with 01 Magazine with ammunition was lost in the incident. Immediately the Superintendent of Police, Goalpara, ASP (HQ) Goalpara, along with DIG W.R. Bongaigaon, Commandant 6/5 GR, Army and commandant of 152 Battalion CRPF rushed to the place of occurrence and vigorous search operation continued jointly by the Assam Police and North Garo Hills Police in search of fleeing militants.

In connection with the incident, a case was registered at Krishnai PS vide Krishnai PS case No. 99/2016 U/s 120B/121/121A/122/353/307/302/34 IPC R/w Sec 25 (1-A)/27 Arms Act, 4/5 of E/S Act and Sec 10/13 of UA (P) Act and investigation was carried out. Ext. 884 is the certified copy of the FIR. During the course of investigation the I/O further seized one 36 live grenade with detonator along with safety key,

one 7.65 mm pistol with magazine two live ammunitions, one 9 mm pistol with magazine and 10 RDs live ammunitions, AK Magzine with 21 live ammunitions and other some incriminating articles, the details of which is mentioned in the seizure list. Ext. 886, 887 and 888 are the certified copies of the seizure lists.

During the course of investigation, police arrested accused persons namely Harinath Rabha @ Lambu@ Aporoy, S/O Bhupen Rabha, Vill Selapara PS Krishnai, Dist-Goalpara (Assam) and Senbath K Marak@ Ninang, S/O Sri Bilapson Momin, Vill- Dorangtip, PS-Krishnai, Dist- Goalpara (Assam) who are members of ULFA.

During investigation it is found that there are sufficient materials that have been collected by the I/O which showed the involvement of members of ULFA in commission of the offence and their intention of waging war against the Union of India by spreading terror activities among the people of Goalpara. After completion of investigation the case was charge sheeted against the accused persons namely Harinath Rabha @ Lambu @ Aporoy, S/O Bhupen Rabha Vill- Selapara PS Krishnai Dist Goalpara (Assam) & Senbath K Marak @ Ninang, S/O Sri Bilapson Momin, Vill, Dorangtip, P.S. Krishnai, Dist. Goalpara (Assam) who are members of ULFA vide charge sheet No. 43/2018 dated 02.04.2018 U/s 120B/121/121A/122/353/307/302/34 IPC R/W sec 25 (1-A)/27 Arms Act R/w Sec 4/5 of E/S Act, R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

(iv) On 04.04.2016 informant SI Hamidul Rahman of Dudhnoi PS lodged an FIR (Ext. 905) alleging interalia that on 04.04.2016 at about 7.20 pm an IED blast took place at Dudhnoi Chariali where 29 people were injured out of which two persons namely Bapan Saha and Ajit Dutta succumbed to injuries at Dudhnoi FRU and Goalpara Civil Hospital. The injured persons were referred to Goalpara Civil Hospital. One SI Rajendra Talukdar, HC Sailesh Tiwari, UBC 90 Ganesh Das & HG Jadumani Nath were injured in the blast who were on duty at Dudhnoi Chariali Traffic point. The role of ULFA was suspected in the blast. A group of persons in the bid to wage war against the Govt. of India have been collecting arms, ammunitions and some were facilitating the waging of war by the members of the organizations called United Liberation Front of Assam (ULFA). It is also alleged that such persons have been facilitating the kidnapping for ransom in the Goalpara district in general and Dudhnoi area in particular.

In connection with the incident a case was registered at Dudhnoi PS vide Dudhnoi PS Case No. 44/2016 U/s 121 A/122/124A/353/307/302 IPC R/W Sec 3/4/5 of ES Act and Sec 10/13 of UA (P) Act and being investigated. During investigation, the IO made a good number of seizure, details of which are mentioned in the seizure lists.

It is to be mentioned that on the day of incident two persons died due to injuries sustained as a result of the blast, namely Bapan Saha and Ajit Dutta. Later on during the course of treatment two more persons namely Mahanta Das and Dipankar Saha succumbed to injuries sustained in the same blast. Inquest over all the dead bodies were conducted and dead bodies were sent for post mortem examination. The I/O also collected as many as 12 injury reports. The I/O examined injured persons as well some witnesses in connection with the incident.

During the course of investigation, the crime scene was visited by the expert Directorate of Forensic Science, Assam Kahilipara, Guwahati and after visiting the spot, report was submitted which reveals that a moderately powerful IED exploded at the scene of explosion and IED was planted beside the footpath behind an electric pole.

Further in course of investigation, I/O arrested i) Purna Rabha @ Purna Sangma, S/O Late Rameswar Rabha vill-Thapadangri PS-Mendipathar, North Garo Hills, Meghalaya ii) Mukunda Rabha S/O Bhupen Rabha vill-Situkona PS Mendipathar, North Garo Hills iii) Apurba Rabha, S/O Khagendra Rabha, Vill-Situkona PS Mendipathar, North Garo Hills iv) Nareswar Rabha @ Talat, S/O Bharat Rabha Vill-Situkona PS Mendipathar, North Garo Hills v) Farinath Rabha @ Aprol Rabha @ Hari Kala @ Lambu, S/O Bhupen Rabha, Vill-Chelapara, PS. Krishnai Dist- Assam, vi) Sengbarth K. Marak @ Ningan @ Lengra S/O olipson Momin vill-Torongthop, PS Krishnai, vii) Khagen Ray @ Pathan Asom @ Anil S/O Late Tiken Chandra Ray, Village Kalitapara, Bakiatary PS Matia Dist-Goalpara (Assam) and recorded their statement. The arrested accused Purna Rabha @ Purna Sangma who was a ULFA categorically stated before I/O that he knew Farinath Rabha @ Aprol Rabha @ Hari Kala @ Lambu, S/O Bhupen Rabha, Vill-Chelapara PS Krishnai, District- Assam who was a member of ULFA and undergone training at Bangladesh asked him to plant a bomb near Dudhnoi PS. The bomb was in a school bag and when he refused to plant the bomb then he requested Purna Rabha not to disclose the matter to police and called a person namely Ajmal in the field and on his arrival the bag was handed over to Ajmol. After 4 (four) days of handing over the bag of Bomb the blast took place at Dudhnoi.

The statement of the arrested accused persons established that the incident of bomb blast was carried out by the ULFA activist with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror among the people of Goalpara. However, the case is still pending as some accused persons are absconding.

(31) Shri Anand Mishra, IPS currently serving as Superintendent of Police, Charaideo district, Assam since 23rd January, 2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 02.02.2018 at 10:00 AM the complainant SI Narendra Nath Barik, the O/C, Sapekhati Police Station lodged an ejahar (Ext. 950) at Sapekhati Police Station to the effect that on 31.01.2018 at about 09:05 PM two nos. of armed miscreants suspected to be ULFA(I) cadres came near Sapekhati TE factory gate and handed over a bag to the factory gate Chowkidar directing him to keep the same inside the factory campus. But the Chowkidar threw the bag to nearby paddy field and ran away towards the factory. After a while the miscreants fired about 20/30 rounds of bullet aiming to the Sapekhati TE factory and office. Some rounds of bullets hit the office and the factory but no causality was caused. During the search of the place of occurrence and nearby area, 16 rounds of empty cases and one live cartridge of AK series ammunition was recovered and seized. One bag containing IED was also recovered from place nearby the PO and seized the same after getting defused by bomb expert. It is learnt from reliable sources that ULFA(I) cadre Gonesh Lahon was demanding a huge amount of money from the Kanubari TE management since long but no payment was made. For which as per direction of Gonesh Lahon of banned ULFA(I), the said action was undertaken by his associates namely Sri Apurba Gogoi, Tupidhar Gogoi and others. It is also learnt from reliable sources that some ULFA(I) cadres are demanding money from different businessmen under Sapekhati PS area.

During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrence and drew sketch map. The I/O examined the complainant and witnesses.

2. The I/O seized 16 (sixteen) rounds of empty cartridge and 01(one) round live ammunition suspected to be of AK series, 01(one) IED bomb approximate weight 500 Gms, 01(one) light green colour plastic carry bag.

3. The I/O searched the entire area covering the Assam-Arunachal and Nagaland border area with the help of Army, CRPF with a view to nab the culprits but to no avail.

4. The I/O sent the seized exhibits to the 1st APBn, Ligiripukhuri, Nazira, Sivasagar for expert opinion and collected the report. The expert opined that "Exhibit-"A" i.e. 16 rounds of empty cartridge is bore 7.62 mm X 39, Exhibit-"B" i.e. one round ammunition is live ammunition and 7.62 mm X 39 bore and has similarity with Exhibit-"A".

5. The I/O defused the seized IED bomb with the help of expert and collected the destruction certificate.

(ii) On 24.04.2018 complainant SI Norendra Nath Barik of Sapekhati PS lodged an FIR (Ext. 988) at Sapekhati PS to the effect that on 23.04.2018 at about 8:10 PM some suspected ULFA(I) cadres opened fire at Brahmaputra Fuel Centre, Sapekhati and also lobbed a grenade. On receipt of the information, the security personnel started chasing the miscreants as well as conducted search operation and NAKA checking in the said area. At that time, 6/7 suspected ULFA(I) cadres opened fire upon the security forces near Kanubari Factory. During investigation, it is learnt that as per direction of ULFA(I) cadre Gonesh Lahon, his associates Apurba Gogoi, Tupidhar Gogoi and others committed the crime.

During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. I/O visited the place of occurrence and drew sketch map of the same. The I/O also recovered one Chinese grenade from the place of occurrence and seized the same.

2. The I/O examined the complainant and witnesses and recorded their statements U/S 161 Cr.P.C.

3. The I/O arrested ULFA(I) cadres namely (a) Sri Nirmal Khaklary @ Nirmal Asom, S/O Sri Rupen Khaklary of Sarupathar Gaon, PS-Sonari, Dist- Charaideo and (b) Sri Bijit Konwar, S/O- Sri Dambarudhar Konwar of Bahalhabi Gaon, PS- Sapekhati, Dist- Charaideo and forwarded them to the judicial custody.

4. The I/O recovered 05 nos of empty cartridges, one AK-56 rifle with one magazine and one MQ-81 Assault rifle with magazine with 78 rounds of live ammunitions, one Chinese grenade, 3 nos. of IED, 7 Nos. of circuit, 3 Nos. of detonator, 3 Nos. of 9 volt battery, one remote control and one magazine post which were duly seized.

5. I/O sent the seized exhibits i.e. one MQ-81 Assault Rifle, 2 Nos. of magazine, 4 rounds of ammunitions, 1 AK-46 Rifle, 1 magazine, 5 rounds of ammunitions, 5 rounds of empty cartridges and 2 rounds of live ammunitions for expert examination and collected the opinion report. The Head Armour of 1st APBN Ligiripukhuri, Nazira opined that "MQ-81 Rifle and AK-56 are factory made, serviceable, these can kill human. Both magazines are useable and serviceable seized live ammunitions are factory made and serviceable."

6. I/O got the IED defused as per order of the Hon'ble Court and obtained destruction certificate.

(iii) On 21/11/2018 complainant Ms. Monima Baruah, W/O Sri Numal Chandra Baruah of Timon Habi Tea Estate, PS- Borhat, Dist- Charaideo (Assam) lodged an FIR (Ext. 1042) at Borhat PS stating that her husband was kidnapped by a group of armed miscreants on 20/11/2018 at about 7:35 PM. On the basis of the FIR, Borhat PS Case No-54/2018, U/S 365 IPC was registered and investigated into. On 11/01/2019 Sri Numal Ch. Baruah was released at Mon district of Nagaland by banned ULFA(I). On the basis of new revelation, sections 387 IPC and 10/13 of UA(P) Act, 1967 were added to the case. Subsequently during further investigation it was learnt that Sri Numal Ch. Baruah was kidnapped for ransom. Finally sections 120(B)/364(A) IPC, R/W Sec. 25(1-A) of Arms Act, 1959 and sections 17/18 of UA(P) Act, 1967 have been added and the case is being investigated into.

During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrence and drew sketch map. He also examined the complainant and witnesses.

2. The I/O learnt from Insp. Dipanta Phukan, O/C Sonari PS that one Sri Nityananda Dutta, S/O Sri Joyram Dutta of Thukubil, PS- Sonari, Dist- Charaideo (Assam) handed over the ransom money to ULFA(I) cadre namely Swadesh Asom @ Binanda Dohutia.

3. Sri Nityananda Dutta was examined and he stated that he received the ransom money as per instruction of ULFA(I) leader Arunudoy Asom @ Arunudoy Dohutia and handed over the same to Swadesh Asom @ Binanda Dohutia.

4. Swadesh Asom @ Binanda Dohutia was in judicial custody at Guwahati Central Jail in connection with NIA Case No. RC-09/2018/NIA/GOW/483 Dated 18/06/2019. On the strength of the production warrant issued by the Hon'ble SDJM, Charaideo, Sonari Court, Swadesh Asom @ Binanda Dohutia was arrested in connection with the present case and produced before the Hon'ble Court.

5. In the extra judicial procedure undertaken during the investigation in front of independent witnesses, Sri Nityananda Dutta identified Swadesh Asom @ Binanda Dohutia as the person whom he handed over the ransom money at Faneng Basti, Margherita, Tinsukia. Swadesh Asom @ Binanda Dohutia also confessed in front of the witnesses that he received the same as per instruction of Arunodoy Asom @ Arunudoy Dohutia of ULFA(I).

6. During investigation Sri Nityananda Dutta also revealed that he purchased one Mobile Handset after receiving the ransom amount at Moranhat. Afterwards, the cash memo book bearing Serial No. 6301 to 6400 was seized from Sai Electronics, Garudia Bhawan, AT Road, Moranhat, Dist- Dibrugarh (Assam). Serial No. 6366 was used at the time of sale of mobile phone to Sri Nityananda Dutta.

7. Sri Deba Gogoi, S/O Lt. Tilu Gogoi of Khariabheta Baruah Nagar, PS- Borhat, Dist- Charaideo (Assam) was examined and he stated that ULFA(I) cadre talked with Ms. Monima Baruah (the complainant) over his phone after kidnap of Sri Numal Ch. Baruah.

8. The I/O learnt that surrendered ULFA(I) cadre Sri Shasanka Nath @ Gyanjoti Asom of Barjhar, PS-Kolaigaon, Dist- Udalguri (Assam) knows a lot about the persons who kidnapped Sri Numal Ch. Baruah. Sri Shasanka Nath @ Gyanjyoti Asom was examined and he stated that ULFA(I) cadres (i) Jintu Kotoki, S/O Sri Hemo Kotoki of Kacharipather Gaon under Borhat PS (ii) Dipto Asom @ Shyamanta Gogoi @ Maina, S/O Sri Hema Kanta Gogoi of Haluwa under Charaipung PS (iii) Arohan Asom @ Apurba Gogoi, S/O Sri Robin Gogoi of Tairai under Sapekhati PS (iv) Udipto Asom @ Tupidhar Gogoi, S/O Sri Narendra Gogoi of Tairai under Sapekhati PS and (v) Dibya Asom @ Dipak Hatibaruah, S/O Deben Hatibaruah of 2 No Tokoni, PS- Digboi, Dist- Tinsukia were involved in the kidnapping.

9. Statement of Sri Shasanka Nath @ Gyanjyoti Asom also recorded U/S 161 & 164 Cr.P.C.

10. Udipto Asom @ Tupidhar Gogoi was arrested in connection with the case and forwarded to judicial custody.

11. ULFA(I) cadres Dipto Asom @ Shyamanta Gogoi @ Maina and Arohan Asom @ Apurba Gogoi will also be arrested in connection with this case shortly as they have already been arrested in connection with Sapekhati PS Case No. 37/2020, U/S 120(B)/121/121(A)/122/123/124A/212 IPC, R/W Sec. 25(1-A) Arms Act & R/W Sec. 5 ES Act & R/W Sec. 10/13 UA(P) Act.

(iv) On 15.08.2016 complainant Sri Narayan Dowarah, S/O Lt. Suren Dowarah of Charimuthia Gaon, PS-Mathurapur, Dist-Charaideo (Assam) lodged an FIR (Ext. 1118) in Mathurapur PS to the effect that on the same day i.e. 15/08/2016 at about 7 AM, a blast occurred near Pathaligarh Chariali by the side of the Gariapather connecting road. On hearing the sound of blast, the complainant proceeded to the place of occurrence and saw about 1 ft deep and 1.5 fts width crater caused by the blast. During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrence and drew sketch map. The I/O also examined the complainant and witnesses.

2. The I/O seized 04 (four) pieces of metal suspected to be damaged pencil battery and approx 01 (one) Kg of IED blasting soil from the place of occurrence by preparing seizure memo in presence of witnesses.

3. The I/O sent the seized exhibits to the FSL, Kahilipara, Guwahati for examination through the office of the Superintendent of Police, Charaideo vide Memo No: SP/CRD/SNR/16/920-22 dated 06/09/2016.

(v) On 26/01/2017 complainant SI Bijoy Dowarah, O/C Mathurapur Police Station lodged an FIR (Ext. 1141) at Mathurapur PS to the effect that on the same day i.e. 26/01/2017 at around 8:00 AM, two simultaneous blasts occurred at Panijan beside the Essar Petrol Pump and Lengibar Tiniali respectively. In this regard, the complainant immediately proceeded to both the place of occurrences. It came to light that both the blasts were IED explosions. During preliminary investigation and on the strength of reliable information it came to light that the members of banned ULFA(I) cadres Ganesh Lahon, Pankaj Malia and other link men of the organization were involved in the commission of the offence. During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrences and drew sketch map. The I/O also examined the complainant and witnesses.

2. The I/O seized 01(one) Mobile Handset bearing IEMI Nos. 356490063063880 & 356490063063898 respectively and approx 1 kg of IED blasting soil from the place of occurrence.

3. The I/O arrested accused persons namely (i) Sri Bipul Saikia @ Nitya, S/O- Kamal Saikia of Tipomia Gaon, PS- Simaluguri, Dist- Sivasagar (ii) Sri Wangkha Konyak, S/O- Lt. Tonwanj Konyak of Namthai, PS-Naginimora, Dist- Mon (Nagaland) and (iii) Sri Manpha Konyak, S/O- Lt. Wanjyoun Konyak of Oating Tiru Basti, PS- Naginimora, Dist- Mon (Nagaland) and forwarded to the judicial custody.

4. The I/O sent the seized exhibits to the FSL, Kahilipara, Guwahati for examination and expert opinion through the office of the Superintendent of Police, Charaideo vide Memo No. SP/CRD/SNR/17/75-77 dated 03.02.2017 and also collected the Expert Opinion Report. As per the report "Ex-A & Ex-B contains traces of TNT and NG-NC which are considered to be high explosives."

(vi) On 28/05/2017 complainant Sri Bitul Chaliha of Assam Gas Company Limited, Bormathurapur Branch lodged an FIR (Ext. 1176) at Sonari PS to the effect that on 27/05/2017 at about 07:45 PM a blast occurred in the adjoining point of gas pipeline of Aideobari and Aideopukhuri Tea Estate. During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrence and drew sketch map. He also examined the complainant and witnesses.

2. The I/O seized two pieces of broken gas pipe and one piece of coconut rope from the place of occurrence by preparing seizure list in presence of witnesses.

3. The I/O arrested ULFA(I) cadre Putul Asom @ Debajit Gogoi @ Madan, S/O- Sri Tilak Gogoi of 1 no Howfow under Sonari PS in connection with the case.

(vii) Brief of the Case: On 26/01/2020 at 06:55 PM complainant SI Nitul Sonowal, I/C, Tingalibam Police Out Post, PS-Sonari, Dist- Charaideo (Assam) lodged a written FIR (Ext. 1191) at Sonari PS to the effect that on the same day i.e. 26/01/2020 at about 8:05 AM after hearing a blast sound which arose from Teokghat side, the complainant along with his OP staff went to Teokghat and saw that a bomb blasted in front of the shop of one Md. Milik Ali. The complainant suspected that banned organization ULFA(I) had blasted the bomb in protest of the Republic Day, 2020. The said banned organization is illegally waging war against India and also heard that the said banned organization took responsibility for the blast. During the course of investigation, the following steps have been taken-

1. The I/O visited the place of occurrence and drew sketch map. The I/O also examined the complainant and witnesses and recorded their statements U/S 161 Cr.P.C.

2. The I/O seized some soil, bark of tree and splinters from the place of occurrence.

3. The I/O seized one original seizure memo prepared by NB/Sub Ramsingh Rout of 244 Field Regiment, Sapekhati COB, 01(one) 5.56 HK- 33 Assault Rifle, 02 (two) nos of HK-33 magazines, 33 rounds of 5.56 ammunitions, 02 (two) nos of ULFA (I) Badges etc.

4. The I/O arrested ULFA(I) cadres (1) Sri Manash Patmout @ Bastab Asom (2) Chao Lakhi Longno @ Rubul Asom and associates (3) Sri Hemanta Boruah @ Rote, s/O- Sri Satyan Boruah of Kanubari Balijan Grant, PS- Sonari (4) Sri Sumeswar Saikia, S/O Sri Tuaknta Saikia of Sarupathar Gaon, PS- Sonari (5) Smti Punima saikia, W/O- Late Subhan Saikia of Dhaniapathar Gaon, PS- Sapekhati (6) Sri Biswarjit Saikia, S/O Late Subhan Saikia Dhaniapathar Gaon, PS- Sapekhati (7) Sri Mintu Changmai, S/O Sri Juram Changmai of Atalpathar Gaon, PS- Sapekhati (8) Sri Nobin Gogoi, S/O- Tileswar Gogoi of Tairai Gaon, PS- Sapekhati (9) Sri Utpal Chetia @ Baka, S/O- Sri Suren Chetia of Kanubari Balijan Grant, PS- Sonari and forwarded them to judicial custody.

5. The I/O has sent the seized exhibits i.e. seized soil and splinters to the FSL, Kahilipara, Guwahati for examination.

(viii) On 23/04/2020 complainant SI Dinesh Doley, the O/C Sapekhati PS lodged a written FIR (Ext. 1225) at Sapekhati PS to the effect that on 22.04.2020 at about 5:30 PM, a confidential input was received that a group of 5/6 cadres of banned ULFA(I) confined themselves at Tairai and Chationaguri village near Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland border under Sapekhati PS. The information has been passed to the higher authorities and immediately, the Superintendent of Police, Charaideo, Addl. Superintendent of Police, (HQ), Charaideo, SDPO Sonari, a team of Army personnel of 244 Field Regiment, Camp-Sapekhati and Sapekhati PS staff conducted search operation at Tairai and Chatianaguri area. During search operation, the hardcore ULFA(I) extremists namely (1) Sri Apurba Gogoi @ Arohan Asom (28 yrs), S/O Sri Robin Gogoi of Tairai village, PS- Sapekhati, Dist- Charaideo (Assam), (2) Sri Jugen Gogoi @ Biraj Asom (28 yrs), S/O- Lt. Dhiren Gogoi of Dafala village, PS- Borhat, Dist- Charaideo (Assam), (3) Sri Sidhartha Gogoi @ Chinmoy Asom (21 yrs), S/O Sri Sonabar Gogoi of Sarupather village, PS- Sonari, Dist- Charaideo (Assam) (4) Sri Lakhyajit Gogoi @ Dhruba Asom (28 yrs), S/O Sri Dimbeswar Gogoi of Borbam Dangalpara, PS- Tingkhong, Dist- Dibrugarh (Assam) (5) Sri Shyamanta Gogoi @ Dipto Asom (30 yrs), S/O – Sri Hema Kanta Gogoi of Madhya Haluwa, PS- Charipung, Dist- Charaideo (Assam) were apprehended. On interrogation and on being led and shown by them (i) 3 Nos. MQ-81 Assault Rifle (ii) 8 nos magazine of MQ-81 Assault Rifle (iii) 323 rounds MQ Rifle ammunition (iv) one 7.65 mm pistol (v) one .22 bore factory made pistol (vi) Two Nos. 7.65 mm ammunitions (vii) two nos .22 bore ammunitions (viii) Two Kgs explosive suspected to be gelatin (ix) Cordex 3 meters (7 pieces) (x) 16 nos detonator and etc. have been recovered from the tea garden from one Sri Nabin Gogoi and seized the same. During the course of investigation, the following steps have been taken.-

1. The I/O has visited the place of occurrence and has drawn up sketch map.

2. The I/O has seized (i) 3 Nos. MQ-81 Assault Rifle (ii) 8 nos magazine of MQ-81 Assault Rifle (iii) 323 rounds MQ Rifle ammunition (iv) one 7.65 mm pistol (v) one .22 bore factory made pistol (vi) Two Nos. 7.65 mm ammunitions (vii) two nos .22 bore ammunitions (viii) Two Kgs explosive suspected to be gelatin (ix) Cordex 3 meters (7 pieces) (x) 16 nos detonator and etc. in connection with the case.

3. The I/O has examined the complainant and witnesses and recorded their statements U/S 161 Cr.P.C.

4. The I/O has arrested accused ULFA(I) cadres in connection with the case and has brought them in police remand.

32. Shri Ripul Das currently serving as Superintendent of Police, Udalguri district BTAD, Assam since December, 2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 21.10.2015 at 12.30 pm, complainant Satish Kr. Mishra, Liutenant, 159 Field Regiment, Army Camp-Golondi, Udalguri lodged a written FIR (Ext. 947-A) at Kalaigaon PS to the effect that based on specific information about presence of ULFA (I) terrorist at Uttar Barpukhuri village, a joint operation of 159 Field Regiment of Indiam Army and police was launched at the village from 2330 HRS on 20.10.2015. At about 02.00 am, the operation team cordoned the suspected house. At around 02.30 am, the cordon party tried to enter the house. On seeing the party, the terrorist fired upon the party and lobbed a grenade which did not explode. The operation team asked the terrorist not to fire and to surrender. At this, the civilians who were inside the house came out of the house. However, the terrorist continued to fire intermittently. The operation party resorted to controlled firing in self-defense. In between 05.30 am to 06.00 am, the operation party entered the house carrying out controlled firing and found the militant lying still with bullet injury. The house and the surrounding area were searched and one 9 mm pistol, one 7.65 mm pistol, six live ammunition, eight fired cartridges, one disposed Chinese grenade with one piece of detonator, fourteen nos. mobile handsets, six nos. SIM cards, some broken SIM Cards, one Samsung Laptop, 23 nos. extortion sheets, one wanted poster in the ULFA (S) cadre, Dipak Bora @ Bikram Asom, two ULFA flags were recovered and seized after observing all kinds of formalities. The operation was called off at 08.30 am. Shri D N Hazarika, ACS, Executive Magistrate cum Circle Officer, Kalaigaon, SDPO, Bhergaon and police staff entered the house where body of the slain militant was lying. Executive Magistrate held inquest over the dead body after observing all kinds of formalities. After preparation of the inquest report by Executive Magistrate, the body was brought to Kalaigaon PS for its identification by his relatives/ guardian. The PO was searched thoroughly in presence of local village headman, local people and Executive Magistrate.

Further, it is to be mentioned that, one unexploded Chinese grenade was destroyed in-situ at a safe place with the help of bomb disposal squad of Army and a certificate from Army expert was also obtained. The body of the slain militant was sent to civil hospital Udalguri for PM examination with proper escort to ascertain the actual cause of death.

In this regard, one Md. Sahidul Haque, S/O Late Arab Ali of village Uttar Barpukhuri, PS-Kalaigaon and one Md. Inamul Haque S/O late Kismat Ali of village-Uttar Barpukhuri, PS-Kalaigaon were arrested who are link men of banned organization ULFA and provided shelter to the ULFA cadre.

(ii) On 18.05.2017 based on the specific intelligence input about the movement of few ULFA (I) cadres in the general area of Nalkhamra and Sonaripara village under Udalguri PS, a joint operation was launched by District police, Udalguri and 14 Dogra of Golandi Army Camp, Udalguri. The operation team reached at Sonaripara village at about 16.10 hrs and started cordoning the area. While cordoning the area the operation team came under fire from heavily armed extremists who also lobbed hand grenade at the operating team. Having no alternative, operation team also opened firing in self-defence. Once the firing was stopped the operation team started intensive search of the area. During search, the operation team found one suspected extremist in critically injured condition. He was immediately shifted to the Civil Hospital, Udalguri for treatment, but doctor on duty after examining declared him as brought dead. Later on the dead militant was identified as one Ramesh Barah (age approximately 35 years), S/O Lt. Thaneswar Borah, R/O Vill- Belguri, PS Howraghat Dist-Karbi Anglong, Assam who was a self styled major of the banned outfit ULFA (I). After thorough search the following items were recovered from the PO as well from the possession of the slain militant.

i. 01 (one) 9 mm factory made pistol.

ii. 06 (six) nos. of 9 mm live ammunition.

iii. 38 (thirty eight) Nos of recharge coupon of value of 10 Rs. Each. (thirty Six of airtel and two of Aircel).

iv. currency of amount around 6,10,370 INR.

v. 01 (one) Wallet.

vii. 04 (four) no pouches.

vii. 02 (two) nos. of empty cases of 9 mm ammunition.

(iii) On 30.11.2017 at 11.30 pm, based on specific intelligence input about the presence of heavily armed ULFA (I) Militants at general area of Khoirapara under Kalaigaon PS of Udalguri dist, an operation was launched by Udalguri District Police led by SP Udalguri, Shri Rajveer, IPS and assisted by Dy SP (HQ), Udalguri Shri Maidul Islam APS and APR team of camp Udalguri. On being led by the secret source, the house of one Kukheswar Deka of Khoirapara area under Kalaigaon PS was cordoned by the police team where ULFA (I) militant was suspected to be holed up. During cordoning of the house, there was heavy firing from inside the room and three grenades were also lobbed at the police team but they somehow managed to escape. Having no option, the police team to save their lives and public property fired in self defence and the firing lasted till the morning. Later on, Army also arrived there. The exchange of firing continued till around 7.00 am on 01.12.2017 during which the militants again lobbed grenade at the security forces and kept on firing relentlessly. Having no option, security forces too kept on firing and after sometime at around 7.30 am, firing from the side of the suspected militant stopped. Once the firing stopped the security forces searched the house and the general area of Khoirapara. During the search, an unidentified and grievously injured person was found in the room and he was taken to the Kalaigaon State dispensary where doctors declared him as brought dead. During the search of the room the following items were recovered 1) one AK 56 rifle 2) three magazine of AK 56 3) 74 Live rounds of AK 56, 4) 31 Fired case of AK 56, 5) one 7.65 mm pistol (FM), 6) one magazine of 7.65 mm pistol, 7) one misfired round of 7.65 mm pistol, 8) Indian currency of Rs. 6,980 and 500 currency notes (damaged), 9) Seven mobile phones, 10) Six SIM Card (damaged), 11) one blind grenade (destroyed in Situ), 12) One detonator with cord (destroyed in situ), 13) one grenade cap, 14) one grenade cap, 15) one Combat pouch, 16) one Rexene pouch, 17) one pouch, 18) one cloth pouch (small), 19) one capry (shorts), 20) one torch, 21) one shaving razor, 22) one toothpaste, 23) one headphone (broken). Ext. 1336 is the certified copy of the FIR in Kalaigaon P.S. Case No. 122/2017.

Later on the deceased was identified as Self Styled ULFA (I) cadre Rajen Deka @ Rinku Kalita, age 40 years S/O Sri Rudra Deka of village-Gariapara PS-Mangaldoi, Dist-Darrang, Assam by his brother Prabin Deka. Accordingly, the dead body was handed over to his family member.

During the time of encounter Const. Randeep Deka (2) Const. Mainul Haque and (3) Dy SP (HQ), Udalguri Moidul Islam sustained injury on their persons.

During the time of encounter the service AK 47 rifle of Const. Randeep Deka of 10th APBN, Guwahati was damaged due to hit by bullet from the extremists. The damaged AK-47 rifle was seized and sent to 13th APBN Lilabari, Lakhimpur, Assam for expert opinion.

(iv) On 14.06.2015 SI Dipanka Gogoi of Udalguri DEF lodged an FIR at Kalaigaon PS stating that on 14.06.2015 at 07.30 pm based on the specific information, regarding presence of a group of ULFA extremist at Damarapota under Kalaigaon PS, complainant along with his staff conducted naka checking duty at Bhangabaruah wooden bridge. During the time of naka checking one ULFA cadre was coming from Damarapota side by a motor cycle. The police party asked him to stop, but he suddenly lobbed a grenade towards police party and indiscriminately fired upon the police party. Police party also retaliated for self defence, but the extremist managed to escape taking advantage of thick jungle and nearby houses of villagers and left his motor cycle.

33. Sri Amitava Sinha, APS, presently serving as Superintendent of Police, Sivasagar district, Assam since 24th January, 2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 10.08.2019 at 5 PM, complainant SI Miraj Doley S/O Shri Puna Doley of Demow Police Station, district- Sivasagar lodged a written FIR (Ext. 1416) stating that, based on a secret information of ULFA (I) cadres taking shelter at Bakata Borpiyal Habi Gaon under Bakata Nemuguri PS, a search operation was conducted by a joint team of 149Bn. CRPF, Camp-Joysagar, Sivasagar and Sivasagar district Police led by 2nd in Command Shri PK Sahu of 149 Bn. CRPF and Addl. Supdt. Of Police (HQ), Sivasagar on 09.08.2019.

During search operation one ULFA (I) cadre namely Shri Biren Chetia @ Rantu Asom, S/O Shri Lakhi Chetia of Moran Dhemaji, P.S. Moran, district- Dibrugarh self styled PT of ULFA (I) was apprehended and one hand grenade, three mobile handsets and command pass issued by NSCN, GPRN dated 01.07.2019 were also recovered from his possession. On receipt of the FIR, a case vide Bakata Nemuguri P.S. case No. 55/2019 U/s 120(B)/121 IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act, R/W Sec. 4/5 ES Act was registered and investigated into.

During investigation, the I/O visited the PO, drew a rough sketch map and duly seized one hand grenade, three mobile handsets and command pass issued by NSCN, GPRN dated 01.07.2019 on 10.08.2019.

During investigation, the arrested accused stated that he is an ULFA (I) cadre and he joined ULFA(I) organization on 16.11.2018 and thereafter he went to Nagaland and took training at Myanmar. After training he returned back to Sivasagar with a hand grenade through Charaideo district and stayed at Borpiyal Gaon. He kept that grenade with him for an unlawful act prior to 15th August, 2019. He also stated that he had hurled a grenade at Nitaipukhuri under Demow PS leading to an explosion before he joined ULFA (I) organization. Later, the seized hand grenade was disposed on 09.11.2019.

The statement of the accused as well as witnesses established that the recovered grenade was meant for secessionist activities in Sivasagar district with the intention of waging war against the Union of India by spreading terror among people of the district.

(ii) On 22.11.2018 at 10.30 pm Shri Sanjib Kr. Baruah, S/O Lt. Hemadhar Baruah, R/O Baruah Gaon, P.S. Teok, Dist.-Jorhat lodged an FIR (Ext. 1431) at Demow P.S. that on the same day at about 5 PM he received a phone call from an unknown person that incident of explosion had occurred in the hardware store of Shri Kamal Agarwalla and on the basis of the complaint, Demow PS. Case No. 380/2018 U/s 320 IPC, R/W Sec. 10/13 UA (P) Act & R/W Sec. 3/4/6 ES Act, added Sec. 120 (B) IPC.

On receipt of the information, Inspr. Sanjib Kr. Boruah, O/C Demow PS along with available staff rushed to the PO. On reaching the spot, the police team found Shri Kamal Agarwalla, owner of the hardware store along with another unknown person in critical condition as both sustained severe injuries in their persons due to the blast. Both the injured persons were immediately sent to Demow Model Hospital for treatment. After some time the unknown person succumbed to the injuries at the hospital who was subsequently identified as Anup Gupta @ Ahira Gupta, S/O Lt. Prasad Gupta of Dehingmukh Lachan Gaon, PS Demow, Dist. Sivasagar. The other critically injured person was sent to AMCH, Dibrugarh for better treatment who also succumbed to his injuries at AMCH, Dibrugarh.

During investigation, the arrested accused Shri Biren Chetia @ Rantu Asom S/O Shri Lakhi Chetia of Moran Dhemaji, P.S. Moran, district Dibrugarh, in connection with Bakata Nemuguri P.S. case No. 5/2019 U/s 120(B)/121 IPC, R/W Sec. 10/13 UA (P) Act, R/W Sec 4/5 ES Act was also made shown arrested in the above case. The arrested accused stated that he had hurled the grenade for explosion at Demow-Nitai road at the hardware store of Shri Kamal Agarwalla on 22.11.2018 by using a TVS Apache motorcycle on the instruction of hardcore ULFA (I) cadre Moniram Borgohain @ Aidyaman Asom of Nitaipukhuri Nagaon, PS Demow dist. Sivasagar.

(iii) On 10.05.2016 at about 4 pm based on a specific input that one hardcore ULFA (I) cadre was travelling in a bus moving from Sivasagar town to Sonari, naka was set up at Garmur under Simaluguri PS launched by SDPO, Nazira, CRPF personnel and Army 63 Field Regiment, camp, Maibella. Accordingly, at about 4.30 pm one 709 bus bearing R/No. As-04 C-7679 was stopped and thorough search was made. During search one suspected person was spotted and on interrogation he disclosed that he was an S/S Col. Ranked of ULFA (I) active cadre and his name was Bharat Chutia @ Abhi Asom, S/O Lt. Kikheswar Chutia of Barekuri Richinga Gaon under Barekuri PS of Tinsukia. He was involved in unlawful activities indulging in criminal conspiracy of waging war against the country. During further interrogation he also disclosed that two persons namely Sri Mohan Dutta, S/O Dimbeswar Dutta and Mrs. Mayuri Dutta, W/O Mohan Dutta both of Tolpathar, P.S. Bordumsa Dist. Tinsukia were trying to facilitate the cadres of ULFA to escape from Tinsukia to Myanmar through Sonari. Six mobile handsets, some incriminating documents, one bottle grenade and cash Rs. 40,000/- were recovered from their possession and duly seized. Ext. 1456 is the certified copy of GDE Simaluguri P.S. dated 10.05.2016.

During the course of investigation statement of complainant and witnesses were recorded. The accused persons were apprehended and their statement were recorded u/s 161 Cr.P.C. While interrogating the accused persons several vital informations were collected and several cadres of ULFA (I) were also identified. The accused person namely Bharat Chutia @ Bhim @ Abhi Asom a hardcore ULFA cadre was involved in (i) Namrup PS case no. 184(A)/122/123/124(A)/447/325/326/307/427 IPC R/w Sec. 10/13 UA (P) Act, R/W Sec. 25(I)(a) Arms Act and R/W Sec. 4/5 ES Act. (ii) Bordumsa PS case No. 37/16 U/s 120(B)/121/121(A)/122/307 IPC R/W Sec. 10/13 UA (P) Act and R/W Sec. 25(I)(a) Arms Act. (iii) Tinsukia PS Case No. 459/16 U/s 120(B)/121/121(A)/122/326/307/427 IPC R/W Sec. 4/5 ES Act and R/W

Sec. 10/13 UA (P) Act. The accused persons were arrested and forwarded to judicial custody. Later, a prayer was made to the Hon'ble SDJM, Nazira Court to destroy the seized bottle grenade. Accordingly Hon'ble court has passed an order to destroy the bottle grenade but the grenade is yet to be destroyed.

34. Shri Mrinal Talukdar, APS currently serving as Superintendent of Police, Jorhat district, Assam since 1st February, 2020 in his evidence on affidavit stated as follows:

On 28.11.2018 the complainant SI Utpal Dutta, Officer-in-charge of Mariani PS along with his staff was conducting patrolling in his area of jurisdiction to prevent any unlawful activities by members of ULFA (I) on the occasion of their Protest Day on 27th November. During patrolling at about 9.30 am, the complainant received secret information that some unknown ULFA (I) activists had hanged up a flag of their organization in the bamboo fencing of the Nagadhuli Janajatiyo High School. On receiving the input the complainant along with his staff immediately rushed to the School and spotted a Flag of the ULFA (I) in the bamboo fencing of the school. The police team removed the flag from the fencing and duly seized it in presence of witnesses. The police team immediately launched search operation to apprehend the involved ULFA (I) activists but to no avail. Later the complainant came to know about a suspect Shri Jibon Pegu of Bijoypur Gaon alongwith other members of ULFA (I) to be involved in the incident. The suspect was also involved in another case of Mariani PS i.e. Mariani PS case No. 125/2016 U/s 387 IPC R/w Section 10/13 UA(P) Act.

On receipt of FIR (Ext. 1473), case vide Mariani PS case No. 251/2018 U/s 10/13 UA(P) Act was registered and investigated.

During investigation IO examined following witnesses on the spot in connection with the case.

1. Sri Bilati Tanti, 69 years S/O Late Phulkon Tanti of Nagadhuli Gajen gaon, PS Mariani. The witness was the president of Assam Chah Masdoor Sangha, Jorhat district, president of Nagadhuli village Defence Party and also president of the governing body of Nagadhuli Janajatiyo High School. On examination he stated that on 28.11.2018 at 8.30 am Sri Sarat Gogoi, Chowkider of the School had informed him over phone that a flag of ULFA (I) had been hanging in the bamboo fencing of the school and also asked him to go the school. On arrival he had seen a flag of ULFA (I) in the bamboo fencing of the school. Later Police had seized the flag in his presence.

2. Sri Hamid Raja, 40 years s/O Late Tunu Ali of Nagadhuli Gate, PS. Mariani Dist. Jorhat. The witness was the secretary of Nagadhuli VDP. On examination he stated that on 28.11.2018 at about 8.30 am when he had come to the High School then he had seen a flag of ULFA (I) in the bamboo fencing of the school. Later police had seized the flag in his presence.

3. Smt. Rupa Dutta Gogoi, 30 years W/O Sri Promod Gogoi of Nagadhuli Sukafa Nagar, PS Mariani, Jorhat. The witness was the Headmistress of the Nagadhuli Janajatiyo High School. On examination she stated that on 28.11.2018 at about 8.35 am the chowkider of the school Sri Sarat Gogoi had informed her over phone about hanging of a ULFA (I) Flag in the school. She immediately came to school and arrived at 8.50 am and saw a flag of ULFA (I) in the front bamboo fencing of the school. Already several persons were there in the spot.

4. Sri Sarat Gogoi, 30 years S/O Sri Kamal Gogoi of Nagadhuli Sukafa Nagar, PS Mariani, Jorhat. He was the chowkider of the High School. On examination he stated that on 28.11.2018 at 8.30 am he arrived at school and saw a flag of ULFA (I) in the front bamboo fencing of the school. He immediately informed about it on the phone to the Headmistress and the President of the school governing body Sri Bilati Tanti.

5. Sri Raju Lohar, 28 years S/O Late Mohan Lohar of Nagadhuli TE, PS Mariani, Jorhat. On examination he stated that on 28.11.2018 he came to know about hanging of a ULFA flag at the High School and at about 9.00 am when he arrived at the school, he saw a flag in the front bamboo fencing of the school.

During investigation IO also examined following surrendered members of ULFA:

1. Sri Dimbeswar Kakoti @ Baruah S/O Late Gangadar Kakoti of Bijaypur Gaon, PS Mariani, Jorhat. On examination he stated that he knew the suspect Sri Jibon Pegu as a driver. But he did not know about any unlawful activity by Jibon Pegu. He wanted to buy a Moped Scooty from the suspect and that is why he made a contact to him on 27.11.2018.

2. Sri Bhaimon Gogoi, 38 years S/O Late Tepuram Gogoi of Moran Gaon, PS Mariani, Jorhat. On examination he stated that he joined in ULFA in 1995 and in 2005 Jorhat Police had arrested him and forwarded to jail. In 2008 he surrendered before police. He did not know about the incident of hanging ULFA flag at Nagaduli High School because on that day he was at Panichokuwa at his work place.

During investigation, it was established from the statement of witnesses that members of ULFA(I) had hung their flag in the front bamboo fencing of Nagadhuli Janajatiyo High School. But no witnesses had seen the members or its sympathizers while committing the offence. Hence the I/O could not establish the case against the arrested accused Sri Jibon Pegu and returned the case in FR as insufficient evidence.

35. Sri Sreejith T, IPS, serving as Superintendent of Police, Dibrugarh district since 13.12.2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 01.12.2015 at 12.30 PM complainant Sri Sashi Bhushan Bharati, S/O Lt. Bhuchan Bharati of Dillighat No. 2, PS Namrup, dist. Dibrugarh, Assam lodged an ejahar at Namrup PS to the effect that on 30.11.2015 at about 7.50 pm 4/6 unknown terrorist criminally trespassed into the compound of his Crusher Plant situated at Dillighat No. 2 and started firing indiscriminately near by the office room. As a result, his workers, namely Sri Sanjoy Kr. Bharti and Sri Gopal Shah sustained grievous bullet injuries on their persons and damaged 2 (two) vehicles bearing registration No. As-06 AC-1125 (Dumper), As-23 AC-1725 (JCB). Both the injured persons were admitted at AMCH Dibrugarh for treatment. Ext. 1485 is the certified copy of the FIR.

During investigation IO visited the PO immediately, observed the PO thoroughly and necessary formalities were done and arranged to send the injured persons to the AMCH Dibrugarh. IO seized the following items in presence of witnesses:

1. 14 (fourteen) nos. empty cartridge of AK series Rifle.

2. 1 (one) no. miss fired ammunition of AK series Rifle.

3. 1 (one) fired bullet of AK series Rifle.

4. 1 (one) RPG empty bomb vide bearing No. L-0117771792.

5. 2 (two) Dumpers bearing registration Nos. As-06 AC-1125 & AS-23 IB-1924 respectively in bullet damaged condition.

6. 1 (one) JCB bearing registration No. AS-23 AC-1725 in bullet damaged condition.

7. Some broken glasses.

8. 1 (one) 4GB Memory Card with CCTV footage.

I/O examined the following witnesses namely:-

1. Sri Shashi Bhushan Bharti, S/O Dinanath Bharti of Nos. Dillighat, PS- Namrup (complainant).

2. Sri Nabin Kr. Prabat S/O Lt Sudhakar Prabat of No. 2 Dillighat, PS-Namrup.

3. Sri Monoj Bharti, S/O Sri Kashi Nath Bharti of No. 2 Dillighat, PS- Namrup.

4. Sri M Sanga, S/O Lt. M Rumla of No. 2 Dillighat, PS- Namrup

5. Sri Binod Bharti, S/O Lt. Manager Bharti of No. 2 Dillighat, PS Namrup.

6. Smt. Sunu Boruah W/O Sri Dalin Baruah of Singimari Kopohua Gaon PS Joypur.

7. Sri Binod Gogoi, S/O Gakul Gogoi of Singimari Kopohua Gaon PS Joypur.

IO also examined and recorded the statements of the following injured persons under Section 161 Cr.P.C. after released from AMCH Dibrugarh namely:

1. Sanjoy Kr. Bharti and

2. Sri Gopal Shah

In course of investigation I/O arrested the following accused persons (suspected to be linkman of ULFA) and forwarded into judicial custody namely:-

1. Sri Dalin Baruah S/O Sri Lambudar Baruah of Singimari Kopohuwa Gaon PS Joypur Dist- Dibrugarh and recovered 2 (two) nos. of mobile handsets vide SIM No. 9854316300 and 9854573960 from his possession and seized the same as per seizure list.

2. Sri Arup Chutia S/O Lt. Gopal Chutia of Gajpuria Gaon, PS Moran, Dist. Dibrugarh and recovered 01 (one) no. of mobile handset (model No. 105) vide SIM No. 8723929051 from his possession and seized the same as per seizure list.

3. Sri Babul Bharali S/O Lt. Kusharam Bharali of Dolanikur Gaon, PS Khowang, dist. Dibrugarh and recovered 01 (one) mobile handset (Nokia) vide SIM No. 9957709852 (Aircel), IMEI Nos. 1-358966/05/680782/9, 2-358966/05/680783/7 from his possession and seized the same as per seizure list.

4. Sri Bikram Rai Ghatowar S/O Lt. Deb Rai Ghatowar of Lefera Gaon PS Borhat Dist- Choraideo.

5. Sri Jitu Borah, S/O Lt. Rudra Borah of vill-Nagamati Gaon PS-Namrup, dist.-Dibrugarh.

Later the case was returned in FR as U/s 120/120(B)/121/121(A)/122/123/124(A)/447/326/307/427 IPC, R/w Sec 25(1)(A)/27 Arms Act R/w Sec 10/13 UA(P) Act and R/W Sec 4/5 ES Act there was insufficient evidence against arrested accused vide Namrup PS FR No. 11/17 dated 05.03.2017.

Again an FIR was received from JC 276/30A Sub. Yogendra Singh (Army Personnel from COB Dangrikumar) vide Namrup PS GDE No. 266 dated 10.12.2017 and treated as supplementary FIR in connection with Namrup PS case No. 184/15 U/s 120/ 120(B) /121 /121(A)/ 122/ 123/ 124(A)/ 447/ 325/ 326/ 307/ 427 IPC R/w Sec 25(1) (A)/27 Arms Act, R/W sec10/13 UA (P) Act & R/W Sec. 4/5 ES Act. Ext. 1486 is the certified copy of the supplementary FIR. Based on specific intelligence, a joint team from COB Dangrikumar and DSP Namrup launched on operation at general area Dillighat, Dibrugarh dist on 09 Dec, 2017 at 0300 hrs & apprehended Abhay Deka @ Ajay Asom from the outskirts of vill-Dillighat at 0715 hrs. the following items were recovered from his possession:-

1. One 7.65 pistol (Chinese Made)

2. One Magazine

3. Six Live rounds

4. 13 Nos. Extortion pads.

5. One mobile phone

6. 02 (two) SIM Cards

During joint questioning of Army and police, Abhay Deka @ Ajay Asom confessed to be an ULFA (I) cadre of 2014 batch who was in the said village for execution extortion. He also confessed to have been involved in firing incident at Dillighat on 30 Nov, 2015 alongwith 03 (three) other ULFA cadres namely (i) Ashut Barman (ii) Pabitro Das (iii) Ankur Deka. After the firing incident the individual changed his location to Darrang and again moved back to Dibrugarh district. The I/O arrested the accused and duly seized the recoveries on being handed over to O/C Namrup police by the Army.

The case is pending under investigation.

(ii) On 20.06.2016 at 11 pm, SI Bidyut Bikash Baruah of Moran PS lodged an FIR (Ext. 1535) at Moran PS stating that on the same day at around 1615 hrs basing on a specific information relating to movement of a trained ULFA cadre of Khelmati Moran, he alongwith Const. Debendra Chetia and APBN Staff led by SI Dulal Mahanta of Moran PS conducted search operation in the general area of Khelmati and house premises of Sri Rahul Hazarika @ Laden Asom, S/O Sri Uma Hazarika of Khelmati, Moran and apprehended Sri Rahul Hazarika @ Laden Asom and also recovered 12 (twelve) nos. of money demand letter of banned ULFA organization signed by ULFA militant, Dristi Asom and one hand grenade. During interrogation of the ULFA cadre Sri Rahul Hazarika @ Laden Asom, it came to light that he had joined ULFA organization in 2013 and underwent training in Bangladesh during the year 2014-15. He came back to Moran in the 1st part of 2016 and started to deliver demand letters to different individuals and business establishments with the intention to extort huge money for the purpose of procuring arms and ammunitions to secede Assam from the Indian Territory by waging war as per instruction of his senior leaders. They

were also inciting the young generation, over ground ULFA workers and sympathizers against police and other security forces by lobbing hand grenade for terrorizing innocent people. On getting the information, O/C Moran PS registered a case vide Moran PS case No. 133/2016 U/s 120(B)/121/121 (A)/122/123/124(A)/387 IPC, R/W Sec. 3 of ES Act & 10/13 UA (P) Act and investigated into.

During investigation I/O visited the PO observed the PO thoroughly and necessary formalities were done. I/O seized the following items in presence of witnesses:-

1. 12 (twelve) nos. money demand letters of ULFA Organization.

2. 01 (one) 36 hand grenade.

3. 01 (one) I-ball mobile bearing IMEI No. 911450250600322 with SIM No. 8399026170 (Vodafone).

4. 01 (one) mobile phone (OPPO) bearing IMEI Nois. 860885033117931, 860885033117923 with SIN No. 9127597556.

I/O examined and recorded the statements of available witnesses namely:-

1. Sri Bidyut Bikash Baruah, SI, Moran PS.

2. Sri Deban Orang S/O Lt. Basoi Orang of Khelmati Khatkhati, Deoghroia Gaon PS-Moran.

3. Sri Siba Tanti, S/O Sri Sukra Tanti of Khelmati Gaon PS-Moran.

4. Sri Deben Urang, S/O Lt Dasar Urang of Khelmati Gaon, PS-Moran.

5. Sri Siba Kurmi, S/O Sukra Kurmi of Jationi, PS-Moran.

6. Smt. Lila Kahar, W/O Lt Bupal Kahar of Khelmati Gaon, PS-Moran.

7. Sri Dharan Karmakar, S/O Sri Rakhal Karmakar of Khelmati Gaon, PS-Moran.

8. Sri Mituwa Mirdha S/O Sri Anaru Mirdha of Khelmati Gaon PS-Moran.

9. Sri Uma Hazarika, S/O Lt Makhan Hazarika of Khelmati Gaon PS- Moran.

During investigation IO arrested the following accused persons, interrogated them and forwarded them into custody:-

1. Sri Rahul Hazarika @ Laden Asom, S/O Sri Uma Hazarika of Khelmati Gaon Moran PS.

2. Sri Sagar Gogoi @ Firoj Asom, S/O Dipu Gogoi of Lahoni Gaon, Tengakhat PS

3. Sri Bijoy Bedia, S/O Sri Kundan Bedia of Bejochuk Bengali Gaon Moran PS (shown arrested) who was arrested in connection with Lahowal PS case No. 84/2016 U/s 120(B)/121/121(A)/IPC R/w sec 25(I-A) Arms Act and 10/13 UA (P) Act.

The case is under investigation.

(iii) On 26.01.2020 at 06.05 pm, complainant SI Manoranjan Saikia, of Dibrugarh PS lodged an FIR (Ext. 1564) to the effect that on 26.01.2020 at about 08 am a bomb was exploded at Graham Bazar, Dibrugarh, which was planted under the garbage in an abandoned shop, as a result of which the shop was slightly damaged but no life and other property is lost. The explosion was made by suspected banned ULFA (I) extremist to show their existence and to create panic amongst the people in general in support of their waging war against the Govt. of India. On getting the information, OC Dibrugarh PS registered a case vide Dibrugarh PS Case No. 151/2020 U/s 120(B)/121(A)/307/427 IPC, R/w Sec 10/13 UA (P) Act and R/w Sec 3 ES Act on 26.01.2020 and investigated into.

During investigation I/O visited the PO, observed the PO thoroughly and necessary formalities were done. IO seized the following items in presence of witnesses:-

1. 01 (one) piece of broken pipe having smell of suspected explosive substance.

2. Some residue of suspected mobile phone having smell of suspected explosive substance.

3. Some quantity of mixed soil having smell of suspected explosive substance.

4. Some broken pieces of thermocol label marked as Dr. Lal Pathlabs.

I/O examined and recorded the statements of available witnesses namely:-

1. Sri Subash Jain, S/O Lt. Ganpati Jain of Graham Bazar, Dibrugarh.
2. Sri Saurav Dhanuka, S/O Nirmal Kr. Dhanuka of Graham Bazar, Dibrugarh.
3. Md. Kamrul Sharif Zinnah, S/O Lt. Kamal Afrosh of Graham Bazar, Dibrugarh.
4. Sri Bikash Jain, S/O Sri Amar Chand Jain of Graham Bazar, Dibrugarh.
5. Sri Pramod Thakur, S/O Sri Babul Thakur of Graham Bazar, Dibrugarh.
6. Sri Biswajit Nath, S/O Jagat Nath of Gaurisagar, T/A-Near TV Centre, Dibrugarh.
7. Md. Akbar Khan, S/O Lt Rahim Khan of Gabharupathar, Dibrugarh.
8. Sri Gautam Das, S/O Sri Mohan Das of Gabharupathar, Dibrugarh.\
9. Sri Buton Das, S/O Lt. Raghu Das of Graham Bazar, Dibrugarh.
10. Sri Anil Kr. Shah, S/O Sri Ram Naresh Shah of Graham Bazar, Dibrugarh.
11. Md. Rizaur Rahman, S/O Faijur Rahman of Graham Bazar, Dibrugarh.
12. Sri Shyam Sharma S/O Biswanath Sharma of Graham Bazar, Dribrugarh
13. SI, Manoranjan Saikia of Dibrugarh PS (complainant)

During investigation I/O shown arrested the following persons (already arrested by Charaideo Police), interrogated them and forwarded them into custody:-

(1) Chow Lakhi Longno @ Rubul Asom S/O Chow Koinouk Longno of Borpathar Khamti Gaon, Narayanpur PS, North Lakhimpur (shown arrested) who was arrested in connection with Sonari PS case No. 16/2020 U/s 120 (B)/121(A)/307/427 IPC, R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

(2) Sri Manash Patmout @ Baba @ Bastabjyoti Asom @ Bastab Asom, S/O Tileswar Patmout of Bengenabari Lukhurakhan Gorokhiahabi Gaon, PS-Sonari, Dist-Charaideo (shown arrested) who was arrested in connection with Sonari PS case No. 16/2020 U/s 120 (B)121(A)/307/427 IPC, R/W Sec 10/13 UA (P) Act.

In course of investigation I/O collected one acknowledgement letter of ULFA (I), dated 26.01.2020 signed by Lieutenant Joy Asom, (widely published in various visual & social media of Assam) where publicity branch, ULFA (I) declares that their cadres were involved in the serial bomb blast at 8 am on 26.01.2020 in three districts of Assam on the Republic Day, 2020.

The case is pending under investigation.

(iv) On 26.01.2020 at 06.10 pm complainant Insp. Rajib Kr. Saikia, of Dibrugarh PS lodged an FIR (Ext. 1592) to the effect that on 26.01.2020 at about 08.05 am a bomb was exploded at the back side of Guruduwara, Sikh International School Wall, Dibrugarh, which was planted under the grass, as a result of which the wall of the school was slightly damaged but no life and other property is lost. The explosion was made by suspected banned ULFA (I) extremist to show their existence and to create panic amongst the people in general in support of their waging war against the Govt. of India. On getting the information, OC Dibrubarh PS registered a case vide Dibrugarh PS Case No. 152/2020 U/s 120 (B)/121(A)/307/427 IPC, R/W Sec 10/13 UA (P) Act & R/W Sec 3 E/S Act on 26/01/2020 and investigated into.

During investigation I/O visited the PO, observed the PO thoroughly and necessary formalities were done. I/O seized the following items in presence of witnesses:-

(1) Some residue of mobile phone having smell of explosive substance.

(2) Some soil mixed with foam thermocol/ piece of broken bricks having smell of explosive substance.

I/O examined and recorded the statements of available witnesses namely:-

(1) Smt. Fatima Begum, W/O Md. Momtaz Ali of Pujaghat, Malipatty, Dibrugarh.

(2) Smt. Abeda Begum, W/O Lt Phul Md. Khan of Pujaghat, Malipatty, Dibrugarh.

(3) Sri Rahul Thakur, S/O Lt. Satya Narayan Thakur of Pujaghat, Malipatty, Dibrugarh.

(4) Smt. Asma Bi Nisha, W/O Lt. Phul Md. Khan of Marwaripatty, Dibrugarh.

(5) Sri Malkiyot Singh, S/O Lt. Kalwant Singh of Phulbagan Guruduwara, Dibrugarh.

(6) Md. Allauddin Ahmed, S/O Lt. Faizuddin of Pujaghat, Malipatty, Dibrugarh.

(7) Insp. Rajib Saikia (Dibrugarh PS) (Complainant)

During investigation I/O shown arrested the following persons, interrogated them and forwarded them into custody:-

(1) Chow Lakhi Longno @ Rubul Asom S/O Chow Koinouk Longno of Borpathar Khamti Gaon, Naryanpur PS, North Lakhimpur (shown arrested) who was arrested in connection with Sonari PS case No. 16/2020 U/s 120(B)/121(A)/307/427 IPC, R/w Sec 10/13 UA (P) Act.

(2) Sri Manash Patmout @ Baba @ Bastabjyoti Asom @ Bastab Asom, S/O Tileswar Patmout of Bengenabari Lukhurakhan Gorokhiahabi Gaon, PS-Sonari, Dist-Charaideo (shown arrested) who was arrested in connection with Sonari PS case No. 16/2020 U/s 120(B)/121(A)/307/427 IPC, R/w Sec 10/13 UA (P) Act.

In course of investigation, I/O collected one acknowledgement letter of ULFA (I), dated 26.01.2020 signed by Lieutenant Joy Asom, (widely published in various visual & social media of Assam) where publicity branch, ULFA (I) declared that their cadres were involved in the serial bomb blast at 8 am on 26.01.2020 in three districts of Assam on the Republic Day, 2020.

The case is pending under investigation.

(v) On 25.05.2017 at 09 pm complainant SI Rajib Panging, Security Control Officer, Duliajan lodged an FIR (Ext. 1611) to the effect that on 25.05.2017 at 6.30 am, a crude Oil pipeline leakage was seen from Bhugpara to Dikon OCS, Dikon Sessa Bridge and crude Oil was floating on the Sessa river and one unidentified dead body was also found lying at the PO. Moreover, a running pipeline was found damaged and it was suspected to be sabotage activities of unknown outfit organization. On getting the information, O/C Lahowal PS registered a case vide Lahowal PS case No. 69/2017 U/s 120(B)/121/427 IPC R/W Sec 3/4 of ES Act & R/W Sec 10/13 UA(P) Act on 25.05.2017 and investigated into.

During investigation I/O visited the PO, observed the PO thoroughly and necessary formalities were done. I/O seized the following items in presence of witnesses:-

(1) Two (02) quarter alcohol bottles, Gold Ribbon.

(2) One (01) nos of torch red in colour, 8 inch approx.

(3) One (01) nos of half alcohol bottle Mc Dowell No. 1.

(4) One jeans longpant having brand Sparky, blue in colour.

(5) One (01) red colour towel made in China,

(6) One (01) yellow colour like rain coat jacket, Helly Hansen made in Philippines.

(7) One (01) pair of shoes brand Project.

(8) One (01) bag brand name AIR Camel Mountain, mixed up with crude oil.

(9) One (01) plastic carrying bag.

(10) One (01) cycle tube two feet approx.

(11) One (01) round cap of plastic gallon.

(12) A piece of paper probably newspaper written in dialect unknown.

(13) A piece of plastic (transparent) measuring 2X15 inch.

(14) A carry bag of two Kg suspected to be containing residue of explosive.

(15) A piece of tube about 3 inch length containing the valve tube for filling air.

(16) A round container green in colour about 1 inch diameter.

(17) One crude oil pipe (iron) length 4 feet approx. in damaged conditioned.

I/O examined and recorded the statements of available witnesses namely:-

(1) Sri Umesh Pator, S/O Hiralal Pator of Dikom Sessa Gaon, Lahowal (seizure witness).

(2) Sri Heramba Das S/O Lt. Keshab Das of Dikom Sessa Gaon, Lahowal (seizure witness).

(3) Sri Subodh Devnath, S/O Hari Pada Devnath of Dikom (witness).

(4) Sri Hari Charan Kahar, S/O Bahadur Kahar of Dikom, Sessa.

(5) Sri Rajib Panging, S/O Lt. Jogesh Panging of Security Control, Duliajan.

In course of investigation I/O arrested the following accused person:

(2) Ajoy Gogoi @ Sony Asom of banned ULFA (I) organization, S/O Sri Seniram Gogoi, Dinjoy, Chabua.

He confessed of committing the crime of sabotaging the said crude oil pipeline at Dikon Sessa on the night of 24.05.2017 with his associate Polash Asom (Robin Dohotia) who died in the operation while planting the bomb (the dead body was identified by his brother Riju Dohotia S/O Ratna Dohotia of Tongona Bazar PS-Tongona, Tinsukia). They were instructed by Major Arunoday Dohotia of banned ULFA (I) organization to carry out such adverse incident. A live Chinese grenade was recovered from his possession and was duly seized. The case is pending under investigation.

36. Sri Gurav Abhijit Dilip currently serving as Superintendent of Police, Nagaon District, Assam since 27th January, 2020 in his evidence on affidavit stated as follows:

On 28.11.2018 complainant SI Sunmoni Saikia, S/O Late Kaliman Saikia I/C Itachali (Town Out post) TOP, P.S. Nagaon lodged an FIR (Ext. 1631) to the effect that on the same day at around 12.20 pm, as per information he recovered a flag of banned ULFA organization and the flag was hoisted on a bamboo post at the martyr monument (Swahid Bedi) of Late Pabitra Jamider, Late Prasanta Bora and Late Sarat Kakati at Bhutaideka play ground, Bhutiagaon under Nagaon PS. as the date 28.11.2018 was observed by the banned ULFA organization as Pratibad Divas.

On receipt of the FIR at the PS a case was registered vide Nagaon P.S. case no. 4022/18, u/s 120(B)/121/121(A)/IPC R/W sec. 10/13 UA(P) Act and investigation is going on.

During investigation, the I/O arrested two persons namely Sri Bhaskar Bora (49 yrs) S/O Lt. Bakul Chandra Bora of Dumdumia Balisatra under Batadrava PS and Sri Naren Gohain (67 yrs) S/O Lt. Kamal Chandra Gohain, Vill-Diphalo, Nagaon PS, Dist- Nagaon in connection with the case and seized various articles and documents. On interrogation accused persons reveal that they were involved in hoisting the flag of banned ULFA organization on 28.11.2018 at the martyr monument (Swahid Bedi) of Late Pabitra Jamider, Late Prasanta Bora and Late Sarat Kakati at Bhutaideka play ground, Bhutiagaon under Nagaon PS.

37. Shri Amrit Bhuyan, APS, currently serving as Superintendent of Police, Darrang District, Assam since 22nd January, 2019 in his evidence on affidavit stated as follows:

(i) On 28.03.2015 complainant Sri Vimlesh Kr. Paharia S/o Santi Lal Jain, C/o Mangaldai Service Station, PS Mangaldai lodged an FIR (Ext. 1651) at Mangaldai PS stating that on 27.03.2015 at about 7.30 pm two unknown miscreants came by bike with fire arms and opened fire upon employees of Mangaldai Service Station near Barjamguri under Mangaldai PS. As a result, one worker namely Monoj Petal (33 yrs) S/O Sri Tez Nayan Petal of vill Madi Nagar Bankath, PS Baruganj, Dist Mazaffarpur (Bihar) sustained bullet injury. Immediately he was admitted at Mangaldai Civil Hospital and the doctors referred him to GMCH. But he was admitted at Narayana Hospital, North Guwahati where he succumbed to his injury at about 9.50 pm on the same day. In this regard, Mangaldai Police Station Case No. 238/2015 U/s 302/34 IPC R/W Sec. 25 (1-A)/27 Arms Act R/W Sec. 10/13 UA (P) Act registered and investigated into.

During the investigation, the Investigating Officer seized 3 empty cases of .76 mm ammunition and one bullet head from the PO.

During investigation the IO revealed that around 1-1 ½ years back, some ULFA members had demanded money from the owner of the Shell Patrol Pump and due to non fulfillment of their demand, ULFA (I) member Dipak Borah and other killed the worker Monoj Petal of the said petrol pump.

(ii) On 16.04.2017 complainant SI Hemanta Baruah of Mangaldai PS lodged a written FIR (Ext. 1676) at Mangaldai PS stating that based on secret information that a group of ULFA (I) cadre namely Hidali Group had come from Myanmar for recruiting members and for collection of money from the general public. With the help supporters/ harbourers of Darrang District, an operation was launched and one member of the said group namely Haren Deka S/O Khiteswar Deka of No. 2 Naharbari under Kalaigaon PS dist Udalguri (BTAD) was caught by Nagaon police and later on handed over to Mangaldai PS along with two mobile handsets and documents. During interrogation, he confessed that he joined in ULFA (I) in 2013 and presently was the Foot Drill Instructor of ULFA (I) and came to Mangaldai for recruiting new cadre. In this regard, Mangaldai police station case no. 289/2017 U/s 120(B)/121/121(A)/122 IPC R/w Sec. 10/13/19 UA (P) Act was registered and investigated into.

During investigation, the apprehended accused Haren Deka @ Nikhil Axom @ Akhil Gogoi S/O Khiteswar Deka of No. 2 Naharbari under Kalaigaon PS, Dist Udalguri (BTAD) was arrested and forwarded to the judicial custody. In course of investigation, it came to light from the SB HWRs, Guwahati that he is a Myanmar trained 78th Batch listed ULFA (I) cadre and he joined ULFA (I) in January, 2013. It was also revealed that he came to Darrang district to recruit new cadre in ULFA (I). After completion of investigation, the case was submitted in CS vide Mangaldai police station CS No. 58/2019 dated 28.02.2019 U/s 120(B)/121/121(A)/122 IPC R/w Sec 10/13 UA (P) Act against arrested accused person.

(iii) On 21.06.2018 complainant Insp. Niranjan Baruah, O/C Mangaldai PS lodged an FIR (Ext. 1701) at Mangaldai PS stating that on 21.06.2018 based on a secret information regarding demanding money by the banned extremist organization ULFA (Swadhin) from a businessman of Chapai area through mobile phone, he along with TSI Premankur Hazarika, SI (Prog) Krishna Kt. Laskar and APR party under the leadership of Dy. SP (HQ), Darrang, Mangaldai, Shri Amit Hojai, APS conducted raid in the house of Sri Chinmoy Kalita (19yrs) S/O Sri Putul Kalita of Borpukhuri, PS Kalaigaon, Dist Udalguri and apprehended him and recovered two mobile handsets and one used SIM card No. 8811902018 from his possession. During examination of the victim who received threatening calls and text messages from the used mobile phone No. 8811902018 of the accused person to the victim mobile phone No. 9101984330 that the accused person demanded Rs. 8,00,000/- (rupees eight lakhs) to deliver before 23.06.2018 in the name of banned extremist organization ULFA (Swadhin) putting in fear of death. Moreover, the accused person is a member of ULFA (Swadhin) who works under the guidance of self-styled area commander Biswajit Deka and Major Asom Paresh. In this regard, Mangaldai police station case No. 477/2018 U/s 387 IPC R/W Sec. 10/13 UA (P) Act was registered and investigated into.

During investigation, the IO seized two mobile handsets along with SIM Card No. 8811902018 and two nos. Airtel SIM Cards from the accused person, one mobile handset along with SIM card No. 9101984330 and screen shot of text messages sent from mobile No. 8811902018 and one 4 GB SD card containing the audio recording (extortion calls) from the victim. The investigation officer also seized one SIM entry register from one shop where it was found that SIM Card No. 8811902725 and 8811902018 were issued in the name of Manika Kalita (i.e. SIM Card No. 8811902018 used by the accused person for extortion).

During investigation, the IO arrested the accused Sri Chinmoy Kalita and forwarded to the judicial custody. In course of investigation, it was revealed that members of ULFA(I) Organization involved in collection of extorted money from the common people. The case is under investigation.

38. After completion of the evidence of the Government of India and the State of Assam, the matter was fixed for argument on 20.06.2020 Mr. Keyal the learned ASGI and Mr. Saikia, the learned Senior Counsel assisted by Mr. P. Nayak and Mr. A. Chaliha submitted their respective argument. The gist of the argument of both the learned counsel are that the outfit is determined by its earlier object of secession of the State of Assam from the Indian territory even after declaration of the organization as an unlawful one on 25.11.2014. As there was no sign of abjuring the path of violence nor has the outfit changed its object, so the grounds mentioned in the notification under reference are proper. Further the evidence put on record by the State of Assam through its Superintendent of Police of the districts wherein the outfit is carrying on its activities lend ample support to the claim made by the Government of India in the notification. Accordingly, both the learned counsel sought for adjudication in favour of the notification.

39. The evidence of 16 (sixteen) number of Superintendent of Police are recorded hereinabove from equal number of districts in the State of Assam putting on record the acts of the ULFA cadres spanning from the year 2015 till the recent past. The deponents exhibited the supporting documents in the certified form against the cases referred in the evidence and some of the documents were proved in original. In order to get the actual ground information prevailing in the districts infested by the activities of the cadres of the outfit, I personally interacted with each of the Superintendent of Police who were present in the Tribunal deposing as witnesses. As per the the assessment, leaving aside the districts in Upper Assam, Kamrup (M) and Goalpara bordering Meghalaya-Bangladesh, the activities of the cadres of the outfit in the rest of the districts which were the hotbed in the year 2016 to 2018 had considerably subsided. But that itself cannot be the only consideration for a decision in the reference. Accordingly the other considerations are also discussed below.

40. I have given due consideration to the submissions of the learned counsel. The organization i.e. ULFA against whom the notification was issued declaring it to be an unlawful organization remained unrepresented during the proceeding. On the other hand the Government of India through the Secretary, Ministry of Home Affairs and the State Government through its Secretary, Home and Political Department were present, adduced evidence in support of the grounds on the basis of which the outfit ULFA was declared an unlawful organization. The Superintendent of Police of the districts in which the members of the outfit ULFA are active within the State of Assam adduced their respective evidence.

41. The evidence shows that there were incidents of encounters, attacks, kidnappings, explosions, extortions carried out by the members of the outfit w.e.f. 28.11.2014 and continuing till the recent past. In the encounters ULFA(I) cadres along with other cadres of militant outfit of State of Nagaland were killed. Further personnels of security forces also died due to attacks carried out by the ULFA(I) cadres. The spate of violence though is in the declining trend, but the other activities like the drive for recruitment of new cadres and training in the camps outside the Indian territory are going on. In this regard the debriefing statements of some of the high ranking cadres are considered. For instance if we look into evidence of Sri Simanta Kumar Das, Joint Secretary to the Government of Assam, Home & Political Department it is observed that during the period from 2016-2018 there was a sudden spurt in recruitment of new young cadres through social media. The publicity wing of ULFA has been motivating the young vulnerable section of the society to get them attracted towards the secessionist ideology of ULFA(I) through social media by forming subversive anti-national sentiments. Let me take the Golaghat P.S. Case No. 1163/19 U/S 120(B)/121/121(A)/109 I.P.C. R/W Sec. 10/13 UA(P) Act, R/W Sec 66 (F) IT Act (Ext. 24 and 26 are the certified copies of FIR and G.D.E. dated 28.11.2019). The ULFA(I) members hoisted the ULFA flags on the road divider at a place called Purabangla in the district of Golagaht with the leaflets inscribing "ULFA ZINDABAD" with intention to attract young persons to work for the outfit. On 8.8.2019 Dhemaji P.S. Case No. 316/2019 U/S 120(B)/121/121(A)/124(A) IPC, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act, 1967 (Ext. 62 is the FIR) was registered and upon investigation apprehended 4 (four) ULFA(I) cadres in between Moridhal and Laipulia in the district of Dhemaji. As per their statements they put on fire the Indian National Flag and the video footage was uploaded in the social media with anti national message. Kaki P.S. Case No. 154/2019 U/S 120(B)/121/122 IPC, R/W Sec. 13 of UA(P) Act 1967, (Ext. 98 is the FIR) reveals hoisting of ULFA(I) flag in Kaki Junior College at Kaki in the Hojai district on 28.11.2019 by ULFA (I) sympathisers and posted the video footage in the social media.

42. The aforesaid evidence gives a clear indication of the anti-national propaganda of the outfit and the under lying intent is to attract vulnerable young section of the society to follow the ideology of the outfit which wanted to secede the state of Assam from the Indian territory.

43. Further from the evidence, I am of the view that the outfit along with other secessionist outfit of the other States of the North East India have a well planned strategy to achieve their plan for seceding the North East from the Indian territory. For that purpose the ULFA(I) along with other outfit are having their respective camps in the nearby countries. The fact that the members of other outfits of the nearby State of Assam and the ULFA(I) are maintaining their co-ordinated nexus in the subversive acts can be gathered if Bordumsa P.S. Case No. 11/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/122/307/34 IPC, R/W Sec. 25(i)(a)/27 of Arms Act, R/W Sec. 10/13 UA(P) Act (Ext. 144 is the FIR) is looked into. The said case speaks of an encounter on 16.02.2016 at village Wathoi in the district of Tinsukia wherein 4 (four) ULFA(I) and NSCN(K) cadres were shot dead by the Security Forces.

44. The evidence by the State put on record the stock of arms and ammunitions in the armoury of the outfit which is a substantial one. The outfit being well equipped with arms and ammunitions has the power to strike the security forces not to speak of the general public. Pengaree P.S. Case No. 63/2016 U/S 120(B)/121/121(A)/341/353/427/302/326/307/179 IPC R/W Sec. 3/ 4 E S Act, R/W Sec. 25(i) (a)/27 Arms Act R/W Sec 10/14 UA(P) Act 1967 (Ext 260 is the copy of FIR) shows the manner in which the ULFA(I) members ambushed the security forces while they were moving from Pengaree towards Digboi in the district of Tinsukia. The said ambush on 20.11.2016 caused loss of life and property of the security forces.

45. The brutality of the cadres of the ULFA(I) in order to terrorise the people of the society can be assessed if Saikhowaghat P.S. Case No. 36/18 U/S 120(B)/121/121(A)/122/302/307 IPC R/W Sec. 25(i)(a)/27 Arms Act R/W Sec 10/13 UA(P) Act, 1967 (Ext. 700 is the FIR) is considered. On 01.11.2018 at about 7:30 PM 6 (six) members of unknown gunmen entered into Kherabori village in the district of Sodiya, called 6 (six) villagers from a shop to follow them and shot dead 5 (five) of them at point blank. However 1 (one) villager out of 6 (six) could manage to save himself who narrated the brutal attack by the members of the outfit. This is undoubtedly an attempt by the cadres of the outfit to acquire control over the common people by intimidation creating an environment of lawlessness in the society.

46. The cadres of the outfit are indulging in the acts of kidnapping and extortion. If the person failed to meet up the demand of money by the cadres of the outfit, they used to kill them. In the case of kidnapping, the ULFA(I) cadres used to release the kidnapped person on payment of the ransom. Mangaldoi P.S. Case No. 238/2015 (Ext 1651 is the FIR) shows that due to non fulfillment of the demanded money by the owner of a petrol pump, ULFA(I) cadre shot dead one of the workers in the petrol pump, M/S Mangaldoi Service Station, Mangaldoi in the district of Darrang. Demow P.S. Case No. 380/2018 U/S 320 IPC, R/W Sec 10/13 UA(P) Act, 1967 R/W Sec 3/4/6 ES Act added Sec 120(B) IPC is also a similar case wherein the owner of a Hardware shop and another one were injured by hurling a grenade by the ULFA(I) cadre. The injured persons later on died. Borhat P.S. Case No. 54/2018 U/S 365 IPC (Ext 1042 is the FIR) is the case of kidnapping of one Sri Nomal Ch. Baruah of Timon Habi Tea Estate, P.S. Borhat in the district of Charaideo. The said person was released on receipt of the ransom money.

47. The advent of the Repubic Day and the Independence Day of the country is itself a cause for the cadres of the outfit to carry out subversive acts like explosion of bombs in public places in order to deter the general public from participating in the Government programmes on these two days. Ext. 1141, the FIR in the Mathurapur Police Station in the district of Charaideo which was lodged on 26.01.2017 informing that on the same day two simultaneous IED (Improvised Explosive Device) explosions occurred at Panijan besides a petrol pump and Lengibar Tinali under the said police station. The said explosions as per investigation, were carried out by ULFA(I) cadres. Similar explosion was carried out on 26.01.2020 as per FIR (Ext. 1191) lodged in Sonari P.S. in the district of Charaideo. Another bomb was exploded on 26.01.2020 as per FIR, Ext. 1564 in Dibrugarh P.S. Case No. 151/2020 U/S 120(B)/121(A)/307/427 IPC R/W Sec. 10/13 UA(P) Act, 1967 R/W Sec. 3 E.S. Act at Graham Bazar under the said police station in the district of Dibrugarh and similarly a bomb was exploded as per FIR, Ext. 1592 in Dibrugarh P.S. Case No. 152/2020, in the Dibrugarh town on 26.01.2020. Explosion of bombs were carried out on 15.08.2016 at Doomdooma in the district of Tinsukia as apparent from the FIRs (Ext. 465 and Ext. 492) in Doomdooma P.S. Case Nos. 298/2016 and 299/2016.

48. The outfit through its cadres caused loss of property to the nation also by its subversive acts. As per the FIR, Ext. 322 in Lekhapani P.S. Case No. 11/2018 U/S 120(B)/121/121(A)/122/342/436/ 427/384/379/323 IPC R/W Sec 25(1-A)/27 Arms Act on 16.01.2018 in Tinsukia district, the extremists set on fire 8 (eight) numbers of oil tankers carrying crude oil from Khersang in Arunachal Pradesh to Digboi in Assam. The said crude oil was transported for refining in the Digboi Refinery.

49. The evidence of the State and the Government of India shows that during the extended ban period from 27.11.2014 till 25.05.2019 the outfit committed 72 (seventy two) incidents where 21 (twenty one) persons died of which 16 (sixteen) are civilians and 5 (five) are secutiry force personnels. Such acts indicate the determined intent of the members of the outfit for intensifying the armed struggle. The outfit is carrying on such acts to terrorise people so that out of fear pscychosis the people buckle down to the demands of money by way of extortion or any other demands, the outcome of which is favourable to the outfit but to the inconvenience of the society as a whole. The outfit has been able to establish the brutality with which it handles the mission undertaken by it and as a result, the outfit gained in its act of kidnapping insofar as the ransom is concerned. Its not required that the subversive acts by the outfit should be

undertaken frequently in order to cause fear in the minds of the people forming the society. An act of subversion as referred hereinabove causes ripples of fear amongst the mass where the outfit has its dominance. Such ripples of fear is sufficient to create a situation of abnormal phenomenon disturbing the even tempo of the society.

50. In ***Hitendra Vishnu Thakur and others etc. –Vs- State of Maharastra and others*** reported in ***AIR 1994 SC 2623*** the Apex Court articulated the term "Terrorism" as one of the manifestations of increased lawlessness and cult of violence. Its main objective is to overawe the Government or disturb harmony of the society or "terrorise" people and the society and not only those directly assaulted, with a view to disturb even tempo, peace and tranquility of the society and create a sense of fear and insecurity. Experience has shown that "terrorism" is generally an attempt to acquire or maintain power or control by intimidation and causing fear and helplessness in the minds of the people at large or any section thereof and is a totally abnormal phenomenon. Looking back the evidence on record discussed hereinabove in the present reference, suffice it to hold that there exists an abnormal phenomenon in the districts which are stronghold of the outfit within the state of Assam.

51. The term "unlawful activity" is defined under Section 2 (o) of the Act, 1967 which is reproduced hereinbelow:-

"unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),-

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of india from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or

(iii) which cause or is intended to cause disaffection against India."

52. If the acts as hereinabove referred including those stated in the evidence are considered in the light of the aforesaid definition, there is no doubt that the outfit is involved in the unlawful activities within the ambit and scope of the definition. The Government of India through Ministry of Home Affairs Department in the notification under reference mentioned the specific grounds on the basis of which the declaration was made. Sri Das, the Joint Secretary to the Government of Assam in Home and Political Department in his evidence made a specific statement on the basis of the debriefing statement of one Sri Pranmoy Rajguru, an active member of the ULFA(I) that the outfit is determined to continue its armed struggle till achieving the goal for independence of Assam. Sri Arunodoi Dohotia of the publicity unit reiterated that establishing of sovereign independent Assam is the sole objective of ULFA(I) through armed struggle. There is no denial in respect of the said evidence by the outfit nor it felt necessary to appear before the Tribunal objecting against such statement and / or the grounds mentioned in the notification under reference. The only conclusion I can draw is that the intent behind such subversive acts involving the members/cadre of the outfit is to create an environment of fear pscychosis amongst the members of the society in general and to go ahead with the object of the outfit in achieving the determined goal of an independent Assam seceded from the mainstream India. This goes to show that the actions which are subversive in nature of the cadres of the outfit are intended to bring about the cession of the State of Assam, a part of the territory of India from the Union of India as the outfit disclaims the sovereignty and territorial integrity of India.

53. The object of the present proceeding as hereinabove stated is to examine the grounds on the basis of which the notification dated 27.11.2019 declaring the outfit ULFA as an unlawful organization was issued are proper. In support of the grounds, the Government of India placed on record sufficient materials in order to show that since 27.11.2014 (the date of issuance of the earlier notification) the outfit carried out the subversive acts in order to achieve its publicized propaganda of seccession of the State of Assam from the Indian territory. The outfit did not place any materials to outweigh the claim of the Government of India. If a pragmatic view is taken vis-à-vis the grounds and the supporting materials which are additional to the one considered while issuing the earlier notification dated 27.11.2014, the same are sufficient to sustain the grounds on the basis of which the notification under reference was published vide Gazette notification dated 27th November 2019 being SO 4273 (E) issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affiars, Government of India.

54. The explanation of "unlawful association" as per Section 2 (p) of the Act, 1967 is reproduced hereinbelow:-

"unlawful association" means any association,-

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which the members undertake any such activity: Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir".

55. It has already been held that the outfit is involved in unlawful activities and as such the organization United Liberation Front of Asom (ULFA) rechristended as United Liberation Front of Asom (Independent) ULFA(I) is an unlawful organization. The reference is decided confirming the declaration in the Gazette notification dated 27th November, 2019 being SO 4273 (E) issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

JUSTICE PRASANTA KUMAR DEKA

PRESIDING OFFICER

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

IN THE MATTER OF ULFA

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.19 11:46:26 +05'30'